खण्ड-410, अंक-3
बृहस्पतिवार, 26 फाल्गुन, शक संवत् 1915
(17 मार्च, 1994 ई0)

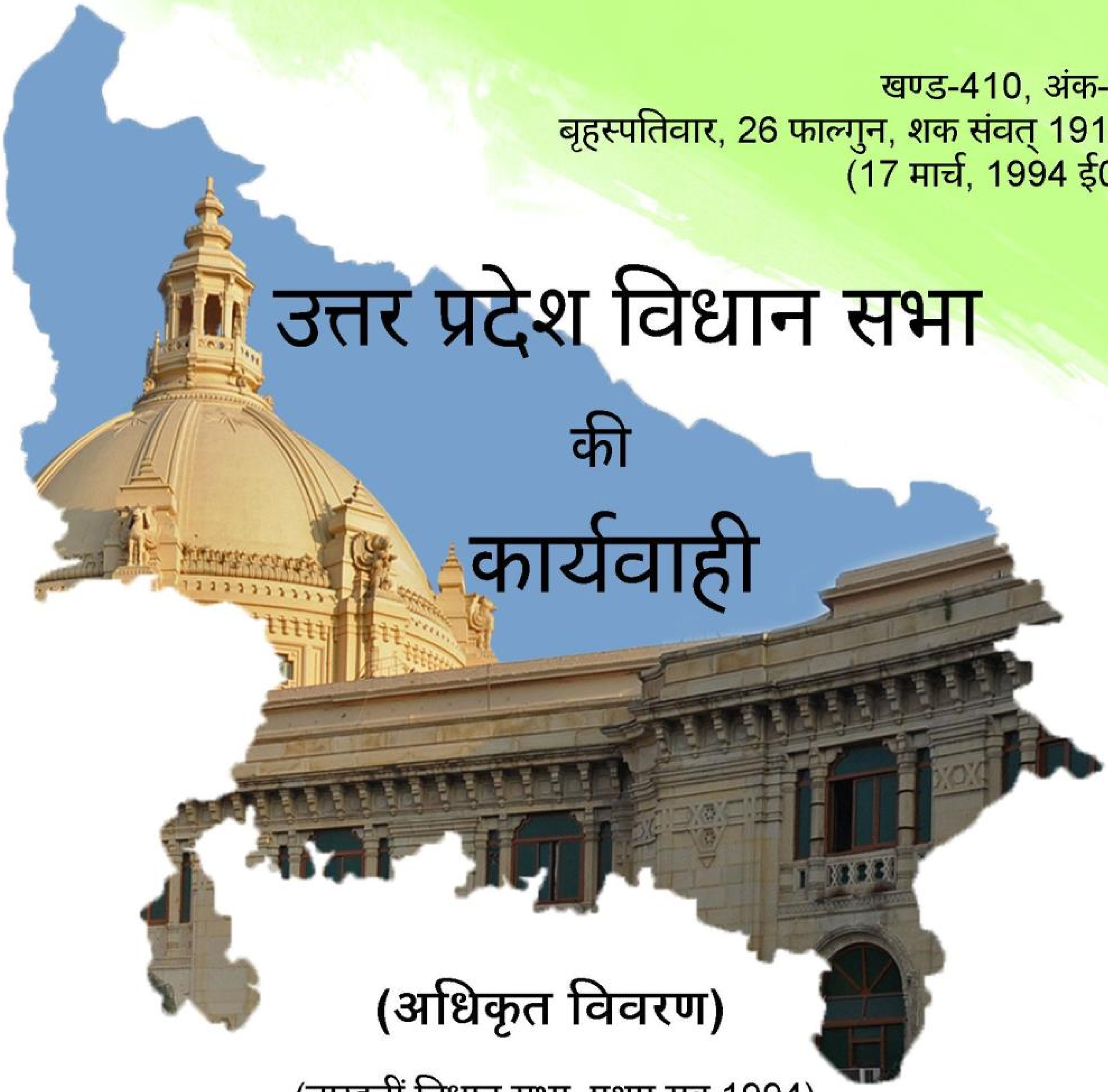

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

(बारहवीं विधान सभा, प्रथम सत्र 1994)

खण्ड 410 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)
1994

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ संख्या
उपस्थित सदस्य	क
बसपा की राष्ट्रीय महामंत्री सुश्री मायावती द्वारा महात्मा गांधी के प्रति अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किये जाने विषयक नियम 311 के अन्तर्गत सूचना (जारी)	1–2
प्रश्नोत्तर (सभी प्रश्न उत्तरित माने गये)	2–58
ब०स०पा० की राष्ट्रीय महामंत्री सुश्री मायावती द्वारा महात्मा गांधी के प्रति अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किये जाने विषयक नियम 311 के अन्तर्गत सूचना (जारी)	58–60
महात्मा गांधी के प्रति अपमानजनक शब्दों के प्रयोग विषयक नियम 311 के अन्तर्गत सूचना पर नेता विरोधी दल द्वारा सर्वप्रथम न बोले जाने के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न	60–65
श्री अध्यक्ष द्वारा आमंत्रित सर्वदलीय नेताओं की बैठक में बसपा नेता को भी सम्मिलित किये जाने की मांग	65–77
बसपा की राष्ट्रीय महामंत्री सुश्री मायावती द्वारा महात्मा गांधी के प्रति अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किये जाने विषयक नियम 311 के अन्तर्गत सूचना ...	77–104
उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 1994 (विधान परिषद् से वापसी की सूचना)	104
वित्तीय वर्ष 1994-95 के आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा (जारी) ...	105–121
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं	122
नियम 301 के अन्तर्गत सूचनाएं	122–123
जनपद उन्नाव में सई नदी पर निर्माणाधीन पुल एवं सड़क में अधिग्रहीत की गयी किसानों की भूमि का मुआवजा दिलाने की मांग के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	123
जनपद टिहरी गढ़वाल में मूलगढ़–धार्ती, रणधार–वदाणी मोटर मार्गों का निर्माण कराने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	123–124
जनपद उन्नाव में पेयजल संकट उत्पन्न होने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	124
जनपद सीतापुर में तहसील सीतापुर के कतिपय ग्रामों में हुए अग्निकांड से प्रभावित लोगों को सहायता दिलाने की मांग के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	124–125
जौनपुर के बरसठी क्षेत्र में जलस्तर काफी नीचा होने से पेयजल संकट उत्पन्न होने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	125
आगरा पश्चिम क्षेत्र में हमीदनगर, शिवनगर में बिजली के नये खम्भे व तार लगवाने की मांग के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	125

विषय	पृष्ठ संख्या
गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के रेगुलेटेड एरिया के अन्तर्गत होने वाले अनधिकृत कालोनियों के निर्माण को रोके जाने के संबंध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य	125–127
राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ द्वारा कथित रूप से जारी किये गये सामाजिक विद्वेष परक परिपत्र से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर केवल वक्तव्य का स्थगन	127
दिनांक 2 मार्च, 1994 के अ० सू० तारांकित प्रश्न सं०–2 नत्थी 'क' से संबंधित सरकारी घोषणाओं के बावजूद प्रदेश में चीनी और मिट्टी के तेल के भाव खुले बाजार में बढ़ने विषयक नियम–49 के अन्तर्गत चर्चा ...	127–131
नत्थियां	132–140

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बृहस्पतिवार, दिनांक 17 मार्च, 1994

निम्नांकित सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्य उपस्थित थे :—

अखलाख, श्री	मेरठ	निरवेन्द्र कुमार मुन्ना, श्री	खीरी
अतीक अहमद, श्री	इलाहाबाद	प्रेमलता कटियार, श्रीमती	कानपुर नगर
अमित अग्रवाल, श्री	मेरठ	फजलुर्रहमान अंसारी, श्री	बहराइच
अम्बिका सिंह, श्री	गोरखपुर	बचनू राम पटेल, श्री	वाराणसी
अरविन्द कुमार, श्री	ललितपुर	ब्रह्म दत्त द्विवेदी, श्री	फर्रुखाबाद
अवधेश प्रसाद, श्री	फैजाबाद	भगवत शरण गंगवार, श्री	बरेली
इरशाद, श्री	आजमगढ़	मनव्वर हसन, श्री	मुजफ्फरनगर
ओंकार सिंह, श्री	एटा	मसूद अहमद, डा०	फैजाबाद
ओम प्रकाश, श्री	गोरखपुर	महेन्द्र अरिदमन सिंह राजा, श्री	आगरा
काशी सिंह ऐरी, श्री	पिथौरागढ़	महेन्द्र पाल सिंह, श्री	बिजनौर
गजराज सिंह, श्री	गाजियाबाद	मारकण्डेय सिंह, श्री	बलिया
गया चरण दिनकर, श्री	बांदा	रघुराज प्रताप सिंह कुंवर उर्फ	
चन्द्र विजय सिंह उर्फ		राजा भइया, श्री	प्रतापगढ़
बेबी राजा, श्री	मुरादाबाद	रमापति उर्फ रमाकान्त, श्री	देवरिया
जय प्रताप सिंह, श्री	सिद्धार्थनगर	राजेश अग्रवाल, श्री	बरेली
जितेन्द्र कुमार जायसवाल उर्फ		राम लोटन सिंह पटेल, इन्जी०	मिर्जापुर
पप्पू भइया, श्री	गोरखपुर	रिजवान जहीर उर्फ	
जुगेन्द्र सिह, श्री	बदायूं	रिज्जू भइया, श्री	गोण्डा
दया सिन्धु शंखधर, श्री	बदायूं	विक्रमा सिंह, श्री	बलिया
देवेन्द्र कुमार सिंह, श्री	ललितपुर	विजय सिंह, श्री	सोनभद्र
धर्मपाल यादव उर्फ		शिवेन्द्र, श्री	महराजगंज
डी० पी० यादव, श्री	बुलन्दशहर	संदीप अग्रवाल, श्री	मुरादाबाद
धीरेन्द्र बहादुर सिंह, कुंवर	खीरी	सर्वराज सिंह, कुंवर	बरेली
नरेन्द्र सिंह, श्री	सीतापुर	सुरेन्द्र सिंह नेगी, श्री	गढ़वाल
नवल किशोर, श्री	बुलन्दशहर	सुरेश प्रताप सिंह, श्री	मुरादाबाद

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बृहस्पतिवार, दिनांक 17 मार्च, 1994

(विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप लखनऊ में दिन के 11 बजे अध्यक्ष श्री धनीराम वर्मा की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।)

(माननीय अध्यक्ष के पीठासीन होने एवं अल्प सूचित तारांकित प्रश्न सं०–1 पुकारे जाने पर घोर व्यवधान)

बसपा की राष्ट्रीय महामंत्री सुश्री मायावती द्वारा महात्मा गांधी के प्रति अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किये जाने विषयक नियम 311 के अन्तर्गत सूचना

[नत्थी (क) अल्प सूचित तारांकित प्रश्न संख्या–1 पुकारे जाने पर भारतीय जनता पार्टी तथा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिकांश सदस्य "महात्मा गांधी का यह अपमान नहीं चलेगा, नहीं चलेगा" के नारे लगाते हुये सदन के फ्लोर पर आ गये ।]

(घोर व्यवधान)

श्री शिव प्रताप शुक्ल–

(सदन के फ्लोर से)–मायावती को तुरन्त गिरफ्तार किया जाय और मंत्रि-मण्डल के सहयोगी श्री आर० के० चौधरी को मंत्री पद से बर्खास्त करने के लिए मुख्य मंत्री को निर्देशित करें, क्योंकि उन्होंने गलत बयानी करके शपथ को तोड़ा है ।

(घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

आप लोग आसन ग्रहण करें ।

(फ्लोर पर आये हुए सदस्य गांधी जी का यह अपमान नहीं सहेगा हिन्दुस्तान, मायावती को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो आदि नारे लगाते रहे, जिससे सदन में घोर व्यवधान बना रहा)

श्री रमेश पोखरियाल निशंक–

यह सरकार के लिए बहुत बड़े शर्म की बात हैं जो इस तरह का बयान आया है, इसका जब तक निराकरण नहीं हो जाता है, तब तक सदन के चलने का कोई औचित्य नहीं हैं ।

(घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

आप लोग अपना-अपना आसन ग्रहण करें ।

श्री भगवती प्रसाद शुक्ल–

इस समय इस सदन में यह संकट है कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का चित्र लगा है, जिनकी रीति-नीति को आदर्श मानकर इस सदन का संचालन हो रहा है । बसपा का अगर कोई नेता उन्हें शैतान की औलाद कहता है, तो उनके चित्र के आगे यह सदन कैसे चल सकता है ?

(घोर व्यवधान)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

श्री अध्यक्ष–

मैं सदन की कार्यवाही को 12.20 बजे तक के लिए स्थगित करता हूं।

(तत्पश्चात् 11 बजकर 5 मिनट पर श्री अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही 12 बजकर 20 मिनट तक के लिए स्थगित कर दी।)

प्रश्नोत्तर †

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

किसनों एवं व्यापारियों के हित में मण्डी शुल्क समाप्त करने की मांग

**1–श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि किसानों एवं व्यापारियों के हित में मण्डी शुल्क समाप्त करने पर सरकार विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

मुख्य मंत्री (श्री मुलायम सिंह यादव)–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

क्योंकि मण्डी शुल्क से प्राप्त आय से मण्डी स्थलों तथा सम्पर्क मार्गों का निर्माण एवं किसानों तथा व्यापारियों के लिये आधुनिक सुख-सुविधाओं की व्यवस्था एवं अन्य विकास कार्य सम्पन्न कराये जाते हैं।

प्रदेश सरकार की कर्ज माफी योजना की जानकारी

**2–श्री बालेश्वर त्यागी–

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उनकी सरकार की 10,000/- तक की कर्ज-माफी की कोई योजना है ? यदि हां, तो कर्ज-माफी की श्रेणी में किन-किन बकायादारों को शामिल किया जायेगा ?

सहकारिता एवं मुस्लिम वक्फ मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 29(4) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

प्रदेश में मा० सांसदों द्वारा निर्वाचन क्षेत्रों में प्रयोग किये गये वाहनों पर व्यय धनराशि का विवरण

*1–श्री हृदय नारायण–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि सांसदों को अपने-अपने निर्वाचन क्षेत्रों का दौरा करने के लिये उ० प्र० सरकार द्वारा उपलब्ध कराये जाने वाले सरकारी वाहनों पर वर्ष 1992–93 व 1993–94 में

---

† उ० प्र० विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम–41 के अन्तर्गत सभी प्रश्न उत्तरित माने गये।

अद्यतन अनुमानित कितना व्यय आया है ? सांसदों ने प्रश्नगत अवधि में सरकार/प्रशासन को अपने-अपने दौरों के क्या "फीड बैक" भेजे हैं ? क्या सरकार इस व्यय को बचाने हेतु उक्त सुविधा समाप्त करेगी ?

राजस्व मंत्री (श्री बाबू राम यादव)–

प्रदेश के 62 जनपदों से प्राप्त सूचना के अनुसार इन वाहनों पर वर्ष 1992–93 में कुल रुपया 44,69,615.19 पैसे तथा वर्ष 1993–94 में रुपये 31,10,666.04 पैसे का अद्यतन अनुमानित व्यय हुआ है ।

मा० सांसदों द्वारा दौरे के फीड बैक शासन को प्राप्त नहीं हुये हैं ।

मा० सांसदों को प्रदान की गई वाहन सुविधा को समाप्त करने का प्रश्न नहीं उठता है ।

प्रदेश के राजकीय आवासीय विद्यालयों में मन्द बुद्धि के बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था की मांग

*2–श्री राम कुमार शुक्ल–

क्या समाज कल्याण मंत्री कृपया बतायेंगे कि मंद बुद्धि के बच्चों की शिक्षा हेतु प्रदेश में कितने आवासीय सरकारी विद्यालय तथा कितने अनुदान प्राप्त विद्यालय हैं ? क्या सरकार के पास मंद बुद्धि के बच्चों के लिए कोई योजना विचाराधीन है ? यदि हां, तो वह क्या हैं ? मंद बुद्धि के विद्यालय की सहायता का प्रतिशत क्या है ? क्या सरकार सहायता का प्रतिशत बढ़ाने पर विचार कर रही है ?

समाज कल्याण मंत्री (श्री राज बहादुर)–

मंद बुद्धि के बच्चों की शिक्षा हेतु प्रदेश में दो राजकीय आवासीय विद्यालय तथा दो स्वैच्छिक संस्थाओं द्वारा संचालित अनुदान प्राप्त विद्यालय है ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

राजकीय विद्यालय शत प्रतिशत राजकीय सहायता पर तथा अनुदानित विद्यालय 90 प्रतिशत भारत सरकार की सहायता पर संचालित है ।

जी नहीं ।

प्रदेश में दैवी आपदाओं से प्रभावित ग्रामवार के स्थान पर किसानवार व खेतवार आर्थिक सहायता देने की मांग

*3–श्री बदन सिंह–

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि प्रदेश में दैवी आपदाओं से पूरे ग्राम में 50 प्रतिशत से अधिक हानि होने पर ही किसानों को लगान, आवपाशी आदि मुक्त कर आर्थिक सहायता देने का प्राविधान है ? यदि हां, तो सरकार ग्रामवार के स्थान पर किसानवार व खेतवार नुकसान पर आर्थिक सहायता देने का प्राविधान करेगी ?

श्री बाबूराम यादव–

दैवी आपदाओं के कारण किसी खाते में 50 पैसे अथवा उससे अधिक क्षति पर मालगुजारी अथवा लगान में छूट की व्यवस्था उ० प्र० जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था नियमावली में है । इसके अतिरिक्त बुन्देलखण्ड, इलाहाबाद, इटावा, आगरा, और मथुरा जिले के यमुनापार के भागों में तथा ऐसे दूसरे क्षेत्रों में यदि काश्तकारों की परिस्थितियों के अनुसार न्याय संगत हो तो उस स्थिति में सामान्य उपज की प्रति रुपये पर निकाली गयी हानि 40 पैसे प्रति रुपये हो किन्तु 50 नये पैसे न हो, तो भी मालगुजारी प्रति रुपये 25 नये पैसे तक स्थगित की जा सकती है या छोड़ी जा सकती है । जहां तक सिंचाई देय का प्रश्न है 50 प्रतिशत से अधिक एवं 75 प्रतिशत से कम फसल को नुकसान होने पर सिंचाई शुल्क में 50 प्रतिशत और 75 प्रतिशत से अधिक फसल की हानि होने पर शत प्रतिशत छूट प्रदान की जाती है ।

उपरोक्त छूट खातेवार दी जाती है ।

दैवी आपदाओं के कारण जहां तक आर्थिक सहायता देने का प्राविधान है, ओलावृष्टि से क्षति के मामले में यह व्यवस्था है कि कृषक की कुल बोयी गयी तैयार खड़ी फसल को मिलाकर 50 प्रतिशत से अधिक की क्षति होती है, तो 50 प्रतिशत से अधिक क्षति के एक एकड़ पर 300 रु० की दर से अधिकतम 1500 रु० तक राहत देने की व्यवस्था है ।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 38(2) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

जनपद वाराणसी के विधवा के पेंशन धारकों को नियमित पेंशन भुगतान करने की मांग

*1–श्री श्याम देव राय चौधरी 'दादा'–

क्या समाज कल्याण मंत्री कृपया बतायेंगे कि वर्तमान में विधवा पेंशन धारक कितने हैं ? क्या सभी जिलों में नये आवेदन-पत्र लेने व उनके निस्तारण करने व सभी को नियमित पेंशन का भुगतान किया जा रहा है ? वाराणसी के पेंशन धारकों को कब तक का भुगतान किया जा चुका है ? सभी को पेंशन नियमित प्राप्त कराने हेतु सरकार कोई कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो क्या ?

श्री राज बहादुर–

वर्तमान में विधवा भरण-पोषण अनुदान के लाभार्थी 249689 हैं ।

नये आवेदन-पत्रों के लेने पर कोई रोक नहीं है । इस वर्ष अतिरिक्त 25000 निराश्रित विधवाओं के नवीन आवेदन-पत्रों पर स्वीकृति के उपरान्त आगामी 1 अप्रैल, 1994 से नियमित भुगतान करने के आदेश निर्गत किये जा चुके हैं । वर्ष 1992–93 में संसाधन की कमी के कारण अप्रैल, 1992 से सितम्बर, 1992 तक का भुगतान लाभार्थियों को किया गया था । अवशेष देयता के समतुल्य धनराशि वर्तमान वित्तीय वर्ष में भुगतान करने हेतु जनपद को उपलब्ध कराया जा चुका है । 1993–94 में लाभार्थियों को प्रथम छमाही अर्थात् अप्रैल, 1993 से सितम्बर, 1993 तक का भुगतान किया जा चुका है ।

भरण-पोषण अनुदान प्राप्त कर रहे सभी लाभार्थियों के वर्ष 1992-93 की अवशेष देयता के भुगतान हेतु वर्तमान वित्तीय वर्ष में धनराशि जनपदों को उपलब्ध करायी जा चुकी है । संसाधन की उपलब्धता की सीमा तक नियमित भुगतान करने के निर्देश जनपदों को पूर्व में ही दिये जा चुके हैं ।

*2-श्री हरक सिंह रावत-

[दिनांक 9-3-92 को नियम 38 (2) के अन्तर्गत ता० प्र० सं०-3 द्वारा उत्तरित]

[गुरुवार दि० 17-3-94 के लिए निर्धारित तारांकित प्रश्न]

जनपद हरदोई के विधान सभा क्षेत्र बिलग्राम में नालों, मोटर बोटों की स्थायी व्यवस्था की मांग

*1-श्री विश्राम सिंह यादव-

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि हरदोई जनपद की 90-बिलग्राम विधान सभा क्षेत्र में गर्रा, नीलम, रामगंगा, कुंडा गंगा नदियां बहती हैं जहां प्रति वर्ष सैलाब आता रहता है जिससे सैकड़ों लोग सैलाब के समय नावों की कमी से डूब जाते हैं ? क्या सरकार नावों, मोटर बोटों की स्थाई व्यवस्था करेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री बाबू राम यादव-

हरदोई जनपद के 90-बिलग्राम विधान सभा क्षेत्र में गर्रा, नीलम, रामगंगा, कुण्डा एवं गंगा नदियां बहती हैं, परन्तु न तो सैलाब की स्थिति प्रति वर्ष होती है और न ही सैकड़ों व्यक्ति प्रति वर्ष सैलाब के समय नावों की कमी से मरते हैं । बाढ़ की आपदा की स्थिति को देखते हुए आवश्यकतानुसार बचाव व राहत हेतु नावों/मोटर बोटों की व्यवस्था की जाती है । राजस्व विभाग की 2 मोटर बोट तथा एक नाव स्थायी रूप से तहसील बिलग्राम में उपलब्ध हैं । आवश्यकता पड़ने पर पी० ए० सी० तथा सेना की टुकड़ियां भी मोटर बोटों सहित लगायी जाती हैं । इसके अतिरिक्त बाढ़ की स्थिति को देखते हुए नावों की व्यवस्था किराये पर नावें प्राप्त करके आवश्यकतानुसार कर ली जाती हैं । बाढ़ की स्थिति से निपटने हेतु प्रतिवर्ष पूर्व तैयारी की जाती है ।

जनपद आगरा की तहसील किरावली के ग्राम रायभा व औलेंडा के मजरों को राजस्व ग्राम का दर्जा देने की मांग

*2-श्री बदन सिंह-

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि राजस्व ग्राम बनाने की क्या नीति है ? उस नीति के अनुसार क्या जनपद आगरा की तहसील किरावली के ग्राम रायभा और औलेंडा के बड़े-बड़े मजरों को पूर्ण राजस्व ग्राम का दर्जा दिया जायेगा ? क्या यह सही है कि रायभा ग्राम का मजरा नगला लालदास और औलेंडा का मजरा नगला दधिराम बड़ी-बड़ी आबादियों के मजरा होते हुये राजस्व ग्राम नहीं बनाये गये हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री बाबू राम यादव-

विद्यमान प्रणालीनुसार चूंकि प्रदेश के अधिकांश भागों में चकबन्दी क्रियायें समाप्त हो चुकी हैं और जिन गांवों के खेत एक-दूसरे गांव में अन्तर्मिश्रित थे और एक ही हदबस्त में थे, चकबन्दी क्रियाओं के

दौरान इस प्रकार के गांवों का विलयन करते हुए पूरे गांव को एक इकाई मानकर नक्शे और अभिलेख अधिकार अभिलेख बनाये गये हैं । इसी प्रकार जिन गांवों में विभाजन आवश्यक पाया गया वहां चकबन्दी क्रियाओं के दौरान अलग-अलग नक्शे और अधिकार अभिलेख बनाकर विभाजन कर दिया गया जिसकी अधिसूचना उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1958 की धारा 3(25) के अन्तर्गत करायी जाती है ।

जिन गांवों में चकबन्दी क्रियायें अभी नहीं हुयी हैं या दुबारा चकबन्दी होने की सम्भावना है उनके सम्बन्ध में विभाजन तथा विलयन के औचित्य पर चकबन्दी क्रियाओं के दौरान ही विचार कर शासन को प्रस्ताव भेजने की प्रक्रिया है ।

विभाजन के प्रस्ताव पर इसका परीक्षण किया जाता है कि उसके फलस्वरूप प्रस्तावित गांव का क्षेत्रफल, जनसंख्या, खातेदारों की संख्या, कृषि क्षेत्र भूमि का उपयोग, गांव सभाओं की आय के साधन आवागमन की सुविधाओं पर क्या प्रभाव पड़ेगा और क्या विभाजन जनहित में आवश्यक है व सम्बन्धित गांव सभा का उसके सम्बन्ध में क्या मत है ।

जिलाधिकारी की सूचनानुसार ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है ।

यह सही है कि ग्राम रायभा का मजरा नगला लालदास व ग्राम औलेंडा का मजरा नगला दधिराम बड़ी-बड़ी आबादी के मजरे हैं परन्तु उन्हें राजस्व ग्राम नहीं बनाया गया क्योंकि इस हेतु किसी भी स्तर से कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं बताया गया है ।

*3–श्री विजय सिंह–

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

*4–श्री बची सिंह रावत–

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया]

किसान जोत बहियों का किसानों को वितरण

*5–श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि किसान जोत बहियां जो भारी संख्या में मुद्रित होकर रखी हुई हैं, उन्हें किसानों में बांटने का कार्य कब से प्रारम्भ हो जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बाबू राम यादव–

किसान बहियों के किसानों को वितरण का कार्य 25 सितम्बर, 1992 से प्रारम्भ हो चुका है तथा अब तक 2.77 लाख किसान बहियां वितरित हो चुकी हैं ।

उपरोक्त के क्रम में सम्बन्धित नहीं है ।

वन विभाग द्वारा अवशेष लीसे का निस्तारण

*6–डा० सरजीत सिंह डंग–

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सम्प्रति वन विभाग के पास कितनी धनराशि का लीसा बिना बिका हुआ पड़ा है और कब से ? उक्त उपलब्ध लीसा कब तक वितरित कर दिया जायेगा ? लीसा वितरण रुकने के क्या कारण हैं और शासन इन अवरोधों को हटाने के लिये क्या प्रयास कर रहा है ?

वन मंत्री (श्री भगवती सिंह)–

वन विभाग के पास वर्ष 1989 से 1993 तक का लगभग रुपये 8.53 करोड़ की धनराशि का लीसा बिक्री हेतु अवशेष है ।

वैद्य समिति की संस्तुतियों के परिप्रेक्ष में शासन द्वारा निर्धारित पात्रता न रखने वाली कतिपय इकाइयों द्वारा मा० उच्च न्यायालय में याचिका दायर करके अन्तरिम आदेश प्राप्त किये गये हैं, जिनके समादर में वर्ष 1990-91, 1991-92, 1992-93 व 1993-94 के कोटे से लीसा आरक्षित रखा गया है ।

इसके अतिरिक्त शासनादेश दिनांक 30-9-1993 द्वारा निर्धारित नयी नीति के विरुद्ध मा० उच्च न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश पारित करने के कारण वर्ष 1993–94 के कोटे का 60 प्रतिशत लीसा अनिस्तारित पड़ा है । मा० उच्च न्यायालय में दायर याचिका में शासकीय पक्ष की प्रभावी पैरवी की गयी है । सुनवाई के पश्चात् निर्णय सुरक्षित (रिजर्व) है । मा० उच्च न्यायालय के अग्रेतर आदेश/निर्णय के उपरान्त ही अवशेष लीसे का निस्तारण सम्भव हो सकेगा ।

*7–श्री बी० आर० वर्मा–

[दो विभागों से सम्बन्धित होने के कारण निरस्त]

प्रदेश में कृषि फसल सुरक्षा हेतु नील गाय (बनरोजों) को मारने के आदेश

*8–श्री हरीश कुमार गंगवार तथा श्री जगदम्बिका पाल–

क्या वन मंत्री को ज्ञात है कि प्रदेश में नीलगायों के प्रकोप से किसानों की अरबों रुपये की फसल नष्ट हो जाती है और किसानों ने दलहन की खेती बन्द कर दी है ? यदि हां, तो सरकार नीलगायों के प्रकोप से किसानों को बचाने के लिये क्या कार्यवाही कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री भगवती सिंह–

प्रदेश में नीलगायों (बनरोजों) द्वारा कृषि फसलों को क्षति पहुंचाये जाने की शिकायतें समय-समय पर विभिन्न क्षेत्रों से प्राप्त होती हैं । किसानों द्वारा दलहन की खेती बन्द करने की सूचना प्राप्त नहीं हुई है ।

नीलगायों (बनरोजों) से कृषि फसलों की सुरक्षा के लिये इन्हें आवश्यकतानुसार नष्ट करने (मारने) के लिये प्रदेश के समस्त वन संरक्षकों को अनुज्ञा-पत्र जारी करने हेतु अधिकृत कर दिया गया है । इसके

साथ ही वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 (यथासंशोधित) 1991 के अन्तर्गत विज्ञप्ति संख्या–736/14–4–94–854/92, दिनांक 9-3-94 द्वारा प्रदेश के समस्त जिलाधिकारियों को भी प्राधिकृत अधिकारी नियुक्त कर दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद व तहसील सुल्तानपुर, परगना मीरानपुर के क्षेत्र रामपुर के लेखपाल शाह मुहम्मद द्वारा की गई अनियमितताओं के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

*9–श्री मित्रसेन यादव–

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि लेखपाल श्री शाह मुहम्मद क्षेत्र रामपुर, परगना मीरानपुर, तहसील व जिला सुल्तानपुर के विरुद्ध गम्भीर अनियमिततायें प्रकाश में आयी हैं, जिसके सम्बन्ध में परगना अधिकारी, सदर सुल्तानपुर ने दि० 14-4-92 को निलम्बन का आदेश पारित किया है ? यदि हां, तो निलम्बन के मुख्य-मुख्य कारण क्या थे ? क्या यह भी सही है कि उक्त लेखपाल ने ग्राम-कोटिया के ग्राम समाज की भूमि को अपने तथा अपने सम्बन्धियों के नाम अंकित कराया है ? यदि हां, तो उक्त लेखपाल के विरुद्ध कौन-कौन सी अनियमिततायें प्रकाश में आयी हैं ? उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री बाबू राम यादव–

जी हां।

श्री शाह मुहम्मद, लेखपाल क्षेत्र रामपुर परगना मीरानपुर तहसील व जिला सुल्तानपुर के विरुद्ध ग्राम सभा की भूमि को फर्जी तरीके से अपने नाम अंकित कराने सम्बन्धी अनियमितता पाई गई थी।

ग्राम कोटिया की ग्राम समाज की भूमि पर श्री शाह मुहम्मद एवं उनके भाई यार मोहम्मद तथा अन्य दो व्यक्तियों के पक्ष में फर्जी इन्दराज का मामला प्रकाश में आया है।

चकबन्दी आयुक्त द्वारा उक्त फर्जी इन्दराज को निरस्त कर ग्राम सभा के खाते में अंकित करने के आदेश दिनांक 28-4-92 के विरुद्ध श्री शाह मुहम्मद एवं अन्य की ओर से माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका संख्या–148/92 प्रस्तुत की गई थी जिसमें मा० उच्च न्यायालय ने चकबन्दी आयुक्त के आदेश दिनांक 28-4-92 को स्थगित कर दिया गया है। माननीय उच्च न्यायालय का यथासमय निर्णय प्राप्त होने पर अग्रेतर कार्यवाही की जायेगी।

*10–श्री शारदा प्रसाद जायसवाल–

[6 ठे शुक्रवार में ता० प्र० सं०–20 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

पंचायत राज अधिनियम के संशोधित प्रारूप के अन्तर्गत प्रधानों को मानदेय देने के प्रश्न पर विचार एवं ग्राम सभा क्षेत्र समिति के स्वरूप के निर्धारण तथा पुनर्गठन की विचाराधीन प्रक्रिया

*11–श्री सुरेश कुमार खन्ना–

क्या पंचायती राज मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या नये पंचायती राज अधिनियम को सरकार ने अन्तिम रूप दे दिया है ? यदि हां, तो इसमें प्रधानों को क्या मानदेय देने का प्रस्ताव है ? इसके अन्तर्गत ग्राम सभा क्षेत्र समिति का स्वरूप कैसा होगा तथा इनके गठन की प्रक्रिया क्या होगी ?

पंचायती राज मंत्री (श्री राम लखन वर्मा)–

जी नहीं ।

प्रकरण अभी शासन के विचाराधीन है ।

पंचायत राज अधिनियम के संशोधन का जो शासन स्तर पर तैयार किया गया है उसमें प्रधानों को मानदेय देने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है ।

संविधान (73वां संशोधन) अधिनियम, 1992 के परिप्रेक्ष्य में उ० प्र० पंचायत राज अधिनियम का जो प्रारूप तैयार किया गया है, उसमें ग्राम सभा क्षेत्र समिति के स्वरूप के निर्धारण तथा इनके पुनर्गठन की प्रक्रिया विचाराधीन है ।

जनपद खीरी की तहसील-धौरहरा में बकाया वसूली रोकने की मांग

*12–श्री यशपाल चौधरी तथा श्री मुख्तार अनीस–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या जनपद खीरी की तहसील धौरहरा 1993 की बाढ़ की विभीषिका की चपेट में थी ? क्या इसके बावजूद भी सरकारी वसूली में उत्पीड़न की कार्यवाही की जा रही है ? क्या सरकार उक्त तहसील की समस्त बकाया वसूली रोकने का आदेश देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बाबू राम यादव–

धौरहरा तहसील के 210 राजस्व ग्रामों में से केवल 163 ग्राम बाढ़ से आंशिक रूप से प्रभावित हुए । बिक्री कर, बैंक देय, विद्युत देय, बृहत जोतकर व अन्य प्रान्तीय मदों में केवल उन्हीं बकायादारों के लिए उत्पीड़न की कार्यवाही की जा रही है, जो आर्थिक रूप से सक्षम हैं ।

तहसील की समस्त बकाया वसूली रोकने का कोई औचित्य नहीं है । जिलाधिकारी का नियमानुसार माल-गुजारी से छूट का प्रस्ताव राजस्व परिषद् की संस्तुति सहित प्राप्त होने पर समुचित विचार किया जायेगा ।

प्रदेश में विधवा भरण-पोषण योजना के अन्तर्गत आवंटित धनराशि का विवरण

*13–श्री राम कुमार शुक्ल–

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश में 1993-94 वर्ष में विधवा पेंशन योजना में कितना धन आवंटित किया गया था ? क्या यह आवंटित धन विधवा पेंशन योजना में वितरित कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या शासन इसे शीघ्र वितरण हेतु कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? क्या मंत्री जी यह भी बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1993-94 में विधवा पेंशन योजना के अन्तर्गत आवंटित धन में क्या कुछ धन रोक रखा गया है ? यदि हां, तो कितना और क्यों ?

श्री राज बहादुर–

प्रदेश में विधवा भरण-पोषण योजना में वर्ष 1993-94 की आवश्यकता के सापेक्ष 2279.257 लाख रुपये तथा वर्ष 1992-93 की अवशेष देयता की पूर्ति हेतु 1432.993 लाख रुपये की धनराशि आवंटित की गई है ।

जनवरी, 1994 तक के उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार उक्त आवंटित धन के सापेक्ष 1789.52 लाख रुपये की धनराशि वितरित हुई है । जिन जनपदों में जिला प्लान में अपनी पूरी आवश्यकता के अनुरूप धनराशि की व्यवस्था कर ली गयी थी, उसमें अन्तिम त्रैमास (जनवरी 94 से मार्च 94) की अवधि में पात्र लाभार्थियों के सत्यापन् में समय लगने के कारण ।

धनराशि को, विशेष कैम्प लगाकर तुरन्त वितरित किये जाने के निर्देश समस्त जिलाधिकारियों को दिये जा चुके हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

वर्ष 1993-94 की वचनबद्ध आवश्यकता के सापेक्ष, संसाधन की कमी के कारण अभी 863.26 लाख रुपये की धनराशि की व्यवस्था नहीं हो पायी थी जिसकी व्यवस्था की जा रही है ।

प्रदेश में किसानों को निजी आवश्यकता हेतु पेड़ काटे जाने की अनुमति की मांग

*14–श्री हृदय नारायण–

क्या वन मंत्री कृपया बतायेंगे कि किसानों को अपने खेत का, घर के भीतर का, दरवाजे का एक मात्र पेड़ निजी आवश्यकता हेतु काटे जाने हेतु बगैर किसी अनुमति के ही छूट दिये जाने पर सरकार विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री भगवती सिंह–

उ० प्र० ग्रामीण एवं पर्वतीय क्षेत्र में वृक्ष संरक्षण अधिनियम, 1976 की धारा 23 के अन्तर्गत जनहित एवं पर्यावरण को दृष्टिगत रखते हुए केवल 12 प्रजाति के पेड़ों के काटे जाने पर ही प्रतिबन्ध लगाया गया है । उक्त के अतिरिक्त अन्य प्रजातियों के पेड़ों के पातन पर कोई प्रतिबन्ध नहीं लगाया गया है ।

*15–श्री जगदम्बिका पाल–

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

प्रदेश में नये जनपद गठन करने के मानक

*16–श्री बच्चा पाठक–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नये जनपद का गठन करने के लिये कोई मानक शासन द्वारा बनाया गया है ? यदि हां, तो वे मानक क्या हैं ? क्या यह भी बतायेंगे कि कौन-कौन से नये जनपदों के गठन का प्रस्ताव राजस्व परिषद् में विचाराधीन है ? क्या जो नये जनपद बने हैं, उनका रकबा व आबादी का विवरण सदन के पटल पर प्रस्तुत करेंगे ? क्या जनपद फैजाबाद में अकबरपुर को

जो वर्ष 1977-78 में जिला बनाने के लिये प्रस्तावित था, शासन द्वारा बनाये गये मानक में आ रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बाबू राम यादव–

जी हां ।

नये जनपद स्थापित करने हेतु शासनादेश संख्या–एम०आर०–340/92–रा–5 दिनांक 20-10-92 द्वारा मापदण्ड निर्धारित किये गये हैं । मैदानी क्षेत्र में एक जनपद स्थापित करने हेतु निम्न मापदण्ड बनाये गये हैं :–

(1) 1991 जनगणना के आधार पर आबादी न्यूनतम 15 लाख हो ।

(2) न्यूनतम क्षेत्रफल 5000 वर्ग कि० मी० हो ।

(3) तहसीलों की न्यूनतम संख्या–3 हो ।

(4) विकास खण्डों की न्यूनतम संख्या–10 हो ।

(5) थानों की न्यूनतम संख्या–12 हो ।

(6) लेखपालों की न्यूनतम संख्या–300 हो ।

(7) धन की उपलब्धता ।

उपरोक्त के अतिरिक्त इस पर भी विचार किया जाता है कि प्रस्तावित जनपद का गठन प्रशासन में दक्षता लाने तथा जन सुविधा प्रदान करने की दृष्टि से कहां तक वांछित है तथा क्षेत्र विशेष की विकास सम्बन्धी आवश्यकताओं, प्राद्योगिक विकास की सम्भावनाओं, शक्ति व्यवस्था सम्बन्धी स्थित पर भी विचार किया जाता है ।

राजस्व परिषद् में नये जनपदों को बनाने के लिए 14 प्रस्ताव विचाराधीन हैं (सूची संलग्न) ।

1981 के बाद सृजित निम्नलिखित जनपदों रकबा व आबादी का विवरण निम्नवत् है :–

जनपद	रकबा (हे०)	आबादी
1. कानपुर (दे०)	5,11,100	21,38,000
2. मऊ	1,71,300	14,46,000
3. हरिद्वार	2,36,000	11,24,000
4. सिद्धार्थनगर	3,49,500	17,08,000
5. फिरोजाबाद	2,36,100	15,33,000
6. सोनभद्र	6,78,800	10,75,000
7. महाराजगंज	अनुपलब्ध	16,76,000

जी हां ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

जिलाधिकारी फैजाबाद व आयुक्त फैजाबाद मण्डल ने अकबरपुर को जिला बनाने की संस्तुति नहीं की।

चूंकि सिद्धान्तरूप में ही प्रस्ताव स्वीकृत नहीं हुआ इसलिए मानक के आधार पर परीक्षण किये जाने का प्रश्न नहीं उठता।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ- 132 पर)

जनपद बहराइच में महसी नामक नई तहसील बनाने की मांग

*17–श्री दिलीप कुमार वर्मा–

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि नई तहसील का सृजन किये जाने के सन्दर्भ में बहराइच जिले में महसी नाम से एक नई तहसील बनाये जाने का कोई प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है ? क्या सरकार बतायेगी कि क्षेत्रीय नागरिकों को उक्त नई तहसील से बेहतर सुविधायें उपलब्ध कराने की मांग का प्रश्नकर्ता का प्रार्थना-पत्र जिसमें मा० विधायकगण श्री रामतेज यादव व डा० वकार अहमद के भी हस्ताक्षर हैं, श्री बेनी प्रसाद वर्मा के कवरिंग पत्र सहित माह फरवरी, 1994 के मा० मुख्य मंत्री को मिला है ? यदि हां, तो प्रार्थना-पत्र के अनुरूप नई तहसील के सृजन की घोषणा कब तक हो जायेगी ?

श्री बाबू राम यादव–

जी हां।

प्रश्नकर्ता का प्रार्थना-पत्र, जिसमें मा० विधायकगण श्री रामतेज यादव व डा० वकार अहमद के भी हस्ताक्षर हैं, श्री बेनी प्रसाद वर्मा के कवरिंग पत्र सहित माह फरवरी, 1994 में माननीय मुख्य मंत्री जी के कार्यालय से प्राप्त हुआ है।

माननीय सदस्य का यह प्रस्ताव अध्यक्ष, राजस्व परिषद् की अध्यक्षता में गठित समिति को संदर्भित कर दिया गया है। समिति की आख्या/संस्तुति अभी प्राप्त नहीं हुई है।

जनपद खीरी के भूमिहीन किसानों को सीलिंग में अतिरिक्त घोषित भूमि को बांटने की मांग

*18–श्री निरवेन्द्र कुमार मुन्ना–

क्या राजस्व मंत्री को ज्ञात है कि सीलिंग ऐक्ट के अन्तर्गत निकली भूमि को भूमिहीनों में बांटने का प्राविधान है ? यदि हां, तो जनपद खीरी में कितनी भूमि सीलिंग ऐक्ट में निकली तथा उसमें से कितनी भूमि भूमिहीनों में वितरित की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बाबू राम यादव–

जी हां।

84,603 एकड़ भूमि अतिरिक्त घोषित हुई जिसमें से 56,450 एकड़ भूमि भूमिहीनों में बांटी गई।

28,153 एकड़ भूमि का आवंटन न्यायायिक स्थगनादेशों, भूमि के अकृषक होने, चकबन्दी के सन्दर्भों में होने एवं अन्य विभागों को हस्तान्तरित होने के कारण नहीं किया जा सका है।

जनपद वाराणसी में वृद्धावस्था पेंशन धारकों को नियमित पेंशन भुगतान करने की मांग

*19–श्री श्याम देव राय चौधरी 'दादा'–

क्या समाज कल्याण मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश में कुल कितने वृद्धावस्था पेंशन धारक पंजीकृत हैं ? उसमें से वाराणसी में कुल कितने हैं और इन्हें कब तक की पेंशन दी जा चुकी है ? क्या सरकार को जानकारी है कि नियमित पेंशन न मिलने से पेंशनधारकों को घोर कष्ट से जीवन यापन करना पड़ रहा है ? वितरण प्रणाली में व्यापक सुधार द्वारा नियमित पेंशन वितरण हेतु कोई कार्यवाही सरकार करेगी ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राज बहादुर–

दिनांक 31-12-93 तक प्रदेश में जीवित पेंशनरों की संख्या 6,04,002 थी ।

जनपद वाराणसी में कुल वृद्धावस्था पेंशनधारकों की संख्या 32,889 हैं । इनमें से कितनों को कब तक का भुगतान किया गया है इसकी सूचना एकत्र की जा रही है ।

कोई विशेष सूचना प्राप्त नहीं हुयी है ।

वर्तमान प्रक्रिया उपयुक्त है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

लावारिस लाशों के कफन-दफन हेतु उचित धनराशि की मांग

*20–श्री सत्य प्रकाश–

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पुलिस थानों को लावारिस लाश के कफन-दफन हेतु पचास रुपये की धनराशि स्वीकृत है ? क्या स्वीकृत धनराशि से किसी लावारिस लाश की कफन-दफन होना सम्भव है ? यदि नहीं, तो उसका उपाय क्या है ? क्या सरकार उक्त धनराशि बढ़ाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राज बहादुर–

जी नहीं, समाज कल्याण विभाग द्वारा जिलाधिकारी/जिला समाज कल्याण अधिकारी के निर्वतन पर लावारिस लाशों के कफन-दफन हेतु 300 रुपया प्रति शव की दर से धनराशि की व्यवस्था की गयी है ।

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जी नहीं ।

वर्तमान में दी जाने वाली धनराशि पर्याप्त है ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

अतारांकित प्रश्न

जनपद उन्नाव की तहसील-पुरवा के ग्राम सभा-रामाअमरापुर के बुद्धि लाल पुत्र स्व० बद्री के नाम भूमि का पट्टा

1–श्री प्रणतपाल सिंह–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद उन्नाव, तहसील 'पुरवा की ग्राम सभा रामाअमरापुर की भूमि नं० 1277 से 13 बिस्वा का पट्टा बुद्धिलाल पुत्र स्व० बद्री के नाम बिना ग्राम समाज एवं भूमि प्रबन्ध कमेटी के प्रस्ताव के ही किया गया है ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है ? क्या नामित व्यक्ति भूमिहीन की श्रेणी में आता है ? यदि नहीं, तो क्या दोषी कर्मचारियों/अधिकारियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही करते हुये पट्टा निरस्त किया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बाबू राम यादव–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद उन्नाव की तहसील व ब्लाक पुरवा के ग्राम सभा-रामाअमरापुर में कथित चकरोड पर अवैध कब्जे का न पाया जाना

2–श्री प्रणतपाल सिंह–

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि जनपद उन्नाव तहसील व ब्लाक पुरवा की ग्राम सभा रामाअमरापुर की भूमि नं० 1277 तथा उसके आस-पास के खेतों को जाने के लिये चकबन्दी में जो एक मात्र चकरोड छोड़ा गया था, उसे श्री बुद्धिलाल पुत्र स्व० बद्री तथा अन्य लोगों के द्वारा अपने-अपने खेतों में मिला लिया गया है ? यदि हां, तो क्या उक्त लोगों से चकरोड मुक्त कराया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या दोषी लोगों को कोई दण्ड भी दिया जायेगा ?

श्री बाबू राम यादव–

ग्राम सभा रामाअमरापुर की भूमि संख्या 1277 चकरोड राजस्व अभिलेखों में अंकित है । आस पास के खेतों में जाने के लिए चकबन्दी के दौरान चकरोड छोड़ी गयी है । चकरोड पर श्री बुद्धि लाल पुत्र स्व० बद्री या अन्य किसी व्यक्ति का कब्जा नहीं है । चकरोड मौके पर खुली है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

मौके पर चकरोड खुला है । किसी का कब्जा नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश में निराश्रित विधवाओं तथा पात्र विकलांगों को भरण-पोषण अनुदान दिये जाने के निर्देश

3–श्री सुरेश कुमार खन्ना–

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश की सभी विधवाओं व विकलांगों को पेंशन देने की सरकार की कोई योजना है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राज बहादुर–

जी नहीं, वर्तमान लाभार्थियों के अतिरिक्त निर्धारित मानकों के अनुरूप पात्रता श्रेणी में आने वाली 25000 निराश्रित विधवाओं तथा समस्त पात्र विकलांगों को भरण-पोषण अनुदान दिये जाने के निर्देश जारी किये गये हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद मिर्जापुर की तहसील चुनार के ग्राम-रूदौली के अनुसूचित जाति के व्यक्तियों का आवंटित भूमि पर कब्जा

4–श्री ओम प्रकाश सिंह–

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या शासन की नीति अनुसूचित वर्ग को पट्टा पर दी गयी जमीन पर कब्जा दिलाने की है ? यदि हां, तो क्या ग्राम रूदौली (चुनार मिर्जापुर) के अनुसूचित परिवारों को पट्टा पर दी गयी जमीन पर अभी तक कब्जा नहीं दिलाया गया ? यदि हां, तो अभी तक कितने परिवारों को कब्जा नहीं दिलाया गया और कब तक कब्जा दिला दिया जायेगा ? जो लोग ऐसी जमीन पर अवैध कब्जा किये है, उनकी संख्या कितनी है और उन पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री बाबू राम यादव–

जी हां ।

ग्राम रूदौली, तहसील चुनार, जनपद-मिर्जापुर में अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को आवंटित भूमि पर कब्जा प्राप्त है, अतः शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

5–श्री ओम प्रकाश सिंह–

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

जनपद कानपुर देहात के निर्वाचन क्षेत्र घाटमपुर में पात्र अभ्यर्थियों को वृद्धावस्था पेंशन के भुगतान की जानकारी

6–श्री राकेश सचान–

क्या समाज कल्याण मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता के निर्वाचन क्षेत्र घाटमपुर (कानपुर देहात) में 31 दिसम्बर, 1993 तक वृद्धावस्था पेंशन हेतु कुल कितने आवेदन-पत्र प्राप्त हुये हैं और उनमें से कितने पात्र अभ्यर्थियों को वृद्धावस्था पेंशन स्वीकार की गयी है ? क्या कुछ पात्र अभ्यर्थियों को जिन्हें वृद्धावस्था पेंशन स्वीकृत है, डेढ़ वर्ष से पेंशन की धनराशि का भुगतान वित्तीय अनियमितता के कारण नहीं हो पा रहा है ? यदि हां, तो उन्हें पेंशन का भुगतान कब तक कर दिया जायेगा ?

श्री राज बहादुर–

तहसील घाटमपुर (देहात) में 31 दिसम्बर, 1993 तक वृद्धावस्था पेंशन हेतु 1,510 आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं।

1,203 पात्र व्यक्तियों को वृद्धावस्था पेंशन स्वीकार की गयी है।

जी नहीं।

विकास खण्ड घाटमपुर व भीतरगांव के सभी पेंशनर्स का भुगतान अक्टूबर, 1993 तक भेजा जा चुका है परन्तु विकास खण्ड पतारा के 245 पेशनर्स का भुगतान धनराशि की कमी के कारण नहीं हो सका है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद कानपुर देहात के निर्वाचन क्षेत्र घाटमपुर में पात्र विधवाओं को भरण-पोषण अनुदान स्वीकृत किया जाना

7–श्री राकेश सचान–

क्या समाज कल्याण मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता के निर्वाचन क्षेत्र घाटमपुर (कानपुर देहात) में 31 दिसम्बर, 1993 तक विधवा पेंशन हेतु कुल कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुये हैं और उनमें से कितने अभ्यर्थियों को विधवा पेंशन स्वीकार हुयी है ? कितनी ऐसी विधवायें हैं, जिन्हें विधवा पेंशन स्वीकृत है परन्तु उनहें पेंशन की धनराशि का भुगतान अनियमितताओं के कारण नहीं हो पा रहा है तथा उन्हें विधवा पेंशन की धनराशि का भुगतान कब तक कर दिया जायेगा ?

श्री राज बहादुर–

घाटमपुर क्षेत्र कानपुर देहात में 31 दिसम्बर, 1993 तक विधवाओं के कुल 341 नवीन आवेदन पत्र भरण-पोषण अनुदान स्वीकृत किया गया है।

जांच में अपात्र पायी गयी 385 विधवाओं को भुगतान नहीं किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद कानपुर देहात के निर्वाचन क्षेत्र घाटमपुर में पात्र विकलांगों को विकलांगता पेंशन के भुगतान की मांग

8–श्री राकेश सचान–

क्या समाज कल्याण मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता के निर्वाचन क्षेत्र घाटमपुर (कानपुर देहात) में 31 दिसम्बर, 1993 तक विकलांगता पेंशन हेतु कुल कितने आवेदन-पत्र प्राप्त हुये हैं और उनमें से कितने पात्र अभ्यर्थियों को विकलांगता पेंशन स्वीकार की गयी है ? क्या कुछ ऐसे पात्र विकलांग हैं जिन्हें पेंशन स्वीकृत है परन्तु उन्हें पेंशन की धनराशि का भुगतान नहीं हो पा रहा है ? यदि हां, तो क्यों तथा उन्हें पेंशन का भुगतान कब तक कर दिया जायेगा ?

श्री राज बहादुर–

घाटमपुर क्षेत्र कानपुर देहात में 31 दिसम्बर, 1993 तक कुल 127 आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं।

धनाभाव के कारण किसी भी आवेदन पत्र पर नवीन स्वीकृति प्रदान नहीं की जा सकी है।

स्वीकृत सभी पात्र विकलांगों को भुगतान किया जा चुका है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के जनपदों में किशोर कल्याण बोर्ड के गठन की जानकारी

9–श्री बाबू राम वर्मा–

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि किशोर कल्याण अधिनियम 1986 के अन्तर्गत कितने जनपदों में किशोर कल्याण बोर्ड का गठन हो चुका है ? किन-किन जनपदों में अभी तक गठन नहीं है ? क्या शासन के पास उपरोक्त बोर्ड के गठन से सम्बन्धित प्रस्ताव ज़िलों से आये हैं ? यदि हां, तो किन-किन जिलों के प्रस्ताव हैं ? उनके गठन सरकार कब तक कर देगी ? जिन-जिन जिलों से बोर्ड के गठन के प्रस्ताव नहीं आये हैं, क्या सरकार उन्हें मंगाने पर विचार कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राज बहादुर–

प्रदेश के 20 जनपदों-गोण्डा, सिद्धार्थनगर, चमोली, हरदोई, बदायूं, अलीगढ़, सीतापुर, आगरा, जौनपुर, एटा, मिर्जापुर, पौड़ी गढ़वाल, आजमगढ़, पिथौरागढ़, इटावा, देहरादून, कानपुर नगर, कानपुर देहात, हरिद्वार तथा इलाहाबाद में किशोर कल्याण बोर्ड का गठन हो चुका है।

उपर्युक्त 20 जनपदों को छोड़कर शेष जनपदों में अभी बोर्ड का गठन नहीं हुआ है।

जनपद बस्ती, फिरोजाबाद तथा महाराजगंज को छोड़कर शेष जनपदों के प्रस्ताव प्राप्त हुए थे।

उनका गठन विचाराधीन है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बस्ती के विकास खण्ड-सलटौवा गोपालपुर के ग्राम-सभा के ग्राम प्रधान के विरुद्ध गबन का आरोप सिद्ध न होना

10–श्री पूर्णमासी देहाती–

क्या पंचायती राज मंत्री कृपया बतायेंगे कि ग्राम प्रधान ग्राम सभा भगवानपुर विकास खण्ड सलटौवा गोपालपुर जनपद बस्ती के विरुद्ध गबन के आरोप में पंचायती राज नियमावली का नियम 188 के तहत कार्यवाही किये जाने हेतु जिला पंचायत राज अधिकारी, बस्ती ने विकास खण्ड अधिकारी सलटौवा गोपालपुर को 25 जनवरी, 1994 को पत्र प्रेषित किया है ? यदि हां, तो क्या उसका परिपालन हुआ है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम लखन वर्मा–

जी हां ।

जी नहीं ।

तकनीकी जांच में प्रधान पर आरोपित शिकायतें सिद्ध न होने के कारण नियम–188 के अन्तर्गत कोई कार्यवाही नहीं की जा सकी ।

11–श्री लाल बहादुर सिंह–

[5 वें गुरु में अता० प्र० सं० 35 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद फैजाबाद के विकास क्षेत्र हरिंग्टनगंज के ग्राम-अछोरा में निराश्रित विधवाओं के पेंशन का मनीआर्डर द्वारा भुगतान किया जाना

12–श्री मित्रसेन यादव–

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वि० क्षेत्र हरिंग्टनगंज, फैजाबाद स्थित ग्राम अछोरा में वर्ष 1991-92, 1992-93, एवं 1993-94 में निराश्रित विधवा पेंशन किन-किन पात्र व्यक्तियों को भुगतान की गयी है ? भुगतान की धनराशि और भुगतान का माध्यम क्या है ? क्या मंत्री जी को यह भी जानकारी है कि उक्त गांव के निराश्रित विधवा पेंशन के भुगतान में समाज कल्याण विभाग, फैजाबाद के कार्यालय की मिलीभगत के कारण स्थानीय तौर पर पेंशन की राशि भुगतान में हेरा-फेरी और कटौती की जाती है ? यदि हां, तो इसके लिये कौन दोषी है ? उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री राज बहादुर–

ग्राम अछोरा विकास क्षेत्र हरिंग्टनगंज फैजाबाद में:–

(I) वर्ष 1991-92 में निराश्रित विधवा भरण-पोषण अनुदान में भुगतान प्राप्त करने वाले 80 लाभार्थी थे सूची संलग्न है ।

(II) वर्ष 1992-93 में आवश्यकतानुसार धनराशि की व्यवस्था न हो सकने के कारण उक्त लाभार्थियों में से किसी लाभार्थी की धनराशि का भुगतान नहीं किया गया है । सूची संलग्न है ।

(III) वर्ष 1993-94 में कराये गये सत्यापन में उक्त ग्राम की केवल 20 महिलाओं को पात्र पाया गया, जिन्हें भरण-पोषण अनुदान का भुगतान किया जा चुका है ।

सूची संलग्न है ।

भरण-पोषण अनुदान 100 रुपया प्रतिमाह की दर से मनीआर्डर द्वारा भुगतान किया जाता है ।

सूची के लिये देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 133–135 पर ।

विधवा भरण-पोषण अनुदान मनीआर्डर के माध्यम से भुगतान किया जाता है। ऐसी स्थिति में हेरा-फेरी तथा कटौती का प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद वाराणसी से भदोही तथा कपसेठी कछवा रोड पर निर्धारित दूरी तक वृक्षारोपण

13–श्री रंगनाथ–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि वन विभाग, वाराणसी ने वाराणसी भदोही रोड तथा कपसेठी कछवा रोड के किनारे के सैकड़ों ट्रक बबूल के पेड़ काट लिये हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार पुनः उन खाली स्थानों पर पौधे लगवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री भगवती सिंह–

जी हां।

उक्त मोटर मार्ग के किलोमीटर संख्या–17 से 30 तक वर्ष 1993 में वृक्षारोपण कार्य कराया गया है।

जनपद उन्नाव की सदर तहसील के कतिपय ग्रामों में कृषि योग्य भूमि के जल भराव से बचाने हेतु नये नाले खुदाने की योजना

14–श्री सुन्दर लाल लोधी–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद उन्नाव के सदर तहसील के ग्राम पड़री कलां, कुलहा व महाई आदि ग्रामों की बड़ी झीलों व तालाबों से पानी निकासी की कोई योजना है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बाबू राम यादव–

जी हां।

कृषि योग्य भूमि को जल भराव से बचाने हेतु नये नाले खुदाने की योजना है।

प्रश्न नहीं उठता।

पूर्वांचल के विभिन्न जनपदों में वर्णित जातियों को सम्मिलित करने हेतु प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा जाना

15–श्री रमापति उर्फ रमाकान्त–

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पूर्वांचल के विभिन्न जनपदों में पायी जाने वाली गोंड़ जाति की उपजातियों के सदस्यों को अनुसूचित जाति की सुविधायें प्रदान किये जाने के संबंध में भारत सरकार से मार्ग दर्शन शासन द्वारा प्राप्त किया जा रहा है ? यदि हां, तो किन-किन बिन्दुओं पर तथा किन-किन उपजातियों के विषय में मार्ग दर्शन प्राप्त किया जा रहा है ? क्या सरकार भारत सरकार द्वारा संस्तुत गोंड़ जाति की उपजातियों को मान्यता देने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राज बहादुर–

जी हां, धुरिया, नायक, ओझा तथा राजगोंड़ को गोंड़ जाति की उपजातियों में शामिल किये जाने का प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा गया है ।

जी हां । प्रकरण अभी भारत सरकार में विचाराधीन है ।

जनपद फतेहपुर में भाट जाति का विमुक्त जाति के अन्तर्गत होना

16–श्री महेन्द्र प्रताप नारायण सिंह–

क्या समाज कल्याण मंत्री को ज्ञात है कि फतेहपुर जिले की भाट जाति भिक्षार्जन कर जीवन निर्वाह करती है तथा अवमुक्त जातियों की श्रेणी में गिनी जाती है ? क्या वह पिछड़ी, अनुसूचित या अनुसूचित जन जाति में से किसी श्रेणी में सम्मिलित नहीं हैं ? क्या उसे सरकारी सेवाओं में आरक्षण प्राप्त नहीं है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार उसे सेवाओं में आरक्षण की सुविधा प्रदान करने पर विचार कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राज बहादुर–

भाट जाति विमुक्त जाति के अन्तर्गत है ।

जी हां ।

जी हां ।

ऐसा कोई मामला विचाराधीन नहीं है ।

जनपद मिर्जापुर के विकास खण्ड सीखड़ में बाढ़ चौकियों पर कार्यरत नाविकों के अवशेष बकाये के भुगतान की मांग

17–श्री ओम प्रकाश सिंह–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सीखड़ विकास खण्ड, जिला–मिर्जापुर के आठ बाढ़ चौकियों पर दिनांक 15 सितम्बर से 20 सितम्बर, 92 तक बाढ़ में प्रयुक्त नावों तथा 68 कार्यरत नाविकों के 190 कार्य दिवस के पारिश्रमिक का भुगतान अभी तक नहीं किया गया ? यदि हां, तो क्यों ? क्या

इस संबंध में प्रश्नकर्ता का पत्र 3 फरवरी, 94 को प्राप्त हुआ है ? उक्त नाविकों की बकाया राशि का भुगतान कब तक कर दिया जायेगा ?

श्री बाबू राम यादव–

जनपद मिर्जापुर के तहसील चुनार के विकास खण्ड सीखड़ में वर्ष 92 की बाढ़ दिनांक 15-9-92 से 20-9-92 में छोटी, मझोली, बड़ी क्रमशः 14, 39, 15 कुल 68 नावें लगायी गयीं थीं जिनमें छोटी, मझोली, बड़ी क्रमशः 3, 10, 1 कुल 14 नावों का किराया एवं नाविकों की मजदूरी मु० 2,200.00 का भुगतान दिनांक 5-1-93 को ही कर दिया गया । शेष नावों के किराये व मजदूरी के शीघ्र भुगतान हेतु जिलाधिकारी को निर्देश दे दिये गये हैं ।

जी हां ।

शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद सीतापुर की तहसील मिश्रिख के ग्राम–खाले गढ़ी की ग्राम समाज की भूमि को पात्र व्यक्तियों को आवंटित किये जाने का मामला

18–श्री हरेन्द्र सिंह–

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि ग्राम खाले गढ़ी, तहसील मिश्रिख, जनपद सीतापुर के खसरा संख्या–438 जो ग्राम समाज की भूमि थी को क्या तत्कालीन प्रधान श्री गंगा राम ने अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को भवन निर्माण हेतु आवंटित किया था ? क्या उसके आवंटन की रसीद आवंटियों को दिनांक 24-1-83 को दी गयी थी ? यदि हां, तो उक्त आवासीय भूमि किन-किन आवंटियों को आवंटित की गयी ? क्या यह भी सत्य है कि उक्त आवंटियों ने उस पर अपने भवन भी बना लिये हैं ? यदि हां, तो इतने अन्तराल के उपरान्त उ० प्र० जमींदारी विनाश तथा भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा–115-सी के अन्तर्गत उनके ऊपर जुर्माना किये जाने का क्या कारण है ? क्या शासन के स्पष्ट निर्देश हैं कि ग्राम समाज की भूमि अनुसूचित जातियों को ही दी जाय ? क्या सरकार इस मामले की उच्च स्तरीय जांच कराकर दोषी को दंडित कर उन पर लगाया गया जुर्माना समाप्त करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बाबू राम यादव–

जनपद सीतापुर की तहसील मिश्रिख के ग्राम खालेगढ़ी के खसरा सं० 438 पुरानी परती ग्राम समाज में से तत्कालीन प्रधान श्री गंगाराम ने कोई भूमि आवंटित नहीं की थी, बल्कि अवैधानिक रूप से दिनांक 24-1-83 को रसीदें काटकर अनुसूचित जाति के 6 व्यक्तियों सर्वश्री मुल्लू पुत्र पेमन, मंशा पुत्र गयादीन, रूना पुत्र भोमे, कुन्हा पुत्र शोमे, मनोहर पुत्र गंगू व मुल्ला पुत्र शोमे को कब्जा करा दिया था । यह रसीदें अवैधानिक थीं व विधिक दृष्टि से प्रभावशून्य थीं अतः इन व्यक्तियों ने अनाधिकृत कब्जे के आधार पर भवन का निर्माण दिनांक 30-6-85 के बाद किया था इसलिये धारा 122-बी (2) जमींदारी विनाश अधिनियम के अन्तर्गत कब्जा अवैधानिक मानकर उक्त व्यक्तियों पर 115-सी की कार्यवाही की गयी थी । इन व्यक्तियों द्वारा वाद का प्रतिवाद नहीं किया गया था अतः उक्त व्यक्तियों के ऊपर क्षतिपूर्ति आरोपित की गयी थी । बाद में आरोपित व्यक्तियों ने पुनर्विचार प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया जिस

पर विधिवत् सुनवाई के उपरान्त क्षतिपूर्ति लगाये जाने का आदेश दिनांक 31-1-89 निरस्त करते हुए वसूली की कार्यवाही समाप्त कर दी गयी है तथा उनके विरुद्ध जारी नोटिस 49 को वापस ले ली गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद हरदोई के बन्दोबस्त अधिकारी श्री पी० डी० वर्मा के विरुद्ध गबन आरोप

19–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि हरदोई के बन्दोबस्त अधिकारी श्री पी० डी० वर्मा जब भूमि अध्याप्ति अधिकारी, लखनऊ के रूप में कार्यरत थे, तो क्या उस अवधि में इनके विरुद्ध गबन का आरोप लगाते हुए कार्यवाही प्रारम्भ की गयी थी ? क्या इस समय उक्त प्रकरण शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो कब तक निर्णय ले लिया जायेगा ?

श्री बाबू राम यादव–

श्री पी० डी० वर्मा, तत्कालीन विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी, लखनऊ के कार्यकाल के दौरान किये गये गबन की जांच अपराध अनुसंधान विभाग को अभिदिष्ट की जा चुकी है।

जांच अभी प्रचलित है। जांच के अन्तिम परिणामों की जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जायेगा।

जनपद बांदा की तहसील नरैनी के कस्बा कालिंजर में श्री किशोरी लाल त्रिवेदी की भूमि के मुआवजे की मांग

20–श्री राजकुमार शिवहरे–

क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बांदा की तहसील नरैनी के कस्बा कालिंजर में माह नवम्बर, 1993 में राज्यपाल के सलाहकार आर० डी० सोनकर के आगमन पर वहां के कृषक किशोरी लाल त्रिवेदी की भूमि पर खड़ी आलू की फसल को उजाड़ कर हैलीकाप्टर उतरने हेतु हैलीपैड का निर्माण किया गया था ? क्या उक्त किसान को फसल नष्ट करने का मुआवजा दिया गया है ? यदि हां, तो कितना ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बाबू राम यादव–

फसल को उजाड़ कर हैलीकाप्टर उतरने हेतु हैलीपैड का निर्माण नहीं किया गया था।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फैजाबाद की तहसील अकबरपुर के ग्राम सलेमपुर रोशनगढ़ के लेखपाल श्री दया राम पाल द्वारा की गयी अनियमितता के विरुद्ध कार्यवाही

21–श्री बच्चा पाठक–

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री प्रियदर्शी जेतली का पत्र जो जिलाधिकारी, फैजाबाद को 16-5-92, 20-5-92 को ग्राम सभा रोशनगढ़, तहसील अकबरपुर, जिला फैजाबाद श्री दयाराम पाल द्वारा

अनियमितता व पद के दुरुपयोग के संबंध में लिखे गये पत्र में मुख्य आरोप क्या हैं ? क्या यह सही है कि ग्राम सलेमपुर, जिला फैजाबाद की खतौनी 1366 फसली जिसकी प्रति श्री जेतली ने अपने पत्र दिनांक 20-5-92 को जो जिलाधिकारी को सम्बोधित है, में संलग्न किया है ? क्या यह सही है कि संबंधित खतौनी में संबंधित भूमि असंक्रमणीय भूमिधर दर्ज है ? यदि हां, तो लेखपाल द्वारा उसको संक्रमणीय बनाकर बैनामा कराने के संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त के संबंध में क्या ग्राम सलेमपुर के प्रधान ने भी कोई प्रार्थना-पत्र जिलाधिकारी, फैजाबाद व परगनाधिकारी, अकबरपुर को दिया है ? यदि हां, तो वह प्रार्थना-पत्र क्या है तथा उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बाबू राम यादव–

श्री दयाराम पाल, लेखपाल द्वारा अपने क्षेत्र रोशनगढ़ में अपनी पत्नी के नाम बैनामा कराने तथा क्षेत्र सलेमपुर में खाता खतौनी सं० 541 जो असंक्रमणीय भूमिधर अंकित है, की नकल इस आशय से जारी की गयी कि उक्त भूमि संक्रमणीय है और इसी आशय का गलत बयान भी बैनामा की कार्यवाही में दिये जाने के आरोपों का उल्लेख है ।

जी नहीं, बल्कि 1396 फसली की खतौनी के उद्धरण को संलग्न किया है ।

जी हां ।

जांचोपरान्त तथ्य सही पाया गया जिसके आरोप में श्री दयाराम पाल, लेखपाल को तत्कालीन परगनाधिकारी द्वारा दिनांक 16-11-1991 के अन्तर्गत तत्काल प्रभाव से निलम्बित कर दिया गया तथा जांचोपरान्त दिनांक 20-11-91 को सेवा में बहाल किया गया ।

जी हां ।

ग्राम सलेमपुर, परगना सुरहूरपुर, तहसील अकबरपुर की गाटा संख्या–973/1-0-0 सरजू प्रसाद पुत्र हंसराज के नाम असंक्रमणीय भूमिधर दर्ज थी, को फर्जी नकल बनाकर बैनामेदार सरजू प्रसाद पुत्र रामफेर के हक में दाखिल खारिज किये गये आदेश को निरस्त करके भूमि गांव सभा के खाते में निहित किये जाने के संबंध में है । गाटा संख्या–937/1-0-0 के संबंध में अभिलेख इन्द्राज जो बैनामेदार के नाम अंकित किया गया है, को राज्य सरकार में निहित करने हेतु परगनाधिकारी, अकबरपुर के न्यायालय में वाद संख्या–334, धारा–163 सरकार बनाम सरजू प्रसाद विचाराधीन है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री प्रियदर्शी जेतली, पूर्व विधायक द्वारा जिलाधिकारी, फैजाबाद को सम्बोधित दि० 3-6-92 के शिकायती-पत्र पर कार्यवाही की मांग

22–श्री बच्चा पाठक–

विधान सभा के प्रथम सत्र, 1992 के चौथे मंगलवार के अतारांकित प्रश्न सं०–190 के उत्तर के संदर्भ में क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अब तक संबंधित प्रधान के विरुद्ध आरोप प्रमाणित होने के बाद क्या कार्यवाही की गयी है और कब ? क्या उक्त के संबंध में 15-5-92,

15-2-92, 2-4-92, 3-2-92 व 3-6-92 को श्री प्रियदर्शी जेतली द्वारा उक्त के संबंध में जिलाधिकारी, फैजाबाद को पत्र लिखे गये ? यदि हां, तो उन पत्रों पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या श्री जेतली के 3-6-92 के पत्र पर जिलाधिकारी ने परगनाधिकारी को कोई आदेश किया है ? यदि हां, तो वह आदेश क्या है तथा उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम लखन वर्मा–

आरोप प्रमाणित होने के बाद संबंधित प्रधान को दि० 4-6-92 को निलम्बित कर दिया गया ।

जी हां । श्री जेतली के दिनांक 15-5-92, 4-2-92, 3-2-92 व 3-6-92 के पत्र प्राप्त हुए हैं । प्राप्त प्रार्थना-पत्रों तथा प्रकरण में हुयी जांच के आधार पर श्री रामवरन सिंह को प्रधान पद से निलम्बित कर दिया गया ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जी हां । श्री जेतली के पत्र दिनांक 3-6-92 पर जिलाधिकारी द्वारा परगनाधिकारी को निम्न आदेश दिये गये थे :–

> "यदि पट्टे परगनाधिकारी द्वारा अनुमोदित नहीं है तब उनका वितरण रोका जाय क्यों कि बिना अनुमोदन के कोई वैधता नहीं है । पत्रावली 10 दिन में मुझे दिखाई जाय ।"

उक्त आदेश के अनुपालन में कार्यवाही सम्पन्न की गयी थी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद देवरिया की तहसील रुद्रपुर में रजिस्ट्रार कानूनगो के पद को बनाये रखने हेतु प्रस्ताव पर विचार की मांग

23–श्री अंगद यादव–

राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि नवनिर्मित तहसील रुद्रपुर, जनपद देवरिया में रजिस्ट्रार कानूनगो के पद पर कार्यरत एवं सेवा निवृत्त श्री चन्द्रिका सिंह के कार्यकाल दिनांक 1-6-90 से 31-1-91 तक का वेतन भुगतान किये जाने से संबंधित श्री चन्द्रिका सिंह का पत्र दिनांक 5-6-92, 16-10-92, 20-10-93 जो जिलाधिकारी, देवरिया, आयुक्त एवं राजस्व परिषद् को सम्बोधित है, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या चन्द्रिका सिंह के अवशेष वेतन का भुगतान कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि क्या तहसील रुद्रपुर, जनपद देवरिया में वर्तमान में रजिस्ट्रार कानूनगो के पद पर कार्यरत कर्मचारी का वेतन भुगतान किया जा रहा है ? यदि हां, तो पूर्व में कार्यरत श्री चन्द्रिका सिंह, रजिस्ट्रार कानूनगो के वेतन भुगतान न करने के क्या कारण हैं तथा इसके लिये कौन-कौन अधिकारी/कर्मचारी दोषी हैं ? शासन द्वारा अब तक उक्त दोषी अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री बाबू राम यादव–

जी हां ।

जी नहीं ।

जनपद देवरिया की तहसील रुद्रपुर में रजिस्ट्रार कानूनगो के अस्थायी पद का सृजन 28-2-90 तक के लिये हुआ था तथा उसके पश्चात् पद को बनाये रखने के संबंध में कार्योत्तर स्वीकृति शासन से दिये जाने के प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद व तहसील सीतापुर के क्षेत्र सकलनपुर के अवकाश प्राप्त अमीन श्री बैजनाथ सिंह के अवशेष देयकों के भुगतान की मांग

24–श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि तहसील सीतापुर, जिला सीतापुर के क्षेत्र सकलनपुर में कार्यरत अमीन (श्री बैजनाथ सिंह) जिन्होंने दिनांक 31 जुलाई, 1993 को सेवा से अवकाश ग्रहण किया, को रिटायरमेन्ट के बाद अनुमन्य पेंशन, जी० पी० एफ०, नगदीकरण, उपार्जित अवकाश तथा अवशेष वेतन का भुगतान अब तक न मिलने के क्या कारण हैं तथा भुगतान कब तक कर दिया जायेगा ?

श्री बाबू राम यादव–

श्री बैजनाथ सिंह, संग्रह अमीन दिनांक 31 जुलाई, 1993 को सेवा निवृत्त हुए थे। सेवा निवृत्त के पश्चात् इनको पेंशन स्वीकृत हो चुकी है जिसका भुगतान नियमित रूप से हो रहा है। इनके वेतन से जी० पी० एफ० की कटौती नहीं की जाती थी अतः जी० पी० एफ० के भुगतान किये जाने का प्रश्न ही नहीं उठता। श्री सिंह को नगदीकरण, उपार्जित अवकाश तथा अवशेष वेतन का भुगतान इस कारण नहीं किया जा सका है, क्योंकि उनके द्वारा चिकित्सा अवकाश दिनांक 28-4-91 से 14-1-92 तक पृथक-पृथक प्रार्थना-पत्रों के माध्यम से लिया गया था इनके अवकाश काल में इन्हीं के पुत्र श्री सुरेन्द्र प्रताप सिंह अस्थाई रूप से कार्यरत थे। श्री बैजनाथ सिंह द्वारा चिकित्सा अवकाश से वापस आने पर अपने पुत्र श्री सुरेन्द्र प्रताप सिंह से चार्ज नहीं लिया। वसूली से संबंधित महत्वपूर्ण समस्त अभिलेख अपने पुत्र के माध्यम से इन्होंने अब भी अपने पास रखे हैं, जिसका दुरुपयोग सम्भव है। कागजात की बरामदगी के लिये प्रयास किये गये परन्तु सफलता नहीं मिल सकी, अतः श्री बैजनाथ सिंह एवं श्री सुरेन्द्र प्रताप सिंह के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट थाना कोतवाली सीतापुर में अंकित कराई गई। चूंकि श्री बैजनाथ सिंह ने अपने पद का सम्पूर्ण चार्ज कार्यालय को न देकर सीधे अपने पुत्र को दिया था एवं चूंकि समस्त महत्वपूर्ण अभिलेख श्री बैजनाथ सिंह एवं इनके पुत्र के पास अब भी हैं, अतः जब तक समस्त कागजात नहीं प्राप्त होते हैं और उनकी जांच से कोई गबन न होना सिद्ध न हो जाय तब तक श्री बैजनाथ सिंह को नगदीकरण, उपार्जित अवकाश तथा अवशेष वेतन का भुगतान किया जाना उचित नहीं पाया गया है।

25–श्री मुक्ति नाथ–

[न्यायालय के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

जनपद उन्नाव की तहसील हसनगंज के अन्तर्गत ग्राम आशा खेड़ा में ग्राम सभा को आवंटित भूमि पर अनुसूचित जाति के व्यक्तियों का काबिज होना

26–श्री सुन्दर लाल लोधी–

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि जनपद उन्नाव के तहसील हसनगंज के अन्तर्गत ग्राम आशा खेड़ा में जो अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को गांव सभा द्वारा पट्टे दिये गये थे, उनकी उक्त भूमि पर अभी भी गांव के दबंग लोग कब्जा किये हैं ? क्या उनसे कब्जा लेकर अनुसूचित जाति के आवंटियों को दिलाया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बाबू राम यादव–

जी नहीं ।

ग्राम आशाखेड़ा में 77 अनुसूचित जाति के लोगों को पट्टे 1383 फसली में किये गये थे । उनकी भूमि पर दबंग लोगों का कब्जा नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद उन्नाव की तहसील हसनगंज में चकबंदी आरम्भ करने की मांग

27–श्री सुन्दर लाल लोधी–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उन्नाव जनपद की हसनगंज तहसील में चकबन्दी प्रक्रिया प्रारम्भ करने हेतु गजट नोटीफिकेशन लगभग एक वर्ष पूर्व हो चुका है ? क्या उक्त गजट नोटीफिकेशन के प्रकाशन के फलस्वरूप दीवानी न्यायालयों में चलने वाले समस्त वाद एबेट (स्थगित) कर दिये गये हैं ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि वादीगणों के लिये आज तक न तो चकबन्दी से न्याय मिलने का रास्ता खुला है और न कोई अन्य विकल्प शेष बचा है ? यदि हां, तो उनके लिये क्या शासन से विकल्प खुलेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बाबू राम यादव–

जनपद उन्नाव की तहसील हसनगंज का द्वितीय चक्र हेतु चकबन्दी अधिनियम की धारा 4-क (2) के अधीन नोटीफिकेशन दिनांक 23-11-91 को हो चुका है ।

चकबन्दी अधिनियम की धारा–5(2)क के अन्तर्गत धारा 4 की उप धारा–2 के अधीन विज्ञापित प्रकाशन के फलस्वरूप निर्धारित प्रक्रियानुसार अभिलेखों के संशोधन की प्रत्येक कार्यवाही का तथा उस क्षेत्र में स्थित किसी भूमि में अधिकारों या स्वत्व के प्रख्यापन के संबंध में प्रत्येक वाद और कार्यवाही का अथवा ऐसे किसी अन्य परिवार के जिसके संबंध में, इस अधिनियम के अधीन कार्यवाही की जा सकती हो या की जानी चाहिए प्रख्यापन या निर्णय के लिये प्रत्येक वाद या कार्यवाही का जो प्रारम्भिक अथवा अपील या अभिदेश सुनने वाले अथवा पुनरीक्षण करने वाले किसी प्राधिकारी अथवा न्यायालय के समक्ष विचाराधीन हो, उस न्यायालय अथवा प्राधिकारी द्वारा जिसके समक्ष ऐसा वाद या कार्यवाही विचाराधीन हो तदर्थ आदेश देने पर उपशमन हो जाता है ।

चकबंदी प्रक्रियाओं के अन्तर्गत विवादों के निस्तारण की वैधानिक एवं न्यायिक प्रक्रिया उपलब्ध रहती है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद उन्नाव की तहसील हसनगंज के ग्राम हिम्मतगढ़ में कतिपय व्यक्ति का न पाया जाना

28–श्री सुन्दर लाल लोधी–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करें कि जनपद उन्नाव की तहसील हसनगंज के ग्राम हिम्मतगढ़ आदि ग्रामों में ग्राम समाज की भूमि पर 20 वर्ष पूर्व प्रधान द्वारा अनु० जाति और पिछड़ी जाति के लोगों जैसे बाल कृष्ण कश्यप आदि को घर बनाने की जगह दी गयी थी ? क्या गरीब ग्रामवासी उक्त भूमि पर घर बनाकर रह रहे हैं ? यदि हां, तो क्या उन सब पर मुकदमा चलाकर 10 हजार रुपया तक जुर्माना किया गया व घर गिराने के आदेश दिये गये ? क्या सरकार इन गरीब बेघर लोगों पर हुए अन्याय की जांच करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बाबू राम यादव–

जी नहीं ।

बाल कृष्ण कश्यप नाम का कोई आदमी ग्राम हिम्मतगढ़, तहसील हसनगंज, जिला उन्नाव में नहीं रहता है ।

शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद शाहजहांपुर की तहसील तिलहर के ग्राम रजपुरा के प्रधान द्वारा अवैध कब्जे के संबंध में जांच

29–श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मुन्ना–

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि रामचन्द्र पुत्र श्री तोताराम निवासी ग्राम रजपुरा, तहसील तिलहर, जनपद शाहजहांपुर ने श्री विजय बहादुर, ग्राम प्रधान, रजपुरा के विरुद्ध ग्राम समाज की भूमि पर अवैध कब्जा करने के संबंध में एक शिकायती-पत्र दिनांक 13-1-94 या इसके आस-पास मुख्य मंत्री, ग्राम्य विकास मंत्री, ग्राम्य विकास राज्य मंत्री तथा प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास तथा आयुक्त, बरेली मण्डल, जिलाधिकारी, शाहजहांपुर तथा परगना अधिकारी, तिलहर को भेजे हैं ? यदि हां, तो इन शिकायती-पत्रों पर क्या कार्यवाही हुई ? क्या शासन अपने स्तर से इसकी जांच करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बाबू राम यादव–

श्री रामचन्द्र पुत्र श्री तोताराम निवासी ग्राम रजपुरा ने दिनांक 5-1-94 को प्रधान रजपुरा के विरुद्ध एक प्रार्थना-पत्र जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी को दिया है जिसकी जांच जिला पंचायत राज अधिकारी से करायी जा रही है । जांच आख्या प्राप्त होने पर तद्नुसार नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद जालौन के ग्राम शंकरपुर में बिलराया पनवारी मार्ग के निर्माण हेतु ली गयी भूमि के भू-स्वामियों को प्रतिकर के भुगतान की मांग

30–श्री श्याम सुन्दर शर्मा–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम शंकरपुर, जनपद जालौन में बिलराया पनवारी मार्ग (शेरगढ़ घाट पर पुल पहुंच मार्ग) के निर्माण हेतु उपयोग में ली गयी भूमि के प्रतिकर का भुगतान कराये जाने के संबंध में श्री योगेन्द्र पाल सिंह, सदस्य, विधान परिषद् का पत्र दिनांक 10 अगस्त, 1993 राजस्व सचिव को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी ? उक्त भूमि के प्रतिकर का प्रभावित भू-स्वामियों को अब तक कितना भुगतान किया गया ? किन-किन भू-स्वामियों को प्रतिकर का भुगतान किया जाना शेष है तथा इसका भुगतान कब तक करा दिया जायेगा ?

श्री बाबू राम यादव–

जी हां ।

इस संबंध में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करने के आदेश दिनांक 31-8-93 को जिलाधिकारी, जालौन को निर्गत किये गये थे ।

भूमि के प्रतिकर का भुगतान अभी प्रभावित भू-स्वामियों को इसलिये नहीं किया जा सका है क्योंकि प्रश्नगत मामले में अभी भूमि को अर्जन करने हेतु भूमि अध्याप्ति अधिनियम के सुसंगत प्राविधानों/शासनादेशों के अन्तर्गत कार्यवाही पूरी नहीं हुई है । भूमि अर्जन की समस्त कार्यवाही शीघ्र पूर्ण करने हेतु जिलाधिकारी, जालौन को दिनांक 1-2-94 को पुनः निर्देशित कर दिया गया है । भूमि अर्जन संबंधी समस्त कार्यवाही पूर्ण होने के उपरान्त प्रतिकर का भुगतान प्रभावित भू-स्वामियों को नियमानुसार किया जायेगा ।

गैस अथारिटी इण्डिया लि०, दिबियापुर द्वारा सड़क निर्माण हेतु अधिग्रहीत की गयी भूमि के प्रतिकर के भुगतान की मांग

31–श्री श्याम सुन्दर शर्मा–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गैस अथारिटी इण्डिया लि०, दिबियापुर द्वारा सड़क निर्माण हेतु अधिग्रहीत की गयी भूमि के प्रतिकर का भुगतान कराये जाने के संबंध में राजस्व सचिव को श्री बी० एन० सिंह, सदस्य, विधान परिषद् का पत्र दिनांक 22 जून, 1993 का प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या उक्त भूमि खातेदारों से क्रय की गयी है या प्रतिकर का भुगतान करके ली गयी है अथवा उक्त भूमि पर कब्जा बगैर खरीद या भूमि अधिग्रहण के हुआ है ? उक्त भूमि का अधिग्रहण/भूमि पर अध्यासन तथा भूमि पर प्रतिकर संबंधी अभिनिर्णय किन-किन तिथियों में हुए हैं ? उक्त भूमि के प्रतिकर भुगतान में विलम्ब के क्या कारण हैं तथा प्रतिकर का भुगतान कब तक करा दिया जायेगा ?

श्री बाबू राम यादव–

जी हां ।

भूमि अध्याप्ति अधिनियम के अन्तर्गत 2-662 एकड़ भूमि के अर्जन की कार्यवाही की गयी है ।

भूमि अध्याप्ति अधिनियम की धारा–4/6/17 को अन्तिम अधिसूचनायें क्रमशः दिनांक 29-8-92 तथा 28-11-92 को हुई हैं तथा कब्जा दिनांक 8-1-93 को दिया गया है। अग्रिम प्रतिकर का भुगतान भू-स्वामियों को किया जा रहा है। अभी अभिनिर्णय घोषित नहीं किया गया है।

प्रकरण में अग्रिम प्रतिकर के लिये तत्कालीन जिलाधिकारी द्वारा दिनांक 21-4-93 को दर निर्धारित कर दी गयी थी, किन्तु भारतीय गैस प्राधिकरण द्वारा आपत्ति उठाये जाने के कारण विलम्ब हुआ। अब इस प्रकरण का निस्तारण हो गया है और अग्रिम प्रतिकर का भुगतान किया जा रहा है। दिनांक 23-2-94 तक कुल 10 भू-स्वामियों को रु० 1,31,976 का भुगतान किया जा चुका है। अभिनिर्णय शीघ्र घोषित कराकर अवशेष प्रतिकर का भुगतान शीघ्र कर दिया जायेगा।

जनपद सुल्तानपुर की तहसील गौरीगंज के ग्राम सभा मूंछी के प्रधान श्री कमलेश बहादुर सिंह की शिकायत पर भूमि के फर्जी इन्द्राज का खारिज होना

32–श्री तेजभान सिंह–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि परगनाधिकारी, गौरीगंज, सुल्तानपुर को सम्बोधित श्री कमलेश बहादुर सिंह प्रधान ग्राम सभा मूंछी, तहसील गौरीगंज, सुल्तानपुर का प्रार्थना-पत्र दिनांक 7-8-92 का जिसमें ग्राम के कुछ लोगों द्वारा चकबंदी अधि० का फर्जी आदेश बनाकर लेखपाल द्वारा खतौनी में ग्राम समाज का नाम खारिज कर फर्जी इन्दराज की शिकायत है, प्राप्त हुआ है ? क्या प्रार्थी ने चकबंदी के सही अभिलेखों को भी संलग्न किया है ? यदि हां, तो क्या उक्त फर्जी इन्द्राज खारिज कर दिया गया है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त भूमि पर इस समय किसका कब्जा है ? क्या जबरिया कब्जे की शिकायत प्रधान ने की थी ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई ?

श्री बाबू राम यादव-

जी हां।

जी हां। सत्य प्रतिलिपि संलग्न की गयी थी।

खतौनी में पाये गये जाली इन्द्राज को दिनांक 5-1-93 को खारिज कर दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

उक्त भूमि पर इस समय गांव सभा का कब्जा है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बाराबंकी की तहसील राम सनेही घाट के ग्राम पूरे पूरन तिवारी के मजरे खरिकाफूल मौजा–हकामी में विवादित गाटों का सही क्षेत्रफल दर्ज करने के लिये चकबन्दी अधिकारी को प्रत्यावर्तित किया जाना

33–श्रीमती राजलक्ष्मीवर्मा–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बाराबंकी में ग्राम पूरे पूरन तिवारी मजरे खरिकाफूल मौजा हकामी, तह० रामसनेही घाट की चक संख्या 182, गाटा संख्या 621 आदि की

पैमाइश कराये जाने विषयक प्रार्थना-पत्र दिनांक 10-8-91, 23-11-92 श्री रमेश यादव, सदस्य, विधान परिषद् की संस्तुति सहित प्राप्त हुए ? यदि हां, तो इस संबंध में अभी तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सीमा पैमाइश न होने से हुई क्षति की पूर्ति क्या की जायेगी ?

श्री बाबू राम यादव–

जी नहीं ।

उपलब्ध सूचना के अनुसार मा० सदस्य का पत्र प्राप्त नहीं हुआ । इसी विषय पर एक अन्य पत्र श्री श्रीकृष्ण द्वारा तत्कालीन उप मंत्री, ऊर्जा को सम्बोधित है ।

स्थानीय जांच से यह पता चला कि कई गाटों के अंकित क्षेत्रफल से स्थल के क्षेत्रपल में भिन्नता पायी गयी । इन अशुद्धि वाले गाटों पर उप संचालक, चकबंदी ने न्यायिक प्रक्रिया के अन्तर्गत पूर्व पारित आदेश को निरस्त कर चकबंदी अधिकारी को विवाद पुनः पैमाइश कराकर गाटों का सही क्षेत्रफल दर्ज करने के लिये प्रत्यावर्तित किया है जिसका निस्तारण चकबंदी अधिकारी न्यायिक प्रक्रिया के अन्तर्गत करेंगे ।

प्रश्न नहीं उठता ।

चकबंदी प्रक्रियाओं के अन्तर्गत इसका कोई प्राविधान नहीं है ।

34–श्रीमती राजलक्ष्मी वर्मा–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बाराबंकी के ग्राम सभा खरिकाफूल पर० सूरजपुर, तह० रामसनेही घाट के ग्रामवासियों के हस्ताक्षरयुक्त प्रार्थना-पत्र दिनांक 20-11-92 पर तत्कालीन राजस्व मंत्री के दिये गये निर्देश के अनुपालन में कोई कार्यवाही की गयी है ? यदि हां, तो क्या दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बाबू राम यादव–

जी हां । ग्रामवासियों के प्रार्थना-पत्र में मुख्य रूप में ग्राम के गाटों के क्षेत्रफल एवं स्थल के क्षेत्रफल में भिन्नता पाये जाने संबंधी शिकायत की गयी थी जिसके निवारण हेतु चकबंदी अधिकारी ने 114 गाटों में अधिक क्षेत्रफल अंकित होने के 90 संदर्भ तैयार करके न्यायिक प्रक्रिया के अन्तर्गत अनुमोदन हेतु उप संचालक चकबंदी के न्यायालय में प्रेषित किया । उप संचालक, चकबंदी ने बढ़े हुए क्षेत्रफल संबंधी अवर न्यायालय के आदेशों को निरस्त करके ग्राम के त्रुटिपूर्ण क्षेत्रफल वाले गाटों की स्थल पर पुनः पैमाइश करके न्यायिक प्रक्रिया के अन्तर्गत निस्तारण हेतु चकबंदी अधिकारी, रामसनेही घाट को निर्देशित कर दिया गया है ।

ग्राम में विनिमय अनुपात का निर्धारण का कार्य तथा रकबा संबंधी आदेश तत्कालीन सहायक चकबंदी अधिकारी श्री रूप चन्द्र जैन द्वारा किया गया था किन्तु श्री जैन के सेवा निवृत्त हो जाने के कारण उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की जा सकी है ।

जनपद बाराबंकी की तहसील रामसनेही घाट, परगना सूरतपुर में ग्राम पूरे पूरन तिवारी के मजरे खरिकाफूल के ग्रामवासियों के प्रार्थना-पत्र पर कृत कार्यवाही

35–श्रीमती राजलक्ष्मी वर्मा–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बाराबंकी मे ग्रामवासीगण ग्राम पूरे पूरन तिवारी मजरे खरिकाफूल, परगना सूरतपुर, तहसील रामसनेही घाट का प्रार्थना-पत्र दिनांक 20-4-91 गांव से ठीक उत्तर की तरफ पूरब पश्चिम जाने का चकरोड निकाले जाने के संबंध में प्राप्त हुआ था ? यदि हां, तो उक्त के संबंध में क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बाबू राम यादव–

ग्राम पूरे पूरन तिवारी, मजरे खरिकाफूल, तहसील रामसनेही घाट, जिला बाराबंकी के ग्रामवासियों का प्रश्नगत प्रार्थना-पत्र दिनांक 20-4-91 उपलब्ध नहीं हो पा रहा है परन्तु इसी विषय का ग्रामवासियों का प्रार्थना-पत्र दिनांक 3-10-92 उपलब्ध है ।

प्रार्थना-पत्र में ग्राम के ठीक उत्तर की तरफ पूरब पश्चिम जाने का चकरोड प्रदिष्ट करने की मांग की गयी थी जिसे न्यायिक प्रक्रिया के अन्तर्गत संदर्भ जोत चकबंदी अधिनियम की धारा–48(3) के अन्तर्गत दिनांक 11-2-94 को वांछित चकरोड प्रदिष्ट कर दी गयी है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

वन विभाग मुख्यालय स्थित प्रसार एवं जन सम्पर्क वृत्त द्वारा जनहित एवं विभागीय उद्देश्य को ध्यान में रखकर क्रय की गयी पत्रिकाओं का भुगतान एवं पुराने बंडलों की बिक्री न किया जाना

36–श्री नन्द लाल सिंह पटेल एडवोकेट–

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1991-92 व 1993 के सितम्बर माह तक वन विभाग मुख्यालय स्थित प्रसार एवं जन सम्पर्क वृत्त द्वारा मंगाये गये विभिन्न दैनिक समाचार पत्र तथा पत्रिकाओं के भुगतान कुल धनराशि कितनी थी ? इनमें कुल हिन्दी व अंग्रेजी के समाचार पत्र तथा पत्रिकायें कौन-कौन हैं ? क्या पत्रिकाओं के क्रय में जनहित तथा विभागीय उद्देश्यों के विपरीत बिना आवश्यकता के गृहणियों की पत्रिकायें तत्कालीन वन संरक्षक ने मंगाकर उसका भुगतान राजकीय कोष से किया है ? क्या यह अनुचित है ? यदि हां, तो उनके विरुद्ध कब और किस प्रकार की कार्यवाही शासन कर रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री भगवती सिंह–

रुपया 10,656.10 पैसे ।

हिन्दी समाचार पत्रों में दैनिक जागरण, आज तथा स्वतंत्र भारत तथा अंग्रेजी समाचार पत्रो में दि पायनियर, टाइम्स आफ इण्डिया, इण्डियन एक्सप्रेस तथा पत्रिकाओं में सरिता, गृह शोभा, इण्डिया टुडे, फेमिना हैं ।

विभाग में पुरुष तथा महिला अधिकारी एवं कर्मचारी कार्यरत हैं अतएव उक्त पत्रिकाएं जनहित एवं विभागीय उद्देश्य को ध्यान में रखकर ही क्रय की गयीं तथा उनका भुगतान किया गया है ।

किसी कार्यवाही का औचित्य नहीं है ।

37–श्री नन्द लाल सिंह पटेल एडवोकेट–

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1991-92 तथा 1993 के सितम्बर माह तक वन विभाग मुख्यालय स्थित प्रसार एवं जन सम्पर्क वृत्त द्वारा क्रय किये गये विभिन्न दैनिक समाचार पत्र/पत्रिकाओं के पुराने बंडलों की बिक्री नियमित की गयी है ? यदि हां, तो इस मद में राजकोष में कितनी और कब-कब धनराशि जमा की गयी ? यदि नहीं, तो क्या शासन को यह ज्ञात है कि पुराने सभी बंडलों को सम्बन्धित कर्मचारी ने प्रधान लिपिक की सहायता से विक्रय कर दिया तथा धनराशि राजकोष में अब तक जमा नहीं हुई है ? क्या शासन राज्य सम्पत्ति हित में मामले की जांच कराते हुए दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही करेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री भगवती सिंह–

वर्ष 1991-92 तथा 93 सितम्बर माह तक वन विभाग मुख्यालय स्थित प्रसार एवं जन सम्पर्क वृत्त द्वारा क्रय किये गये विभिन्न दैनिक समाचार पत्र/पत्रिकाओं के पुराने बंडलों की बिक्री नहीं की गयी है। अतः उक्त अवधि में रद्दी के विक्रय की धनराशि राजकोष में जमा किये जाने का प्रश्न नहीं उठता।

माधौगढ़ विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत विधवा पेंशन अभ्यर्थियों के आवेदन-पत्रों को निस्तारित करने की मांग

38–श्री शिवराम सिंह कुशवाहा–

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि माधौगढ़ विधान सभा क्षेत्र में कितने विधवा पेंशन अभ्यर्थियों के आवेदन-पत्र अनिस्तारित/लम्बित पड़े हैं ? इन्हें कब तक निस्तारित कर दिया जायेगा ?

श्री राज बहादुर–

सूचना एकत्र की जा रही है।

39–श्री बरफिया लाल जुवांठा–

[5वें बुध में अता० प्र० सं०–106 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद उन्नाव में थाना अचलगंज के ग्राम राजेपुर मजरे मोहद्दीनपुर में आम रास्ते पर से अवैध अतिक्रमण का हटाया जाना

40–श्री बैजनाथ रावत–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि ग्राम राजेपुर मजरे मोहद्दीनपुर, थाना अचलगंज, जनपद उन्नाव में आम रास्ते पर इसी ग्राम के कुछ लोगों द्वारा अतिक्रमण किये जाने के संबंध में ग्रामवासियों के प्रार्थना-पत्र जांच व आवश्यक कार्यवाही हेतु राज्य मंत्री, पंचायती राज के पत्रांक 263 एस एम पी आर/93, दिनांक 27-12-93 द्वारा पुलिस अधीक्षक, उन्नाव तथा राज्य मंत्री, राजस्व के पत्रांक 443/वी आई पी/आर एम/94, दिनांक 20-1-94 द्वारा जिलाधिकारी, उन्नाव को भेजे गये हैं ? यदि हां, तो क्या उन पत्रों पर कोई कार्यवाही की गयी है ? यदि हां, तो मामले की जांच किस अधिकारी द्वारा की गयी तथा

कब ? जांच आख्या पर शासन द्वारा क्या कार्यवाही हुई तथा कब ? क्या उक्त अतिक्रमण को समाप्त कर दिया गया है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बाबू राम यादव–

जी हां । राजस्व मंत्री का पत्र दिनांक 20/21 जनवरी, 1994 प्राप्त हुआ है ।

प्रार्थना-पत्र पर जांच तहसीलदार, उन्नाव द्वारा दिनांक 1-3-94 को की गई । मौके पर अवैध अतिक्रमण जो रास्ते पर पाया गया उसे हटवा दिया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जी हां ।

दिनांक 1-3-94 ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद सीतापुर के विकास खण्ड महमूदाबाद, रामपुर, मथुरा व पहला में वर्णित वर्ष में हड्डी व चमड़ा के पेशेवर व्यक्तियों को ठेके दिये जाने के आदेश

41–श्री नरेन्द्र सिंह (सीतापुर)–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सीतापुर जनपद में विकास खण्ड महमूदाबाद, रामपुर, मथुरा ब्लाक पहला में खादी ग्रामोद्योग द्वारा जिला परिषद् द्वारा वित्तीय वर्ष 1993-94 हड्डी, चमड़ा के कार्य का ठेका कितने में तथा किन-किन समितियों को दिया गया है ? क्या इन समितियों के अध्यक्ष, महामंत्री, उपाध्यक्ष, अनुसूचित जाति के हैं ? यदि हां, तो क्या उक्त समिति के लोगों के द्वारा ही ठेका लिया जाता है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार ऐसी समितियों को बन्द करने का आदेश देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम लखन वर्मा–

जनपद सीतापुर में विकास खण्ड महमूदाबाद, रामपुर मथुरा, ब्लाक पहला में वर्ष 1993-94 हेतु हड्डी, चमड़ा के कार्य हेतु क्रमशः रु० 43,214, 82,522, 56,616 में पशु शव उपयोग औद्योगिक उत्पादन सहकारी समिति लि० नूरपुर (सीतापुर), पशु शव उपयोग औद्योगिक उत्पादन सहकारी समिति लि० बांसुरा, पशु शवं उपयोग औद्योगिक उत्पादन सहकारी समिति लि०, सरैयाराजा साहब (सीतापुर) को ठेका/लाइसेंस दिया गया है ।

इन सहकारी समितियों में अध्यक्ष, महामंत्री व उपाध्यक्ष का कोई पद नहीं है, बल्कि समितियों में सभापति व उप सभापति होते हैं, जिनका चयन समिति के सदस्यों द्वारा किया जाता है । उक्त समितियों के सभापति अनुसूचित जाति के नहीं हैं । उ० प्र० सहकारिता अधिनियम, 1965 के अन्तर्गत ग्रामोद्योगी सहकारी समितियों का पंजीयन खादी ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा किया जाता है । खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा पंजीकृत समितियों को जिला परिषद् द्वारा ठेका/लाइसेंस दिये जाते हैं । जिन विकास खण्डों में पंजीकृत समितियां नहीं है, वहां पर पैतृक रूप से कार्य कर रहे पेशेवर व्यक्तियों को ठेका दिये जाने के लिये समस्त जिला परिषदों को आदेश दिये गये हैं ।

प्रदेश में भरण पोषण अनुदान पेंशन हेतु पात्र व्यक्ति/महिलाओं द्वारा जनपदीय कार्यालय से आवेदन पत्र प्राप्त किया जाना

42–श्री अखिलेश–

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कैम्प लगाकर विधवा पेंशन/वृद्धा पेंशन/विकलांग पेंशन हेतु जनता को उक्त पेंशन प्राप्त करने हेतु निर्धारित संख्या में ही आवेदन-पत्र वितरित किये गये हैं, जबकि निर्धारित संख्या के फार्मों से अधिक व्यक्ति पेंशन पात्र होने की श्रेणी में आते हैं ? जिन्हें कि फार्म नहीं दिया गया ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार पुनः कैम्प लगाकर अवशेष सभी पात्र व्यक्तियों को पेंशन प्राप्त करने के लिये पेंशन आवेदन-पत्र उपलब्ध करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री राज बहादुर–

जी नहीं, आवेदन पत्रों के वितरण के संबंध में कोई संख्या निर्धारित नहीं की गयी है । भरण पोषण अनुदान पेंशन के लिये अर्ह व्यक्ति/महिला आवेदन-पत्र जनपदीय कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं । इसमें कोई मनाही नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

पात्र व्यक्ति/महिला, जनपदीय कार्यालय से आवेदन-पत्र प्राप्त कर सकते हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद इलाहाबाद की तहसील फूलपुर के ग्राम–कोटांवा निवासी श्री जितेन्द्र बहादुर के पत्र पर आबादी पर से अवैध कब्जे हटाने के संबंध में कार्यवाही की मांग

43–श्री नन्दलाल सिंह पटेल एडवोकेट–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री जितेन्द्र बहादुर निवासी कोटांवा, तहसील फूलपुर, जनपद इलाहाबाद का पत्र दिनांक 30-7-92 जो परगनाधिकारी, फूलपुर एवं अतिरिक्त जिलाधिकारी (ग्रामीण) इलाहाबाद आपको सम्बोधित 28-7-92 का पत्र जिसका पत्रांक भी जी०/189/92, दिनांक 1-9-92 आबादी पर अवैध कब्जा को हटाये जाने विषयक प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि उक्त पत्र पर परगनाधिकारी, फूलपुर, थाना अध्यक्ष, सरायइनायत को तीन दिन के अन्दर अवैध कब्जा हटाये जाने का निर्देश दिया गया था ? यदि हां, तो क्या शीघ्र ही पत्र में उल्लिखित आबादी पर से अवैध कब्जे को हटवा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों और कब तक हटवा दिया जायेगा ?

श्री बाबू राम यादव–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद व तहसील लखनऊ के ग्राम भिलावां में प्रश्नगत भूमि पर श्री चेतराम पुत्र श्री हरी राम व श्रीमती शान्ती त्रिपाठी पुत्री रुद्र प्रसाद त्रिपाठी द्वारा कब्जा सम्बन्धी प्रकरण

44–श्री राम विशुन आजाद–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि तहसील लखनऊ के ग्राम भिलावां की भूमि संख्या 778 को फर्जी रूप से शान्ती त्रिपाठी पुत्री रुद्र प्रसाद त्रिपाठी के नाम अंकित है ? यदि हां, तो क्या उक्त भूमि को तत्कालीन परगनाधिकारी ने पुनः ग्राम सभा/नगरमहापालिका में निहित करने के आदेश दिये थे ? यदि हां, तो क्या उक्त भूमि पर काबिज लोगों को उक्त आदेश के परिपालन में अभी तक हटाया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि उन्हें हटाया जायेगा, तो कब तक ?

श्री बाबू राम यादव–

खसरा सं०–778 रकबा 1 बीघा 7 बिस्वा 10 बिस्वांसी खतौनी 1401 से 1406 फसली में श्री चेतराम पुत्र हरीराम व श्रीमती शान्ती त्रिपाठी पुत्र रुद्र प्रसाद त्रिपाठी के नाम दर्ज है ।

जी हां ।

जी हां ।

प्रकरण में न्यायिक प्रक्रिया के अन्तर्गत स्थगन आदेश प्रभावी है ।

न्यायालय के निर्णयानुसार कार्यवाही की जायेगी ।

जनपद सुल्तानपुर की तहसील मुसाफिरखाना में चकबंदी अधिकारी/बन्दोबस्त अधिकारी के यहां लम्बित मुकदमों के त्वरित निस्तारण हेतु निर्देश

45–श्री तेजभान सिंह–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सुल्तानपुर की तहसील मुसाफिरखाना में चकबन्दी कार्य कब समाप्त हुआ ? इस तहसील में चकबन्दी अधिकारी/बन्दोबस्त अधिकारी के यहां कितने मुकदमें लम्बित हैं ? क्या सरकार ने इन मुकदमों को वादकारियों के हित में शीघ्र निपटाने की कोई कार्यवाही की है ? यदि हां, तो कब और किन अधिकारियों ने कार्यवाही की तथा उसका परिणाम क्या रहा ? क्या लम्बित वादों को शीघ्र निपटाने की कोई कार्यवाही पुनः सरकार करवायेगी ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री बाबू राम यादव–

तहसील मुसाफिरखाना, जनपद सुल्तानपुर में केवल 8 ग्रामों का चकबन्दी कार्य अन्तिम रूप से समाप्त होने के लिये अवशेष है ।

इस तहसील में चकबन्दी अधिकारी स्तर पर 3878 वाद तथा बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी स्तर पर 5519 अपीलें लम्बित हैं ।

चकबन्दी आयुक्त स्तर पर चकबन्दी कार्य प्रगति की समीक्षा के उपरान्त लम्बित मुकदमों के त्वरित निस्तारण हेतु निर्देश दिनांक 28-2-94 को निर्गत किये गये थे । अवशेष मुकदमों के निस्तारण हेतु दिनांक 11-3-94 को पुनः निर्देश निर्गत कर दिये गये हैं और अनुश्रवण किया जा रहा है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद सुल्तानपुर के परगना गौरीगंज के ग्राम ऐरा गौरीगंज में कतिपय अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को आवंटित भूमि पर कब्जा दिलाने विषयक प्रश्नकर्ता के पत्र पर कार्यवाही

46–श्री तेजभान सिंह–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि परगनाधिकारी, गौरीगंज, जनपद सुल्तानपुर को सम्बोधित प्रश्नकर्ता का दिनांक 24-1-94 का पत्र जिसमें ग्राम ऐरा गौरीगंज के कुछ अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को प्राप्त पट्टे का कब्जा न मिलने की शिकायत है, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो इसकी जांच कब और किसके द्वारा की गयी तथा सम्बन्धित को कब्जा दिया गया या नहीं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बाबू राम यादव–

जी हां ।

माननीय विधायक के पत्र पर परगनाधिकारी ने तहसीलदार को यह निर्देश दिया कि वे जाकर कब्जा दिलावें जिस पर आवंटी को दिनांक 25-2-94 को नायब तहसीलदार द्वारा स्थल पर कब्जा दिला दिया गया । कल्लू पुत्र मंगरे को कोई आवंटन नहीं हुआ था इसलिये उन्हें कब्जा नहीं दिया गया ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद फैजाबाद की तहसील जलालपुर के ग्राम हुसेनपुर विफहन के पूर्व लेखपाल श्री राम लौट द्वारा किये गये दुरुपयोग के संबंध में चेतावनी दिया जाना

47–श्री बच्चा पाठक–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे जिलाधिकारी, फैजाबाद को श्री प्रियदर्शी जेतली का कोई पत्र माह 92 में ग्राम हुसेनपुर विफहन, तहसील जलालपुर, जिला फैजाबाद के पूर्व लेखपाल के बारे में गम्भीर अपराध के संबंध में प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो वह पत्र क्या है ? उसमें क्या-क्या आरोप निहित हैं और उस पर क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बाबू राम यादव–

जी हां ।

ग्राम हुसैनपुर विफहन, तहसील जलालपुर के पूर्व लेखपाल श्री राम लौट द्वारा अनियमित रूप से खतौनी पर पट्टे की अमलदरामद करने एवं गलत तरीके से धन प्राप्त करने हेतु अधिकारी एवं कर्तव्यों का दुरुपयोग करने की जांच करवाने से सम्बन्धित है ।

(क) श्री राम लौट लेखपाल द्वारा पट्टा करने के लिये 2,400 रुपया इस शर्त के साथ रसीद लिखकर प्राप्त करना कि यदि पट्टा दिनांक 26-8-1990 तक न करा दिया गया तो प्राप्त धन सम्बन्धित व्यक्ति को वापस कर दिया जायेगा।

(ख) उक्त लेखपाल द्वारा खतौनी पर अमलदरामद करने एवं नकल निर्गत करने के उपरान्त खतौनी को काट दिया जाना।

जांचोपरान्त परगनाधिकारी, जलालपुर द्वारा दिनांक 10-9-92 को आरोप पत्र जारी किया गया। दिनांक 15-1-93 को लेखपाल को दोषी मानते हुए निम्न दण्ड दिया गया :—

1–लेखपाल को अपने मूल वेतन पर प्रत्यावर्तित किया। भविष्य में इन्हें तीन वर्ष तक वार्षिक वेतन वृद्धि देय नहीं होगी।

2–लेखपाल श्री राम लौट को राजस्व अभिलेखों में हेरा फेरी तथा गलत प्रमाण-पत्र जारी करने के फलस्वरूप इनकी सत्यनिष्ठा संदिग्ध की जाती है और भविष्य में ऐसा कार्य न करने के लिये कठोर चेतावनी दी गई।

जनपद फैजाबाद की तहसील—जलालपुर के ग्राम तेन्दुआ दियरा निवासी श्री अच्छे लाल पुत्र श्री जगमोहन के कब्जा संबंधी प्रार्थनापत्र को निरस्त किया जाना

48–श्री बच्चा पाठक–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिलाधिकारी, फैजाबाद को श्री प्रियदर्शी जेतली का कोई पत्र श्री अच्छे लाल पुत्र श्री जगमोहन निवासी ग्राम तेन्दुआ दियरा, तहसील जलालपुर का 122 बी–4 एफ० की कार्यवाही के संबंध में जनवरी, 1992 से अब तक के बीच में प्राप्त हुआ है ? क्या सम्पूर्ण पत्र व प्रार्थना-पत्र को सदन के पटल पर रखते हुए यह भी बतायेंगे कि उक्त प्रार्थना-पत्र व श्री जेतली के पत्र में क्या-क्या मुख्य बातें लिखी हैं ? उक्त प्रार्थना-पत्र को जिलाधिकारी ने कब किस अधिकारी को भेजा ? उस पत्र पर संबंधित अधिकारी ने क्या कार्यवाही की है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बाबू राम यादव–

जी हां।

जी हां। पत्र में मुख्य रूप से प्रथम पत्रावली न मिलने पर दूसरी पत्रावली तैयार कर श्री अच्छे लाल पुत्र श्री जगमोहन निवासी ग्राम तेन्दुआ दियरा, तहसील जलालपुर को 122 बी (4–एफ) का लाभ देने की बात कही गई है।

दिनांक 16-12-93 को परगनाधिकारी जलालपुर को भेजा गया।

परगनाधिकारी ने तहसील जलालपुर द्वारा पुनः पत्रावली बनवायी एवं कब्जे तथा पात्रता के संबंध में भूमि प्रबन्धक समिति से आख्या मांगी। भूमि प्रबन्धक समिति ने अपनी कार्यवाही दिनांक 2-3-93 में स्पष्ट किया है कि प्रार्थी 122 बी (4–एफ) का पात्र नहीं है। तद्नुसार जांच में भी वह पात्र नहीं पाया गया इसलिये अच्छे लाल के प्रार्थना-पत्र दिनांक 15-10-93 को निरस्त कर दिया गया।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद उन्नाव के ग्रामीणों द्वारा स्वयं घर बनाने हेतु पेड़ काटने की सरल प्रक्रिया की मांग

49–श्री सुन्दर लाल लोधी–

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद उन्नाव में ग्रामीणों को अपने छप्पर व घर बनाने के लिये दो वृक्ष प्रति परिवार काटने की छूट शासन द्वारा दी गयी है ? यदि हां, तो क्या उक्त अनुमति प्राप्ति के सरलीकरण की प्रक्रिया अपनाई गयी है ? यदि हां, तो कैसे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री भगवती सिंह–

जी नहीं ।

उ० प्र० ग्रामीण एवं पर्वतीय क्षेत्र में वृक्ष संरक्षण अधिनियम; 1976 के अन्तर्गत केवल 12 प्रजाति के वृक्षों के काटने पर प्रतिबन्ध लगाया गया है । अन्य प्रजाति के वृक्षों के काटने पर प्रतिबन्ध नहीं है ।

जनपद इलाहाबाद की तहसील–हण्डिया के ग्राम सभा–मनीपुर के प्रधान द्वारा ग्राम सभा की भूमि पर अतिक्रमण के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

50–श्री जवाहर लाल दिवाकर–

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि ग्राम सभा मनीपुर तहसील हण्डिया, जनपद–इलाहाबाद के ग्राम प्रधान द्वारा ग्राम सभा की भूमि पर अराजी सं० 300 एवं अराजी सं० 97 पर अतिक्रमण एवं अनाधिकार कब्जा कर लिया गया है ? यदि हां, तो उक्त प्रधान के विरुद्ध कब तक कार्यवाही पूर्ण कर ली जायेगी ? यदि नहीं , तो क्यों ?

श्री बाबू राम यादव–

ग्राम सभा मनीपुर, तहसील हंडिया की आराजी संख्या–97 पर सहायक कलेक्टर/तहसीलदार के आदेश दिनांक 30-11-91 द्वारा अवैध कब्जे के पुष्टि ग्राम सभा बनाम जंगबहादुर के वाद में की गयी है । जिसके संबंध में प्रकरण अभी मा० उच्च न्यायालय में विचाराधीन है ।

आराजी संख्या–300 के संबंध में ग्राम सभा बनाम फतेह बहादुर का वाद धारा 122 बी के अन्तर्गत चलाया गया जो कि अवैध कब्जा न पाये जाने के कारण समाप्त कर दिया गया है । मा० न्यायालय के निर्णयानुसार कार्यवाही की जायेगी ।

जनपद इलाहाबाद की तहसील–फूलपुर के ग्राम–कोटवा स्थित तालाबों पर अवैध कब्जा धारकों के विरुद्ध बेदखली की कार्यवाही के निर्देश

51–श्री जवाहर लाल दिवाकर–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम सभा कोटवां, तहसील, फूलपुर, जनपद–इलाहाबाद में कितने सार्वजनिक तालाब हैं ? उक्त तालाबों पर कितने लोगों ने आज तक अवैध कब्जा कर रखा है ? उक्त अवैध कब्जों को कब तक खाली करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बाबू राम यादव–

ग्राम सभा कोटवा तहसील फूलपुर जनपद इलाहाबाद में कुल 27 तालाब हैं। इन 27 तालाबों में से 11 तालाबों पर अवैध कब्जे हैं। धारा–122 बी जमींदारी विनाश अधिनियम के अन्तर्गत बेदखली की कार्यवाही करने के निर्देश दिये जा चुके हैं।

जनपद व तहसील–रामपुर में निलम्बित चपरासी श्री कुंवर पाल पुत्र श्री अच्छे लाल को कार्यभार ग्रहण कराने का विधिक परीक्षण

52–स्वामी परमानन्द दण्डी–

क्या राजस्व मंत्री को ज्ञात है कि जनपद रामपुर की तहसील शाहबाद में निलम्बित चपरासी श्री कुंवर पाल पुत्र श्री अच्छे लाल, निवासी–ग्राम–जगेसर, तहसील–शाहबाद जनपद–रामपुर को लोक सेवा अभिकरण कोर्ट से दि० 27-12-92 को मुकदमा जीतने पर भी जिला अधिकारी, रामपुर व परगना अधिकारी, शाहबाद द्वारा अभी तक कार्यभार ग्रहण नहीं कराया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त बेरोजगार हो गये श्री कुंवरपाल को लोक सेवा अभिकरण कोर्ट के फैसले के अनुसार शीघ्र कार्यभार ग्रहण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बाबू राम यादव–

श्री कुंवर पाल सिंह तत्कालीन चपरासी निलम्बित नहीं है बल्कि उनकी सेवायें दिनांक 3-1-91 को समाप्त की गयी थी और सेवा समाप्ति के विरुद्ध श्री कुंवर पाल सिंह द्वारा माननीय लोक सेवा अधिकरण में एक याचिका प्रस्तुत की गयी। उक्त याचिका में माननीय अधिकरण ने दिनांक 8-9-92 को एकपक्षीय आदेश कर दिया था। उस एक पक्षीय आदेश के विरुद्ध जिलाधिकारी रामपुर द्वारा पुनर्विचार अपील दायर की गयी थी और इस अपील को मा० लोक सेवा अधिकरण के आदेश दिनांक 27-11-92 द्वारा अस्वीकार कर दिया गया। श्री कुंवर पाल को अभी कार्यभार ग्रहण नहीं कराया गया है। मामले का विधिक परीक्षण किया जा रहा है।

प्रदेश के भूलेख निरीक्षकों से नायब तहसीलदार के पदों पर पदोन्नति में कोटा पूरा करने की मांग

53–इंजी० राम लोटन सिंह पटेल–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या प्रदेश के भूलेख निरीक्षकों से नायब तहसीलदार के पदों पर पदोन्नति का कोटा पूर्ण है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या यह भी बतायेंगें कि इस प्रकार की पदोन्नति के कुल कितने पद रिक्त हैं और उन्हें कब तक पदोन्नति से भर दिया जायेगा ?

श्री बाबू राम यादव–

जी नहीं।

नायब तहसीलदार सेवा नियमावली 1944 के नियम–5 के अन्तर्गत अर्हता पूर्ण करने वाले भूलेख निरीक्षकों की सूचना राजस्व परिषद् द्वारा एकत्र की जा रही है। वर्तमान में कुल 104 पद रिक्त हैं जिन्हें पदोन्नति से भरने हेतु उपरोक्तानुसार पात्र अभ्यर्थियों की सूची बनाकर नियमित चयन करने हेतु कार्यवाही की जा रही है।

जनपद उन्नाव की तहसील सदर के मुर्तजा नगर में देव नन्दन पुत्र मन्नी का आवंटित भूमि पर काबिज होना

54–श्री सुन्दर लाल लोधी–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद उन्नाव की सदर तहसील के मुर्तजानगर में भूमि नम्बर 438, 439 ख 440 आदि देवनन्दन पुत्र मन्नी को आवंटित की गयी है ? क्या यह भी सही है कि

उपरोक्त नम्बरानों की भूमि सम्प्रति दबंग व्यक्ति के कब्जे में है तथा पात्र व्यक्ति को अभी तक कब्जा नहीं मिला है ? यदि कब्जा उसे मिलेगा तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बाबू राम यादव–

जी हां ।

जी नहीं ।

आवंटी सम्पूर्ण आवंटित भूमि पर वर्तमान में काबिज है । शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद फैजाबाद की तहसील व परगना–अकबरपुर के ग्राम–शाहजहांपुर में टोंस नदी के पुल पर पहुंच मार्ग के निर्माण हेतु भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही

55–श्री बच्चा पाठक–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला फैजाबाद नगर अकबरपुर से दुद्धी–लुम्बनी मार्ग (बाई पास) में किन-किन खातों से, कितना-कितना रकबा उक्त मार्ग में गया ? क्या वे रकबे उन खातों से काटे गये ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बाबू राम यादव–

दुद्धी लुम्बनी मार्ग के 159 किमी० अकबरपुर में टोंस नदी के पुल पर पहुंच मार्ग के निर्माण हेतु ग्राम शाहजहांपुर परगना व तहसील अकबरपुर जिला–फैजाबाद में निम्नलिखित विवरण के अनुसार भूमि अर्जन की कार्यवाही की जा रही है ।

भूखण्ड संख्या	क्षेत्रफल
306/2	0–9–10
303/	0–6–0
304	0–4–0
305	0–4–0
300	0–4–15
301	0–4–15
302	0–5–05
293/मि०	0–3–10
293/मि०	0–8–0
293/1	0–18–10
293/1 मि०	0–15–0
293/5/1	0–5–0
293/5/2	0–2–0
योग–	4–11–05
या–	2.86 एकड़

अभी तक नहीं, क्योंकि अधिग्रहण की कार्यवाही पूर्ण नहीं हुयी है ।

56–श्री बच्चा पाठक–

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

जनपद इलाहाबाद की तहसील–फूलपुर के ग्राम सभा–कोटवा में प्रश्नगत भूमि पर अवैध कब्जा सम्बन्धी प्रकरण न्यायालयधीन

57–श्री नन्द लाल सिंह पटेल एडवोकेट–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सचिव, राजस्व विभाग को सम्बोधित ग्राम सभा भूमि संख्या–1138, ग्राम सभा कोटवां, तहसील फूलपुर, जनपद इलाहाबाद के अवैध कब्जे को हटाये जाने विषयक पत्र दिनांक 26-5-1992 को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या उक्त पत्र पर कृत कार्यवाही का विवरण प्रस्तुत करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बाबू राम यादव–

जी नहीं ।

प्रश्नगत भूमि पर अवैध कब्जे के विषय में श्री भगवान बक्श सिंह, सदस्य, विधान परिषद का पत्र दिनांक 26-5-1992 जो कि राजस्व मंत्री को सम्बोधित है, प्राप्त हुआ है ।

प्रकरण न्यायिक प्रक्रिया में है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

58–श्री श्याम किशोर यादव–

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया]

जनपद बाराबंकी में प्रश्नगत अवधि में कतिपय घटित हत्याओं/बलात्कार की घटनाओं में आर्थिक सहायता देने के निर्देश

59–श्री राम कुमार शुक्ल–

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बाराबंकी में वर्ष 1992-93 में अनुसूचित जाति/जनजाति के कितने व्यक्तियों की हत्याएं तथा बलात्कार की घटनाएं हुई हैं ? क्या यह भी बतायेंगे कि समाज कल्याण विभाग द्वारा प्राविधानित आर्थिक सहायता, किन-किन मामलों में प्रदान की गयी है ? क्या सरकार उनके नाम एवं पतों की सूची को पटल पर रखते हुए यह भी बतायेगी कि उक्त आर्थिक सहायता का भुगतान करने से पूर्व किसी अधिकारी द्वारा सहायता के रूप में प्रदान की गयी धनराशि के आधार का उक्त वर्षों में भौतिक सत्यापन किया गया है ? क्या फर्जी नाम से अधिकारियों द्वारा उक्त भुगतान दिखाकर, सहायता राशि हड़प ली गयी है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सम्पूर्ण प्रकरण की जांच कराकर दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राज बहादुर–

10 व्यक्तियों की हत्याएं तथा बलात्कार की 7 घटनाएं हुई थीं । आर्थिक सहायता 7 हत्याओं की घटनाओं में प्रदान की गयी थी । तीन मामलों में शीघ्र भुगतान सुनिश्चित करने हेतु जिलाधिकारी को निर्देशित कर दिया गया है ।

बलात्कार की 7 घटनाओं में से 5 घटनाओं में आर्थिक सहायता प्रदान की जा चुकी है । एक मामला जांच में सही नहीं पाया गया अतः आर्थिक सहायता नहीं दी गयी । अवशेष एक मामला जिला बाराबंकी के बजाए जिला रायबरेली से सम्बन्धित था । अतः उसे जनपद रायबरेली को समुचित कार्यवाही हेतु स्थानान्तरित कर दिया गया है ।

जी हां । सूची संलग्न है ।

जी नहीं प्रश्न नहीं उठता ।

(देखिए नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ 136–139 पर)

जनपद बाराबंकी में कार्यरत कतिपय समाज कल्याण सुपरवाइजरों का गृह जनपद में तैनाती का प्रकरण

60–श्री राम कुमार शुक्ल–

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की करेंगे कि जनपद बाराबंकी में जिला समाज कल्याण अधिकारी के अन्तर्गत कितने पर्यवेक्षक हैं ? उनमें से कितने ऐसे हैं जो उसी जनपद के मूल निवासी हैं ? क्या यह सही है कि नियमतः उसी जनपद का निवासी अपने निवासीय जनपद में तैनात नहीं किया जा सकता है ? यदि हां, तो उनके स्थानान्तरण जनपद के बाहर न किये जाने के कारण क्या हैं ? उन पर्यवेक्षकों को जनपद से बाहर कब तक स्थानान्तरित कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राज बहादुर–

वर्तमान में सात समाज कल्याण सुपरवाइजर कार्यरत हैं ।

इनमें से छह जनपद बाराबंकी के ही मूल निवासी हैं ।

समाज कल्याण सुपरवाइजरों को गृह जनपद में न तैनात करने का कोई शासकीय आदेश नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बाराबंकी के अन्तर्गत संजय जनता सहयोगी जूनियर हाई स्कूल, जरियारी, दरियाबाद के प्रबन्धक को क्षतिपूर्ति हेतु धनराशि का भुगतान

61–श्री राम कुमार शुक्ल–

क्या समाज कल्याण मंत्री को जानकारी है कि जनपद बाराबंकी के अन्तर्गत संजय जनता सहयोगी जूनियर हाईस्कूल, जरियारी, दरियाबाद, की वर्ष 1991-92 व 1992-93 में अनुसूचित जाति के छात्रों की क्षतिपूर्ति अनुदान की कितनी धनराशि उक्त विद्यालय को किन-किन तिथियों में प्रदान की गयी है ? क्या यह सही है कि उक्त विद्यालय के नाम से क्षतिपूर्ति अनुदान कतिपय समाज कल्याण के कर्मचारियों/अधिकारियों द्वारा आहरित करके धन का गबन कर दिया गया है और उस स्कूल को धनराशि नहीं दी गयी है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस की जांच किसी उच्च अधिकारी द्वारा

कराकर, दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राज बहादुर–

संजय जनता सहयोगी जूनियर हाईस्कूल, जरियारी, दरियाबाद के प्रबन्धक को विद्यालय की क्षतिपूर्ति हेतु 91-92 में चेक सं०–073329 दिनांक 3-4-92 के द्वारा 7,808.00 रु० तथा वर्ष 92-93 में चेक सं०–78522 दिनांक 6-2-93 द्वारा रुपये 7,278.00 का भुगतान जिला समाज कल्याण अधिकारी, बाराबंकी द्वारा किया गया ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद महराजगंज के कचेहरी में समूह 'ग' में नियुक्ति न किया जाना

62–श्री चन्द किशोर–

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि कलेक्ट्रेट, महराजगंज में दिनांक 1 अगस्त, 1991 से अब तक समूह (ग) के पद पर नियमित नियुक्ति की गयी ? कुल कितने पद रिक्त हैं ? रिक्त/नियुक्त दोनों का योग क्या है तथा अध्यक्ष चतुर्थ श्रेणी राज्य कर्मचारी कलेक्ट्रेट संघ के पत्र सं०–40, दिनांक 16-2-93/राजस्व परिषद् अनुभाग–12 के अ० शा० पत्र सं०–डी-1687/12-1(44)/91 ए में क्या कार्यवाही की गयी ? क्या दिनांक 1 अगस्त, 91 से अब तक समूह (घ) के पद से (ग) के पद पर पदोन्नति वरिष्ठता क्रम में की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बाबू राम यादव–

जी नहीं ।

14 पद रिक्त हैं जिन पर उपरोक्तानुसार नियुक्ति नहीं की गई है ।

चूंकि समूह 'ग' के रिक्त पद पर चयन नहीं हुआ है इसलिए अध्यक्ष, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी कलेक्ट्रेट संघ एवं परिषदादेश पर कोई कार्यवाही नहीं की गई है ।

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद शाहजहांपुर की तहसील तिलहर के ग्राम–रजपुरा के प्रधान के विरुद्ध कार्यवाही करने की मांग

63–श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मुन्ना–

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि राम चन्द्र पुत्र तोताराम, नि० ग्राम रजपुरा, तहसील तिलहर ने एक शिकायती पत्र दिनांक 5-10-93 को या इसके आसपास उ०प्र० शासन, जिलाधिकारी, शाहजहांपुर, परगाधिकारी, तिलहर को भेजे हैं ? यदि हां, तो क्या यह सही है इस पत्र की जांच परगना अधिकारी, तिलहर ने करके दिनांक 7-10-93 को एक आरोप-पत्र श्री विजय बहादुर सिंह, प्रधान ग्राम सभा रजपुरा, तहसील तिलहर को दिया ? आरोप सिद्ध होने के बाद भी आज तक ग्राम प्रधान, रजपुरा के विरुद्ध कोई कार्यवाही न किये जाने के क्या कारण हैं ?

श्री बाबू राम यादव–

जी नहीं ।

श्री रामचन्द्र एवं अन्य ग्रामवासियों द्वारा दिनांक 5-10-93 को नहीं बल्कि दिनांक 4-3-92 को जिला अधिकारी एवं दिनांक 3-8-92 को परगनाधिकारी, तिलहर को शिकायती पत्र भेजे गये हैं ।

जी हां ।

जी नहीं ।

आरोप के संबंध में ग्राम प्रधान ने दिनांक 1-11-93 को स्पष्टीकरण दे दिया है । प्रधान के स्पष्टीकरण के संदर्भ में भूलेख निरीक्षक/लेखपाल को दिनांक 25-1-94 को प्रधान के विरुद्ध उ०प्र० जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा 122(बी) के अन्तर्गत कार्यवाही हेतु तहसीलदार तिलहर के यहां आख्या प्रस्तुत करने के लिए परगनाधिकारी द्वारा आदेश निर्गत किये गये हैं । परगनाधिकारी के यहां अनुशासनात्मक जांच को कार्यवाही विचाराधीन है ।

जनपद रामपुर की तहसील सदर के ग्राम–गौहरपुर में श्री कुंवरपाल सिंह व श्री हरपाल सिंह पुत्र श्री बल्देव को अपात्र श्रेणी के अन्तर्गत सहायता राशि न दिया जाना

64–स्वामी परमानन्द दण्डी–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद रामपुर की तहसील सदर के ग्राम गौहरपुर में श्री कुंवरपाल सिंह व श्री हरपाल सिंह पुत्र श्री बल्देव के घर में दिनांक 25-12-1993 को लगी आग से हजारों रुपये की हुई क्षति का अभी तक मुआवजा वितरण नहीं हो सका है ? यदि हां, तो सरकार आग से हुई क्षति का उपरोक्त व्यक्तियों को मुआवजा वितरण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बाबू राम यादव–

दिनांक 25-12-93 को जनपद–रामपुर की तहसील–सदर के ग्राम गौहरपुर में दिन के 11 बजे अचानक आग लगने से श्री कुंवरपाल सिंह व हरपाल सिंह पुत्र श्री बल्देव का नुकसान हुआ था । इस अग्निकाण्ड की जांच भूलेख निरीक्षक द्वारा करायी गयी जिसने अपनी आख्या दिनांक 11-1-94 में इन दोनों व्यक्तियों का 29 हजार रुपये का नुकसान बताया । जिसमें कोई पशु हानि नहीं हुई । दोनों ही परिवार वार्षिक आय निर्धारित सीमा से अधिक होने के कारण राहत (अहेतुक सहायता) के पात्र नहीं थे । अतः इन्हें राहत राशि नहीं दी जा सकी । दैवी आपदा से क्षति होने पर मुआवजा नहीं दिया जाता, वरन् पात्र पीड़ितों को राहत दी जाती है ।

जनपद रामपुर की तहसील–शाहबाद के ग्राम–भरतपुर के श्री राम सिंह को अग्नि काण्ड का संदिग्ध प्रकरण होने के कारण अनुग्रह राशि का न दिया जाना

65–स्वामी परमानन्द दण्डी–

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि जनपद–रामपुर की तहसील शाहबाद के ग्राम भरतपुर में श्री राम सिंह के मकान में दिनांक 7-6-93 को लगी आग से हजारों रुपये का सामान तथा श्रीराम सिंह

की पत्नी श्रीमती प्रेमवती जल गयी थी, का अभी तक मुआवजा/अनुग्रह राशि वितरण नहीं हो सका है ? यदि हां, तो क्या सरकार श्रीराम सिंह को आग से हुई क्षति का मुआवजा/अनुग्रह राशि वितरण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बाबू राम यादव–

दिनांक 7-6-93 को जनपद रामपुर की तहसील–शाहाबाद के ग्राम भरतपुर में श्री राम सिंह के मकान में अग्निकाण्ड हुआ, जिसमें उनकी पत्नी श्रीमती प्रेमवती जलकर मर गयी । इस प्रकरण की जांच तत्कालीन परगनाधिकारी द्वारा करायी गयी । उनकी जांच आख्या के अनुसार यह अग्निकाण्ड का मामला संदिग्ध प्रतीत होता है, जो शासनादेशों के अन्तर्गत दैवी आपदा में नहीं आता । अतः अनुग्रह राशि उक्त परिवार को नहीं दी गयी ।

जनपद रामपुर की तहसील–शाहबाद के ग्राम–रमपुरा के श्री दिलावर शाह पुत्र श्री गुलाबशाह के घर अग्निकाण्ड दैवी आपदा से हानि न होने के कारण अनुदान न दिया जाना

66–स्वामी परमानन्द दण्डी–

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि जनपद–रामपुर की तहसील शाहबाद के ग्राम रमपुरा में दिलावर शाह पुत्र श्री गुलाबशाह के घर में दिनांक 15-11-93 को लगी आग से 20 हजार रुपये के घोड़े की मृत्यु तथा हजारों रुपये के सामान की क्षति हुई थी ? यदि हां, तो क्या सरकार श्री दिलावर शाह को आग से हुई क्षति का मुआवजा दिलायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बाबू राम यादव–

दि० 15-11-93 को जनपद–रामपुर की तहसील–शाहाबाद के ग्राम रमपुरा में श्री दिलावर शाह के गैर आवासीय मकान में अग्निकाण्ड हुआ ।

जांचोपरान्त पता चला कि उनके घर में किसी अन्य व्यक्ति ने दिन के 2 बजे आग लगा दी । किसी अन्य व्यक्ति द्वारा आग लगना दैवी आपदा में नहीं आता है । अतः इन्हें अनुग्रह राशि नहीं दी गयी ।

जनपद बाराबंकी की तहसील रामसनेही घाट के सेवा-निवृत चपरासी श्री राजबहादुर सिंह के अवशेष भुगतान की मांग

67–श्री सुन्दर लाल दीक्षित–

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि तहसील रामसनेहीघाट, जिला बाराबंकी के सेवानिवृत्त चपरासी श्री राज बहादुर सिंह के अवकाश नकदीकरण के अवशेष भुगतान के संबंध में उत्तर प्रदेश के राजस्व अनुभाग–7 के पत्र संख्या–1090/1-7-93रा–7, दिनांक 17/18-5-93 जिलाधिकारी, बाराबंकी को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो संदर्भित मामले पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ? इस विलम्ब का कारण क्या है और अवशेष भुगतान कब तक करा दिये जायेंगे ?

श्री बाबू राम यादव–

जी हां ।

नकदीकरण अवकाश का बकाया अन्तर का बिल भुगतान करने हेतु आहरण वितरण अधिकारी द्वारा कोषागार बाराबंकी में दिनांक 17-11-92 को पारित करने हेतु प्रेषित किया गया था । कोषाधिकारी द्वारा बिल कालातीत होने के कारण प्री-आडिट हेतु वापस कर दिया गया, जिसे जिला प्रशासन द्वारा प्री-आडिट हेतु राजस्व परिषद को भेजा गया था । राजस्व परिषद द्वारा कालातीत बिल प्री-आडिट करके जिलाधिकारी, बाराबंकी को वापस भेज दिया गया है । अब उक्त भुगतान नियमानुसार शीघ्रतिशीघ्र किया जायेगा ।

जनपद गोण्डा की तहसील करनैलगंज के मौजा—सकरौर के ग्राम उत्तरीदीन पुरवा की जनता के लिए रास्ता खोलने की मांग

68—श्री मित्रसेन यादव—

क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोण्डा की तहसील करनैलगंज के मौजा सकरौर ग्राम उत्तरीदीन पुरवा का नक्शा दुरुस्ती पर रास्ता खोलने के संबंध में मुख्य अधिकारी गोण्डा ने दिनांक 22-7-93 को निर्णय दिया था ? यदि हां, तो चालान नम्बर—225 पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? क्या सरकार निवासियों के आने जाने के लिए निकास देकर सम्पूर्ण विवरण सदन के पटल पर रखने की कृपा करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बाबू राम यादव—

जी हां ।

जनपद गोण्डा, तहसील करनैलगंज, मौजा सकरौर, ग्राम उत्तरीदीन पुरवा का नक्शा दुरुस्ती वाद सं० 192 सरकार प्रति ज्ञितेन्द्र नाथ अन्तर्गत धारा 28 नक्शा दुरुस्ती पर रास्ता खोलने के सम्बन्ध में मुख्य राजस्व अधिकारी गोण्डा ने दिनांक 22-7-93 को निर्णय दिया था और आदेश के अनुपालन हेतु मूल पत्रावली चालान नं० 225 पर दिनांक 21-8-93 को प्राप्त हुई थी । आदेश के अनुपालन में मौके पर दो गट्ठा चौड़ा रास्ता नापकर छोड़वा दिया गया है । मुख्य राजस्व अधिकारी महोदय के आदेशानुसार मौके की स्थिति के अनुसार ग्राम के नक्शे पर अमल-दरामद करके नक्शा तरमीम कर दिया गया है । ग्राम की जनता के लिये रास्ता खुला है । (प्रश्नगत प्रकरण का विवरण मेरे कार्यालय कक्ष में देखा जा सकता है) ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद तहसील वाराणसी के परगना कौल असला के ग्राम सभा—सरांय स्थित तालाब पर कब्जा से सम्बन्धित प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन

69—श्री ऊदल—

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि गांव सभा सरांय, परगना कौल असला, तह० व जिला वाराणसी के गांव सभा सरांय की आराजी नम्बर—18 रकबा—1.58 एकड़ खतौनी खाता 323 जो तालाब गांव सभा का है उसको मुनीर खां वगैरह ने कब्जा इसलिए कर लिया है कि चकबन्दी के दौरान भू० पू० प्रधान शिवधारी ग्राम सरांय ने मुनीर खां, अनवर खां वगैरह के लिए उनकी काश्तकारी के लिए बयान दिया था ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि चकबन्दी अधिकारी, वाराणसी ने उन लोगों का नाम दर्ज

कर दिया है ? क्या सरकार इसकी जांच कराकर उक्त तालाब को गांव सभा की सम्पत्ति घोषित करेगी और इन लोगों के खिलाफ कार्यवाही करेगी ? क्या इस संबंध में जांच करायेगी कि कहीं कोई मुकदमा इन लोगों ने आगे तो नहीं किया है क्या मुनीर खां, अनवर, भूतपूर्व प्रधान से जुर्माना भी वसूला जायेगा ?

श्री बाबू राम यादव–

जी नहीं ।

जी नहीं ।

वर्तमान समय में प्रकरण स्वामित्व के प्रश्न को लेकर सप्तम अतिरिक्त जिला जज, वाराणसी के न्यायालय में न्यायिक प्रक्रिया के अधीन है ।

प्रदेश में विकलांगों को परिचय पत्र जारी किया जाना

70–श्री सुन्दर लाल लोधी–

क्या समाज कल्याण मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि विकलांग को यात्रा में दी जाने वाली छूट का परिचय-पत्र या कोई और सुविधाजनक प्रारूप बनेगा ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री राज बहादुर –

परिचय पत्र पूर्व से ही बन चुका है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

अधीनस्थ शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान में पदोन्नति से रिक्त पदों को भरने की मांग

71–श्री भगवती प्रसाद शुक्ल–

क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उनके अधीनस्थ शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान में पदोन्नति से भरे जाने वाले कितने पद रिक्त हैं ? क्या निकट भविष्य में इन पदों को भरे जाने की कोई योजना है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राज बहादुर–

वर्ग "क" में पदोन्नति से भरे जाने वाला कोई पद रिक्त नहीं है ।

वर्ग "ख" में सेवा नियमाली प्रख्यापित नहीं हुई है अतः पदोन्नति कोटे के कितने पद रिक्त हैं निर्धारित करना सम्भव नहीं है । वर्ग "ग" में पदोन्नति कोटे के दो पद रिक्त हैं ।

वर्ग "घ" में पदोन्नति कोटे का कोई पद रिक्त नहीं है ।

जी हां ।

अतिशीघ्र नियमानुसार भरने जायेंगे ।

प्रश्न नहीं उठता ।

समाज कल्याण विभाग के अधीनस्थ विभागों में कार्यरत दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को नियमित करने की मांग

72–श्री भगवती प्रसाद शुक्ल–

क्या समाज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उनके अधीनस्थ विभिन्न विभागों में 5 वर्षों से अधिक समय से दैनिक वेतन पर कितने कर्मचारी कार्यरत हैं ? क्या निकट भविष्य में इन दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के नियमित किये जाने की कोई योजना है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राज बहादुर–

कुल 47

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

चार कर्मी मा० उच्च न्यायालय के स्थगन आदेश से सेवा में बने हुए हैं । वैसे सामान्य रूप से दैनिक वेतन कर्मियों को सीधे नियमित किये जाने की शासन की कोई नीति नहीं है ।

जनपद सुल्तानपुर की तहसील गौरीगंज के ग्राम–पूरे चटई में पुनः चकबन्दी कराने की मांग

73–श्री तेजभान सिंह–

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि ग्राम–पूरे चटई, परगना जामो, तहसील गौरीगंज, जिला सुल्तानपुर में चकबन्दी कब हुई थी ? क्या पुनः चकबन्दी कराये जाने का समय पूरा हो गया है ? यदि हां, तो संदर्भित गांव में इससे पूर्व हुए चकबन्दी में चकबन्दी न कराये जाने का क्या कारण था ? क्या इस बारे में ग्रामवासियों ने कभी मांग की थी ? यदि हां, तो इस गांव में चकबन्दी कब तक हो जायेगी ?

श्री बाबू राम यादव–

ग्राम पूरे चितई, परगना जामों, तहसील गौरीगंज, जनपद सुल्तानपुर, को पूर्व में चकबन्दी योग्य पर्याप्त क्षेत्रफल न होने के कारण, चकबन्दी योजना में शामिल नहीं किया गया था ?

जी हां ।

उक्त ग्राम का चकबन्दी कराने का प्रस्ताव जिलाधिकारी, सुल्तानपुर से चकबन्दी आयुक्त को प्राप्त हो गया है, जिसके परीक्षणोपरान्त उपयुक्त निर्णय लिया जायेगा ।

जनपद लखनऊ में पात्र निराश्रित विधवाओं एवं विकलांगों के आवेदन पत्रों की स्वीकृति हेतु आदेश

74–श्री राम कुमार शुक्ल–

क्या समाज कल्याण मंत्री कृपया बतायेंगे कि लखनऊ में कितनी विधवाओं तथा विकलांगों के पेंशन हेतु आवेदन फार्म वर्तमान समय में लम्बित हैं ? क्या इन आवेदन-पत्रों पर कार्यवाही करके विधवाओं एवं विकलांगों को पेंशन दे दी जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राज बहादुर–

जिला समाज कल्याण अधिकारी, लखनऊ के कार्यालय में विधवा भरण-पोषण अनुदान के 3607 तथा विकलांग भरण-पोषण अनुदान के 1181 आवेदन-पत्र स्वीकृति हेतु लम्बित है।

संसाधन की उपलब्धता को दृष्टिगत करते हुए। अप्रैल 1994 से 450 की सीमा तक अतिरिक्त निराश्रित विधवाओं एवं समस्त पात्र विकलांगों के आवेदन-पत्रों की स्वीकृत के निर्देश जारी किये जा चुके है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद उन्नाव में विकास खण्ड पुरवा के ग्राम सभा कोड़रा में ग्राम सभा की भूमि पर अवैधानिक कब्जा न होना

75–श्री सुन्दर लाल लोधी–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम सभा कोड़रा, विकास खण्ड पुरवा, जनपद उन्नाव की सैकड़ों बीघे जमीन अवैधानिक रूप से व्यक्तियों के पास कब्जे में है और जांच होने पर दोषी भी पाये गये हैं ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बाबू राम यादव–

ग्राम सभा कोड़रा, विकास खण्ड पुरवा, जनपद उन्नाव में ग्राम सभा की भूमि अवैधानिक रूप से व्यक्तियों के पास कब्जे में नहीं है।

शेष का प्रश्न नहीं उठता।

जनपद व तहसील जालौन में वर्णित वर्ष के ओला आपदा में वितरित अनुदान में की गई अनियमितता के सम्बन्ध दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही किया जाना

76–श्री चैनसुख भारती–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद जालौन की तहसील जालौन में सन् 1993 में ओला वृष्टि से कितना धन किसानों को ओला आपदा में अनुदान रूप में वितरित किया गया है ? क्या इस धन के वितरण में गलत लिखा पढ़ी करके सरकारी धन का गबन किया गया है ? यदि हां, तो क्या तत्कालीन परगनाधिकारी दोषी है ? यदि हां, तो क्या परगनाधिकारी को दण्डित किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बाबू राम यादव–

जनपद जालौन की तहसील जालौन में सन् 1993 में हुई ओलावृष्टि से फसलों से क्षति पर अहेतुक सहायता के रूप में रु० 34,81,900/- वितरित किया गया है।

धनराशि के वितरण में अनियमिततायें प्रकाश में आयी हैं। प्रत्यक्षरूप से तत्कालीन परगनाधिकारी दोषी नहीं हैं परन्तु अपने अधीनस्थों पर प्रभावी निगरानी न रखने के कारण उन्हें कारण बताओ नोटिस

दी गयी है । अन्य दोषी तीन लेखपालों को निलम्बित कर दिया गया है तथा तहसीलदार, नायब तहसीलदार के विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है ।

जनपद फैजाबाद की तहसील बीकापुर के परगना खण्डासा के ग्रामों में चकबन्दी कराने की मांग

77–श्री नरेश अग्रवाल–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि फैजाबाद तहसील बीकापुर के अन्तर्गत आने वाले परगना खण्डासा में निकट भविष्य में चकबन्दी कराया जाना है ? यदि हां, तो उक्त परगना खण्डासा में चकबन्दी कब से प्रारम्भ हो जायेगी और प्रारम्भ में किन-किन ग्राम सभाओं को चकबन्दी में लिया जायेगा ?

श्री बाबू राम यादव–

प्रश्न विचाराधीन है ।

जोत चकबन्दी अधिनियम की धारा–4 क (2) के अन्तर्गत जनपद से जिन ग्रामों के संबंध में प्रस्ताव प्राप्त होगा, उन ग्रामों में परीक्षणोपरान्त चकबन्दी प्रक्रिया प्रारम्भ करने हेतु कार्यवाही की जायेगी ।

जनपद देवरिया की तहसील तमकुहीराज के आवासीय निर्माण हेतु धन स्वीकृत न किया जाना

78–श्री नन्द किशोर मिश्र–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद देवरिया तहसील तमकुहीराज के प्रशासकीय भवन के निर्माण की स्वीकृति सरकार ने कब की थी ? भवन निर्माण में कितना धन स्वीकृत था ? निर्माण कार्य कितनी अवधि में पूर्ण होना था ? भवन निर्माण पूर्ण हुआ कि नहीं ? यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त भवन निर्माण कब तक पूर्ण हो जायेगा ?

श्री बाबू राम यादव–

जनपद देवरिया की तहसील तमकुहीराज के अनावासीय भवन निर्माण हेतु धन स्वीकृत नहीं किया गया है । अतः शेष अंश का प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद देवरिया की तहसील तमकुहीराज की कतिपय ग्रामों में स्वीकृत वृद्धावस्था पेंशन के वितरण का विवरण

79–श्री नन्द किशोर मिश्र–

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने कीं कृपा करेंगे कि 1992-93 में जिला देवरिया की तहसील तमकुहीराज में कितने गांवों में कितने वृद्धों को पेंशन स्वीकृत है ? वर्ष 1992-93 में कितने को कुल कितनी धनराशि वितरित की गयी ? यदि वितरण नहीं हुआ, तो क्यों ?

श्री राज बहादुर–

जनपद देवरिया के तहसील तमकुहीराज के अन्तर्गत वर्ष 1992-93 में 460 ग्रामों में 1688 व्यक्तियों को वृद्धावस्था पेंशन स्वीकृत है ।

वर्ष 1992-93 में 449 व्यक्तियों को मु० 5,23,740/- रुपये का वितरण हुआ ।

1239 व्यक्तियों की आवश्यकतानुरूप धन की व्यवस्था न होने के कारण भुगतान नहीं किया जा सका। वर्ष 1993-94 में उक्त अवशेष देयता का भुगतान कर दिया गया है।

जनपद बस्ती में राजस्व संग्रह अमीनों को नायब तहसीलदार के पद पर प्रोन्नति हेतु ज्येष्ठता क्रम का निर्धारण किया जाना

80–श्री बरफिया लाल जुवांठा–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बस्ती के राजस्व संग्रह अमीनों से नायब तहसीलदार पद पर प्रोन्नत हेतु बनी ज्येष्ठता सूची में ज्येष्ठता क्रम क्या है ? क्या राजस्व परिषद् से नायब तहसीलदार पद पर सूची में वर्णित ज्येष्ठता क्रम में ही प्रोन्नति दी जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बाबू राम यादव–

राजस्व परिषद् द्वारा प्रकाशित बस्ती के राजस्व संग्रह अमीनों से नायब तहसीलदार पद पर प्रोन्नति हेतु वरिष्ठता सूची तैयार की गई है जिसमें संग्रह अमीनों का ज्येष्ठताक्रम निर्धारित है।

दि सबार्डिनेट रेवेन्यू इक्जीक्यूटिव सर्विस (नायब तहसीलदार) नियमावली, 1944 के नियम–17 के अनुसार प्रोन्नति का आधार योग्यता है। नायब तहसीलदार सम्वर्ग में संग्रह अमीनों के लिये निर्धारित कोटा पूर्ण है। इसलिये वर्तमान में कोई प्रोन्नतियां नहीं की जा रही है।

(देखिए नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ 140 पर)

जनपद तहसील लखनऊ के परगना काकोरी के ग्राम सरोसा के वर्णित समस्या के निदान हेतु जिलाधिकारी को निर्देशित किया जाना

81–इंजी० राम लोटन सिंह पटेल–

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि ग्राम सरोसा भरोसा, परगना काकोरी, तहसील व जिला लखनऊ के भूखण्ड संख्या 1329 जो सरकारी अभिलेखों में सड़क पुख्ता अंकित है, को राजस्व भू-चित्र में सड़क के रूप में न दर्शाकर उसे नक्शा चकबन्दी में भूखण्ड संख्या–1331 में त्रुटिपूर्ण ढंग से खेती की शक्ल में दिखाया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी उक्त भूखण्ड संख्या 1329 को नई लखनऊ–मोहान सड़क ग्राम सरोसा-भरोसा के रूप में तथा पुरानी सड़क भूखण्ड संख्या 1332 की वास्तविक स्थानीय स्थिति के अनुसार नक्शा चकबन्दी में संशोधित कराने का कष्ट करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बाबू राम यादव–

जी हां।

इस गांव की चकबन्दी प्रक्रियाएं पूर्ण होकर धारा–52 का प्रकाशन दिनांक 27-11-65 को हो चुका है। अतः चकबन्दी प्रक्रियाओं के अन्तर्गत समस्या का निदान सम्भव नहीं है। जिलाधिकारी लखनऊ को निर्देशित कर दिया गया है कि राजस्व संगत नियमों के अन्तर्गत समस्या के निदान हेतु कार्यवाही करायें।

प्राणी उद्यान, लखनऊ में अवकाश प्राप्ति के बाद, कर्मचारियों को पारिवारिक पेंशन न दिया जाना एवं नियम भंग के दोषी के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने की मांग

82–श्री विश्वनाथ–

विधान सभा के प्रथम सत्र 1992 के पांचवें सोमवार के लिए निर्धारित तारांकित प्रश्न संख्या–11 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 1 जनवरी, 1988 से 25-10-1990 की अवधि में अवकाश प्राप्त छः कर्मचारियों को पारिवारिक पेंशन का भुगतान कर दिया गया है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या पेंशन भुगतान न किये जाने के कारणों की जांच कर दायित्व निर्धारित कर संबंधित अधिकारी को दण्डित करने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री भगवती सिह–

जी नहीं ।

प्रश्नगत अवधि में सेवानिवृत्त छः कर्मचारियों में से श्री हंसराज (भूतपूर्व चौकीदार) का दावा दिनांक 9-6-89 को भविष्य निधि आयुक्त, कानपुर को प्रस्तुत किया गया । यह दावा भविष्य निधि कानपुर के दिनांक 29-9-89 के पत्र द्वारा आपत्ति सहित वापस किया गया । दिनांक 28-1-94 के पत्र द्वारा श्री हंसराज (चौकीदार) के सम्बन्ध में आपत्ति निराकरण सहित श्री पीरबक्श (सी० कीपर) एवं श्री जय राम (माली) के दावे भी भुगतान हेतु प्रेषित किये जा चुके हैं जो कार्यवाही हेतु उक्त कार्यालय में लम्बित हैं । छः में से शेष तीन कर्मचारियों यथा श्री देव, नारायण, माली, श्री रामकेवल, प्रधान माली एवं श्री देवतादीन, कुली द्वारा अभी तक वांछित प्रपत्र भरकर आवश्यक प्रमाण-पत्रों के साथ अपने दावे (क्लेम) प्रस्तुत नहीं किये गये हैं ।

भुगतान के लिये भविष्य निधि आयुक्त, कानपुर को समय से प्रस्ताव न भेजने/विलम्ब से भेजने के लिये सम्बन्धित कर्मचारी के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही किये जाने का निर्णय लिया गया है ।

जनपद देवरिया की कतिपय तहसीलों में खरवार जाति को जाति प्रमाण-पत्र देने का आदेश

83–श्री नन्द किशोर मिश्र––

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि दिनांक 25-9-89 को जिलाधिकारी, देवरिया द्वारा जनपद के सभी तहसीलदारों को खरवार जाति के लोगों को जाति प्रमाण-पत्र देने का कोई आदेश किया गया है ? यदि हां, तो उसका क्रियान्वयन हुआ ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बाबू राम यादव–

जी हां ।

जिन तहसीलों में खरवार जाति के लोग हैं वहां आदेश का क्रियान्वयन किया जा रहा है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद लखनऊ शहर के अनुसूचित जाति एवं जनजाति की कृषि योग्य भूमि का जिलाधिकारी द्वारा अनुमति प्राप्त के उपरान्त विक्रय निबन्धित किया जाना

84–श्री हृदय नारायण–

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि अनुसूचित जाति के लोगों द्वारा अपनी जमीन बेचने के पूर्व जिलाधिकारी से पूर्व अनुमति की आवश्यकता होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस तथ्य से अवगत

है कि लखनऊ जनपद/शहर में अनु० जाति के अनेक व्यक्तियों द्वारा सवर्ण जाति के व्यक्तियों को विक्रय की जाने वाली भूमि के बैनामे बिना किसी पूर्व अनुमति के ही किये गये हैं ? क्या सरकार इस संबंध में अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व), लखनऊ के पत्र संख्या मेमो/आ०लि०/ए०डी०एम०(एफ)/94, दिनांक 10-2-94 के उक्त विषयक पत्र को संज्ञान में लेते हुए दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करायेगी ?

श्री बाबू राम यादव–

जी हां ।

लखनऊ जनपद/शहर में कृषि भूमि के विक्रय विलेखों में अनुसूचित जाति एवं जनजाति का व्यक्ति होने पर जिलाधिकारी की अनुमति के उपरान्त ही विलेख निबन्धित किये गये हैं और ऐसा कोई भी मामला अब तक संज्ञान में नहीं आया है जिसमें कृषि भूमि का बैनामा विक्रेता अनुसूचित जाति एवं जनजाति के होने का उल्लेख हो और बिना जिलाधिकारी की अनुमति के निबन्धित कर दिया गया हो । अपर जिलाधिकारी (वि० एवं रा०) के पत्र दिनांक 10-2-94 के संबंध में अभी तक कोई मामला इस प्रकार का संज्ञान में नहीं आया है जिसमें विक्रेता अनुसूचित जाति एवं जनजाति के होने का उल्लेख हो और जिलाधिकारी की अनुमति न ली गयी हो । अतः अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता ।

84(अ)–श्री हृदय नारायण–

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त ।

जनपद शाहजहांपुर में निराश्रित विधवा तथा विकलांग भरण-पोषण अनुदान, लाभार्थियों को समय से भुगतान की मांग

85–श्री सुरेश कुमार खन्ना–

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विकलांग व विधवा पेंशन समय से लाभार्थियों को न मिलने का क्या कारण है ? क्या शाहजहांपुर जनपद में पेंशन प्राप्तकर्ताओं को पिछले एक वर्ष से पेंशन नहीं मिली ? यदि हां, तो इसके लिए कौन दोषी है ? क्या मंत्री जी ऐसे लोगों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राज बहादुर–

संसाधनों की कमी से जनपद की आवश्यकतानुरूप धनराशि की व्यवस्था न हो पाने से निराश्रित विधवा तथा विकलांग भरण-पोषण अनुदान समय से लाभर्थियों को नहीं मिल पा रहा है ।

धनाभाव के कारण वर्ष 92-93 की द्वितीय छमाही का भुगतान नहीं हो पाया है । 76 विकलांग ऐसे हैं, जिनको वर्ष 1992-93 की प्रथम छमाही का भी भुगतान नहीं हो पाया है । फरवरी, 1994 में आवश्यकतानुरूप धनराशि जनपदों को उपलब्ध करा दी गयी है ।

कोई नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद इलाहाबाद की तहसील फूलपुर के ग्राम सभा कोटवा में ग्राम सभा की वर्णित भूमि पर अवैध कब्जा हटाने के संबंध में न्यायालय में वाद दायर किया जाना

86-श्री राम सेवक सिंह तथा श्री जोखू लाल यादव-

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री भगवान बख्श सिंह, सदस्य, विधान परिषद् का दिनांक 26-5-92 का पत्र ग्राम सभा कोटवा, तहसील फूलपुर, जनपद इलाहाबाद की ग्राम सभा की भूमि र० नं०-1138 में अवैध कब्जा विषयक उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो पत्र में किन-किन बिन्दुओं का उल्लेख था ? क्या उल्लिखित बिन्दुओं की जांच कराकर कार्यवाही पूरी कर ली गयी है ? यदि हां, तो क्या जांच रिपोर्ट सदन के पटल पर प्रस्तुत करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बाबू राम यादव-

जी हां ।

पत्र में निम्नलिखित बिन्दुओं का उल्लेख है :-

(1) श्री श्याम जी यादव के मकान के संबंध में यह परीक्षण कराया जाय कि कितना भाग 1130 में ग्राम समाज की भूमि पर है और भूमिधरी की संख्या क्या है, कितने क्षेत्रफल में मकान बना है तथा भूमिधरी किसके नाम है ।

(2) श्री शिव मूरत के मकान उत्तर तरफ लगा हुआ खुला धूर है और उसी दिशा में निकास होने के कारण परिवार वालों का उठना बैठना दुर्लभ हो गया है । इसे पर्यावरण भी दूषित हो रहा है, यदि ऐसा सही नहीं माना जाता है तो सरकार यह निर्देश दे कि संबंधित अधिकारी जहां पर धूर लगा हुआ है एक हफ्ते सरकारी टेन्ट लगाकर अपने परिवार के साथ रहे । दूसरा विकल्प यह है कि श्याम जी यादव का धूर इनके (श्याम जी) मकान के पश्चिम व उत्तर दिशा में लगवा दें ।

(3) श्री श्याम जी द्वारा होली के स्थान पर अब भी उपली पाथी जा रही है ।

(4) उपरोक्त प्रकरण को ध्यान में रखते हुए किसी सक्षम अधिकारी से जांच करायी जाय ।

वर्तमान में प्रकरण न्यायालय के विचाराधीन है ।

87-श्री जोखू लाल यादव-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम सभा कोटवा तहसील फूलपुर जनपद इलाहाबाद के ग्राम सभा भूमि संख्या-1138 पर अवैध कब्जे को हटाये जाने हेतु किन-किन लोगों पर तहसीलदार, फूलपुर द्वारा कब वाद दायर किया गया था ? उक्त वाद पर क्या निर्णय लिया गया ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि जिन व्यक्तियों पर कब्जा हटाये जाने हेतु वाद दायर किया गया था, उसमें से कुछ व्यक्तियों द्वारा अतिक्रमण पहले से वर्तमान समय में ज्यादा क्षेत्रफल में कर लिया गया है ? यदि हां, तो

उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है ? कब तक अवैध कब्जा हटवाकर ग्राम सभा की उक्त भूमि को ग्राम को वापस करा दी जायेगी ?

श्री बाबू राम यादव–

उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा-122वी के अन्तर्गत ग्राम सभा कोटवा की भूमि संख्या 1138 पर हुए अवैध कब्जे को हटाने के संबंध में दिनांक 21-1-92 को तहसीलदार फूलपुर के न्यायालय में निम्नलिखित वाद योजित किये गये थे :–

क्रम सं०	वाद संख्या	फरिकेन का नाम
1	404	देवमूर्ति
2	405	विजय बहादुर
3	406	सहादेव
4	407	शारदादीन
5	408	मातानेवाज
6	409	श्याम जी उर्फ बालदीन
7	410	शारदादीन
8	411	रामदेव
9	412	जगन्नाथ
10	413	अमरनाथ

जी नहीं, अतः शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

प्रकरण न्यायिक प्रक्रिया के अन्तर्गत है ।

जनपद मथुरा के पात्र महिलाओं को विधवा भरण-पोषण अनुदान दिया जाना

88–श्री अजय कुमार पोइया––

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मथुरा जनपद में "विधवा पेंशन" जांच उपरान्त पात्र महिलाओं को दी जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राज बहादुर–

जी हां, मथुरा जनपद में विधवा भरण-पोषण अनुदान पात्र महिलाओं को निर्धारित प्रक्रिया के अन्तर्गत अपेक्षित जांच के बाद दिया जा रहा है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद पौड़ी गढ़वाल तथा चमोली में निराश्रित विधवाओं को भरण-पोषण अनुदान दिये जाने का विवरण

89–श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक'–

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद पौड़ी तथा जनपद चमोली में पृथक-पृथक कुल कितनी असहाय विधवाओं को पेंशन दी जा रही है ? इन दोनों जनपदों में कितने-कितने नये प्रार्थना-पत्र आये हैं ? उक्त नये प्रार्थना-पत्रों पर कितने वर्षों से इन जनपदों में विचार नहीं हो पाया है ? क्या प्राथमिकता के आधार पर सभी विधवाओं को शासन से पेंशन उपलब्ध करायी जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राज बहादुर–

जनपद पौड़ी गढ़वाल तथा चमोली में क्रमशः 2901 तथा 2189 निराश्रित विधवाओं को भरण-पोषण अनुदान दिया जा रहा है ।

जनपद पौड़ी गढ़वाल में 815 तथा जनपद चमोली में 350 नये आवेदन-पत्र प्राप्त हुए हैं ।

ये आवेदन-पत्र वर्ष 1989-90 से 93-94 के मध्य भिन्न-भिन्न अवधियों में विचाराधीन है ।

धनराशि की उपलब्धता पर निर्भर है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बलिया के अन्तर्गत वर्णित वर्ष में कार्यरत सामयिक संग्रह अमीनों के वेतन का भुगतान

90–श्री बनवारी सिंह यादव–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बलिया में वर्ष 1980-81 से आज तक लगातार संग्रह अमीन के पद पर कितने कर्मचारी अस्थायी तौर पर कार्यरत हैं ? क्या यह भी सही है कि उक्त संग्रह अमीनों से निरन्तर कार्य लिया जाता रहा है ? क्या यह भी सही है कि निरन्तर काम लेने के बावजूद भी अप्रैल, 1992 से अब तक का वेतन उनको नहीं दिया गया है ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि इन संग्रह अमीनों का स्थायीकरण करने के लिए कोई पत्रावली राजस्व परिषद, उ० प्र० में विचाराधीन है ? यदि हां, तो क्या उक्त पत्रावली का निस्तारण कराकर इन संग्रह अमीनों का स्थायीकरण किया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बाबू राम यादव–

जनपद में राजकीय देयों की बढ़ती हुई मांग को देखते हुए पूर्व में नियुक्त 109 सामयिक संग्रह अमीनों से आयुक्त वाराणसी मण्डल, वाराणसी द्वारा प्रदत्त स्वीकृति के आधार पर वर्ष 1980-81 से सामयिक तौर पर कार्य लिया जाता रहा । इसी बीच इन संग्रह अमीनों द्वारा मा० उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका दायर करके वर्ष 1989 में स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया गया और इस स्थगन आदेश के तहत कार्यरत चले आ रहे हैं । इन संग्रह अमीनों का वेतन माह अप्रैल, 1992 से माह दिसम्बर, 1993 तक का भुगतान किया जा चुका है ।

जी नहीं ।

परिषद् स्तर पर बलिया के संग्रह अमीनों/चपरासियों का स्थायीकरण का कोई मामला विचाराधीन नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद सुल्तानपुर के परगना-इसौली के ग्राम-हेमनापुर में ग्राम समाज की भूमि का पात्र व्यक्तियों में आवंटन

91–श्री मित्रसेन यादव–

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि ग्राम हेमनापुर, परगना इसौली, जिला सुल्तानपुर में गांव समाज की भूमि का अपात्रों में आवंटन कर गम्भीर अनियमितता की गयी है और अनुचित लाभ उठाया गया है ? यदि हां, तो भूमि का आवंटन किन-किन लोगों में कब-कब किया गया है ? वह मूल निवासी कहां के हैं और उनकी पात्रता क्या हैं ?

श्री बाबू राम यादव–

ग्राम हेमनापुर, परगना इसौली, तहसील मुसाफिर खाना, जिला सुल्तानपुर में ग्राम समाज की भूमि के आवंटियों के संबंध में जांच कराने पर केवल एक व्यक्ति अपात्र पाया गया है शेष कोई आवंटी अपात्र नहीं है । भूमि के आवंटन में कोई गम्भीर अनियमितता नहीं पायी गयी है और न ही किसी प्रकार का अनुचित लाभ उठाया गया है ।

ग्राम सभा के प्रस्ताव दिनांक 6-9-92 के अन्तर्गत भूमि का जो आवंटन किया गया है उसमें केवल शत्रुघन पुत्र सांवलदास ग्राम बिसांवा परगना बरौसा तहसील व जिला सुल्तानपुर का मूल निवासी था किन्तु लगभग 20 वर्षों से ग्राम हेमनापुर परगना इसौली तहसील मुसाफिरखाना जिला सुल्तानपुर में स्थायी रूप से रह रहा है और कपड़े का व्यवसाय करता है । (आवंटियों की सूची मेरे कार्यालय कक्ष में देखी जा सकती है ।)

कृषि भूमि में उत्तराधिकारी कानून के अन्तर्गत पुत्रियों का उत्तराधिकार प्राप्त होना

92–श्री सुरेश कुमार खन्ना–

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि कृषि भूमि में उत्तराधिकारी कानून के अन्तर्गत पुत्रियों को अधिकार प्राप्त नहीं है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त विषमता को दूर करने के लिए कानूनों में संशोधन करने की कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बाबू राम यादव-

जी नहीं ।

उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 की धारा–171, जिसमें कृषि भूमि के उत्तराधिकार का सामान्य क्रम निर्धारित है, के खण्ड (ङ ङ) में अविवाहित पुत्री तथा खण्ड (छ) में विवाहित पुत्री को भी खण्ड की स्थिति लागू होने की दशा में उत्तराधिकार प्राप्त है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

(12 बजकर 20 मिनट पर मार्शल ने सदन को सूचित किया कि मा० अध्यक्ष ने सदन का स्थगन 1 बजे तक के लिए बढ़ा दिया है । 1 बजे सदन की कार्यवाही श्री अध्यक्ष के सभापतित्व में पुनः आरम्भ हुई ।)

बसपा की राष्ट्रीय महामंत्री सुश्री मायावती द्वारा महात्मा गांधी के प्रति अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किये जाने विषयक नियम 311 के अन्तर्गत सूचना (जारी)

नेता विरोधी दल (श्री कल्याण सिंह)–

मान्यवर, जो मैंने नियम 311 की सूचना दी है उस पर चर्चा प्रारम्भ करा दें ।

(श्री जगदम्बिका पाल सदन के फ्लोर पर आ गये)

श्री अध्यक्ष–

आप आसन ग्रहण करें ।

श्री जगदम्बिका पाल–

(सदन के फ्लोर से) मान्यवर, मुख्य मंत्री जी ने यह कहा है कि सरकार गांधी जी की नीतियों के प्रति चलने को वचनबद्ध है और दूसरी तरफ परिवहन मंत्री कहते हैं कि गांधीवाद के खात्मे के लिए हम काम करेंगे । इससे बढ़कर और कोई गम्भीर बात नहीं हो सकती है ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

मैं तत्काल आपको सुनूंगा, आप स्थान ग्रहण करें ।

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस व जनता दल के अनेक माननीय सदस्य सदन के फ्लोर पर आकर बैठ गये और नारे लगाने लगे ''राष्ट्रपिता'' का यह अपमान, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, जिसे सदन में घोर व्यवधान पैदा हो गया)

श्री कल्याण सिंह–

मान्यवर, आप तत्काल नियम 311 पर चर्चा प्रारम्भ करा दें ।

श्री अध्यक्ष–

आप लोग आसन ग्रहण करिये, मैं सुनूंगा, पाल साहब मैं आपको सुनूंगा ।

(घोर व्यवधान)

श्री कल्याण सिंह–

मान्यवर, सारे कार्यक्रमों को स्थगित करते हुए 311 पर सुन लीजिये । यह महात्मा गांधी का ही अपमान नहीं है, सारे राष्ट्र का अपमान हुआ है । इस पर चर्चा करने का अवसर दे दें, नेता सदन भी मौजूद हैं ।

(श्री प्रमोद तिवारी एवं श्री राम आसरे वर्मा के प्रयास से सदन के फ्लोर पर आये हुए सदस्य अपने-अपने आसन पर चले गये)

श्री अध्यक्ष–

जो प्रकरण आज चल रहा है वह कल से चल रहा है उसमें कई नोटिसें हमारे पास आयीं । नियम 311 के अन्तर्गत सबसे पहले चूंकि माननीय नेता प्रतिपक्ष को सुनने की परम्परा रही है तो मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि अगर वे अभी नहीं अपनी बात रखना चाहते हैं, बाद में रखेंगे तो अन्य दलों के नेताओं को सुनकर फिर और सदस्यों को सुनूंगा ।

(श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त के बोलने के लिए खड़े होने पर)

श्री गुप्त जी, नेता प्रतिपक्ष पहले कहेंगे, अन्यथा अन्य दल के नेता बोलेंगे ।

(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, जो आपकी व्यवस्था है, वह हमें मान्य होगी.....

* पंचायती राज मंत्री (श्री राम लखन वर्मा)–

मान्यवर, बहुजन समाज पार्टी भी एक दल है, हमको भी सुना जाय ।

(श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त, श्री प्रमोद तिवारी तथा श्री किरन पाल सिंह खड़े रहे)

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, इसमें कौन-कौन सी सूचनायें आयी हैं, किन-किन के नाम हैं, वह पता चल जाय और कहां से सुनना आप पसन्द करेंगे ?

श्री अध्यक्ष–

नियम 311 के अन्तर्गत कुल मिलाकर के 12–14 सूचनायें हैं । इसमें जिनके नाम हैं, वह पढ़े देता हूं । श्री कल्याण सिंह, श्री प्रमोद तिवारी, श्री किरन पाल सिंह, श्री राम आसरे वर्मा, श्री नरेश अग्रवाल, श्री जगदम्बिका पाल, श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त, श्री सत्य प्रकाश विकल, श्री बदन सिंह, श्री बालेश्वर त्यागी, श्री रंगनाथ, श्री सुन्दर लाल दीक्षित, श्री राजा राम त्यागी, श्री वासुदेव, श्री राम कुमार शुक्ल, श्री किशन लाल दिलेर, श्री सुरेश संगल तथा श्री सुरेश सिंह तितौरिया । यह आप सब लोगों की सूचनायें आयी हैं हम सबको सुनेंगे ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

(व्यवधान)

* डा० सरजीत सिंह डंग–

मान्यवर, इस विषय पर नियम 311 में कल और भी सूचनायें आयी थीं, विषय वही है, कम से कम जो सदस्य इस पर रुचि रखते हैं आप उन्हें अवसर देंगे ऐसा मेरा विश्वास है । कल मेरी भी नोटिस थी ।

श्री कल्याण सिंह–

मान्यवर, यह परम्परा रही है और निर्णय भी आपके हैं कि हमें पहली सूचना पर आप सुनना स्वीकार करते हैं । कृपा करके आपने हमारी प्रथम सूचना को स्वीकार कर लिया । हमारे सभी लोग बोल लेंगे, मैं उसके पश्चात् अपनी बात रखूंगा । उसके पश्चात् माननीय मुख्य मंत्री जी भी अपना उत्तर दे देंगे । इस पर माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त जी के भी हस्ताक्षर हैं, वह यहीं से शुरुआत कर रहे हैं । (व्यवधान) मुझे सबको सुनने के बाद कुछ उत्तर देना होगा, मेरे लिए कुछ उत्तर देने की स्थिति पैदा हो । हमारी सूचना आपने पहले स्वीकार कर ली, माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त प्रारम्भ कर दे रहे हैं ?

(व्यवधान)

महात्मा गांधी के प्रति अपमानजनक शब्दों के प्रयोग विषयक नियम 311 के अन्तर्गत सूचना पर नेता विरोधी दल द्वारा सर्व प्रथम न बोले जाने के संबंध में व्यवस्था के प्रश्न

(श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त के खड़े होने पर)

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है....

श्री अध्यक्ष–

माननीय नेता प्रतिपक्ष आप कहां से सुनने के लिए कह रहे हैं ? आपसे प्रारम्भ इसलिए नहीं हो सकता है.....

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न सुन लें ।

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । मान्यवर, आज जो सूचनायें दी गयी हैं, माननीय नेता विरोधी दल ने भी हस्ताक्षर किये हैं । नेता विरोधी दल के रूप में एक मर्यादा होती है पद की । अगर माननीय नेता विरोधी दल ने हस्ताक्षर नहीं किये होते तो नेता विरोधी दल की मर्यादा के नाते आगे पीछे बीच में कहीं भी बोल सकते हैं । चूंकि सूचना पर हस्ताक्षर माननीय नेता विरोधी दल ने किये हैं इसलिए यह सदन आपको चाहेगा कि इनीशियेट आप करें । आप अपने व्यू प्वाइंट रखें उसके बाद दूसरे लोग बोलें । मान्यवर, यह एक परम्परा रही है ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, यह व्यवस्था की बात है कि पहले कौन बोले बाद में कौन बोले ?

माननीय वर्मा जी ने जो कहा है कि उसकी पर मैं कुछ बोलना चाहता हूं....

(व्यवधान)

* श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, इस सदन की परम्परा यही रही है कि नेता सदन या नेता विरोधी दल जब बोलने के लिए खड़े होते हैं तो उनको प्राथमिकता मिलती है । यह अत्यन्त गम्भीर विषय है इससे आज सारा राष्ट्र उद्वेलित है । यह कोई दल का प्रश्न नहीं है यह भारत वर्ष के सम्पूर्ण अस्तित्व और भारत वर्ष के सम्मान का प्रश्न है । इस विषय पर हम जरूर चाहेंगे कि नेता विरोधी दल पहले बोलें । जहां तक मेरे दल और जनता दल का सवाल है हमें महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता मानने में कोई इन्कार नहीं है । हो सकता है कि नेता विरोधी दल और उनके दल के सदस्यों ने महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता मानना शुरू कर दिया हो इसलिए पहले उनको सुनना चाहते हैं । यह एक अत्यन्त महत्वपूर्ण विषय है इसलिए पहले उनको सुन लें और एक बात और मैं यह कहना चाहूंगा कि जिन माननीय सदस्यों की इसमें रुचि हो कृपया उनको भी सुन लिया जाये । उसके बाद बड़ी जिम्मेदारी के साथ मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारे मुख्य मंत्री जी के विचार इस विषय में आने चाहिए । जब उनके विचार इसमें आ जायें तभी आप किसी निर्णय पर पहुंचे ।

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न यह है कि इस समय वर्तमान विधान सभा में जो व्यवस्था चल रही है उसकी तरफ मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं । कई बार इस विषय में वक्ताओं के बारे में विवाद उठा । विगत दिवसों में भी मैंने बात रखी थी । मान्यवर, जो बोलने का क्रम है उसमें माननीय नेता विरोधी दल का नाम सबसे पहले है तो जो परम्परा है उसको मानना चाहिए, लेकिन आज तक जो कुछ भी किया गया उसमें व्यक्ति के बजाय सूची को प्राथमिकता दी गयी है ।

जिस समय कोई सूचना दी जाती है उसमें जिसके हस्ताक्षर पहले होते हैं वह पहले बोलता है माननीय नेता विरोधी दल के हस्ताक्षर से यह सूचना आयी है । कई बार ऐसा भी हुआ है कि श्री प्रमोद तिवारी जी के हस्ताक्षर से कोई सूचना आयी लेकिन पहले श्री नरेश अग्रवाल और जगदम्बिका पाल जी तो इस तरह से अब तक सूची को प्राथमिकता दी गयी है । तो जो यह प्रस्ताव आया है यह माननीय नेता विरोधी दल के हस्ताक्षर से आया है और उसमें मेरे तथा 25, 30 अन्य सदस्यों के हस्ताक्षर हैं । माननीय नेता विरोधी दल ने मुझे बोलने का संकेत दिया है इसलिए मैं बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं । यह मामला अत्यन्त गम्भीर है । हमारे देश के सर्वमान्य एवं सम्मानित व्यक्ति के प्रति यह कहा गया । परिस्थितियां बदल गयी और मायावती में न जोड़े ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री अध्यक्ष–

अब आप इसे व्यवस्था ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, आज सुश्री मायावती के साथ-साथ इस मंत्रि-मण्डल के मंत्री श्री आर० के० चौधरी को भी बर्खास्त किया जाना चाहिए क्योंकि उन्होंने भी कल इस बात को बल दिया था । मान्यवर, यह एक अत्यन्त गम्भीर विषय है और आपकी जो परिपाटी अभी तक रही है कृपया उसके के अनुसार चलें ।

श्री किरन पाल सिंह–

मान्यवर, यह परम्परा रही है और जिसका जिक्र अभी हमारे माननीय श्री राम आसरे वर्मा जी, श्री प्रमोद तिवारी जी किया कि नेता विरोधी दल और नेता सदन के दो अति महत्वपूर्ण अंग हैं । मुझे बड़ा अफसोस इस बात का है कि और कल से इस विषय पर बड़ा हंगामा है, गुस्सा भी किया जा रहा है और नियम–311 की नोटिस भी दी गयी है, और माननीय नेता प्रतिपक्ष इस पर बोलने के लिए तैयार नहीं हैं । मान्यवर, मैं तो यह कहूंगा कि इस विषय पर लाभ हानि को छोड़कर जो आपने निर्देश दिये हैं, उसमें उन्हें अपना दृष्टिकोण सदन के सामने रखना चाहिए ।

श्री राम कुमार शुक्ल–

मान्यवर, एक दिन आपने व्यवस्था दी थी कि जब नेता विरोधी दल बोल चुके हैं तो आप नहीं बोल सकते हैं । मान्यवर, आज भी यदि माननीय नेता विरोधी दल पहले बोले लेंगे तो मेरे भी हस्ताक्षर इस सूचना में हैं और भी कई माननीय सदस्यों के हैं तो वे लोग कैसे बोल पायेंगे ? जब बालियान जी बैठे थे उन्होंने कुछ कहना चाहा था तो आपने मना कर दिया था कि नेता विरोधी दल के पश्चात् कोई दल का व्यक्ति नहीं बोलेगा । फिर आज विपरीत निर्देश के पश्चात् क्या मैं बोल सकूंगा इस पर व्यवस्था करने की कृपा करें ।

श्री अध्यक्ष–

मैंने नेता विरोधी दल, नेता कांग्रेस, श्री प्रमोद तिवारी, नेता जनता दल श्री किरन पाल सिंह एवं श्री राम आसरे वर्मा जी, माननीय गुप्त जी और माननीय सदस्य, श्री शुक्ल जी को सुना....आप अपने पीछे के निर्णयों की तरफ थोड़ा सा ध्यान ले जाइयेगा । मैंने कई दफा यह कहा है कि सूचनायें चाहे जिसकी पहले आ जायें, समय के अनुसार अन्य दलों की सूचनायें पहले आ जाती हैं और माननीय नेता विरोधी दल की बाद में आती है, लेकिन फिर भी बोलने में वरीयता नेता विरोधी दल को ही जाती है । लेकिन जहां तक सूचनाओं की बात है, कई दफे इस तरह का वातावरण रहा । कई बार कांग्रेस के कई सदस्यों की नोटिसें आती रहीं, माननीय तिवारी जी के हस्ताक्षर भी होते रहे, लेकिन वह अपने दल के अन्य सदस्यों को पहले बुलवाते रहे, फिर स्वंय बालते रहे । तो अभी तक जिस तरह की परम्परा रही है, उसके हिसाब से अगर नेता विरोधी दल स्वयं चाहते हैं तो वह बीच में भी बोल सकते हैं....

श्री ऊदल–

नेता विरोधी दल नहीं बेलना चाहते हैं तो अपनी नोटिस को वापस ले लें ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय गुप्त जी, आप शुरू कर दें ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, बड़े गम्भीर विषय पर कल से चर्चा हो रही है ।

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, आपने क्या तय किया ?

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, सदन की परम्परा को न तोड़िये । अगर नेता विरोधी दल बोलना नहीं चाहते हैं तो जिस सूचना पर हस्ताक्षर किये हैं, उसे वापस ले लें ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय वर्मा जी व तिवारी जी, मैंने अभी कहा है कि आपके दल से नाटिसें आती रहीं, लेकिन आप अपने दल के सदस्यों को पहले बुलवाते रहे, बाद में स्वयं बोलते रहे । अब अगर नेता विरोधी दल नहीं बोलना चाहते हैं.....

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, आप सही व्यवस्था दे दें । नेता विरोधी दल ने नोटिस पर हस्ताक्षर किये और इसलिए किये कि वह वरीयता में आ जाय । जब वरीयता में लाने के लिए हस्ताक्षर किये हैं, तो मेरा निवेदन है कि सदन की परम्परा को कायम रखते हुए माननीय नेता विरोधी दल से ही प्रारम्भ कराया जाय । सदन भी यही चाहता है कि पहले वह नेता विरोधी दल के विचारों को सुने । उसके बाद उसी से संबंधित चर्चा हो । अगर वह चर्चा प्रारम्भ नहीं करते हैं तो फिर अपना नाम वापस ले लें ।

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, नेता विरोधी दल यह घोषणा कर दें कि उन्होंने जो सूचना दी है, उसको वापस लेते हैं और नहीं वापस लेते हैं तो सबसे पहले वह बोलें ।

श्री शिव प्रताप शुक्ल–

मा० प्रमोद तिवारी को स्वयं उनके दल के लोग ही नेता नहीं मान रहे हैं ।

श्री राम आसरे वर्मा–

पहले नेता विरोधी दल ही बोलें ताकि गांधी और गोडसे में फर्क तो मालूम हो जाये ।

नेता विरोधी दल (श्री कल्याण सिंह)–

माननीय अध्यक्ष जी, यह पूज्य राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के अपमान की बात कही है वह चर्चा में आयेगी तब बताऊंगा । सुश्री मायावती जी बयान पर जो 311 की नोटिस दी है और उस पर चर्चा कराने की आपसे प्रार्थना की है, उस नोटिस को हमने सोच-समझकर दिया है, जिसे वापस लेने का प्रश्न नहीं उठता है और मैं इस माननीय सदन में निश्चित तौर पर बोलूंगा । लेकिन जो परम्परायें रही हैं उसके अनुसार अन्य दलों के नेताओं के हस्ताक्षर होने के बाद बाकी सहयोगी दल और सदस्य बोलते रहे हैं और वह बाद में बोले हैं । मान्यवर, आपने व्यवस्था दे दी है और माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त जी को बोलने के लिए बुला लिया है ।

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, अगर नेता विरोधी दल इस विषय पर शुरुआत नहीं करते हैं तो मुश्किल हो जायेगी और सदन की परम्परा टूटेगी, जिसको हम देख नहीं पायेंगे, इसलिए मान्यवर, नेता प्रतिपक्ष पहले बोलें ।

श्री नरेश अग्रवाल–

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, नेता प्रतिपक्ष ने नोटिस दी है और उनकी सूचना वरीयता क्रम में पहले नम्बर पर है इसलिए नेता प्रतिपक्ष को पहले बोलना चाहिए ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय वर्मा जी आप बैठ जायें, अग्रवाल जी का व्यवस्था का प्रश्न है, उसको सुन लेने दीजिये ।

(भारतीय जनता पार्टी के कई सदस्यों के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष–

आप लोग बैठ जायें, मैंने अग्रवाल साहब को बुला लिया है ।

* श्री नरेश अग्रवाल–

माननीय अध्यक्ष जी, आपकी पीठ से यह निर्देश दिये गये थे कि जो नोटिस ली जायेगी उसमें समय डाल दिया जायेगा और जो नोटिस पहले प्राप्त होगी, उसी आधार पर सदन में नोटिस ली जायेगी । आपने यह भी निर्देश दिया था कि यदि नोटिस में नेता प्रतिपक्ष के हस्ताक्षर होंगे और

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

नेता प्रतिपक्ष बोलना चाहेंगे तो उनको प्राथमिकता दे दी जायेगी अन्यथा जो नोटिस जिस समय से ली गयी है उसको उसी हिसाब से प्राथमिकता देंगे । मान्यवर, अभी बैठक हुई थी, माननीय नेता प्रतिपक्ष ने खुद ही इस बात को कहा था कि हम सबसे पहले बोलेंगे उसके बाद अन्य दलों के सदस्य बोलेंगे । मान्यवर, मैं चाहता हूं कि नेता प्रतिपक्ष पहले बोलें । ....(व्यवधान)

श्री ऊदल–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी ने सभी दलों को आमंत्रित किया था मैं भी वहां हाजिर था और माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री कल्याण सिंह जी भी थे । वहां आपने भी पूछा और दूसरे लोगों ने पूछा कि आप पहले बोलेंगे ? वहां पर माननीय नेता विरोधी दल ने कहा कि मैं पहले बोलूंगा । यह बात आपके कक्ष में हुई थी । माननीय नेता विरोधी दल यहां आकर यह कह रहे हैं कि मैं बाद में बोलूंगा ? मान्यवर, जो परम्परा तय हुई है उसको तोड़ने की आवश्यकता नहीं है । अगर आप तोड़ेंगे तो यह सदन का अपमान होगा । मान्यवर, मैं इस पर व्यवस्था चाहता हूं ।

(कई सदस्यों के एक साथ खड़े होने पर व्यवधान)

(व्यवधान के मध्य)

श्री श्याम देव राय चौधरी 'दादा'–

मान्यवर, व्यवस्था तो आपने दे दी है, माननीय गुप्त जी को बुला लिया है ।

(भारतीय जनता पार्टी के कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

दूसरे माननीय सदस्यों ने जो व्यवस्था का प्रश्न उठाया है उसी सन्दर्भ में मुझे कुछ निर्णय देना पड़ेगा ।

श्री अध्यक्ष द्वारा आमंत्रित सर्वदलीय नेताओं की बैठक में बसपा नेता को भी सम्मिलित किये जाने की मांग

* पंचायती राज मंत्री (श्री राम लखन वर्मा)–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं बहुत ही विनम्र शब्दों में कहना चाहता हूं जैसा कि अभी कई दल के माननीय सदस्यों ने कहा कि सभी दलों के नेताओं की कोई बैठक आपके कक्ष में हुई थी, मान्यवर, मैं भी बहुजन समाज पार्टी के दल का नेता हूं और आपसे निवेदन करूंगा कि ऐसी जब भी कभी बैठक हो तो उसमें मुझे बुलाने पर विचार कर लें ।

श्री अध्यक्ष–

आप मेरी बात सुन लीजिये । माननीय श्री अग्रवाल साहब, माननीय ऊदल जी और श्री वर्मा जी की व्यवस्था सुनी । सबसे पहले यह कह देना चाहता हूं कि जो माननीय वर्मा जी ने कहा कि मुझे भी बुला लिया जाता, मुझे ऐसी कोई सूचना भी नहीं दी गई । ऐसा नियम है कि सत्ता पक्ष से माननीय

नोटः–* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

संसदीय कार्य मंत्री जी और विपक्ष के जितने भी लीडर हैं, उन्हें बुला लिया जाता रहा है । इसी आधार पर बुलाया गया था । आपको भी अगले समय जब कभी कोई बात हुआ करेगी, मैं अवगत करा दूंगा । दूसरी बात अभी जो व्यवस्था के बारे में उठाया गया है यह सही है, जैसा कि मैंने पहले निर्णय दिया है उससे संबंधित यह बात चूंकि आ रही है, इस सन्दर्भ में कह देना आवश्यक है कि मेरे सामने बात हुयी है और हमारे माननीय ऊदल जी, श्री किरनपाल जी, नेता प्रतिपक्ष, कांग्रेस दल के नेता श्री प्रमोद तिवारी जी और माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी उपस्थित थे ।

उस समय माननीय नेता विरोधी दल ने यह कहा था कि मैं सबसे पहले बोलूंगा, उस वक्त यही कहा था उसके बाद निर्णय में परिवर्तन उन्होंने किन परिस्थितियों में किया मैं नहीं कह सकता हूं, उन्होंने परिवर्तन किया । जहां तक प्रश्न यह है कि समय डालने का, तो जो नोटिस पहले आ जायेगी, उसे पहले बुलाऊंगा, यह भी कहा था कि नियम का पालन भी किया जायेगा । यदि माननीय नेता विरोधी दल की नोटिस उनके हस्ताक्षर से दी गयी है या बाद में भी आयेगी तो उनको वरीयता पहले ही दी जायेगी और यही परम्परा भी है । इस बात से सभी माननीय सदस्य सहमत होंगे । अब मैं माननीय नेता विरोधी दल से यह अनुरोध करूंगा कि बता दीजियेगा कि बीच में जो हुआ कि बाद में बोलने की क्या बात है ? यदि सभी सहमत हो जांय तो बाद में बोल लीजियेगा ।

नेता विरोधी दल (श्री कल्याण सिंह)–

श्रीमन्, केवल दो बातें कहना है । जब बाहर की बातचीत यहां की जा रही है दो मेरी भी उस बात को उद्धरित किया जाना चाहिए । इस बात को भी सूचित किया था कि मैं बाद में बोलूंगा और उस पर उप नेता, श्री गुप्त जी के हस्ताक्षर हैं, मान्यवर, बात सुनिये ।

श्री अध्यक्ष–

मैं बोलवाऊंगा ।

श्री कल्याण सिंह–

श्रीमन्, चूंकि आप व्यवस्था दे चुके हैं, माननीय श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त जी बोलने के लिये खड़े हो चुके हैं और वे बोलने के लिये हकदार भी होते हैं । मैंने विधान सभा की कार्यवाही भी देखी है, मैं भी अपनी ओर से, पार्टी की ओर से जो चीजें रह जायेंगी, उन पर अपनी बात कहूंगा । अन्य दलों के नेता किसी न किसी रूप में भा० ज० पा० की भी आलोचना करने की रणनीति अपनाते रहते हैं । किन्तु हमारा उत्तर सुनने के लिये तैयार नहीं हैं । श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त भी बोलें, और सभी दलों के नेता भी बोल लें ।

(भारतीय जनता पार्टी के कई सदस्यों के एक साथ खड़े होने पर व्यवधान)

(श्री प्रमोद तिवारी जी के खड़े होने पर शोर, व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

प्रजातंत्र में संसदीय प्रणाली के तहत सभी की बात को सुना जाता है । सभी को सुनकर ही मैंने निर्णय दिया । परन्तु दूसरी बात यहां पर आ गई । परन्तु आप सुनना नहीं चाहते हैं । यदि आप पांच लोग बी० जे० पी० के व्यवस्था का ही प्रश्न उठाना चाहते हों तो उठायें । मैं ग्राह्यता पर नहीं सुनूंगा । आप लोग जो बोल रहे हैं, वह नहीं लिखा जायेगा ।

* श्री रवीन्द्र शुक्ल–

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है । कई बार ऐसा हुआ कि एक नोटिस दी गई, उसमें माननीय श्री प्रमोद तिवारी जी, श्री किरन पाल सिंह जी आदि ने दी और उन्होंने कहा कि हमारे दल के लोगों को इस पर सुन लिया जाय । आपने व्यवस्था भी दे दी और श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त जी खड़े भी हो गये । अब दुबारा दबाव में आकर आप अपना निर्णय बदल रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष–

आप गलत कहते हैं । किसी का दबाव नहीं है । मैं किसी के दबाव को नहीं मानता हूं । मैंने एक निर्णय दिया, लेकिन आप देखें कि जब उस निर्णय से संबंधित जो मूलभूत तथ्य थे, यह तय हुआ था सभी नेताओं के बीच, उसकी तरफ इशारा किया गया, तो उसको मैं नकार सकता नहीं । सब के बीच में जो तय हुआ था, उसको भी कहना पड़ेगा ।

श्री रवीन्द्र शुक्ल–

[x x x]

श्री अध्यक्ष–

जो ये मिथ्या आरोप व मनगढ़न्त आरोप लगाये जा रहे हैं, वह नहीं लिखा जायेगा ।

(व्यवधान)

माननीय तिवारी जी, मैं आदेश नहीं दे सकता हूं, इसलिये नहीं दे सकता हूं कि जब सब मनमानी कर रहे हैं, सब मनमानी चाहते हैं । (व्यवधान) ठीक है आप ही बैठा दीजिये एक दूसरे को वह बोल लें ।

(व्यवधान)

श्री सुन्दर लाल दीक्षित–

मान्यवर, अब क्या व्यवस्था यह चाहते हैं ?

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

नोट :–[x x x] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री प्रमोद तिवारी–

माननीय अध्यक्ष जी मेरी व्यवस्था के प्रश्न पर...

श्री अध्यक्ष–

वह जब बैठ गये थे जो तिवारी जी कहते हैं मैं पहले व्यवस्था रखूंगा । (व्यवधान) अब मैं कुछ नहीं कहूंगा । एक को जब मैंने अनुमति दी तो दूसरे साहबान कहते हैं हम बोलना चाहते हैं तो मैं क्या करूं, मैं जबरदस्ती नहीं कर सकता हूं ? (व्यवधान)

श्री श्याम देव राय चौधरी 'दादा'–

मान्यवर, इनको तीन बार सुन लिया, मेरी एक बात व्यवस्था की सुन लें ।

श्री सुन्दर लाल दीक्षित–

[x x x] (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

कोई शांत रहने को तैयार नहीं है । जब तक बैठेंगे नहीं मैं एक आदमी को अनुमति कैसे दे दूं ? आप सब बैठ जायेंगे तभी अनुमति दूंगा । जब तक खड़े रहेंगे मैं किसी को अनुमति नहीं दूंगा (व्यवधान) कार्यवाही में कुछ नहीं लिखा जायेगा । (व्यवधान) कार्यवाही में कुछ नहीं लिखा जायेगा जब तक आप लोग तय नहीं करेंगे कार्यवाही में कुछ नहीं लिखा जायेगा ।

एक सदस्य–

[× × ×]

श्री अध्यक्ष–

मेरा निर्देश मान नहीं रहे हैं तो मैं क्या कर सकता हूं ?

श्री दल बहादुर कोरी–

[× × ×] (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

[× × ×]

श्री अध्यक्ष–

मैं कुछ नहीं करूंगा । जब तक जबरदस्ती लोग करेंगे मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा । (व्यवधान) आप बोलें या कोई बोलें (व्यवधान) केवल नेता विरोधी दल जब चाहेंगे बोल सकते हैं । अन्य लोग भी बोलेंगे लेकिन पहले शांति धारण करें । मनमानी मत करियेगा । (व्यवधान)

नोट :–[×××] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

(श्री किरन पाल सिंह, श्री प्रमोद तिवारी श्री सुन्दर लाल दीक्षित और श्री हरी किशन श्रीवास्तव के खड़े होने पर)

एक सदस्य–

माननीय सदस्य भूतपूर्व अध्यक्ष हैं, वह कुछ बोलना चाहते हैं ।

श्री अध्यक्ष–

जब तक दो लोग खड़े रहेंगे मैं किसी को अनुमति नहीं दे रहा हूं ।

(व्यवधान)

(व्यवधान के मध्य)

श्री श्याम सुन्दर शर्मा–

मान्यवर, आप श्री सुन्दर लाल दीक्षित को कैसे बुलवा रहे हैं ? (श्री सुन्दर लाल दीक्षित के बोलने पर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

श्री सुन्दर लाल दीक्षित जो बिना मेरी अनुमति के बोल रहे हैं । वह नहीं लिखा जायेगा । (व्यवधान)

(भारतीय जनता पार्टी एवम् जनता दल के सदस्य एक साथ बोलने पर)

श्री सुन्दर लाल दीक्षित–

[x x x]

(घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

यह नहीं लिखा जायेगा ।

श्री प्रमोद तिवारी–

[x x x]

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

माननीय तिवारी जी यह जब लिखा जायेगा जब अकेले बोलेंगे और यदि 4-5 माननीय सदस्य एक साथ बोलेंगे तो नहीं लिखा जायेगा ।

(कई सदस्य एक साथ बोलते रहे, व्यवधान)

नोट :–[×××] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

श्री अध्यक्ष–

मैं नेता विरोधी दल से अनुरोध करता हूं कि वह अपने दल के माननीय सदस्यों को संयत रखें। (व्यवधान)

श्री सुन्दर लाल दीक्षित–

(व्यवधान) [x x x]

(घोर व्यवधान)

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, श्री सुन्दर लाल दीक्षित जी को आप बोलने से क्यों नहीं रोक रहे हैं ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

मैं बार-बार उनको रोक रहा हूं बोलने के लिये लेकिन जबरदस्ती कैसे बैठा सकता हूं ?

(घोर व्यवधान)

श्री श्याम सुन्दर शर्मा–

मान्यवर, पहले आप सदन को व्यवस्थित करें (व्यवधान) श्री दीक्षित जी का नाम नोटिस में नहीं है (व्यवधान)

(घोर व्यवधान)

(श्री प्रमोद तिवारी अपने स्थान पर खड़े रहे। श्री श्याम सुन्दर शर्मा व श्री सुन्दर लाल दीक्षित तथा साथ ही अन्य कई सदस्य एक साथ बोलते रहे जिससे घोर व्यवधान बना रहा)

श्री अध्यक्ष–

यह कुछ लिखा नहीं जायेगा।

श्री श्याम सुन्दर शर्मा–

मान्यवर, सदन अव्यवस्थित है, पहले इसे व्यवस्थित कराइये।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

(व्यवधान) मैं बोलने के लिए नहीं खड़ा हुआ हूं। आप किसी का नाम तो लीजिए, वह बोलेगा और दूसरे लोग बैठ जायेंगे। आप किसी को बुलवाइये।

श्री अध्यक्ष–

मैं नाम तो ले रहा हूं, लेकिन आपके दल के लोग नहीं मान रहे हैं।

नोट :–[× × ×] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, माननीय श्रीवास्तव जी खड़े हुए हैं, आप उनको बोलने का अवसर तो दें।

श्री अध्यक्ष–

माननीय तिवारी जी (प्रमोद तिवारी) आप श्रीवास्तव जी को पहले अपनी बात कह लेने दीजिये, उसके बाद आप बोलियेगा।

श्री हरी किशन श्रीवास्तव–

अध्यक्ष जी, मैं तो ऐसा समझ रहा हूं कि उस सम्मानीय कुर्सी पर आसीन रहने के बाद, यदि कोई पुनः सदस्य, विधान सभा हो जायेगा तो उसको सुना ही नहीं जायेगा। क्योंकि यहां बोलने के लिए जिस तरह का व्यवहार और बालहठ आवश्यक होता है, वह उसमें आ ही नहीं पायेगा और वह कभी यहां बोल ही नहीं पायेगा। उसका पूरा समय यों ही चला जायेगा।

एक सदस्य–

दल बदल नहीं करना चाहिए।

श्री हरी किशन श्रीवास्तव–

मैं इस बात कों मानने वाला हूं और इस बात को कहता हूं कि यह स्थान एक ऐसा मन्दिर है, जहां तर्कों के आधार पर एक दूसरे को परास्त कीजिए, हुल्लड़ के बल पर नहीं। यह इतना गंभीर विषय है और इतने गंभीर विषय पर कल भी सदन नहीं चला और आज भी इतने महत्वपूर्ण प्रश्न थे, पर अभी तक हाउस नहीं चला। मान्यवर, मुझको बड़ी चिन्ता हुई यह देखकर कि सदन का समय कैसे नष्ट होता है ? फिर भी आज यह अवसर आया और मैं अपने मन में प्रफुल्लित था कि मा० नेता विरोधी दल की सूचना की ग्राह्यता पर चर्चा आज होगी और यह ग्राह्य हो जायेगा और उस पर महत्वपूर्ण चर्चा से देश जानेगा कि क्या इस पर वास्तविकता है ? किन्तु इस पर 45 मिनट का समय केवल इसमें चला गया कि कौन बोलेगा और कौन नहीं बोलेगा ? केवल कुर्सी के प्रति सर झुकाने से सम्मान नहीं है, उसको वास्तविक रूप से सम्मान देना होगा। इस पर माननीय सदस्य दो-दो, तीन-तीन बार बोल चुके हैं, अब आप इस पर अपनी व्यवस्था दीजिए। तद्नुसार लोग उस पर बोलना शुरू करें।

श्री अध्यक्ष–

क्या मैं स्वयं नहीं चाहता हूं या नहीं कहता हूं ? लेकिन जब आप स्वीकार करें तब न ? माननीय तिवारी जी। अब आप तिवारी जी की बात सुन लीजिए।

* श्री प्रमोद तिवारी–

मैं कृपा पूर्वक आप से इतना ही अनुरोध करना चाहता हूं कि यह सदन नियमों, परिपाटी और परम्पराओं से चलता है और यह यहां की परिपाटी और परम्परा रही है कि जब कभी दुविधा की स्थिति

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

आती है तो हम लोग आपके कक्ष में बैठते हैं और वहां निर्णय लेते हैं और उन निर्णयों का हम यहां पर पालन करते हैं । मैं इस संबंध में साक्ष्य के रूप में माननीय ऊदल जी को और श्री किरनपाल जी को तथा अन्य दलों के नेताओं को प्रस्तुत करता हूं और मैं नेता विरोधी दल को भी अपने साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत करता हूं । वहां पर कुछ निर्णय हुए ...

सबसे पहले माननीय नेता विरोधी दल बोलेंगे उसके बाद अन्य दलों के नेता बोलेंगे । उसी समय मैंने एक शंका प्रकट की थी कि मेरी एक शंका है उससे किरनपाल जी और ऊदल जी भी सहमत होंगे । मैंने कहा था कि यह [x x x] संभवतः नहीं चाहती है कि इस पर चर्चा हो इसलिये वह यह करेंगे कि जब खुद बोल लेंगे उसके बाद दूसरे दल के नेता को सुनना पसन्द नहीं करेंगे । इसका कारण यह है कि जितने दोषी आज दो-एक लोग महात्मा गांधी का अपमान करने वाले हैं । [x x x]

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

नहीं, नहीं उस पर मत जाइयेगा । इस तरह की लांछन वाली बात न कहें ।

(व्यवधान)

* श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, नहीं कहूंगा, आपने यह दिया नहीं कहूंगा । अब मैं बिल्कुल भी नहीं कहूंगा कि यह दोषी हैं । मान्यवर, उस समय आपके कक्ष में मा० कल्याण सिंह जी ने यह आश्वासन दिया था कि मैं बोल लूंगा उसके बाद अन्य दलों के नेता बोलेंगे । मैं अपने दल के सदस्यों को शान्त रखने का आश्वासन देता हूं । मान्यवर, इस समय स्थिति बिल्कुल भिन्न है । [× × ×]

मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि मान्यवर, सदन परम्पराओं से चलायें या जो आपके कक्ष में निर्णय हुआ है उसके अनुसार नेता विरोधी दल को पहले और उसके बाद अन्य दल के नेताओं को और सदस्यों को बुलायें अन्यथा नोटिस के अनुसार बुलवायें । हमारे दल की नोटिस है उस पर बुलवा लें । यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो मैं समझता हूं कि यह उचित नहीं होगा । मैं आपसे आग्रह करूंगा कि नेता विरोधी दल बोलें या फिर शरमायें नहीं । [× × ×]

श्री कल्याण सिंह–

मान्यवर, मुझे ओब्जेक्शन है ।

(व्यवधान)

श्रीमन्, वही बातें बार-बार दोहराई जा रही हैं और इस सदन का बहुमूल्य समय अप व्यय हो रहा है । मैं आपको सूचित कर चुका था कि बाकी लोग बोल लेंगे उसके बाद मैं बोलूंगा । मैं नहीं समझ पा

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

नोट :– [x x x] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

रहा हूं कि कांग्रेस के माननीय नेता अपनी बात तो कह चुके आक्षेप वाली भाषा का भी प्रयोग कर चुके परन्तु उसका उत्तर देने के लिये समय नहीं दे रहे हैं। सही बात सुनने की हिम्मत रखनी चाहिए। बी० जे० पी० के ऊपर तो आक्षेप लगा रहे हैं कि हमारा क्या दृष्टिकोण रहा है महात्मा गांधी के बारे में, परन्तु यह नहीं चाहते हैं कि इसका उत्तर इनको दिया जाय और बिना उत्तर सुने कार्यवाही में अंकित हो जाय।

मान्यवर, जैसा मैंने आपको कहा था आपने उसके अनुसार माननीय राजेन्द्र गुप्त जी को बुला भी लिया। आपने जो निर्णय दे दिया उसको बार-बार उलटने का प्रयास किया जा रहा है। इसका मैं कोई औचित्य नहीं समझता हूं। मैं जरूर बोलूंगा लेकिन पहले मैं सुनना चाहता हूं। श्रीमन्, आप अपनी व्यवस्था पर कायम रहें यही मेरी प्रार्थना है। अगर आप किसी और को बुलाना चाहते हैं तो पहले वाली व्यवस्था आपको बदलनी होगी।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

मैं वर्मा जी की बात सुन लूं, फिर निर्णय दूंगा।

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, समझ में यह बात नहीं आ पा रही है कि माननीय नेता विरोधी दल इतने अहम् मुद्दे से मुकर क्यों रहे हैं ?

सदन यह अपेक्षा करता है माननीय नेता विरोधी दल से कि जो सदन की परम्परा है, सदन की जो मर्यादा है, उसको बनाये रखते हुए, जो पीठ की ओर से व्यवस्था दी गई है उस व्यवस्था के मुताबिक स्वयं बोलें। आपके सामने मान्यवर, एक निर्णय हो गया, सदन में आते-आते निर्णय पलट गया। किन परिस्थितियों में पलट गया। माननीय नेता विरोधी दल का निर्णय पलट सकता है तो जो लोग आपके कक्ष में हुई मीटिंग में शामिल थे उनका निर्णय भी पलट सकता है इससे सदन की परम्परा को आघात पहुंचेगा आप इसमें सख्ती के साथ व्यवस्था दें। माननीय नेता विरोधी दल इस गंभीर प्रकरण पर पहल करें। सदन के समक्ष सभी इस गंभीर विषय से संबंधित तथ्य रखें।

श्री अध्यक्ष–

अब पाल जी बोलें। आपको बाद में बुलवा लूंगा।

श्री राम आसरे वर्मा–

कल माननीय नेता विरोधी दल...

श्री अध्यक्ष–

आपको सुन लिया है।

श्री राम आसरे वर्मा–

मेरा वाक्य तो पूरा हो जाय । माननीय नेता विरोधी दल नहीं बोलना चाहते हैं तो जो सूचना में हस्ताक्षर करके सूचना को वरीयता दिलाने का काम किया है माननीय नेता विरोधी दल उसको वापस लेने का एलान कर दें, लेकिन जो परम्परा है उसको आहत न होने दें ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री अध्यक्ष–

पाल जी पहले गुप्त जी को सुन लें ।

* श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, नियमों की परम्परा और परिपाटी की बात कही जा रही है । मैं समझता हूं कि नियमों को बहुत समझने की जरूरत है । सदन की परिपाटी रही है कि कक्ष की बातों की चर्चा यहां नहीं की जाती है कक्ष में कोई चर्चा होती है तो आपको सलाह देने के लिए । निर्णय तो आपका होता है । कक्ष में क्या हुआ मुझे पता नहीं, कक्ष की बातों की चर्चा यहां नहीं होती है । सब चर्चाओं पर आपका विवेक होता है । आप कोई भी निर्णय करना चाहें करें । इस गंभीर मामले पर नेता विरोधी दल ने प्रस्ताव की सूचना नियमों का निलम्बन करके दी है ।

चर्चा का जो बिन्दु है उसको राउन्ड एबाउट कर दिया है । ताकि चर्चा के प्रकरण उत्तर देने का मौका मिल जाय । प्रस्ताव की ग्राह्यता पर बोलते हुए जो माननीय सदस्यों की इच्छा है । माननीय सदस्य जो आलोचना करना चाहते हैं वह करें और इसमें आप बुलवा दें । इसमें प्रतिष्ठा की बात नहीं है खुलकर इस बात की धज्जियां उड़ाई जायं यह राष्ट्रीय मामला है ।

श्री अध्यक्ष–

इसमें मैं निर्णय दूंगा ।

श्री किरन पाल सिंह–

गुप्ता जी ने आपके कक्ष में जो चर्चा होती है उसके बारे में सदन में कुछ नहीं कहा जा सकता है इस बारे में कहा । गुप्ता जी इस बात से सहमत नहीं हैं । जो कक्ष में तय होता है उससे प्रतिपक्ष के नेता मुकर जाते हैं ।

श्री अध्यक्ष–

उसको मैंने उद्धृत कर दिया है ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री किरन पाल सिंह–

मान्यवर, इनकी तरफ से एक शंका आई कि सबको सुनने के बाद जवाब देना है पता नहीं इनको जवाब देने की जिम्मेदारी क्यों महसूस हो रही है क्या कोई अपराध बोध महसूस हो रहा है ?

(समय 2.00 बजे अपराह्न)

मैं कहना चाहता हूं क यह परम्परा भी रही है । यदि नेता प्रतिपक्ष नोटिस पर बोलें तो उसके बाद में भी जब यहां चर्चा होती है तो नेता प्रतिपक्ष यदि उसके बाद भी कोई स्पष्टीकरण देना चाहें, या अपने भाषण को पूरा करना चाहें तो आप इजाजत दे सकते हैं । चर्चा आप नेता प्रतिपक्ष से शुरू करा दें और इसके बाद भी वह चाहें तो बोल सकते हैं ।

श्री ऊदल–

मान्यवर, मैं एक बात निवेदन करना चाहता हूं । अभी माननीय नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि मैं बाद में बोलूंगा । इनके नोटिस पर हस्ताक्षर थे इसलिये इनको वरीयता भी दी गई । अब मेरा निवेदन यह है कि क्रमशः जिनकी नोटिसें आपके पास आई हों आप उसी क्रम से माननीय सदस्यों से बुलवा लें । श्रीमन्, आप बोलना शुरू कराएं ।

डा० सरजीत सिंह डंग–

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री अध्यक्ष–

समय बहुत कम है अब कोई व्यवस्था नहीं है ।

लोक निर्माण तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)–

यह भी शायद पहला दृष्टान्त है कि एक घंटे तक इस पर विवाद हो रहा है कि कौन पहले बोलेगा ? श्रीमन्, यह सही है कि माननीय गुप्त जी विद्वान सदस्य हैं । कक्ष में जो निर्णय हो गया है उसका सम्मान करना चाहिए और वह सम्मान यहां पर किया जाता है । श्रीमन्, यह कोई नई बात नहीं है । [x x x] इनकी रणनीति बदलती रहती है । अब यह कक्ष के निर्णय से मुकर रहे हैं । अब यह आपको अधिकार है कि सदन को व्यवस्थित ढंग से चलाने के लिए जो निर्णय दें, उसको यहां पर सम्मान किया जायेगा ।

श्री कल्याण सिंह–

मैं जानता हूं । अभी संसदीय कार्यमंत्री ने बोलते हुए एक आक्षेप कर ही दिया । हमारे दल के सदस्यों को सुनने से यह लोग कतरा रहे हैं । मैं सबकी बातों को जवाब दूंगा और एक-एक को कटघरे में खड़ा करूंगा ।

(भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों ने मेंजें थपथपाईं ।)

नोट :–[x x x] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

मैंने कहा है कि मैं बाद में बोलूंगा । अब मुझे यह नहीं मालूम दे रहा है कि यह लोग इतने अपराध बोध से क्यों ग्रस्त हो रहे हैं ? खरी बातों को सुनने के लिए कलेजा चाहिए ।

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, मैं इस संदर्भ में एक उद्धरण देना चाहता हूं आप कृपा करके उसको सुन लें । आपको उससे नकल मिल जायेगी ।

श्री अध्यक्ष–

मैंने सारे उद्धरणों को देख लिया है ।

श्री राम आसरे वर्मा–

आप मेरी बात तो सुन लें ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

आप बैठ जाइए ।

श्री कल्याण सिंह–

मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि मा० राजेन्द्र कुमार जी बाद में बोल लेंगे जो पहले बोलना चाहे, वह पहले बोल ले । आपने मा० राजेन्द्र जी को आज्ञा दी है, पहले बोलने के लिए, लेकिन जो पहले बोलना चाहे वह बोल ले, मुझे इस पर कोई आपत्ति नहीं है ।

श्री राम आसरे वर्मा–

आप मुझे नहीं सुनना चाहते हैं ।

श्री अध्यक्ष–

अब आप जरूर कहिएगा ।

श्री राम आसरे वर्मा–

आप नाराजगी के भाव से इजाजत दे रहे हैं । अगर आप कह दें तो मैं बैठ जाऊंगा ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय नेता प्रतिपक्ष ने समस्या का समाधान कर दिया है ।

श्री राम आसरे वर्मा–

अगर समस्या का समाधान हो गया है तो हमारी समस्या का भी समाधान हो गया है ।

श्री अध्यक्ष–

अभी मैंने अन्य माननीय सदस्यों की बात व्यवस्था के नाम पर सुनी । एक प्रश्न उलझ गया कि कक्ष में क्या निर्णय हुआ और वही हमारे निर्णय में थोड़ा बाधक हुआ और पुनः सोचने पर मजबूर

उत्तर प्रदेश विधान सभा

किया । हमारे माननीय नेता प्रतिपक्ष ने यह कहा कि इस प्रकरण को अब आगे न बढ़ाया जाय अगर मानीनय तिवारी जी बोलना चाहते हैं तो बोलें । तो अब माननीय तिवारी जी बोलना चाहें तो बोलें या किसी दूसरे सदस्य से प्रारम्भ करा दें और चर्चा शुरू कर दें । तिवारी जी आप या आपके द्रल का कोई सदस्य प्रारम्भ करना चाहे तो प्रारम्भ कर दे ।

बसपा की राष्ट्रीय महामंत्री सुश्री मायावती द्वारा महात्मा गांधी के प्रति अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किये जाने विषयक नियम 311 के अन्तर्गत सूचना (क्रमागत)

* श्री प्रमोद तिवारी–

माननीय अध्यक्ष जी, आज बहुत दुखद घड़ी है । आज स्वतंत्र भारत के अन्दर ऐसा भी क्षण आया है जब हमने आजादी को दिलाने वाले परम श्रद्धेय पूज्य बापू के बारे में कुछ टिप्पणियां सुनीं जो असहनीय हैं, यह राष्ट्र का अपमान है । आज हम आजाद हैं, हमें बोलने की स्वतंत्रता मिली हुयी है । इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर इस देश की आजादी की लड़ाई महात्मा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस के झंडे के नीचे न लड़ी गयी होती तो यह देश आजाद न हुआ होता ।

महात्मा गांधी के साथ माननीय गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, जवाहर लाल नेहरू, डा० राम मनोहर लोहिया, बाबा साहब भीम राव अम्बेदकर, खान वली खां, मौलाना अबुल कलाम आजाद, आदि तमाम नेताओं ने आजादी की लड़ाई लड़ी और यह देश आजाद हुआ और उन्हीं पूज्य बापू के चरणों में आप और हम बैठकर इस देश के कानून बनाते हैं और देश का संचालन करते हैं और स्वतंत्र अभिव्यक्ति करते हैं । परन्तु दुख है कि उनके प्रति कुछ ऐसी टिप्पणियां की गयीं जो दुखद हैं । महात्मा गांधी का जीवन समर्पित रहा है समाज के उन करोड़ों लोगों के प्रति जिन्हें दलित और अछूत कहा जाता है । समाज की मुख्य धारा से इन लोगों को जोड़ने के लिये उन्होंने सदा काम किया और छुआछूत दूर करने के लिये उन्होंने आंदोलन चलाया और व्यवहारिक दृष्टिकोण अपनाया और उन्हीं के निर्देश पर, उनकी प्रेरणा पर जब देश में पहली सरकार बनी तो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के सम्मानित सदस्यों के लिये 10 वर्ष का आरक्षण कांग्रेस की सरकार ने किया ।

उन्हीं की प्रेरणा पर, स्वतंत्रता के बाद भारत का संविधान लिखने का दायित्व भी उन्होंने ऐसे व्यक्ति को सौंपा जिन्हें हम बाबा साहब भीम राव अम्बेदकर के नाम से जानते हैं । उन्हीं के कारण सबको समान अधिकार मिले और भारत आगे बढ़ा लेकिन मान्यवर उस समय भी हमारी कुछ सांप्रदायिक ताकतें थीं जो यह नहीं चाहती थीं कि देश में धर्म निरपेक्षता रहे, जो यह नहीं चाहती थीं यह देश जुड़ा रहे, जो यह नहीं चाहती थीं कि देश मजबूत होने पाये, उन्हीं सांप्रदायिक ताकतों की दुरभि संधि के कारण नाथू राम गोडसे ने पूज्य बापू का जीवन का अन्त किया । नाथूराम गोडसे के कारण पूज्य बापू का शरीर नष्ट हुआ पर गांधीवाद नहीं नष्ट हुआ और जो रास्ता पूज्य बापू ने दिखाया वह रास्ता भारत वर्ष के लिये अंधेरे में सूर्य के समान है ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

जब तक भारतवर्ष में मानवता जिन्दा है हर व्यक्ति महात्मा गांधी के दिखाये हुये रास्ते पर चलने में अपने को गौरवान्वित, सम्मानित महसूस करेगा और अपने श्रद्धा सुमन चढ़ाता रहेगा । लेकिन आज स्थिति दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है । जिन्होंने गांधी जी के व्यक्तित्व और बलिदान को नहीं पहचाना है उन लोगों ने कुछ टिप्पणियां कर दी जो दुखद हैं, मैं नहीं जानता कि सदन के बाहर की गयी टिप्पणी कितनी सत्य है, किन्तु यदि महात्मा गांधी के प्रति ऐसी कोई अपमानजनक टिप्पणी की गयी है तो निश्चित रूप से राष्ट्रपिता के प्रति टिप्पणी करने का, स्वतंत्र भारत में, किसी को अधिकार नहीं है । और अगर वह करता है, तो वह राष्ट्र का प्रेमी नहीं है, राष्ट्र का द्रोही है, राष्ट्र के सम्मान का द्रोही है और उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही करनी चाहिए । ऐसा कहने वाला भारत के संविधान का विरोधी है । इसके लिए मैं और मेरा दल इसकी घोर निन्दा करता है, लेकिन मान्यवर, इस संदर्भ में मैं दो-तीन बातें और कहना चाहूंगा, यह दुःखद घड़ी की परिणति तब पैदा हुई, जब [x x x]

मान्यवर, भारत किसी का मुहताज नहीं है, कोई उन्हें राष्ट्रपिता माने या न माने, वह भारत के राष्ट्रपिता रहेंगे और आने वाली पीढ़ियां उन्हें प्रणाम करेगी, सम्मान करेगी । अब उनके लिए ऐसी परिस्थितियां आ गयी हैं कि महात्मा गांधी को अब वह राष्ट्रपिता मानना शुरू कर दिये । जिन लोगों ने गांधी जी के सम्मान के प्रति असम्मानजनक शब्द कहे हैं, वे उन्हें वापस लें या फिर वे लोग कानूनी कार्यवाही के लिए तैयार रहें । मान्यवर, प्रदेश सरकार के परिवहन मंत्री ने गांधी वाद को नष्ट करने की बात कही है ।

प्रदेश का एक मंत्री जो कुछ भी कहता है, तो वह मंत्रिमण्डल की संयुक्त जिम्मेदारी होती है । अगर एक व्यक्ति कोई बात कहेगा, तो हम यह मान कर चलेंगे कि वह सरकार ने कहा है । प्रदेश सरकार के ऐसे मंत्री को एक क्षण भी रहने का अधिकार नहीं है, जिसने गांधीजी के प्रति असम्मानपूर्वक बात कही है । ऐसे मंत्री को बर्खास्त कर देना चाहिए । मान्यवर, इन बातों को दोहराते हुये एक बात मैं और कहना चाहूंगा कि आज यह विषय बड़ा महत्वपूर्ण और गंभीर है । मान्यवर, परम्पराओं का श्रीगणेश किसने किया ? आज जब देश-देश में नाथू राम गोडसे की पूजा होती है और जो दल नाथू राम गोडसे को सम्मानित करता है, वह किसी से छिपा नहीं है, शिव सेना के लोग अगर गांधी जी के उस हत्यारे को सम्मानित करते हैं, तो गांधी जी के बारे में उन्हें बोलने का अधिकार नहीं है । गांधी जी के खिलाफ यदि कोई अपमानजनक शब्द कहता है, तो वह गांधी जी के हत्यारे गोडसे से कम नहीं होगा । मैं चाहूंगा कि इस ग्राह्यता के विषय पर बोलते हुए आपसे अनुरोध करूंगा कि इस सदन में जब चर्चा हो, माननीय मुख्य मंत्री जी बतायें कि क्या उनकी सरकार गांधी वाद के रास्ते पर चलेगी कि नहीं ? यदि नहीं चलेगी, तो हमारी पार्टी उनके साथ नहीं रहेगी । डा० अम्बेडकर के रास्ते पर चलने के लिए हम संकल्प लेते हैं । अगर सरकार का कोई मंत्री महात्मा गांधी के प्रति टिप्पणी करता है, तो उसकी नीयत साफ नहीं है । उन्होंने अगर गांधी जी के प्रति कोई टिप्पणी की है, तो उनको मंत्रिमंडल में रखने का अधिकार नहीं है और मैं कहना चाहता हूं कि अगर यह सरकार गांधी वाद पर चलेगी, तो उसको हमारा समर्थन है और अगर नहीं चलेगी तो हमारा समर्थन नहीं है और मैं चाहता हूं कि इस बात का स्पष्टीकरण

नोट :- [x x x] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

माननीय नेता सदन की ओर से आये । मान्यवर, [x x x] है और वह भी स्पष्ट करें कि शिवसेना के साथ अपना गठबन्धन तोड़ेंगे या नहीं तोड़ेंगे और अगर नहीं तोड़ेंगे तो वह भी उनसे कम हत्यारे नहीं है और उनसे कम दोषी नहीं हैं ।

केरल में गांधी जी को सम्मान दिया गया, लेकिन वह गोडसे की तरह गांधी जी के हत्यारे नहीं थे और अगर भारतीय जनता पार्टी का उनसे संबंध है, तो उनको भी उनसे मुक्त नहीं किया जा सकता है । मान्यवर, इन बातों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं और अन्त में कहना चाहता हूं कि हमारी तीन बातों का स्पष्टीकरण आ जाना चाहिये । एक तो हमारा दल पूरी निष्ठा से गांधीवाद के संकल्प को दोहराता है, दूसरे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जातियों के हितों के लिये भविष्य में जब भी आवश्यकता पड़ेगी, उसके लिये हमारी सरकार तैयार रहेगी, चाहे केन्द्र की सरकार हो और चाहे यहां की सरकार हो अगर वह उनके हितों के लिये आरक्षण को बढ़ाती है, तो हमारा उनके साथ सहयोग रहेगा और हमारा विश्वास है कि उनको सुविधा मिलनी चाहिये । तीसरी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से भी स्पष्टीकरण आ जाना चाहिये कि वह राष्ट्रपिता के बारे में बता दें और उनके हत्यारों के बारे में भी बता दें कि उनकी नीति क्या है ?

आपको उस गौरवशाली पीठ की रक्षा करनी होगी और आप निर्देशित करें कि महात्मा गांधी के विरुद्ध जिसने टिप्पणी की है, उसे उत्तर प्रदेश की सरकार को गिरफ्तार करना चाहिये और उस पर मुकदमा चलाना चाहिये और दण्डित किया जाना चाहिये ।

श्री अध्यक्ष–

मैं सभी सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि जिस प्रकार से माननीय तिवारी जी ने बड़े संयत ढंग से अपनी बात को रखा और बोलने में जिस संयत भाषा का प्रयोग किया, उसी तरह से सभी माननीय सदस्य अपनी बात को रखते समय करेंगे । संयत भाषा में अपनी बात को रखें ।

(श्री किरन पाल सिंह का नाम पुकारे जाने पर)

* श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । मान्यवर, जिस क्रम में सूचनायें आयी हैं, उसी क्रम में आप बुलवायेंगे, तो माननीय प्रमोद तिवारी जी की सूचना में श्री नरेश अग्रवाल और मेरा नाम है, तो हमें भी सुन लें, तब औरों को सुनें ।

श्री प्रमोद तिवारी–

आप नोटिस के क्रम के अनुसार बुला लें और फिर दूसरी नोटिस के सदस्यों को बुला लें ।

श्री अध्यक्ष–

लेकिन फिर आपको अवसर नहीं मिलेगा ।

नोट :–[x x x] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, जो सूचनायें दी जाती हैं, उन पर एक माननीय सदस्य का हस्ताक्षर हो या कई माननीय सदस्यों के हस्ताक्षर हों, उस संबंध में संसदीय प्रक्रिया का उद्धरण पढ़ रहा हूं।

एक से अधिक सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित किसी सूचना के बारे में यह समझा जाता है कि वह केवल प्रथम हस्ताक्षरकर्ता द्वारा दी गयी है, प्रथम हस्ताक्षरकर्ता माननीय प्रमोद तिवारी जी हैं दूसरे माननीय सदस्यों ने बाद में हस्ताक्षर किये हैं। माननीय प्रमोद तिवारी जी को आपने सुन लिया और हमारे दल के नेता को आपने बोलने के लिए निर्देशित किया। एक तो प्रथम हस्ताक्षरकर्ता के बाद के जो हस्ताक्षरकर्ता हैं उनकी तो सूचना ही नहीं मानी जाती हैं सूचना तो प्रथम हस्ताक्षरकर्ता की मानी जाती है। दूसरी बात यह आपके विवेक पर है कि आप किसको सुनते हैं किसको नहीं सुनते हैं ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

मैं माननीय पाल जी को सुनूंगा, उसके बाद आपको सुन लूंगा।

(व्यवधान)

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, मैंने आपको एक उद्धरण पढ़कर सुनाया है पहले आप उस पर अपनी व्यवस्था दे दें।

श्री अध्यक्ष–

माननीय नेता जनता दल आपको बहुत समय दूंगा।

श्री राम आसरे वर्मा–

नहीं मान्यवर।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

माननीय वर्मा जी, एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि आप जैसी चाहें व्यवस्था दें और दूसरी तरफ कुछ और कह रहे हैं। इस विषय पर चर्चा हो, आपको समय दूंगा, एक नहीं दो चार लोगों को सुनूंगा।

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, मैंने इसका उद्धरण प्रस्तुत किया है कि प्रथम हस्ताक्षरकर्ता की ही सूचना मानी जाती है। इसके बाद प्रथम हस्ताक्षरकर्ता को आपने सुन लिया है और उसके बाद हमारे दल के नेता का नाम लिया है।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

श्री प्रमोद तिवारी–

चूंकि मान्यवर, हमारे नेता बोलना चाहते हैं इसलिये मैंने अपने दल के सदस्यों से अनुरोध कर लिया है। लेकिन इतना आग्रह जरूर करूंगा कि हमारे सदस्य श्री जगदम्बिका पाल और श्री नरेश अग्रवाल इनको बोलने का समय दें और जब यह बोलना चाहेंगे उस वक्त इनको बोलने दिया जाय।

श्री अध्यक्ष–

सुनिश्चित है।

श्री किरन पाल सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, इस गंभीर विषय पर आपने मौका दिया है इसके लिए मैं आभारी हूं। मान्यवर, इस सदन में 16 दिसम्बर को एक घटना घटी थी गांधी जी के चित्र के सामने, गांधी जी का सिद्धान्त था अहिंसा का और इस सदन में हिंसा का तांडव हुआ था, उस दिन अफसोस के बाद, यह कल्पना की थी और यह सोंचा था कि भविष्य में बापू जी के बारे में, बापू जी के सिद्धान्तों के बारे में कोई ऐसा दिन देखने को नहीं मिलेगा। फिर इस सदन में ऐसी कोई नौबत आयेगी लेकिन मान्यवर, इस सदन के अन्दर बहुत दुख है, अफसोस है और लाचारी भी झलक रही है।

बापू जी के बारे में इस पूरे राष्ट्र के नागरिक और रहने वालों का जो सम्मान है बापू के प्रति वह किसी से छिपा हुआ नहीं है और मैं तो यहां तक कहूंगा कि बापू जी इस दुनिया के लिए एक आदर्श पुरुष थे सिर्फ हिन्दुस्तान के लिए ही नहीं। आज इस बहस को छेड़ा जा रहा है, बापू जी के बारे में अनर्गल टिप्पणी की जा रही है उनके प्रति, हमको दुख है, अफसोस है, कष्ट है। आज यह बहस छेड़ी जा रही है गांधी जी और अम्बेदकर जी के बारे में मैं नहीं समझ रहा कि गांधी जी और अम्बेदकर जी में बहुत बड़ा फर्क था दृष्टिकोणों में वह मैं नहीं समझ पा रहा। अम्बेदकर साहब ने बौद्ध धर्म को कबूल किया। जो महात्मा बुद्ध के सत्य अंहिसा के सिद्धान्त थे, उन सिद्धान्तों को दुनिया की धरती पर उतारने का काम किसी व्यक्ति ने किया है तो वह महात्मा गांधी ने किया है, दूसरा कोई व्यक्ति नहीं था। उस महान पुरुष ने महात्मा बुद्ध के अंहिसा के सिद्धान्त को हथियार के रूप में अंग्रेजों से लड़ने के लिये इस्तेमाल किया। दुनिया का पहला व्यक्ति महात्मा गांधी, बापू गांधी पैदा हुआ जिन्होंने अंहिसा को हथियार के रूप में इस धरती पर उतार कर दिखाया। ऐसे व्यक्ति के बारे में, न जानकारी के आधार पर, अर्नगल टिप्पणी उन लोगों के द्वारा की जाय, जिनकी कि प्रदेश और देश के बारे में जिम्मेदारी है, मैं समझता हूं कि बड़ी जिम्मेदारी है, उनके द्वारा टिप्पणी की जाय तो यह दुखदायी है।

मान्यवर, मैं कहना चाहूंगा कि यह टिप्पणी जो की गयी है बड़े-बड़े नेताओं ने इस पर दुख जाहिर किया है, दिल्ली में किया गया है और प्रदेशों में भी किया गया है। हम भी दुख जाहिर कर रहे हैं। लेकिन जो हरिजन शब्द के ऊपर बहस छिड़ गयी है, मैं निवेदन करना चाहूंगा बहुजन समाज के भाइयों से कि बापू जी ने हरिजनों के लिये क्या-क्या किया, आज हरिजन शब्द से परहेज की बात आयी, आपकी बात देश ने मानी है। यह मानना था कि यह तबका इस समाज की देश की सबसे बड़ी समाज सेवा करता है। यह हमारे समाज का मानना है कि जो सबसे बड़ी सेवा करते हैं, समाज के सबसे बड़े आदमी कहलाते हैं, वे परमात्मा के ज्यादा नजदीक होते हैं, सारे धर्म में आदर होता है।

गांधी जी ने उनके बीच में जाकर सेवा की, टट्टी के टोकरों को सिर पर रखकर ढोया, उनके बीच में खाना खाया, उन लोगों को समाज में सम्मान दिलाया । जो हरिजन शब्द की बात आयी है, गांधी जी की यह मान्यता रही है कि यह तबका ऐसा है जो मानव समाज की सबसे बड़ी सेवा कर रहा है और जो सबसे बड़ी सेवा करता है वही भगवान को प्राप्त होता है । जो यह कहा गया कि हरिजन असल में भगवान के आदमी हैं, उसके ऊपर जो आज यह चर्चा की जा रही है मुझे अफसोस है मुझे दुख है कि आज तक एक प्रदेश में बहस छिड़ी हुई है । कोई किसी व्यवस्था की बात करता है । हम ब्राह्मणवादी व्यवस्था के खिलाफ है । और कोई मनुवादी व्यवस्था के खिलाफ बात करता है । इन्हीं सब बातों के चलते आज कोई गांधी जी को गाली दे सकता है, कल किसी और को गाली दे सकता है, किसी अन्य स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को अपशब्द कहे जा सकते हैं । जो व्यवस्थाओं की बात आयी, इलाहाबाद के पार्क में चन्द्रशेखर आजाद जी ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते हुए अपने सीने पर गोली खायी ।

मान्यवर, माननीय मुख्यमंत्री जी की जो चिन्ता है जो लाचारी है वह मैं समझता हूं । आज प्रदेश कह रहा है कि आज मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव जी बदलकर और सभलकर चल रहे हैं, उनसे वह उम्मीद नहीं थी यह प्रदेश की जनता कह रही है । आपकी मजबूरी मैं समझता हूं आपका दुख मैं समझता हूं । लेकिन यह परिस्थिति कैसे पैदा हुई यह परिस्थिति क्यों पैदा हो रही है ? इस प्रदेश में चुनाव हुए, एक गठबन्धन बना । पौने दो सौ सीटे सवा चार सौ की संख्या में आयीं । मैं माफी चाहते हुए मीडिया के लोगों से कहना चाहूंगा कि उन्होंने यह दिया कि इस प्रदेश में इस देश में एक अवतार पैदा हो रहा है एक क्रान्तिदूत पैदा हो गया है ।

माननीय कांशी राम जी का दल सवा चार सौ में 67 सीटें ले आया, माननीय मुलायम सिंह जी के सहारे ले पाया उनको क्रान्तिदूत बता दिया । उसके बाद जो स्थिति बनी कि एक बसपा की बड़ी नेता का बयान आ गया कि वे हर हफ्ते यहां आकर सरकार की मानिटरिंग किया करेंगी । और अफसोस की बात है, लाचारी की बात है माननीय मुख्य मंत्री जी समझ रहे थे कि क्रान्तिदूत है और आप छा गये थे तब लोगो ने कहा था कि कहां गांधी जी और कहां मायावती । आज आप गांधीवाद की खिलाफत कर रहे हैं । तो जिसका उत्थान जितनी तेजी से होता है उसका पतन भी उतनी ही तेजी से होता है । चाहे बिहार हो, बंगाल हो, गुजरात हो या महाराष्ट्र हो कहीं भी देख लीजिये । जो भी शक्तियां एक साथ चढ़कर आयी हैं उनका पतन भी उतनी ही तेजी से हुआ है अतः घमण्ड में न रहें । मान्यवर, जैसा अभी माननीय प्रमोद तिवारी जी ने कहा कि प्रदेश के मंत्रि-परिषद् से एक मंत्री इस्तीफा दें तो मैं मा० प्रमोद तिवारी से पूछना चाहूंगा कि आपमें इतना साहस है कि आपके दल के जो चार सदस्य इस समय केबिनट मंत्री सुविधा ले रहे हैं इस बात से त्याग पत्र मांग लें । लेकिन आपमें इतना साहस नहीं है अगर साहस होता तो जो चार सदस्य इसकी सुविधा ले रहे हैं उनसे आप त्याग-पत्र मांगते ।

मान्यवर; मैं माननीय कल्याण सिंह जी से भी कहना चाहता हूं, मैंने पढ़ा था, तब मैं सदस्य नहीं था, और विवाद की जड़ वहीं से शुरू भी हुई हैं, तब वे मुख्य मंत्री के पद पर सुशोभित थे और यह उनका अहंकार था, ना समझी थी, इल्लिट्रेसी तो नहीं कहूंगा, इन्होंने महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता न कहकर राष्ट्रपुत्र के रूप में माना था । शायद इसी पाप की वजह से आप बाद में बोल रहे होंगे । मान्यवर, कहा गया राष्ट्रपिता तो भारत माता का पति है तो मैं माननीय कल्याण सिंह जी से यह पूछना चाहूंगा कि भारत माता को किसी ने देखा है, भारत माता कोई जीवित प्राणी नहीं हैं । यह आपने बयान

तब दिया जब आप मुख्य मंत्री जैसे पद पर सुशोभित थे तब आपने इस तरह का गैर जिम्मेदाराना बयान दिया था ।

गाय को हम लोग माता कहते हैं तो क्या बैल को अपना बाप कहेंगे ? आज कोई व्यक्ति समाज में किसी व्यक्ति को अपना चाचा कहता है तो क्या वह व्यक्ति आपकी सगी चाची का पति हो गया , या फिर भाई साहब कहता है तो क्या वह व्यक्ति आपकी सगी भाभी का पति हो गया । मुझे बड़ा अफसोस है कि आपकी पार्टी का यह दर्शन है और यह देश विदेश में है । गांधी जी की हत्या हो गयी और हत्यारे का सम्मान कौन बढ़ाता है, कौन उसको मान मर्यादा देता है ? मैं कहना चाहता हूं कि जब माननीय नेता विराधी दल अपना जवाब दें तो इन सब बातों पर भी प्रकाश डालें । यह एक बहुत ही संवेदनशील मामला है । जिन लोगों ने देश के लिए त्याग किया, बलिदान दिया अपना सब कुछ इस देश के लिए न्यौछावर किया आज उन्हीं लोगों पर हम लोग कीचड़ उछालने का काम कर रहे हैं । आज हो सकता है कि आम जनता में गांधी-फिलासफी के बारे में नहीं मालूम हो, उनके बारे में मतभेद हो, लेकिन अगर उनके बारे में हम अपशब्द कहें तो यह तमाम, राष्ट्र का अपमान करना होगा और जो लोग इस सरकार में सहभागी हैं, इस सरकार में शामिल हैं जिनकी वजह से यह प्रदेश सरकार चल रही है, उनकी तरफ से अगर इस तरह की उत्तेजक बातें आयेंगी, देश की आजादी में परवान चढ़ने वालों के लिये——तो मान्यवर, इस समाज में इस प्रदेश में कानून व्यवस्था, विध्वंस और नफरत की भावना फैलेगी । यदि यह हमारे प्रदेश से अलग किसी अन्य प्रदेश की बात होती तो उतना चिन्ता का विषय नहीं होता, लेकिन सरकार में बैठे हुये लोग यदि इस तरह की बात करेंगे तो वह हमारे लिये चिन्ता का विषय है माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय तिवारी जी ने आपसे मांग की है कि आप मंत्रियों को हटा दें । इसमें आपका विवेक है, आपकी सामर्थ्य है या नहीं, इसे मैं नहीं कहता ।

लेकिन मैं इस बात को दिल से स्वीकार करता हूं और जनता भी कह रही है कि मुलायम सिंह यादव ने बर्दाश्त करने की हद कर दी है । आज यह स्थिति उन लोगों द्वारा पैदा की गयी है, जो आपके सहयोगी दल हैं, जो सरकार में शामिल हैं क्या आपकी जिम्मेवारी नहीं बनती, कानून व्यवस्था को सही रखने के लिये ? क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती कि आप अपनी सरकार में सहयोगी दलों को काबू में रखें, उन पर अंकुश रखें, उनको सिखायें ? क्या आप यह नहीं जानते कि यह इतना बड़ा प्रदेश है और इसकी जिम्मेदारी आपके ऊपर है, इस प्रदेश को आपको चलाना है । मान्यवर, मुझे नहीं पता, इसके लिये संविधान में कोई सजा है या नहीं, लेकिन मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि गांधी जी एक महापुरूष थे और उन्होंने अपने जीवनकाल में बहुत अपमान सहा है, तभी वह महापुरुष बने । आज गांधीजी इस दुनिया में नहीं हैं और उनका अपमान हुआ है, उन्होंने तो साऊथ अफ्रीका से लेकर न जाने कहां-कहां तक अपमान सहा है और आज फिर उन्हें सहने के लिये एक अपमान मिल गया, यह अत्यन्त अफसोस की बात है ।

एक ऐसे महापुरूष के लिये, जिसने जिन्दगी भर अपमान सहे, इस देश को आजाद कराया, अपना बलिदान कर दिया, जिसने सत्ता से कुछ हासिल करने की बात कभी मन में न रखी हो, उस महापुरूष के लिये ऐसी बात का कहा जाना बर्दाश्त के काबिल बात नहीं है । एक ऐसा व्यक्ति, जिसने हिन्दुस्तान को आजादी दिलाई, सत्ता दूसरों के हाथों में सौंप दी, खुद अलग बैठ गया हो, ऐसी मिसाल दुनिया में मिल नहीं सकती । मैंने भी थोड़ा-बहुत पढ़ा लिखा है, ऐसा क्रान्तिकारी, ऐसा राजनेता, ऐसा त्यागी, ऐसा

संत व्यक्ति कभी पैदा नहीं हुआ, ऐसे संत, ऐसे त्यागी पुरुष के लिये, ऐसी नादानी की भाषा का इस्तेमाल कोई अच्छी बात न होगी ।

मान्यवर, यह जो चढ़ाव नजर आ रहा है, यह एक मिसाल है । पंजाब के लिये सिमरन जीत सिंह मान को कौन नहीं जानता खूब आतंकवाद फैलाया लेकिन जब से वहां का आतंक गिल साहब को सौंपा गया, पंजाब ठीक हो गया । मान्यवर, यह अत्यन्त गम्भीर विषय है, बहुत संवेदनशील विषय है । मैं केवल इतना ही कहना चाहूंगा, निवेदन करना चाहूंगा कि सूरज की रोशनी से भले ही कितना काम ले लिया जाय, उसके प्रकाश में कोई कमी नहीं आती, गांधी जी भी ऐसे ही व्यक्ति थे । इसी तरह अगर कोई सूरज की ओर मुंह करके थूकेगा, तो अपने ही मुंह पर थूक आयेगा । इसलिये मैं यह कहना चाहूंगा कि गांधी जी के बारे में जो टिप्पणी की गयी है, उसके संबंध में हम लोग, इस सदन के अन्दर निन्दा का प्रस्ताव पास करें .....इस विषय पर जब थोड़ी देर पहले बात हो रही थी कि पहले यह बोलेंगे बाद में वह बोलेंगे, तो यह कोई राजनीति का सवाल नहीं है । यह राष्ट्रीय सम्मान से जुड़ा हुआ सवाल है ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय किरन पाल सिंह जी, अब आप समाप्त करें ।

श्री किरन पाल सिंह–

मान्यवर, इस तरह का जो बयान महात्मा गांधी जी के बारे में दिया गया है, यह सदन इसकी निन्दा करता है और इस प्रस्ताव को पास करने के बाद इस प्रदेश को विकास के रास्ते पर ले जाने की मांग करता हूं । जय हिन्द ।

श्री ऊदल–

मान्यवर, यह विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है । कल से इस सम्मानित विधान सभा में जो दृश्य उपस्थित हुआ था उसको देखकर मुझे बड़ा दुखः हुआ । महात्मा गांधी जी के बारे में जैसा हमारे जनता दल के नेता ने कहा मैंने भी उसको पढ़ा था कि नेता विरोधी दल और तत्कालीन मुख्य मंत्री माननीय कल्याण सिंह जी ने कहा था कि "हम महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता नहीं मानते" । यह बात सभी अखबारों में प्रकाशित भी हुई थी । इनका यह कहना था कि हम राष्ट्रपिता नहीं मानते हैं, केवल एक व्यक्ति मानते हैं । इन्होंने क्यों इस बात को कहा, क्योंकि वह महात्मा गांधी के विचारों से सहमत नहीं थे

महात्मा गांधी की, जिन्होंने हत्या की थी, उसको सम्मान दिलाने का काम इनके और इनके दल के लोगों द्वारा किया जाता रहा है और आज भी कर रहे हैं । इसलिये महात्मा गांधी जी के बारे में जो इनकी चिन्ता है वह मात्र सस्ती लोकप्रियता हासिल करना चाहते हैं । मै समझता हूं कि हिन्दुस्तान की जनता और वह जो दबी-कुचली है, जिसने वर्षों-वर्षों से गुलामी का जीवन बिताया है, वह जनता अब इतनी जल्दी इनके छल और फरेब में आने वाली नहीं है । संसदीय इतिहास में भारतीय जनता पार्टी के लोग लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं । मैं समझता हूं कि ये फासिस्टवादी लोग, फासिस्टवाद को बढ़ावा दे रहे हैं । .....(व्यवधान) मायावती ने क्या कहा है और क्या नहीं कहा है, लेकिन मायावती का जो बयान समाचार पत्रों में निकला उसको भी मैंने पढ़ा जिस पर इतना बड़ा हंगामा हो रहा है, पूरे देश में और प्रदेश में । मैं समझता हूं कि अगर यह बात सही है, क्योंकि मैंने सुना नहीं, प्रेस की जो बात थी उसको

पढ़ा अगर यह बात सही है तो मैं समझता हूं कि यह इस देश का सबसे बड़ा अपमान है। महात्मा गांधी जी का नाम आज हिन्दुस्तान में ही नहीं विश्व में लिया जाता है क्योंकि महात्मा गांधी ने हिन्दुस्तान में आजादी की लड़ाई तो लड़ी ही, हिन्दुस्तान को आजाद कराया ही, साथ ही दुनिया के अन्य देशों जैसे दक्षिण अफ्रीका में जाकर के नस्लवाद, काले-गोरे के भेद को खत्म कराया जिसे [x x x] लोग शूद्र कहते हैं, नीच कहते हैं। इसलिये महात्मा गांधी के बारे में इनको कहने का कोई अधिकार नहीं है।

जहां तक गांधीवादी विचारा-धारा की बात है तो हम उसको मानें या न मानें यह अलग बात है लेकिन जो दुनिया भर में पूजा जाता है, ऐसे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के बारे में कोई कटाक्ष करे, कोई टिप्पणी करे या अनर्गल बात कहे, उसको बर्दाश्त नहीं किया जायेगा। हमारे लिये महात्मा गांधी आज भी प्रांषंगिक हैं और उन देशों के लिये भी जहां आज लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। महात्मा गांधी जी का नाम हिन्दुस्तान के इतिहास में तो रहेगा ही, दुनिया के इतिहास में स्वर्णाक्षरों में लिखा जायेगा। अगर किसी ने अपमानजनक टिप्पणी की है तो उसकी निन्दा होनी चाहिए। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

पंचायती राज मंत्री (श्री राम लखन वर्मा)–

मान्यवर, व्यवस्था की बात है, मैं आग्रह करूंगा कि मुझे भी समय दिया जाय।

श्री अध्यक्ष–

मैं आपको समय दूंगा, आपकी बात सुनूंगा। आप व्यवस्था उठाना चाहते हैं या बोलना चाहते हैं।

श्री राम लखन वर्मा–

मान्यवर, विनम्र निवेदन है कि मैंने पहले भी आग्रह किया था कि मैं भी अपने दल का एक नेता हूं। दल के नेता की हैसियत से बोलने दिया जाय और यह आग्रह भी करूंगा कि दल के नेता को बोलने का मौका दिया जाय।

नेता विरोधी दल (श्री कल्याण सिंह)–

श्रीमन्, इन्हें बोलने का मौका दिया जाय।

श्री अध्यक्ष–

मैंने इसलिये नहीं बुलवाया था कि नियम–311 के अन्तर्गत नोटिस दी जाती है। पहले प्रतिपक्ष की पूरी बात सुन ली जाती है। मा० संसदीय कार्यमंत्री जी या नेता सदन की बात सुनी जाती है। अब अगर स्वयं अपनी बात कहना चाहते हैं तो आपकी बात को सुनूंगा। पहले भारतीय जनता पार्टी की बात आ जाने दीजिये, उसके बाद बोलिये।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

दल के नेता को बोलने का मौका दिया जाय।

नोटः–[x x x] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

(शोर)

श्री राम आसरे वर्मा–

सभी दल के नेता सुन रहे हैं। माननीय नेता विरोधी दल का उत्तर भी सुन रहे हैं। मान्यवर, नेता, विरोधी दल को ही बुलवायें।

श्री अध्यक्ष–

मैं सभी को बुलवाऊंगा, आप मेरी बात तो सुन लीजियेगा।

एक सदस्य–

मान्यवर, व्यवस्था दी है, माननीय नेता विरोधी दल को बुलवायें।

श्री प्रमोद तिवारी–

सभी दल के नेता बोलेंगे।

श्री अध्यक्ष–

माननीय नेता, प्रतिपक्ष से जानकारी चाहूंगा कि वह पहले बोलेंगे या बाद में बोलेंगे ?

श्री कल्याण सिंह–

श्रीमन्, सबको सुनने के बाद बोलूंगा।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

आप अब सुन लीजियेगा, माननीय नेता विरोधी दल ने कहा है कि सबके बाद बोलेंगे।

(व्यवधान)

आप अब नहीं सुनना चाहते हैं, सुन लिया करिये। कम से कम अभी माननीय नेता विरोधी दल की बात आपसे कहना चाहता हूं। मैं माननीय नेता विरोधी दल से अनुरोध करना चाहूंगा कि सदन के चलते रहने तक आप बीच में बोलेंगे नहीं। जो भी माननीय सदस्य बोलना चाहें दस, पन्द्रह या पच्चीस सभी को बोलने दिया जायेगा और आपको बीच में नहीं बोलना है। बीच में न बोलकर आप सबके बाद बोलेंगे और किसी बात की मांग बीच में नहीं कर पायेंगे।

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है। आपने एक व्यवस्था दी कि पहले आप सभी दलों के नेताओं को सुनेंगे।

श्री अध्यक्ष–

माननीय वर्मा जी आप तो हमारे विचारों को सुनना ही नहीं चाहते हैं।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, आप तो बात भी पूरी नहीं करने दे रहे हैं । आपने एक व्यवस्था दी । उसके तहत माननीय नेता कांग्रेस दल, नेता, जनता दल व अन्य नेताओं ने अपनी बात कह दी, अब आपको भारतीय जनता पार्टी के नेता श्री कल्याण सिंह जी को सुनना चाहिये । अगर वह इस अवसर का लाभ नहीं उठाना चाहते हैं तो मैं निवेदन करना चाहूंगा कि फिर उन्हें अवसर आप न दें ।

श्री अध्यक्ष–

आप मेरी बात बिल्कुल समझना ही नहीं चाहते हैं ।

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, श्री राम आसरे वर्मा व श्री किरन पाल सिंह जी ने जो बात कही है, उसका मैं समर्थन करता हूं । आपने सभी दलों के नेताओं को सुन लिया है । बहुजन समाज पार्टी के नेता को भी आपने बुला लिया । अब आप बी० जे० पी० के नेता को भी बुलवायें । अगर वह नहीं बोलते हैं तो उन्हें अवसर न दिया जाय, यह मेरा आपसे अनुरोध है ।

श्री चैनसुख भारती–

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है । सदन नियमों के अनुसार चलना चाहिये । हम लोगों को भी बोलने का अवसर दिया जाय, केवल नेता को ही अवसर न दिया जाय ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय नेता प्रतिपक्ष, कृपा करके आप दो बातें सुन लें । एक तो यह कि सदन इस बात पर सहमत है कि सभी नेता बोल रहे हैं, इसलिए आप भी बोलें । उसके बाद सरकार में बैठे लोग अपनी बात रखें । अगर आप सबके बाद बोलना चाहते हैं तो आपको मौका नहीं मिलेगा । आप सुनते रहेंगे और फिर आप बोल नहीं सकेंगे । यही बात मैं कहना चाहता था, आप लोग सुन नहीं रहे हैं ।

श्री कल्याण सिंह–

मान्यवर, मैं एक निवेदन कर दूं, फिर आपकी जैसी इच्छा हो ।

श्री अध्यक्ष–

आप बोल रहे हैं ?

श्री कल्याण सिंह–

मान्यवर, विभिन्न दलों के नेताओं ने अपने विचार व्यक्त किये । अभी बी० एस० पी० के नेता माननीय श्री राम लखन वर्मा जी अपनी बात रख रहे थे । मुझे बोलने में कोई आपत्ति नहीं है । मैं अभी भी बोलने के लिए तैयार हूं । परन्तु मैं एक बात का अनुरोध अवश्य करूंगा कि यदि हमारे बाद के बोलने वालों ने कोई आक्षेप किया तो उसका उत्तर देने का मौका आप अवश्य देंगे ?

श्री अध्यक्ष–

यदि आपके किसी माननीय सदस्य ने किसी दल के प्रति आरोप लगाये तो वही अधिकार उनको भी होगा।

श्री कल्याण सिंह–

मुझे कोई आपत्ति नहीं, इनके दल के सदस्यों से कोई आक्षेपात्मक टिप्पणी की तो मुझे उत्तर का अवसर देंगे। मुझे अपने दल के माननीय सदस्यों की छवि पर विश्वास है वह कोई ऐसे शब्द नहीं कहेंगे।

श्री अध्यक्ष–

अधिकार सब का समान है।

श्री कल्याण सिंह–

मान्यवर, आज इस सदन में बहुत ही गम्भीर, बहुत ही संवेदनशील विषय पर चर्चा हो रही है। मुझे खेद इस बात का है कि चर्चा का जो सकारात्मक स्वरूप होना चाहिये था उससे हट कर अपने-अपने स्वभाव के अनुरूप विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं ने वे-वे बातें भी कहीं जिनका रैफरेंस यहां रखना आवश्यक नहीं था, परन्तु उन्हें अधिकार है। संक्षेप में मैं भी उन बातों के बारे में अनुमति चाहूंगा। चार बातें यहां पर सुनी। जहां तक पूज्य महात्मा गांधी के प्रति सम्मान और श्रद्धा का प्रश्न है मैं और मेरी पार्टी पूज्य महात्मा गांधी पर अगाध श्रद्धा रखती हैं और उनका हम पूरा-पूरा सम्मान करते हैं। जिस एक बात को, एक शब्द को लेकर यहां चर्चा की मेरे नाम का उल्लेख हुआ, भाजपा या इसके नेता या किसी सदस्य की ओर से पूज्य महात्मा गांधी के प्रति असम्मानजनक शब्द का प्रयोग नहीं किया गया ऐसे शब्दों का प्रयोग करने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है।

कोई महात्मा गांधी को अगर एक बार राष्ट्रपिता कह कर सम्मान व्यक्त कर रहा है तो मैं 108 बार महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कह कर सम्मान करता हूं। राष्ट्र की अवधारणा में अपनी-अपनी सोच अलग होती है। कुछ की अवधारणा है कि यह राष्ट्र 5 हजार वर्ष या उससे ज्यादा प्राचीन है, कुछ की अवधारणा है तीन हजार वर्ष है, कुछ की अवधारणा है कि ढाई हजार वर्ष है और कुछ की अवधारणा है कि 50 वर्ष है। प्रश्न राष्ट्र के प्रति अवधारणा का है। पूज्य महात्मा गांधी के असम्मान का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। मैं माननीय सदस्यों की जानकारी के लिये बता दूं हमारे यहां तो जो प्रातः स्मरण किया जाता है जिसमें इस देश के महापुरूषों के नामों का उल्लेख है, जिनका उल्लेख करके हम प्रेरणा पाते हैं उसमें पूज्य महात्मा गांधी का उल्लेख है। महात्मा गांधी का नाम और सम्मान जो हमारे यहां है कदाचित ही इस प्रकार की परम्परा किसी के यहां होगी कि इस प्रकार महापुरुषों का नाम प्रति दिन प्रातः काल स्मरण किया जाता हो और उससे प्रेरणा कोई पाता हो यह बात भारतीय जनता पार्टी ही कर रही है।

श्रीमन् एक दूसरी बात पूज्य महात्मा गांधी के प्रति कहना चाहता हूं। महात्मा गांधी एक संस्था बन चुके हैं। उनका अपमान किसी एक व्यक्ति का अपमान नहीं है, उनका अपमान पूरे राष्ट्र का अपमान है, उनका अपमान इस देश की 89 करोड़ 40 लाख जनता का अपमान है। यदि मैं यह कहूं, इसमें कोई

अतिशयोक्ति नहीं है, पूज्य महात्मा गांधी का अपमान विश्व भर की मानवता का अपमान है क्योंकि पूज्य महात्मा गांधी ने जो संदेश दिया वह पूरे मानव कल्याण के लिये दिया था। आजादी उनके नेतृत्व में हमें प्राप्त हुई, पूरा देश और हम जो आजाद हैं वह उनके कारण से हैं और आज किसी को बोलने की आजादी मिली है वह पूज्य महात्मा गांधी के संघर्ष के फलस्वरूप मिली है। बोलने की आजादी का अर्थ यह नहीं हो सकता कि किसी को गाली दी जाय। किसी की फिलासिफी से, किसी के विचार में किसी की सोच में तो मतभेद हो सकता है लेकिन इसका अर्थ यह नहीं होता है कि उनको गाली दी जाय और उनका अपमान किया जाय और साथ ही साथ यह कह दिया जाये कि हम गांधी वाद का विनाश कर डालेंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ समय से यहां पर कुछ लोगों को यह रोग लग गया है कि वह राष्ट्र के महापुरुषों का अपमान करें।

श्रीमन्, कौन नहीं जानता कि दिल्ली में राजघाट पर महात्मा गांधी की समाधि को किसने तोड़ा था, कौन नहीं जानता कि यहीं इसी सदन में पं० गोविन्द बल्लभ पंत के बारे में अपमान जनक टिप्पणी किसके द्वारा की गयी ? कौन नहीं जानता कि सरकार में बैठे हुये कुछ लोगों द्वारा फूलन देवी को झांसी की रानी कहा गया और श्रीम्ती इंदिरा गांधी से बड़ा नेता कहा गया है ? श्रीमन्, अब श्रीमती इंदिरा गांधी की फूलन देवी से तुलना की जायेगी तो कोई स्वीकार इसको करेंगे ? श्रीमती इंदिरा गांधी इस देश की महान नेता थीं। उनसे हमारे वैचारिक मतभेद हो सकते हैं लेकिन वह इस देश की महान नेता थीं। अब उनको फूलन देवी के समकक्ष खड़ा कर दिया गया। श्रीमन्, महात्मा गांधी का चित्र यहां लगा। सरकार में बैठे लोग कांग्रेस के मित्र और जनता दल के मित्र यह पसन्द करेंगे कि महात्मा गांधी के चित्र को यहां से हटा कर फूलन देवी का चित्र लगा दिया जाये। श्रीमन्, यह सारी बातें है जो पूरी तरह से अपमानजनक हैं।

मैंने समाचार पत्रों में पढ़ा है कि विधान परिषद् में मुख्य मंत्री जी ने अपने उत्तर में कुछ बातें कहीं हैं, उन्हें यहां पर उत्तर देने का मौका मिलेगा तो मैं चाहूंगा कि वह स्पष्ट करेंगे। श्रीमन्, उन्होंने कहा कि सपा और बसपा का गठबन्धन है विलय नहीं है। ठीक है, इसमें आपत्ति नहीं है। श्रीमन्, कदाचित वह यह कहना चाहते हैं कि बसपा द्वारा कही गयी बात का उत्तरदायित्व सपा पर नहीं है चूंकि इस समय यह सपा और बसपा की गठबन्धन की सरकार है, इसलिए मेरे विचार से सपा जो कहेगी वह बसपा पर लागू होनी चाहिए। मैं मानता हूं कि आपका गठबन्धन है और सपा के नेता श्री मुलायम सिंह यादव जी है और बसपा के नेता श्री कांशीराम और महामंत्री सुश्री मायावती हैं।

श्री अध्यक्ष–

अब आप सदन के बाहर की बात कह रहे हैं।

श्री कल्याण सिंह–

श्रीमन्, मैंने जो पढ़ा है और विधान परिषद् में जो मुख्य मंत्री जी ने कहा है वह कह रहा हूं। अगर नहीं कहा है तो मुख्य मंत्री जी उसका खन्डन कर देंगे। श्रीमन्, इनका बसपा से गठबन्धन है तो सुश्री मायावती को क्या किसी को गाली देने की छूट दी जायेगी ? आप सरकार में हैं इसलिए प्रत्येक के मान और सम्मान के उत्तर दायित्व की गारन्टी सरकार की होती है। आप यह कह कर मुक्त नहीं हो सकते हैं कि गठबन्धन की सरकार में है। आपके किसी सदस्य ने किसी महापुरूष का अपमान किया है

तो आप यह कह कर नहीं बच सकते हैं कि हम क्या कर सकते हैं ? राजनीतिक तौर पर आप कह दें लेकिन सरकार के नाते अगर कोई भी इस प्रकार से महापुरुषों का अपमान करता है, गाली देता है तो उसके खिलाफ आप कानूनी कार्यवाही करें । इसमें कोई वैसी बात नहीं है । अब मुख्य मंत्री जी अपने स्वभाव के अनुसार कुछ ऐसी बात कह जाते हैं, जिसका स्पष्टीकरण उनके पास नहीं होता है । मैंने आज समाचार पत्रों में यह भी पढ़ा है, मुख्य मंत्री जी ने अपने बयान में कहा है कि कांशीराम को किसी भाजपा के नेता ने बधाई दी है मायावती द्वारा यह बात कहे जाने पर । मैं उनसे उनका नाम जानना चाहूंगा, हमारे जिस नेता ने यह बात कही है, वरना इस प्रकार की निराधार बात कहने का कोई औचित्य नहीं है । मैं इसका प्रतिवाद करता हूं, बहस का भी कोई स्तर होना चाहिये ।

आखिर में बहलाने के लिए यह कांग्रेस और जनता दल के मित्रों से यह कहेंगे कि हम तो फिरकापरस्ती से लड़ रहे हैं, फिरकापरस्त ताकतों को कुचल रहे हैं, आप लोग क्यों इनके चक्कर में पड़ते हैं, यह तो हमें कमजोर कर देना चाहते हैं, आप इनकी इस तरह की किसी बात से बहकिये मत । साथ ही इन दलों के लोग कहेंगे कि हम तो इस सरकार को उसकी नीतियों, सिद्धान्तों और कार्यक्रमों के आधार पर अपना समर्थन दे रहे हैं । किन्तु सच क्या है ? सच यह है जैसे श्रीमन् कभी बाढ़ आती है, तो एक ही छप्पर पर सांप, बिच्छू, नेवला गीदड़ और शेर तथा आदमी इकट्ठे चले जाते हैं, उस पर इकट्ठा एक साथ बैठ जाते हैं, चूंकि उनके लिए एक कामन डैंजर होता है डूब जाने का...

श्री अध्यक्ष–

बिहारी जी का दोहा भी कह दीजिये–"कहलाने एकत बसत अहि, मयूर, मृग, बाघ" ।

श्री कल्याण सिंह–

तो संकट के समय में छप्पर पर भिन्न-भिन्न विचार और प्रकृति के जीव-जन्तु इकट्ठे आ जाते हैं । सच तो यह है कि इनका समर्थन नीति के आधार पर नहीं, सिद्धान्त और कार्यक्रम के आधार पर नहीं, केवल कामन डैंजर को सामने देखकर है और वह डैंजर है–इन सबको भारतीय जनता पार्टी से इन्हें अपने अस्तित्व के लिए खतरा लगता है । (मेजों की थपथपाहट) इस नाते से यह सारी बातें चलती हैं । मैं दो बातें चाहता हूं कि नेता सदन इस बात का स्पष्टीकरण अवश्य करें, प्रदेश और देश की जनता के सामने, क्योंकि वह जानना चाहती है कि वह उनके एक सहयोगी दल के महामंत्री सुश्री मायावती द्वारा पूज्य महात्मा गांधी के प्रति प्रयोग किये गये शब्दों को उचित मानते हैं या अनुचित मानते हैं । उन शब्दों का उन सारी बातों का वह समर्थन करते हैं या विरोध करते हैं ।

मैं अपने बसपा के मित्रों से भी यह अपेक्षा करता हूं और प्रदेश व देश की जनता भी उनसे अपेक्षा करती है कि वह भी स्पष्ट करें कि वह अपने दल की महामंत्री सुश्री मायावती के द्वारा महात्मा गांधी के प्रति प्रयुक्त शब्दों का समर्थन करते हैं या विरोध करते हैं ? क्या वह इसको कहने की स्थिति में हैं कि हमारे दल की एक नेता ने इस प्रकार के जो शब्दों का प्रयोग किया है वह गलत है या सही है ? जहां तक विचारधारा का प्रश्न है, तो भारतीय जनता पार्टी भारत के अनेक भारतरत्नों से महापुरुषों से हमेशा सामाजिक, राजनैतिक और आर्थिक क्षेत्र में प्रेरणा लेती है । पूज्य महात्मा गांधी के दर्शन में हमारा विश्वास है और जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि विकेन्द्रित आर्थिक व्यवस्था के नाते ही हमने गांधीवादी समाजवाद को स्वीकार किया ।

आज चाहे वह मा० राम मनोहर लोहिया जी हों, चाहे श्रद्धेय दीनदयाल जी हों, चाहे लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी हों या फिर माननीय चौधरी चरण सिंह जी हों या कोई ऐसे अन्य नेता हों, उनके चिन्तन और सोच से भारतीय जनता पार्टी प्रेरणा लेती है। क्योंकि महात्मा गांधी ने सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई लड़ी। आर्थिक-विकेन्द्रीयकरण की लड़ाई लड़ी, सत्ता के विकेन्द्रीकरण की लड़ाई लड़ी। आज इस प्रकार के महापुरुष का अपमान देश का कोई नागरिक सहन नहीं कर सकता है। मैं दो-तीन बातें कह कर अपनी बात को विराम देना चाहता हूं। माननीय प्रमोद तिवारी जी ने अपने स्वभाव के अनुसार जो कहना था, कहा है। इससे भिन्न कहने के लिये उनके पास कुछ है ही नहीं। महात्मा गांधी की हत्या नाथू राम गोडसे ने की। हम उस हत्या की, उस हत्यारे की घोर भर्त्सना करते हैं, निन्दा करते हैं।

यह आरोप गलत है कि भारतीय जनता पार्टी हत्या करने वाले का अभिनन्दन करती है। नाथू राम गोडसे ने पूज्य महात्मा गांधी की हत्या की, यह निन्दनीय कार्य किया लेकिन आज जो रोज दिन में 4 बार महात्मा गांधी के आदर्शों, सिद्धान्तों और कार्यों की हत्या कर रहे हैं, आपको कोई दंड मिलेगा ? श्रीमन्, रोज न्यायालय की दुहाई दी जाती है। न्यायालय की गरिमा होनी चाहिये। क्या यह बात पता नहीं है कि न्यायालय से यह बात प्रमाणित हो चुकी है कि नाथू राम गोडसे का राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ से कोई लेना देना नहीं था। यह न्यायालय का निर्णय आ चुका है कि महात्मा गांधी की हत्या में संघ का कोई दूर का हाथ नहीं था। पूज्य महात्मा गांधी का कोई भी अपमान करता है तो बी० जे० पी० उसकी निन्दा करती है और हत्यारों की भी निन्दा करती है।

(व्यवधान)

अभी माननीय प्रमोद तिवारी जी ने कहा था कि मुलायम सिंह यादव जी अपने उन मंत्रियों को बर्खास्त करें जिन्होंने महात्मा गांधी का अपमान अपशब्द कह कर किया है। मुख्य मंत्री जी, आप करें या न करें, करने की स्थिति में हैं या नहीं, यह आप अच्छी तरह से जानते होंगे। मुझे कोई टिप्पणी नहीं करनी है परन्तु नैतिकता का, धरातल पर कोई स्थान है कि नहीं है ? त्याग-पत्र मांगने की बात कही जा रही है इस प्रोटेस्ट में कि गांधी जी का अपमान हुआ है। सरकार के इन बैठे हुए नेताओं ने सत्ताधारी घटक ने पंडित गोविन्द बल्लभ पन्त का अपमान किया है क्या श्री प्रमोद तिवारी इसके विरोध में अपने सरकारी पद से त्याग-पत्र दे देंगे ? यह बात आप पर क्यों नहीं लागू होनी चाहिये ? जो सरकार को समर्थन दे रहे हैं, मैं नहीं कहना चाहता कि आप समर्थन दें या न दें। समर्थन करने से क्या लाभ हानि होगी इसका भविष्य में पता चलेगा। मंत्रियों से इस्तीफा मांगे जाने की बात कही जा रही है। आज मैं यहां पर एक बात अवश्य कहना चाहूंगा कि सपा-बसपा सरकार के लोगों द्वारा गांधी जी का अपमान हुआ है तब आप अपने पद से त्याग-पत्र क्यों नहीं दे देते जिससे तमाम सुविधाएं, लाल बत्ती वाली कार मिली है। जनता इस दोहरे चरित्र को अच्छी तरह से समझ रही है।

(व्यवधान)

श्री प्रमोद तिवारी--

मान्यवर, चूंकि एक गलत बयानी हुई है इसलिये मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि मैंने न कैबिनेट की सुविधा ली है और उस पद से त्याग-पत्र दे चुका हूं।

(व्यवधान)

श्री कल्याण सिंह–

श्रीमन्, एक दोहरा चरित्र और हमारे सामने आ गया है। मैंने कहा था कांग्रेस के लोगों का दोहरा चरित्र जनता जान रही है। तिवारी जी ने कहा उस पद से त्याग-पत्र दे दिया है। वह इतना और बता दें कि वह उस पद पर बने हैं या नहीं ? माननीय मुख्य मंत्री जी से उन्होंने कहा त्याग-पत्र देने का एक नाटक खेलूंगा, इसे आप स्वीकार मत करियेगा।

(भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों की ओर से शेम-शेम की आवाजें)

मुझे खुशी होगी आज वह घोषणा कर दें। मैं इसीलिए बैठ गया था कदाचित् मेरी बात का प्रभाव पड़ा होगा और यह इस्तीफा देने की घोषणा करेंगे। माननीय नेता जनता दल ने टिप्पणियां की हैं मैं सबका उत्तर नहीं देना चाहता हूं। पूज्य राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का अपमान हो रहा है। हमें उनके प्रति अगाध श्रद्धा है। हमने व्याख्या नहीं की है। हमने सकारात्मक बात कह दी। कम्युनिस्ट पार्टी के ऊदल जी बैठे हैं मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं वह बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं। वह कह रहे थे कि पूज्य महात्मा गांधी के बारे में भाजपा को कहने का हक नहीं है लेकिन क्या कम्युनिस्ट पार्टी को हक है जिन्होंने महात्मा गांधी को साम्राज्यवादियों का पिट्ठू कहकर बदनाम किया और उनका घोर अपमान किया।

(व्यवधान)

श्रीमन्, यह इतिहास में है सन् 1942 का स्वतंत्रता संग्राम आन्दोलन जब चल रहा था तब स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने फांसी के फंदे पर लटक कर लाल लहू से लकड़ी के तख्तों को लाल कर दिया था उस समय कम्युनिस्ट पार्टी अंग्रेजों का साथ दे रही थी। चीन द्वारा जब हमला किया गया तो देश पर संकट की घड़ी थी उस समय कम्युनिस्टों ने आक्रमणकारी का साथ दिया और देश के साथ विश्वासघात किया और आज वह ऐसी बात कह रहे हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी सबसे ज्यादा सबसे बड़े देश के पूज्य हैं इस नाते मैं निवेदन करना चाहता हूं कि बसपा की नेता माननीया सुश्री मायावती ने पूज्य राष्ट्रपिता के लिए जो अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया है उसके लिए वह सार्वजनिक रूप से देश की जनता से क्षमा मांगें अन्यथा मैं मुख्य मंत्री जी से अपील करूंगा कि जो कानूनी कार्यवाही संभव होती हो उनके खिलाफ करें। महात्मा गांधी जी का अपमान पूरे राष्ट्र का अपमान है यह अपमान एक व्यक्ति तक सीमित नहीं है। यदि कोई किसी के प्रति किसी प्रकार की विचारधारा रखता है तो किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए, लेकिन जिन शब्दों का प्रयोग किया गया है वह बहुत अपमानजनक है।

इस समय पूरे राष्ट्र में एक असन्तोष व्याप्त हो रहा है। इस तरह के बयानों से राष्ट्र की धरती पर चिंगारी सुलग रही है। इस तरह के बयानों के कारण विस्फोटक स्थिति बन रही है। यह चिंगारी जब बड़ा रूप लेगी तो ज्वालामुखी बन जायगा और उस ज्वालामुखी की धधकती आग में देश जलेगा। मैं चाहूंगा कि माननीय मुख्य मंत्री जी इस देश को बचाएं। सत्ता ऐसी चीज नहीं है कि पूरे देश को तोड़ दें आप हिम्मत से काम लें। मैं आपकी मजबूरी समझ सकता हूं। जिन महात्मा गांधी को आप कहते हैं कि वह आपके गुरू के गुरू हैं और आपके गुरू के गुरू का आपके साझेदार लोगों के द्वारा इस तरह से अपमान किया जाय।

आप इस अपमान के घूंट को मत पीजिए। महात्मा गांधी के प्रति जो अपमान किया जा रहा है, इसे न कीजिए। घोषणा यह कीजिए कि मुझे ऐसी सरकार नहीं चलानी है। मैं आप सबको बताना

चाहता हूं, बसपा के मित्र क्षमा करें यह बहुत भ्रम में हैं। एक दूसरे के सहयोग से 174 सीटें मिली हैं। जिस दिन आप इस तरह की घोषणा कर देंगे कि महापुरुषों के प्रति इस प्रकार के शब्दों को मैं बरदाश्त नहीं करूंगा, मैं सच कहता हूं यह 95 फीसदी उसी दिन ठीक हो जायेंगे। आपका काम बहुत हलका हो जायेगा। आपकी चुप्पी इन लोगों के हौसले बुलन्द कर रही है। यह उचित नहीं है।

मैं इस शब्दों के साथ नियम 311 की ग्राह्यता पर बल देता हूं और इस तरह के बयान की भर्त्सना करता हूं। बसपा की महामंत्री सुश्री मायावती जिन्होंने पूज्य महात्मा गांधी के प्रति अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया है। आपके माध्यम से पूरे सदन से अनुरोध करता हूं कि इस निन्दा के प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पारित होने दीजिये। प्रदेश की जनता में, देश की जनता में अच्छा संदेश जायेगा। कुछ लोगों का इलाज किए बगैर ही इलाज हो जायेगा। एक बार दम तो दिखाइए।

(श्री कल्याण सिंह के प्रस्ताव पढ़ने पर।)

श्री अध्यक्ष–

माननीय नेता प्रतिपक्ष आप बैठ जाइए यह प्रस्ताव नहीं लिखा जायेगा। यह कार्यवाही का अंग नहीं बनेगा।

लोक निर्माण एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)–

मान्यवर, यह नियमों में व्यवस्था नहीं है कि कोई भी प्रस्ताव बगैर आपकी अनुमति से कार्यवाही का अंश नहीं बन सकता है। यह जो प्रस्ताव इन्होंने पढ़ा है मेरा आपसे अनुरोध कि इसको कार्यवाही से निकलवा दें।

श्री अध्यक्ष–

प्रस्ताव की ग्राह्यता पर सुना जायेगा, प्रस्ताव नहीं लिखा जायेगा। यह नहीं लिखा जायेगा।

(श्री राम आसरे वर्मा के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष–

और लोगों के विचार आ जाने के बाद आप अपनी बात कहेंगे या पहले कहेंगे।

श्री राम आसरे वर्मा–

ठीक है मैं बाद में बोलूंगा।

पंचायती राज मंत्री (श्री राम लखन वर्मा)–

श्रीमन्, दल के नेता की हैसियत से आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। श्रीमन्, मैं माननीय सदन को आश्वस्त कर देना चाहता हूं कि दल हमारे दो हैं लेकिन दिल हमारा एक है। सरकार एक है। हमारे नेता माननीय मुलायम सिंह यादव हैं। मैं मुख्य मंत्री जी के ऊपर पूरा विश्वास करता हूं, इसमें दो राय नहीं है। श्रीमन्, पहले तो मेरा निवेदन है कि जो मेरी जानकारी है। चूंकि श्री मायावती इस सम्मानित सदन की सदस्या नहीं हैं, इसलिए इस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए। चूंकि आपने इस पर व्यवस्था दी है, इसलिए उसका स्वागत करता हूं। श्रीमन्, मैं इस सदन को बताना चाहता हूं कि जो टिप्पणी, जिस पर आज चर्चा चल रही है हमारी राष्ट्रीय महासचिव कु० मायावती की है। उन्होंने कहा था कि अगर महात्मा गांधी कहते थे कि हरिजन भगवान जन हैं तो

क्या बाकी शैतान के लोग हैं । उन्होंने महात्मा गांधी के प्रति कोई टिप्पणी नहीं की, न कोई बात की थी । हम अनुशासित लोग हैं । हम सबसे ज्यादा अनुशासन में विश्वास करते हैं ।

मान्यवर, यह जरूर है कि हम जो कहते हैं उस पर अटल रहते हैं । भारतीय जनता पार्टी की तरह हमारे दो मुंह और दो आवाजें नहीं है । [x x x] हम बहुजन समाजवादी पार्टी के लोग जो कहते हैं वह करते हैं और जो कहते हैं उस पर अडिग रहते हैं । जैसा कि हमारे बड़े भाई सम्मानित नेता कांग्रेस प्रमोद तिवारी जी ने कहा कि हम लोग गांधी जी का अपमान करते हैं, हमारे लोग अपमान करते हैं लेकिन ऐसी बात नहीं है । सबसे ज्यादा पूज्य महात्मा गांधी को मानने वाले हमारे लोग हैं । हमारे लोगों ने सारे समाज के लोगों को सम्मान दिया है और महात्मा गांधी को सम्मान देते हैं ।

गांधीवाद और अम्बेदकरवाद यह दो विचारधारायें हैं । हम अम्बेदकर वाद की विचारधारा को मानते हैं । यह सदन और यह देश संविधान से चलता है । संविधान को बाबा साहब अम्बेदकर ने बनाया और हम उस संविधान में विश्वास करते हैं । भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने शपथ-पत्र दिया था और उसकें बाद आज कह रहे हैं कि हमारी तरफ से कोई शपथ-पत्र नहीं था । आज इनकी मजबूरी है, आज माननीय कल्याण सिंह, मुख्य मंत्री जी की दुहाई दे रहे हैं, दुहाई इसलिये दे रहे हैं कि हमारे मुख्य मंत्री, नेता सदन मजबूत हैं । जब नेता सदन मजबूत होता है और नीयत ठीक होती है तो सारे लोग उसकी दुहाई देते हैं । आज नेता विरोधी पक्ष को मजबूर होकर माननीय नेता सदन की दुहाई देनी पड़ा रही है । मान्यवर, हमारे नेता जनता दल ने कहा, बड़े जोरदार शब्दों में कहा कि हरिजन शब्द बहुत अच्छा है, इसको निकाल दिया गया है । मान्यवर, अगर यह शब्द बहुत अच्छा था तो मैं आपके माध्यम से सभी सम्मानित सदस्यों से निवेदन करूंगा कि जितने सम्मानित सदस्य हैं उन सबको अपने नाम के साथ हरिजन शब्द लगाना चाहिये । मान्यवर, हरिजन अच्छा शब्द है तो [x x x] उनको सोचना चाहिए था उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के लोग गऊ को माता कहते हैं इसलिए बछड़े को पिता कहना चाहिए उनका कहना है कि हरिजन शब्द बहुत अच्छा है [× × ×] मान्यवर, यह सारे लोग आज मजबूरन दलित, पिछड़े लोगों के वोट इकट्ठा करने के लिये घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं । और मजबूर होकर बाबा साहेब भीमराव अम्बेदकर का नाम ले रहे हैं ।

मान्यवर, आज हमारा समाज इकट्ठा हो रहा है । तमाम दलित, पिछड़े लोग इंसाफ के लिये इकट्ठा हो रहे हैं इसलिये यह घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं । हमारे मुख्य मंत्री मजबूत हैं, हम लोगों में कोई मतभेद नहीं है । अगर भारतीय जनता पार्टी के लोगों के दिमाग में कहीं कोई इस तरह का फर्क है तो उसे निकाल देना चाहिये । हम अपने नेता सदन को मुख्य मंत्री मानते हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष कांशीराम साहब को मानते हैं । मान्यवर, मैं इतना जरूर चाहूंगा कि यदि चर्चा हो तो हमारे दल के लोगों के विचार जरूर लिये जायं । जयहिन्द, जयभारत ।

श्री अध्यक्ष–

अभी सदन में विभिन्न दलों के लोगों ने अपनी-अपनी बात रखी और माननीय वर्मा जी ने अपना स्पष्टीकरण दिया । अगर इससे संतुष्ट न हों तो और बुलवा लिया जाय ।

(बुलवा लिया जाय की आवाजें)

नोट :–[x x x] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

(श्री जगदम्बिका पाल के पुकारे जाने पर)

श्री घनश्याम शुक्ल–

मान्यवर, मेरी बात आप नहीं सुनेंगे ?

(कई सदस्यों के एक साथ खड़े होकर बोलने से, घोर व्यवधान)

श्री नरेश अग्रवाल–

मान्यवर, मेरा आपसे निवेदन है कि सभी दलों के नेताओं के विचार आ गये हैं .....

(व्यवधान)

* श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, पिछले दो दिनों से जो बात इस सम्मानित सदस्यों को उत्तेजित कर रही थी, जिस टिप्पणी पर न केवल इस सदन के सम्मानित सदस्य, बल्कि पूरे प्रदेश और देश के जनमानस क्षुब्ध थे, आक्रोश में थे और जो एक भविष्य के लिये खतरनाक संकेत का परिचायक था, जिसके कारण आपने यह देखा होगा कि सदन के अन्दर और बाहर सभी लोग मर्माहत थे, अब उससे काफी वातावरण सामान्य हो रहा है। लेकिन मान्यवर, जो परिस्थितियां उत्पन्न हुई थीं, उन परिस्थितियों में नेता सदन माननीय मुलायम सिंह यादव जी को लगातार अपनी सरकार की नीतियों को स्पष्ट करना पड़ रहा था, चाहे इस सदन में या दूसरे सदन में, उसमें स्पष्ट करना पड़ा था कि यह सरकार गांधी वादी नीतियों पर चलेगी।

हमारे दल के, विधान मण्डल दल के नेता जो हैं, सदन में वह स्वयं उपस्थित हैं, उनकी तरफ से अभी कोई स्पष्टीकरण नहीं आया है। राष्ट्रीय पार्टी के महामंत्री के स्पष्टीकरण की एक बात से संतुष्ट हो सकता हूं लेकिन आज पूरे प्रदेश और देश की जनता ने अपनी आंखों से स्वयं अखबारों में देखा है कि परिवहन मंत्री ने कहा कि गांधी जी दलितों के विरोधी थे। उन्होंने कहा कि मेरा दल न गांधी को मानता है, न लोहिया को मानता है। गांधी जी पिछड़े वर्गों के लिये, दलितों के लिये कोई काम नहीं किया है तो अगर उसके संबंध में स्पष्टीकरण नहीं आयेगा, तो निश्चित रूप से यह बात कोचती रहेगी। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि आज उस व्यक्ति पर टिप्पणी हुई है, जिसने इस देश को आजाद कराया है और जिसकी बदौलत हम आज यहां पर बैठे हैं और अपनी भावनाओं को स्वतंत्र रूप से व्यक्त कर रहे हैं। मान्यवर, आज महात्मा गांधी जी की नीतियों पर टिप्पणी की गयी और उस पर आज इस सदन में चर्चा हो रही है, मान्यवर, आज तो इस बात की चर्चा होनी चाहिये थी कि इस सरकार के तीन महीनों के कार्यकाल में उसकी क्या-क्या उपलब्धियां रही हैं।

अगर इस प्रकार की टिप्पणी न हुई होती तो आज बधाई का प्रस्ताव आया होता, इस सरकार की उपलब्धियों की।

(इस समय 3 बजकर 35 मिनट पर अधिष्ठाता श्री अशोक बाजपेयी पीठासीन हुए।)

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मान्यवर, पूरे प्रदेश में इस समय इसी बात की चर्चा है और आज माननीय मुख्य मंत्री जी सफाई दे रहे हैं और अगर इस प्रकार की बात न हुई होती तो आज वह अपनी उपलब्धियों को गिना रहे होते। मान्यवर, आज के माहौल में आज के वातावरण में वह गौण हो गयीं और पिछले तीन दिनों से उस टिप्पणी पर समय जा रहा है। मुझे दुख है, मैं मा० मुलायम सिंह जी को 12 सालों से जानता हूं, जब वह और हम यहां पर एक साथ बैठते थे, उस समय उनके विचार किसी भी बिन्दु पर बिल्कुल स्पष्ट होते थे, लेकिन इन तीन दिनों से मैं देख रहा हूं कि किस प्रकार से यहां पर आचरण किया जा रहा है। एक ओर तो सरकार की नीतियों की बात कही जाती है और दूसरी ओर मंत्रिमंडल के लोग इस प्रकार की टिप्पणी कर रहे हैं, और विपरीत बात कर रहे हैं।

मान्यवर, माननीय परिवहन मंत्री जी की टिप्पणी पर आज नियम 311 में कई सूचनायें आयीं, माननीय किरनपाल सिंह जी ने कहा और भारतीय जनता पार्टी के कई माननीय सदस्यों ने कहा कि कांग्रेस पार्टी में इन चीजों से गरमाहट है, तो प्रमोद तिवारी जी को इस्तीफा दे देना चाहिये। मैं कहना चाहता हूं कि अगर आज मुख्य मंत्री जी कह दें कि उनकी गांधी जी में आस्था नहीं है, तो प्रमोद तिवारी जी इसी सदन में इस्तीफा दे देंगे, यह कहने में मुझे संकोच नहीं है। मैं यह कहना चाहूंगा कि समाजवादी पार्टी की सरकार को चलाने का हमारा समर्थन है और हमारा यह प्रयास है कि केन्द्र से अधिक से अधिक धन उत्तर प्रदेश को मिले। राज्य योजना आयोग के उपाध्यक्ष का जो पद है, वह केन्द्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में समन्वय स्थापित करता है और मैं बताना चाहता हूं कि परिव्ययों की 12 प्रतिशत राशि को बढ़ाया है और हमारा प्रयास रहेगा कि यह परिव्यय और बढ़ता रहे। हमने इस सरकार को समर्थन दिया है और गांधी जी की नीतियों में आस्था व्यक्त की है, लेकिन यह आज इस तरह की बातें कर रहे हैं, हमें नसीहत दे रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि केन्द्र में कांग्रेस की सरकार है और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार है। मा० विश्वनाथ प्रताप सिंह की जब केन्द्र में सरकार थी, उस समय भारतीय जनता पार्टी के लोग राज्यपाल बनाये गये और वह आज भी बने हुए हैं और आज तक इस्तीफा नहीं दिया है। मैं जानना चाहता हूं कि क्यों नहीं दिया है और वह इस तरह की बात क्यों करते हैं?

(व्यवधान)

मान्यवर, मैने तो बहुत धैर्य से सुना था नेता प्रतिपक्ष की बात को, कहीं व्यवधान हमारे दल ने नहीं पैदा किया।

(कई सदस्यों द्वारा टोकाटाकी करने से सदन में व्यवधान बना रहा।)

(व्यवधान के मध्य)

मान्यवर, हम जो बात कह रहे हैं, उनका कोई सदस्य इसका उत्तर दे देगा। मैं नाम का उल्लेख करूंगा कौशल जी हैं और लोग हैं। (व्यवधान) यह सारे लोग भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग प्रदेश के राज्यपाल रहे हैं केन्द्र में दूसरी पार्टी की सरकार के रहते।

(घोर व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

आप विषय पर बोलें, विषयान्तर न हों।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, आज भी हम गांधी जी की तस्वीर के नीचे बैठकर पूरे प्रदेश के कानून बनाने का काम विधायिका के रूप में विधान मंडल में करते हैं।

(व्यवधान)

[x x x]

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

अब आप समाप्त करें।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, अगर देखा जाय तो मुलायम सिंह यादव जी का भी बहुत योगदान है, वह जमीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता के रूप में हैं, मुख्य मंत्री हैं उनके विरुद्ध तहसीलदार सिंह डकैत को लड़ाया गया क्या यह उचित बात है ?

(घोर व्यवधान)

श्री जगदम्बिका पाल–

जो मैं कह रहा हूं यह हकीकत बात है।

श्री रंगनाथ–

यह लालबत्ती लेना चाहते हैं इसीलिये यह ग्राह्यता पर नहीं बोल रहे हैं।

श्री अधिष्ठाता–

आप समाप्त करें।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, मैं एक दो बात और कहना चाहता हूं।

मान्यवर, अब स्पष्टीकरण तो हो गया है कि यह टिप्पणियां नहीं हैं गांधीवाद और अम्बेदकरवाद का अभियान चलाने की बात हो रही है। हमारा जितना गांधी जी के प्रति सम्मान है उतना ही अम्बेदकर जी के प्रति सम्मान है।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

आप समाप्त करें, मैंने वर्मा जी को बुला लिया है।

नोट:–[xxx] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, कई दिनों से पूरे प्रदेश में एक उहापोह की स्थिति पैदा हो गयी और आज उस उहापोह की स्थिति से निजात मिल गयी है और वह निजात हम सबको ही नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश की जनता को मिली है। मान्यवर, गांधी जी और गांधीवाद, अगर किसी के हाथ खून से रंगे हैं गांधी की हत्या से, तो किसी के हाथ रंगे हैं गांधीवाद की हत्या से। आज गांधी और गांधीवाद के बारे में दुहाई देने वाले इससे मुक्त नहीं हैं। गांधी की हत्या सबने सुन ली और सबको पता है। हमारे नेता विरोधी दल ने चोर की दाढ़ी में तिनका, वह भी साबित कर दिया। मान्यवर, गांधीवाद के हत्यारे यह बैठे हुए हैं (कांग्रेस दल की ओर इशारा करते हुए) मान्यवर, इतिहास गवाह है कि इस देश में स्वदेशी आन्दोलन के प्रणेता के रूप में पूज्य गांधी जी थे और पूरे देश में विदेशी माहौल बनाने का काम कौन कर रहा है ? यह सभी लोग जानते हैं यह किसी से छिपा नहीं है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जिस टिप्पणी का यहां जिक्र किया गया उसके बारे में स्थिति साफ है। कोई शब्द किस भाव से कहे गये वह बात भी सामने आ गयी। इसलिये मेरा निवेदन यह है कि इसका पटाक्षेप होना चाहिये। जो एक बात अभी हमारे दल के नेता ने हजिरन शब्द के बारे में कही उस पर बसपा के माननीय नेता श्री राम लखन वर्मा जी ने कुछ आपत्ति की।

मान्यवर, हरिजन शब्द डिक्शनरी से निकाल देना चाहिये। यही भाद हमारे नेता के थे, माननीय राम लखन वर्मा जी वह बात शायद समझ नहीं पाये होंगे। उन्होंने दूसरे अर्थ में उसे समझा। जो आजादी की लड़ाई हुई थी, उस आजादी की लड़ाई में गांधी जी और डा० भीम राव अम्बेदकर दोनों एक दूसरे के पूरक थे। दोनों के योगदान का ही नतीजा है कि आज हम आप सब यहां पर बैठे हुए हैं। प्रासंगिकता की बात अलग होती। किसी समय में कोई बात प्रासंगिक ज्यादा होती है कोई बात कम होती है। हो सकता है कि आज के समय में गांधीवाद उतना प्रासंगिक न हो जितना अम्बेडकरवाद हो। क्योंकि आजादी की लड़ाई जो लड़ी गयी उसमें हमें राजनीति की आजादी मिली थी।

इसी समाज में समरसता का माहौल उस समय नहीं बनाया जा सका था जिन समाज में समरसता का माहौल बनाने की बात सोचेंगे, वहां बाबा भीमराव अम्बेडकर को याद किये बिना कोई नहीं रह पायेगा। (सत्तापक्ष के कुछ सदस्यों द्वारा मेजों की थपथपाहट) किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व के खिलाफ आपत्तिजनक टीका टिप्पणी कोई भी सूझबूझ का व्यक्ति नहीं करना चाहता है। विचारों में मतभेद होता है। गांधीवाद से जुड़े हुए लोग हो सकते हैं, गांधीवाद के विरोधी भी हो सकते हैं। इसलिये मैं यह निवेदन करूंगा कि अब इस अध्याय को बन्द कर दिया जाना चाहिये और एक भाईचारे के माहौल में उत्तर प्रदेश की जनता के बारे में सोचें और छोटी मोटी बातों के बारे में सदन का समय बेकार न करें।

(श्री सत्य प्रकाश विकल के खड़े होने व कई अन्य सदस्यों के खड़े होने पर)

श्री अधिष्ठाता–

इस विषय पर काफी चर्चा हो चुकी है। माननीय नेता सदन बोलना चाह रहे हैं।

श्री कल्याण सिंह–

मान्यवर, आपने यह देखा होगा कि इस पर एक दल से एक से अधिक सदस्य बोल चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी एक सबसे बड़े विपक्षी दल के रूप में है। अभी केवल मैंने अपने विचार रखे हैं माननीय हरीकिशन श्रीवास्तव जी खड़े हैं अपने विचार रखने के लिये उनको मौका दे दें उसके बाद माननीय नेता सदन बोल लेंगे।

श्री हरीकिशन श्रीवास्तव–

मान्यवर, आज के संदर्भ में जो चर्चा चल रही है उसमें मुख्य रूप से हमारे ब० स० पा० दल के माननीय नेता, श्री वर्मा जी ने हरिजन शब्द का प्रयोग इस तरह से किया जैसे हमारे उस शब्द को महात्मा गांधी ने किसी ऐसे दृष्टिकोण से रखा था कि दलितों को कुछ और दलित समझकर उपयोग किया हो। यह भ्रामक है उसके बारे में प्रमाण प्रस्तुत करना चाहता हूं। मान्यवर, हरिजन शब्द की उत्पत्ति तब हुई थी जब एक अंग्रेज पत्रकार ने पूछा अंग्रेजी में है, "सेबरेल क्रासपौन्डेन्ट हैब आस्कडमी वाई आई हैब एडप्टेड द नेम "हरिजन" फार अनटचेबेल", मैं इसका हिन्दी में अनुवाद कर देता हूं कि मुझसे उन लोगों ने पूछा कि हरिजन शब्द का प्रयोग क्यों किया गया तो गांधी जी ने उत्तर दिया कि इस शब्द का निर्माणकर्ता मैं नहीं हूं।

नवजीवन पत्र उस समय मेरे द्वारा निकला जाना था उस समय महात्मा गांधी समाज के अछूत कहे जाने वालों के लिये अस्पृश्य शब्द का प्रयोग करते थे तो एक अछूत पत्रकार ने प्रस्तावित किया कि अछूत या अस्पृश्य नाम अच्छा नहीं है कोई और नाम चयन किया जाय। उस समय एक अछूत कवि ने प्रस्तावित किया कि शब्द हजिरन रखा जाये इसका संदर्भ "हरिजन" ए जनरल आफ एप्लाइड गांधीज्म 1933-35 वायलूम फर्स्ट–1933 में है। जिसका सम्पादन जौन बैन्डवेन्ट ने किया है।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि हिन्दी विश्वकोश के खण्ड–12–पृष्ठ–294, 296 में यह कहा गया कि हिन्दू समाज में जिन जातियों या वर्गों के साथ अस्पृश्यता का व्यवहार किया जाता था, और आज भी कुछ हद तक वैसा ही विषम व्यवहार कहीं-कहीं पर सुनने और देखने में आता है, उनको अस्पृश्य, अंत्यज या दलित नाम से पुकारते थे। यह देखकर कि ये सारे ही नाम अपमानजनक हैं, सन् 1932 के अन्त में गुजरात के एक अंत्यज ने ही महात्मा गांधी को एक गुजराती भजन का हवाला देकर लिखा कि अंत्यजों को "हरिजन" जैसा सुन्दर नाम क्यों न दिया जाय। उस भजन में हरिजन ऐसे व्यक्ति को कहा गया है, जिसका सहायक संसार में, सिवाय एक हरि के, कोई दूसरा नहीं है। गांधी जी ने यह नाम पसंद कर लिया और यह प्रचलित हो गया। एक बात और कहना चाहता हूं और यह प्रमाणित भी कर देना चाहता हूं कि महात्मा गांधी इस नाम के जनक नहीं थे। इस नाम के जनक उस समय के कहे जाने वाले अछूत पत्रकार थे जिन्होंने यह सुझाव दिया था।

मान्यवर, मैं डीन डिक्शनरी का उद्धरण इस संबंध में देना चाहता हूं। एक संक्षिप्त हिन्दी शब्द सागर है उसमें हरिजन शब्द का अर्थ लिखा है–ईश्वर का भक्त, दूसरा हिन्दी विश्वकोष है जिसमें उसका अर्थ है–भगवान का दास और तीसरा मानक हिन्दी कोष है उसमें उसका अर्थ है–भगवान का बन्दा। मान्यवर, अगर श्री राम लखन वर्मा जी की इच्छा है और यदि इस तरह की कोई मोहर बन सकती है तो हरीकिशन श्रीवास्तव के सीने पर यह लगा दी जाये कि वे एक हरिजन है। अन्य बात मैं यह भी कहना

चाहता हूं और विशेषकर माननीय मुख्य मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि वे इस विषय पर ध्यान देने का कष्ट करें । यह विवाद महात्मा गांधी और अम्बेडकर जी के विचारों का किस समय प्रारम्भ हुआ, इस बात को जानना बहुत आवश्यक है । अनावश्यक विवाद से निकलकर यदि हम इस तथ्य को जान जायें, तो देश का बड़ा कल्याण होगा । वर्ष 1932 में जब राउन्ड टेबिल कान्फ्रेंस हो रही थी, उसमें अंग्रेजों की यह चाल थी कि हिन्दुस्तान को किस तरह से आपस में विभाजित कर दिया जाय । मुस्लिम लीग के मोहम्मद अली जिन्ना इस बात पर जिद किये हुए थे कि हमारे मुसलमान भाइयों का पृथक निर्वाचन हो और गांधी जी ने लाचारी में इस बात को माना, परन्तु उसी समय डा० अम्बेडकर ने यह कहा कि हम हिन्दू नहीं हैं । यह पशुओं को नहलाते हैं, लेकिन जब हमको छूते हैं तो स्वयं नहाते हैं ।

हम मंदिरों में प्रवेश नहीं कर सकते, इसलिये हम हिन्दू नहीं हैं तब अंग्रेजों के सामने यह प्रस्ताव रखा गया कि अछूत कहे जाने वाले लोगों का भी निर्वाचन क्षेत्र अलग कर दिया जाय । महात्मा गांधी ने इस चाल को समझा कि जो यह मुसलमान भाई कह रहे हैं कि हमारा धर्म अलग है, हमारी भाषा अलग है, हमारा इबादत करने का तरीका अलग है, वह सत्य भी है परन्तु यदि दुर्भाग्य से अछूत कहे जाने वाले हिन्दू जाति के लोग हमसे अलग हो गये, तो फिर इस देश का क्या होगा ? राष्ट्र निर्बल हो जायेगा महात्मा गांधी ने यह भी कहा था कि हमारी लाश पर अछूतों को हिन्दुओं से अलग किया जायगा, फिर भी उसके पश्चात् ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ने साम्प्रदायिक एवार्ड की घोषणा कर दी कि अछूतों का भी निर्वाचन क्षेत्र अलग होगा परिणाम स्वरूप तब पूना की यर्वादा जेल में गांधी ने साम्प्रदायिक एवार्ड की वापसी की मांग को लेकर अनशन प्रारम्भ किया, जिस पर दबाव में एक समझौता (पूना पैक्ट) हुआ और डा० अम्बेडकर ने भी इस बात को स्वीकार कर लिया था पूना पैक्ट के बाद अछूत भाइयों को उससे भी ज्यादा अधिकार मिले जो एवार्ड में दिये जा रहे थे सबसे बड़ी घटना तो यह है, जिसे सारे भारतवर्ष के लोग समझ लें कि हिन्दुस्तान में उस समय जो आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी, उसमें असहयोग आन्दोलन भी चल रहा था (नान कोआपरेटिव मूवमेंट) । गांधी जी ने असहयोग आन्दोलन को स्थगित कर कहा कि दलितों का उद्धार करो । इसे प्राथमिकता दी गांधी जी ने इसके लिये रोये, इसके लिये विरोध सहन किया जब सवर्णों ने इसका विरोध किया, तो महात्मा गांधी जी भंगी कालोनी में जाकर बैठ गये और कहा कि सबको वहां आना पड़ेगा ; तो मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं कि जिसने इस महान कार्य को किया, उसके लिये आरोप लगा दिया जाय कि दलितों के लिये काम नहीं किया और वे उनके हितों के शत्रु थे यह उचित नहीं है । महात्मा गांधी ने अपना सारा जीवन दलितों के उत्थान के लिये लगा दिया । डा० अम्बेडकर भी उनके साथ काम करते रहे और साथ-साथ लड़ाई लड़ी । आज लोग जो इस सदन में बैठे हैं, वोटों की लालच में कुछ भी कहें "तिलक, तराजू और तलवार का नारा देते हैं अगर आपको जूता ही मारना है तो आप भंगी को लाइये और उस भंगी से कहें कि सबको जूता मारो, चाहे मुलायम सिंह यादव हों, चाहे मा० काशीराम हों, चाहे श्री राम लखन वर्मा हों । आज भी सबके घरों में वहीं सफाई कर्मचारी विद्यमान हैं । आज जरूरत इस समाज को बदलने की है, समाज को जोड़ने की है ।

आप लोग अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं, उससे समाज टूट रहा है, आप लोग घृणा की नींव पर खड़े हैं । इसलिये मैं यह कहना चाहता हूं कि मायावती जी आज यह घोषणा कर दें कि मैंने ऐसी बात नहीं कही है, इससे मैं समझता हूं कि जो अंधकार छा गया है, उसका निराकरण हो जायेगा ।

(इस समय 4 बजे श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए ।)

* मुख्य मंत्री (श्री मुलायम सिंह यादव)–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी पर समाचार-पत्रों में छपी टिप्पणी पर माननीय नेता विरोधी दल, माननीय नेता कांग्रेस पार्टी, नेता जनता दल और नेता कम्युनिस्ट पार्टी और अन्य माननीय नेताओं ने भी टिप्पणी पर अफसोस जाहिर किया और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के सम्मान में जो ठेस पहुंची उसका जिक्र किया । इस संबंध में चर्चा खत्म हो जानी चाहिए क्योंकि हमारे माननीय पंचायती राज मंत्री श्री राम लखन वर्मा जी ने जब राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के प्रति, बाबा भीम राव अम्बेडकर के प्रति सम्मान जाहिर कर ही दिया है तब इस पर अब कोई विशेष चर्चा बचती नहीं है और माननीय सदन को भी कहीं शंका की गुंजाइश नहीं रह जाती है । लेकिन फिर भी हमारी जिम्मेदारी है, कुछ ऐसे सवाल हैं, मुद्दे हैं उसका लेकर ।

माननीय तिवारी जी ने कहा कि हमने समर्थन दिया है, आपने समर्थन दिया है और बिना शर्त समर्थन दिया है साम्प्रदायिक शक्तियों के खिलाफ । साम्प्रदायिक शक्तियों के खिलाफ लड़ते हुए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी शहीद हुए । हम आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं कि जिस स्लोगन को लेकर आपने समर्थन दिया है तो साम्प्रदायिक शक्तियों के खिलाफ हमारी लड़ाई जारी है और जारी रहेगी । फिरकापरस्त ताकतें कोई भी हों, उनके हम खिलाफ हैं और चुनाव के समय हमारे दल ने और हमारे गठबन्धन बहुजन समाज पार्टी ने साबित कर दिया कि हम किसी भी प्रकार के साम्प्रदायिकता के खिलाफ हैं ।

साम्प्रदायिक शक्तियां कमजोर हो गयी हैं । हम कहना चाहते हैं नेता कांग्रेस पार्टी और नेता जनता दल श्री किरन पाल सिंह जी से कि इस गठबन्धन ने हताश किया है, निराश किया लेकिन अभी काम नहीं हुआ है, इस काम के लिये आपका सहयोग और समर्थन चाहिए । इसी सदन में महामहिम राज्यपाल का अभिभाषण पढ़ा गया उसमें स्पष्ट है कि गांधी जी, बाबा साहब अम्बेडकर, डाक्टर लोहिया, चौधरी चरण सिंह, श्री जय प्रकाश नारायण और आचार्य नरेन्द्र देव के कार्यक्रमों और नीतियों को लेकर के हम चल रहे हैं । हमारे बजट स्पीच में भी ये नाम आये हैं । राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, चौधरी चरण सिंह, डा० लोहिया, आचार्य नरेन्द्र देव और जय प्रकाश नारायण के कार्यक्रम और नीतियों को लेकर के, समन्वयवाद के रास्ते पर चल करके, इस देश का निर्माण करना चाहते हैं और आज भी हम उन नीतियों पर कायम हैं । जहां तक इस्तीफा देने की बात है, तिवारी जी ने इस्तीफा दिया है, सही है । तिवारी जी का इस्तीफा स्वीकार नहीं किया गया । सम्भव है प्रदेश के विकास के लिये योजना आयोग के उपाध्यक्ष, श्री प्रमोद तिवारी का रहना जरूरी है, मैंने इसलिये उनका इस्तीफा वापस कर दिया और उनको चिट्ठी लिखी और व्यक्तिगत रूप से कहा । माननीय तिवारी जी ने उत्तर प्रदेश के विकास के लिये बहुत कुछ किया जबकि आपकी सरकार के चलते कुछ भी नहीं हुआ । श्री तिवारी जी के योजना आयोग में बने रहने से उत्तर प्रदेश को कई बड़ी योजनायें मिलेंगी । तिवारी जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है उत्तर प्रदेश के विकास के लिये । आप में से यदि कोई योगदान करने को

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

तैयार है तो उसे भी पद दिया जा सकता है । हम योजना आयोग के माध्यम से भी उत्तर प्रदेश में विकास का कार्य तेजी से कर रहे हैं । मान्यवर, जहां तक मंत्रियों पर अंकुश लगाने की, बात है पंचायती राज मंत्री जी ने और श्री किरन पाल जी ने कहा, संतुष्ट हो गये हैं । संयम आप देखना चाहते हैं तो हमारा एक ही लक्ष्य है कि मौका नहीं मिल पाये ।

आप को याद होगा हम हर सभा में कहते हैं कि कुछ भी करना पड़े, प्रदेश की बागडोर सही हाथ में ही दी जानी चाहिए, फिरकापरस्तों को नहीं । अभी भी कितना भी संयम रखना पड़े, समाज और देश के लिये संयम रखेंगे । माननीय नेता विरोधी दल ने कहा कि एक ही बार । एक ही बार नहीं बल्कि आठ बार कहिये, 108 की आवश्यकता नहीं है । आप बोलते नहीं हैं, आपमें सुधार हुआ है यह स्वीकार करते हैं और सुधार होगा । कुछ दिन बाद और भी सुधरना है, प्रायश्चित करने की आवश्यकता नहीं है । जो रास्ता हमारा है उस रास्ते पर आपको भी आना है, आप चंगुल में फंसे हैं । दिल और दिमाग दोनों से काम लीजिये, आप मजबूर हैं । हम लोहिया के नेतृत्व में आये और उन्हीं के बताये हुए रास्तों पर चलते हैं । आश्चर्य है कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को 108 बार कहने के लिये तैयार हो गये हैं। इसी सदन में 1990-91 में गोडसे जिन्दाबाद के नारे लगाये गये थे और अब निन्दा कर रहे हैं । आपके दिल और दिमाग में यह परिवर्तन हो रहा है ।

श्री कल्याण सिंह–

श्रीमन्, माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा है कि हम सुधर रहे हैं । अफसोस इस बात का है कि माननीय मुख्य मंत्री जी बिगड़ते जा रहे हैं लेकिन गोडसे जिन्दाबाद के नारे किसी ने नहीं कहा, इन सभी को रिकार्ड रूप में नहीं रखा गया ।

श्री मुलायम सिंह यादव–

शायद दीवारों पर भी नारे लिखे गये हैं । लेकिन यह सही है कि आपका अलग बिन्दु है । समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी का गठबन्धन हैं । सपा और बसपा का विलय नहीं है । समाजवादी पार्टी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, बाबा भीमराव अम्बेडकर, लोहिया, जयप्रकाश और आचार्य नरेन्द्र देव के बताये हुए रास्ते पर चलती है । बहुजन समाज पार्टी बाबा भीम राव अम्बेडकर के रास्ते पर चल रही है । आज से नहीं जब से यह पार्टी बनी है तब से यह जय भीम का नारा देती रही है और नमस्ते भी नहीं करते हैं । दो हिस्से इसके हैं । बहुजन समाज पार्टी बाबा भीम राव अम्बेडकर के रास्ते पर चल रही है, हम उन्हें मजबूर नहीं कर सकते हैं कि वह किस रास्ते पर चलें हम अपनी पार्टी चला रहे हैं । जहां तक सरकार का सवाल है, बजट स्पीच आपके सामने है, महामहिम श्री राज्यपाल का अभिभाषण आपके सामने है । जहां तक सारे मंत्रि-मण्डल की सामूहिक जिम्मेदारी है, आप भी इस बात को जानते हैं कि बजट स्पीच व अभिभाषण का प्रारूप कैबिनेट में पास होता है । हमारा किसी भी मंत्री के ऊपर अविश्वास नहीं है और न ही कोई मंत्री हमारी बात अस्वीकार करता है । हम पूरी तरह से अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं और पूरा का पूरा मंत्रि-मंडल हमारे साथ में है ।

जहां तक त्याग-पत्र के नाटक का सवाल है, नाटक आप कर सकते हैं हम और श्री प्रमोद तिवारी नहीं कर सकते हैं । चूंकि माननीय नेता प्रतिपक्ष ने कहा है कि आपको ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए, इसलिये हम स्वभाव के विपरीत नहीं कहेंगे और न ही हमने स्वभाव के विपरीत कोई बात कही है ।

हां, अब आप अवश्य कहने लग गये हैं। एक बात कही गई कि राष्ट्रीय आन्दोलन में कम्युनिस्ट पार्टी ने किसका साथ दिया, तो मैं भी पूछना चाहता हूं कि 1942 के आन्दोलन में आर० एस० एस० ने किसका साथ दिया था ? इसे कौन नहीं जानता है ?

श्री कल्याण सिंह–

मान्यवर, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ एक बहुत ही राष्ट्र भक्त संगठन है। यह संस्था राष्ट्र की एकता, अखण्डता के लिये जूझती रही है। जब से यह संगठन बना है तब से राष्ट्र के साथ जुड़ा है।

श्री मुलायम सिंह यादव–

सारा विश्व जानता है कि 1942 के आन्दोलन में आर० एस० एस० किसके साथ था ? बहस करा लीजिये, चाहे सेमिनार करा लीजिये।

(श्री सुन्दर लाल दीक्षित जी के बैठे-बैठे कुछ कहने पर)

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, माननीय नेता विरोधी दल, कुछ अपने माननीय सदस्यों को नियंत्रित नहीं कर पा रहे हैं।

(श्री सुन्दर लाल दीक्षित जी के खड़े होकर बोलने से व्यवधान)

श्री प्रमोद तिवारी–

[× × ×]

(श्री सुन्दर लाल दीक्षित व श्री प्रमोद तिवारी जी की आपस में तीखी नोंक-झोंक होने लगी। शोर-व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

आपस में कोई बात नहीं कही जायेगी। न ही लिखा जायेगा। आप लोग कृपा करके बैठ जायं।

श्री मुलायम सिंह यादव–

जहां तक सुश्री मायावती जी का सवाल है, वह राज्य सभा की सदस्य हैं और राज्य सभा में यह सवाल उठ चुका है जब यह सवाल राज्य सभा पर ही छोड़ दिया जाना चाहिए। जहां तक कानूनी कार्यवाही की बात है, यह एक अखबार की खबर है। यदि अखबार की खबरों पर कानूनी कार्यवाही होने लगे तो हम और आप में से कोई भी नहीं बच सकेगा। इसलिये कोई कानूनी कार्यवाही करने का प्रश्न ही नहीं उठता है। मायावती जी जो राज्य सभा की सदस्य हैं वहां भी उच्च सदन है उस सदन में जो कुछ कहना हैं कहें। लेकिन हम विश्वास दिलाते हैं यहां पर हम देश और समाज की एकता के लिये, समाज परिवर्तन के लिये राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, चौधरी चरण सिंह, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, डा० लोहिया, माननीय जय प्रकाश नारायण और आचार्य नरेन्द्र देव के आदर्शों को लेकर चले हैं और चलते रहेंगे।

नोट :–[× × ×] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

एक स्पष्टीकरण चाहता हूं (व्यवधान) हम लोगों ने शांति के साथ माननीय मुख्य मंत्री जी को सुना (व्यवधान) स्पष्टीकरण पूछ लेने दें ।

श्री राम आसरे वर्मा–

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है (व्यवधान) इसमें स्पष्टीकरण कैसे होगा, फिर हमें भी अवसर देंगे ? (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

जिन बिन्दुओं को माननीय नेता सदन ने अपने भाषण में स्पष्ट किया है उनके संबंध में एक स्पष्टीकरण चाहता हूं । (व्यवधान) क्या माननीय मुख्य मंत्री जी इस बात पर प्रकाश डालेंगे जब उन्हें जानकारी मिल गयी मायावती ने ऐसा कहा है और इस आदरणीय सदन में हम सब लोगों ने आरोप लगाया है कि आपके मंत्रि-मंडल के सहयोगी ने कहा है तो उसके बारे में आपकी क्या नीति है ? (व्यवधान)

श्री राम आसरे वर्मा–

मैं व्यवस्था चाहूंगा (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

ऐसा है, प्रश्न की ग्राह्यता पर मैं सुन रहा था, यह कोई वक्तव्य नहीं था जो स्पष्टीकरण हो, यह कोई चर्चा का विषय नहीं है इसलिये कोई स्पष्टीकरण नहीं पूछा जा सकता है ।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

श्रीमन्, यह प्रकरण समाप्त होना चाहिए कल पूरे दिन बजट पर चर्चा में माननीय सदस्य हिस्सा नहीं ले सके, नेता विरोधी दल को कल ही बोलना चाहिए था । आज बोलने के लिये उन्होंने सहमति दे दी है, हम सब नेता विरोधी दल को सुनना चाहते हैं इसलिये सब मदों को निरस्त कर नेता विरोधी दल का भाषण होना चाहिए ।

उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 1994

सचिव, विधान सभा–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 153 के अन्तर्गत सूचित करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 1994, जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 16 मार्च, 1994 को पारित किया गया था तथा जो श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था और दिनांक 16 मार्च, 1994 को ही विधान परिषद् सचिवालय में प्राप्त हुआ था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी सिफारिश के दिनांक 16 मार्च, 1994 को वापस प्राप्त हो गया ।

वित्तीय वर्ष 1994-95 के आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा (प्रारम्भ)

श्री अध्यक्ष–

मद संख्यां 4, 5, 6 और 7 में कोई विषय नहीं है और कार्य-स्थगन के लिये पहले ही कार्य-मंत्रणा समिति में तय हो गया था कि चर्चा के समय कार्य-स्थगन प्रस्ताव नहीं आयेंगे इसलिये निरस्त किये जाते हैं। अब माननीय नेता विरोधी दल बजट पर सामान्य चर्चा प्रारम्भ करें।

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, जो कार्य-स्थगन की सूचना दी हैं या नियम 300 में जो सूचना दी हैं उनके बारे में कहना चाहता हूं। नियम 311 में एक पर आपने सुन लिया 311 में और भी हैं। उनके बारे में सुझाव है कि इन सूचनाओ को कल ले लें।

श्री अध्यक्ष–

माननीय वर्मा जी, परम्परा मत डालें, कल दे दीजिये हम देख लेंगे।

लोक निर्माण एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)–

कल नये सिरे से दे दें।

श्री अध्यक्ष–

अब आप वित्तीय वर्ष 1994-95 के आय-व्ययक पर साधारण चर्चा आरम्भ करें।

माननीय नेता विरोधी दल।

नेता विरोधी दल (श्री कल्याण सिंह)–

श्रीमन्, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे वित्तीय वर्ष 1994-95 के आय-व्ययक पर अपने विचार प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया।

श्रीमन्, मैं 3-4 बुनियादी बातें पहले रखना चाहता हूं और उसके बाद फिर विस्तार से अपनी बात रखने का प्रयास करूंगा।

श्रीमन्, पहली बात तो यह है कि विकास राजनीति का मुद्दा नहीं है। विकास इस प्रदेश के जितने भी निर्वाचित सदस्य हैं वह चाहे सत्ता पक्ष के हों या विपक्ष में हों, यह सभी का अपना उत्तरदायित्व बन जाता है। जो बजट होता है उससे प्रदेश के विकास की दिशा का बोध होता है। बजट प्रदेश की वित्तीय स्थिति का विश्लेषण करता है और आर्थिक संसाधनों के बारे में पूरे प्रदेश की जनता को जानकारी देता है। अच्छा होता कि नेता सदन इस बजट भाषण में राजनीतिक बिन्दुओं को न छूते और केवल आर्थिक विवेचना तक वह अपने को सीमित रखते। मैं अपने को आर्थिक विषयों तक ही सीमित रखकर अन्त में जाकर उस राजनीतिक पक्ष की ओर प्रकाश डालने का प्रयास करूंगा जिनके बारे में नेता सदन ने अपने भाषण में कहा है।

श्रीमन्, मैं यह भी जानता हूं और कहना चाहता हूं कि विकास एक सतत् चलने वाली प्रक्रिया का नाम है। सरकारें ठीक उसी प्रकार से आती जाती हैं जैसे खेल के मैदान में "रिले-रेस" होती है अर्थात्

सरकार किसी भी दल की क्यों न आ जाये वह एक अलग से समूचा परिवर्तन नहीं कर पाती है और विरासत में नयी सरकार की पुरानी सरकार की सफलतायें और विफलतायें दोनों ही मिलती हैं। इनमें से किसी भी नयी सरकार को अपने सोच के अनुसार प्रदेश का विकास का मार्ग प्रशस्त करना पड़ता है। श्रीमन्, मैं बजट का विश्लेषण करना चाहता हूं मैं केवल आलोचना के लिये आलोचना करने के लिये नहीं खड़ा हुआ हूं बल्कि समालोचना और कुछ सुझाव देना चाहता हूं। श्रीमन्, यह ऐसा विषय है जिसे कि मैं दलगत राजनीति से ऊपर मानता हूं। विकास में किस की साझेदारी नहीं होनी चाहिए ? श्रीमन्, विकास से कौन असहमत हो सकता है ? परन्तु इस प्रदेश का विकास कैसे हो उसके संबंध में सत्ता पक्ष की ओर से कहना चाहिए लेकिन हमारे पास भी कहने को है किन्तु अच्छा होता सत्ता पक्ष ने जो कहा है और जो हम कहने जा रहे हैं, हमारे सुझावों पर वह विचार करें और उसमें जहां-जहां समावेश हो सकता है उसका समावेश करें। मैं पुनः दोहराना चाहता हूं कि विकास में हम सबका समान दायित्व है, विकास राजनीति का मुद्दा नहीं है। विकास के लिये हम सभी उत्तरदायी हैं और विकास को आगे बढ़ाना चाहते हैं।

श्रीमन्, विकास के लिये कुछ आवश्यक तत्व होते हैं। क्या उन आवश्यक तत्वों का विवेचन इस वर्तमान बजट में किया गया है ? हमारी दृष्टि से विकास के लिये चार आवश्यक तत्व हैं, उनमें पहला तत्व है अच्छा नियोजन, दूसरा तत्व है अच्छे नियोजन का अच्छा क्रियान्वयन, तीसरा तत्व है उस क्रियान्वयन का सतत् अनुश्रवण (कान्स्टेन्ट मानेटरिंग) और चौथा तत्व है समय-समय पर उन विकास योजनाओं का मूल्यांकन। यह चारों तत्व जब शामिल किये जायेंगे तो वास्तविक स्थिति हमारे सामने आ पायेगी।

श्रीमन्, एक तीसरी महत्वपूर्ण बात है विकास की दृष्टि से अतिरिक्त वित्तीय संसाधनों की पर्याप्त उपलब्धता अगर बजट के अनुसार, योजना के अनुसार हमने अतिरिक्त संसाधन उपलब्ध करा दिये हैं, तो योजना सफल होगी और अगर कहीं अतिरिक्त वित्तीय संसाधनों का अभाव है, तो योजना कितनी ही अच्छी क्यों न हो, अच्छा परिणाम नहीं दे पायेगी। इसलिये अच्छा वित्तीय प्रबन्धन चाहिए। अगली बात, जितने भी अपव्यय होते हैं, उस पर प्रभावी नियंत्रण, प्रभावी रोक। इसके साथ ही एक अच्छे बजट का लक्षण होता है–घाटे को किस प्रकास से कम किया जाये। इनके सबके साथ-साथ अच्छे बजट की और भी कुछ कसौटियां होती हैं। जैसे जो बजट प्रति व्यक्ति आमदनी बढ़ाये, वह बजट अच्छा है, लेकिन जो बजट न बढ़ाए, तो कहा जायेगा कि बजट में कहीं न कहीं कोई कमी है।

इसी प्रकार उत्पादक रोजगार का सृजन करे, क्रियेटिव और प्रोडक्टिव इम्पलायमेन्ट का सृजन करे। लेकिन जहां तक उत्पादक सृजन की बात नहीं होती है, मानना पड़ेगा कि कहीं न कहीं बजट में और नियोजन में कमी रह गयी है। जिस बजट से गरीब को रोजी, रोटी, मकान, कपड़ा और दवाएं जैसे चीजें मिल सकें, उसकी आवश्यक आवश्यकताओं अर्थात् मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति होती हो, बजट बहुत अच्छा माना जाएगा, नियोजन बहुत अच्छा माना जाएगा। लेकिन इन मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करने में बजट फेल हो जाये, तो समझा जायेगा कि कहीं न कहीं बजट में खोट है। इसी प्रकार से साक्षरता का प्रतिशत बढ़ता हो तो माना जायेगा कि बजट अच्छा है और प्रतिशत न बढ़ता हो या जहां का तहीं वह प्रतिशत छोड़ देता हो तो माना जायेगा कि बजट में कहीं न कहीं मूलभूत कमी रह गयी है।

माननीय मुख्य मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में कहा कि उत्तर प्रदेश में खनिज सम्पदा है, वन सम्पदा है और जल सम्पदा है, उपजाऊ भूमि है, मिट्टी में अपने पसीने को मिलाकर कंचन पैदा करने वाले संघर्षशील और परिश्रमी किसान हैं। लेकिन इसके बावजूद भी प्रदेश पिछड़ा है विपन्न है, मैं उनकी इस बात से सहमत हूं। चाहे मानवीय संसाधन हों चाहे प्राकृतिक संसाधन हों, प्रदेश उनसे सम्पन्न है, इसके बावजूद प्रति व्यक्ति आमदनी के मायने में प्रदेश पिछड़ा है। आपने अपने भाषण में कहा है कि उत्तर प्रदेश उड़ीसा और बिहार को छोड़कर भारत में सबसे पिछड़ा रहा है। आपने यह भी कहा है कि विद्युत खपत के हिसाब से भी पिछड़ा है। सही है कि विद्युत खपत यहां पर बहुत कम है। यह इंगित करता है कि यहां पर औद्योगिकीकरण की दशा और दिशा क्या है ? जहां पर इसकी खपत कम होगी, स्वाभाविक रूप से प्रदेश पिछड़ता चला जाएगा।

इसके मायने हैं कि प्रदेश में कल-कारखाने नहीं खुल रहे हैं। परन्तु प्रदेश का यह पिछड़ापन दूर कैसे हो और प्रदेश का विकास कैसे हो–हम इधर बैठे हों या उधर बैठे हों, यह हमारे सबके चिन्तन का विषय है। जैसा हमने आरम्भ में ही कहा है, उसी आधार पर अपने विचार व्यक्त कर रहा हूं, इसके पीछे हमारी कोई राजनीतिक भावना या राजनीतिक मंशा नहीं है। प्रदेश के विकास की हम सभी को चिन्ता है, सबको इस बात की चिन्ता है कि कैसे इस प्रदेश के विकास में साझीदार बन सकते हैं ? बजट में जैसे आपने मौटे तौर पर तीन मुख्य उद्देश्य रखे हैं उद्देश्य बहुत अच्छे हैं। आपने कहा है कि आठवीं पंचवर्षीय योजना में 6 प्रतिशत वार्षिक दर के लक्ष्य को प्राप्त किया जायेगा, इसमें वृद्धि की जायेगी। यह अच्छा लक्ष्य है। आपने कहा है कि आठवीं पंचवर्षीय योजना में 50 लाख लोगों को रोजगार दे देंगे। यह अच्छा उद्देश्य है, इसमें किसी को क्या आपत्ति हो सकती है ? आपने कहा है कि गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले 38.7 प्रतिशत लोग हैं उसको घटाकर 24.3 प्रतिशत ले आयेंगे। इस तरह से उद्देश्य अच्छे हैं, उनमें कोई कमी नहीं है, ठीक हैं। लेकिन यह उद्देश्य पूरे कैसे होंगे उसका विवेचन विस्तार से बजट के अन्दर नहीं दिखाई दिया ? जहां तक वित्तीय स्थिति का प्रश्न है।

श्रीमन्, मैं पहले ही बता चुका हूं कि मैं बहुत आकड़ों में नहीं जाना चाहता हूं लेकिन फिर भी बुनियादी आंकड़े जरूर बताना चाहूंगा जिसके आधार पर कहा जा सकता है कि यह बजट अच्छा है कि नहीं ? विकास की गति बढ़ेगी कि नहीं ? इसे कसौटी पर कैसे रखा जा सकता है ? श्रीमन्, वित्तीय स्थिति क्या है ? आपने अपने बजट भाषण में, बजट साहित्य में भी यह दर्शाया है कि घाटे का बजट कुल 215 करोड़ 65 लाख रुपये का है। मैंने उसे पढ़ा। घाटा तो इससे कहीं ज्यादा का है। आपने इसमें बैलन्स आप करेन्ट रेवैन्यू को नहीं जोड़ा। बैलेन्स आफ करेन्ट रेवैन्यू 1994-95 का है वह पहली अप्रैल, 94 को 333 करोड़ 25 लाख रुपये के घाटे का है। यह ऋणात्मक है, घाटा है। आपने 1994-95 में बजट को सन्तुलित करने की दृष्टि से लोक लेखा से 1153 करोड़ 84 लाख रुपये निकाले। यह 1153 करोड़ 84 लाख रुपये अतिरिक्त वित्तीय संसाधन नहीं हैं।

अभी तक मेरी जानकारी के अनुसार किसी भी सरकार ने लोक लेखा से इतनी बड़ी धनराशि कभी नहीं निकाली है। यह भी लौट फेर के आपको जमा करनी ही है। इस तरह से आपने घाटा 215 करोड़ 65 लाख रुपये का बताया है। वह घाटा उससे कहीं ज्यादा का है क्योंकि उसमें आपने बैलेन्स आफ करेन्ट रेवैन्यू जो पहली अप्रैल को 333.25 करोड़ रुपये का हो रहा है और जो 1153 करोड़ 84 लाख रुपये लोक लेखा से निकाले हैं, उसको इसमें शामिल नहीं किया है। यह सब मिलाकर वित्तीय घाटा

वास्तव में 1702 करोड़ 74 लाख रुपये का हो जाता है । इस नाते हमारे प्रदेश की आज की वित्तीय स्थिति ठीक नहीं है, यह स्वीकार करके चलना चाहिए । ठोस धरातल पर सारी योजनाओं का कार्यान्वयन देखना चाहिए । लोक लेखा में जो पैसा होता है वह अतिरिक्त तो होता नहीं है वह किसी ठेकेदार की प्रतिभूति का पैसा होगा, न्यायालय में जमा किसी वादी का पैसा हो सकता है, भविष्य निधि का पैसा होगा । कुछ आरक्षित निधि होती है, उसका पैसा होगा । इन सबकी धनराशि को मिलाकर लोक लेखा कहते हैं । यह पैसा लौटा कर भरपाई तो करनी ही है इसलिये इसे अतिरिक्त वित्तीय संसाधन नहीं माना जाना चाहिए । कुल मिलाकर जो 1702 करोड़ 74 लाख रुपये का घाटा है, यह आज का घाटा है यह आगे और बढ़ सकता है ।

वित्तीय स्थिति आज हमारे प्रदेश की ठीक नहीं है यह स्वीकार करते हुए क्या सरकार तैयार है यह सोचने के लिये कि कैसे वित्तीय स्थिति को ठीक किया जा सकता है, कैसे प्रदेश के विकास को आगे बढ़ाया जा सकता है ? श्रीमन्, जो कुल अनुमानित व्यय और प्राप्तियों के आधार पर घाटा दिखाया गया है वह 1369.49 करोड़ रुपये का है इसमें से लोक लेखा से 1153 करोड़ 84 लाख रुपये प्राप्त किया गया है ।

(इस समय 4 बजकर 36 मिनट पर अधिष्ठाता श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त पीठासीन हुए ।)

आपने 1369.49 करोड़ रुपयों के वास्तविक घाटे में से लोक लेखा से लिये गये 1153.84 करोड़ रुपये घटाकर 215.65 करोड़ रुपया का घाटा दिखलाने का असफल प्रयास किया है । यह सही स्थिति नहीं है। समेकित निधि के बारे में कहना चाहूंगा कि 1993-94 में 11 सौ करोड़ रुपये का घाटा था । 1994-95 में 1369.59 करोड़ हो जायेगा । लोक लेखा से इस घाटे को पूरा करने की कोशिश की गयी है ।

मेरी जानकारी में कहीं कोई त्रुटि हो तो अपने उत्तर भाषण में उसको सही कर दीजियेगा । किसी सरकार ने लोक लेखा के फण्ड से इतनी धनराशि नहीं निकाली । लोक लेखा से पैसा लेकर घाटे को पूरा करना सही नहीं है यह खराब वित्तीय व्यवस्था को दर्शाता है । खराब वित्तीय व्यवस्था से विकास नहीं होगा । वर्ष का कुल व्यय 19 हजार 592 करोड़ 31 लाख है । इसमें राजस्व लेखे से व्यय होगा 14 हजार 863 करोड़ 21 लाख रुपये । पूंजी लेखे से व्यय होगा 4 हजार 729 करोड़ 10 लाख रुपया । 14 हजार 853 करोड़ 21 लाख रुपये का राजस्व व्यय है । इसमें प्लान एक्सपेंडीचर कौन सा है ? नॉन प्लान एक्सपैंडीचर कौन सा है ? इसमे आयोजनागत 2 हजार 1593 करोड़ 79 लाख का व्यय है । आयोजनेत्तर व्यय 12 हजार 269 करोड़ 42 लाख रुपये है । जो कर्जा आप ले रहे हैं इस पूरे कर्जे में से 80 फीसदी पैसा कर्जे के ब्याज की अदायगी में निकल जाएगा और उस कर्जे में से विकास के लिये 20 फीसदी पैसा मिलेगा । इस 20 फीसदी पैसे से विकास कैसे हो पाएगा ?

माननीय मुख्य मंत्री जी इस बात से सहमत हैं कि विकास की तरह से आयोजनेत्तर व्यय बढ़ता चला जाएगा तो विकास नहीं होगा । मैं माननीय मुख्य मंत्री जी की अंक कोटेशन आपकी अनुमति से बताना चाहूंगा "18 फरवरी, 1986 को नेता प्रतिपक्ष की हैसियत से आज के नेता माननीय नेता सदन का भाषण है–दो प्रकार के खर्चे होते हैं एक प्लान और दूसरा नॉन प्लान एक आयोजनगत दूसरा आयोजनेत्तर आज लगातार नॉन प्लान का खर्च बढ़ता जा रहा है । नॉन प्लान का खर्च और प्लान का

खर्च आधा-आधा करेंगे, वित्तीय अनुशासन करेंगे तो उत्तर प्रदेश के पिछड़ेपन को दूर करने में मदद मिलेगी । वरना नॉन प्लान का खर्च बड़ते-बड़ते प्रदेश को दीवालिएपन की स्थिति में पहुंचा दिया जाएगा।''

मैं आज यह पूछना चाहता हूं जब आयोजनेत्तर व्यय बढ़ता जा रहा है और योजना दर योजना आयोजनागत व्यय घट रहा है तब विकास कैसे होगा ? इस बजट में नॉन प्लान एक्सपैंडीचर है यह कदाचित तीन चौथाई के पास पहुंच रहा है । प्लान एक्सपैंडीचर एक चौथाई या इससे शायद ही कुछ ज्यादा होगा । जब मुख्य मंत्री जी नेता प्रतिपक्ष की हैसियत से बोलें तो सही कहा था । परन्तु आज सरकार में जाने के बाद उन्होंने इस आयोजनेत्तर व्यय पर नियंत्रण लाने के लिये कोई व्यवस्था नहीं की। बजट में आयोजनेत्तर व्यय बढ़ता चला जा रहा है । इस संबंध में मेरा कहना है कि इस तरह विकास की गति को आगे नहीं बढ़ा पायेंगे । इसी तरह से मैं वित्तीय प्रबन्ध के बारे में कहना चाहता हूं । 1991-92 में जब श्री मुलायम सिंह जी मुख्य मंत्री थे तो बजट घाटा 360 करोड़ रुपया का दर्शाया था । 1992-93 में जब हम आये तो बजट घाटा घटाकर 245 करोड़ ले आये थे । हमने व्यय पर नियंत्रण किया था और अतिरिक्त आर्थिक संसाधन भी जुटाए थे ।

हमने योजना आयोग को बचन बद्धता दी थी कि 700 करोड़ रुपये अतिरिक्त संसाधन जुटायेंगे । उससे आगे बढ़कर हमने 900 करोड़ रुपये के अतिरिक्त संसाधन जुटाए थे । 1992-93 का प्लान आउट ले 4250 करोड़ का था । इसी प्रकार 1993-94 की वार्षिक योजना का प्रश्न आया था तब फिर हमने 550 करोड़ रुपये की अतिरिक्त संसाधन जुटाने की वचन बद्धता दी थी किन्तु परिस्थितियां ऐसी आ गयीं कि हम सरकार से बाहर हो गये । यह प्रदेश इसलिये पिछड़ा है पिछली कई सरकारों ने अतिरिक्त वित्तीय संसाधन जुटाने का साहस नहीं दिखाया । यह मैं मानता हूं । यह अप्रिय कदम हुआ करता है । हां भाजपा की सरकार ने अवश्य 900 करोड़ रुपए का अतिरिक्त वित्तीय संसाधन जुटाया था ।

अगले वर्ष फिर हमने 550 करोड़ अतिरिक्त संसाधन जुटाने की बचन बद्धता दी थी । 1993-94 की जो वार्षिक योजना थी, 1993-94 में राष्ट्रपति शासन में उसको वित्तीय पोषित नहीं किया जा सका, यह तथ्य है इसलिये 1994-95 की योजना का आधार कमजोर हो गया और यह इस सरकार को विरासत में मिला है और इसमें इस सरकार का कोई कसूर नहीं मानता । पिछली सरकारों की सफलतायें भी हमें विरासत में मिला करती हैं और विफलतायें भी विरासत में मिला करती हैं । 1993-94 में 4250 करोड़ रुपये की योजना थी, 1994-95 में हम 4762 करोड़ रुपए ले आये हैं । इसमें कदाचित 200 करोड़ रुपये पर्वतीय क्षेत्र के विकास के लिये भी हैं । आपने कहा है कि यह 512 करोड़ रुपये पिछले वर्ष की तुलना में अधिक है, यह भी कहा है कि यह वृद्धि 12 प्रतिशत की है इसको मैं स्वीकार करता हूं। लेकिन दो बातें हैं । प्रति वर्ष लगभग 10 प्रतिशत महंगाई तथा मुद्रास्फीति बढ़ जाती है । अब पिछले वर्ष की तुलना में 10 प्रतिशत के हिसाब से घटायेंगे तो जो योजना आप 4762 करोड़ रुपये बता रहे हैं वह केवल 4282 करोड़ की रह जायेगी । इस योजना के कार्य को वित्त पोषित करने के लिये, फण्ड करने के लिये कहीं कोई चर्चा नहीं है, यह कैसे होगा ? 1993-94 में पुनरीक्षित परिव्यय का प्राविधान 4500 करोड़ रुपये थे और 1994-95 में भी 4500 करोड़ रुपये रखे गये हैं तो इसमें कहीं कोई वृद्धि नहीं हुई है । अगर इसमें वृद्धि नहीं हुई है तो विकास कैसे होगा बेरोजगारी कैसे मिटेगी ? मैं इस संबंध में मुख्य मंत्री जी आपसे उत्तर की अपेक्षा करूंगा कि जरा इस बात पर प्रकाश डाल दीजियेगा ।

1994-95 की योजना का आकार जो है उसमें और वास्तविक वित्तीय संसाधनों में एक हजार करोड़ रुपये से ज्यादा का गैप है। अतः अगर अतिरिक्त वित्तीय संसाधन नहीं जुटेंगे तो दो बातें होंगी या तो योजना के आकार में कटौती होगी या नये टैक्स लगाये जायेंगे। लेकिन इस बजट में कहीं पर भी योजना के वित्तीय पोषण के संबंध में कोई उल्लेख नहीं है।

श्रीमन्, अब मैं क्रेडिट डिपाजिट रेशियो के बारे में कहना चाहता हूं मैं यह भी कहना चाहता हूं कि केन्द्र से मिलकर, दबाव डालकर उत्तर प्रदेश को और अधिक आर्थिक संसाधन उपलब्ध कराने के लिये पहल करें। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि इसके लिये आप जो प्रयास करेंगे उसमें मैं और मेरा दल आपके उन कदमों का समर्थन करेगा और आपको सहयोग करेगा क्योंकि पैसा उत्तर प्रदेश में आना चाहिए। यह दल का प्रश्न नहीं है उत्तर प्रदेश की जनता के जीवन स्तर को उठाने का प्रश्न है। आज जो बैंकों में पैसा जमा हो रहा है, क्रेडिट डिपाजिट रेशियो 43-44 प्रतिशत होगा अर्थात् उत्तर प्रदेश में बैंकों में पैसा जमा होता है उसमें 100 रुपये में से केवल 43 उत्तर प्रदेश को मिलते हैं और बाकी पैसा बाहर जा रहा है।

रिजर्व बैंक के मैनेजर से आपने कोई बैठक की होगी आप मुख्य मंत्री और वित्त मंत्री हैं क्या आपने इस संबंध में कोई प्रयास किया और सफलता मिली ? अगर आप सफल नहीं हुए तो मैं चाहूंगा कि सरकार एक निर्णय ले, पश्चिम बंगाल में एक विचार चल रहा है और शायद निर्णय लेने वाले हैं, उनका भी क्रेडिट रेशियो कम है, उनके यहां बैंकों में जो पैसा जमा होता है वह बाहर चला जाता है इसलिये पश्चिम बंगाल की सरकार निर्णय लेने जा रही है कि वह अपने अलग से बैंक बनायेगी, तो आप अपना बैंक क्यों नहीं बना सकते हैं ? आप घोषणा कीजिये कि चूंकि क्रेडिट डिपाजिट रेशियो कम है इसलिये हम अपना बैंक चालू करेंगे। अपने बैंकों के अन्दर अपना पैसा होगा जो प्रदेश के विकास के लिये लिया जायेगा। दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि यह केवल उत्तर प्रदेश की ही यह स्थिति नहीं है, अनेक राज्यों की यही स्थिति है, खासतौर से जो पिछड़े राज्य हैं उनके लिये जिन्दगी और मौत का सवाल बन गया है।

आज जो आर्थिक संसाधनों में असन्तुलन पैदा हो गया है, केन्द्र और राज्यों में, उसका राज्य के विकास पर असर पड़ रहा है। पैसा हमारा है लेकिन थैली पर बैठी हुई है केन्द्र की सरकार। राज्य सरकारें केवल गिड़गिड़ाती रहती है। राज्य सरकारों की स्थिति ऐसी बन गयी है जैसे कि म्युनिसिपैलिटीज हों। जब तक राज्यों के पास आर्थिक संसाधन नहीं होंगे तब तक प्रदेश आत्मनिर्भर नहीं हो सकेंगे। यह जो आर्थिक संसाधनों में असंतुलन पैदा हो गया है उसके कारण केन्द्र के पास आर्थिक संसाधन बढ़ते जा रहे हैं केन्द्रित होते जा रहे। राज्य सरकार के पास संसाधन घटते जा रहे हैं कुल मिला कर सार्वजनिक परिव्यय का विभागन केन्द्र और राज्यों के बीच असन्तुलित तथा असमान होता चला जा रहा है। मैं केवल तीन योजनाओं की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। छठी योजना में सार्वजनिक परिव्यय के विभाजन में से केन्द्र के पास 50.2 प्रतिशत संसाधन थे, राज्य सरकार के पास 149.8 प्रतिशत संसाधन थे। सातवीं योजना में केन्द्र के पास सार्वजनिक परिव्यय विभाजन के अन्तर्गत 55.2 प्रतिशत हो गया और राज्य सरकार के पास 44.8 प्रतिशत रह गया।

आठवीं योजना में फिर केन्द्र के पास जो आर्थिक संसाधन थे, ये बढ़कर 58.5 प्रतिशत हो गया और राज्य सरकार के पास 41.5 प्रतिशत रह गया । श्रीमन्, जब केन्द्र के पास आर्थिक संसाधन बढ़ते जायेंगे और राज्य सरकार के संसाधन घटते जायेंगे, तो कोई राज्य सरकार विकास का कार्य कैसे कर पायेगी । इसलिए आवश्यकता है कि केन्द्र और राज्य के बीच में आर्थिक और वित्तीय अधिकारों का पुनर्निर्धारण किया जाय, क्योंकि विकास की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की होती है, इसलिए सार्वजनिक परिव्यय में हिस्सेदारी राज्य सरकारों की बढ़े । श्रीमन् उत्तर प्रदेश के पास संसाधन में क्या है, बिक्री कर, आबकारी ड्युटी, स्टैम्प एण्ड रजिस्ट्रेशन या कर लगाना । अब आबकारी ड्युटी, बिक्री कर, स्टैम्प रजिस्ट्रेशन की आमदनी ऐसी नहीं है, जिससे कि उत्तर प्रदेश का पिछड़ापन दूर किया जा सके ।

इसलिए क्या यह मांग नहीं उठाई जा सकती है कि चीनी, कपड़ा, तम्बाकू पर टैक्स लगाने का अधिकार राज्य सरकार को हो । इस उत्तर प्रदेश का बड़ा दुर्भाग्य रहा है कि एक जमाने में केन्द्र में कांग्रेस की सरकार थी और राज्यों में भी कांग्रेस की सरकारें थी । केन्द्र सरकार ने बहुत चालाकी के साथ एक ऐसा प्रस्ताव पारित करा लिया, जिससे कि केन्द्र का आर्थिक संसाधन बढ़ता चला गया और राज्य सरकार का घटता चला गया । कपड़ा, चीनी, तम्बाकू पर टैक्स लगाने का अधिकार पहले राज्य सरकार को था, लेकिन अब केन्द्र सरकार के हाथ में चला गया । राज्य सरकार को चाहिए कि वह केन्द्र सरकार को इस बारे में लिखे कि चीनी, तम्बाकू, कपड़ा पर टैक्स लगाने का अधिकार हमको होना चाहिए । अब केन्द्र कह सकता है कि जो टैक्स इकट्ठा होता है, वह सब हम राज्यों को बांट देते हैं जो टैक्स केन्द्र के पास आता है, उसे डिवाइड कर देते हैं, लेकिन उससे सरचार्ज जो है, वह शत-प्रतिशत केन्द्र का होता है । केन्द्र टैक्स न बढ़ा कर अधिभार बढ़ाता है, तो इस नाते से वह हमको, उस अधिभार में से हिस्सा नहीं देता उत्तर प्रदेश के लिए पूरे संसाधन नहीं बढ़ते । मैं मुख्य मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं, कंसाइनमेंट टैक्स, के बारे में । लगभग 10–11 वर्ष हो गये, किन्तु केन्द्र से कन्साइनमेंट टैक्स के मामले में कोई निर्णय नहीं लिया । हमने कोशिश की थी और हमने वादा किया था कि कन्साइनमेंट टैक्स का बिल पेंडिग है, जल्दी पास करेंगे ।

मेरे अनुमान के अनुसार लगाग 800 से लेकर एक हजार करोड़ की आमदनी इससे हो जायेगी । मान्यवर, इसी तरह से आयकर और और उत्पादन शुल्क है । इस पर जो अधिभार लगता है, वह विभाज्य नहीं माना गया है, इसको भी विभाज्य माना जाना चाहिए, ताकि इसमें हिस्सा हमें भी मिल सके । यह वित्तीय स्थिति को सुधारने के उपाय हैं । श्रीमन्, मैं मदवार आंकड़ों में नहीं जाऊंजा, मात्र वित्तीय प्रबन्ध के बारे में आंकड़े प्रस्तुत करूंगा और इसीलिये मैंने बुनियादी आंकड़ों को रखा है । श्रीमन्, हमें पिछड़ेपन को दूर करना है । हम सब जानते हैं और यह मानते हैं कि खेती यहां का प्रमुख धन्धा है, लेकिन केवल खेती ही सभी लोगों को रोजगार नहीं दे पायेगी और न प्रति व्यक्ति आमदनी ही बढ़ा पायेगी ।

श्रीमन्, संसार में भारतवर्ष एक ऐसा देश है, जिसमें प्रति एकड़ जनसंख्या का भार सबसे ज्यादा है । मैं पढ़ रहा था, 1820 में अमरीका में प्रति एकड़ 65% जनसंख्या का भार था और आज वह घटकर 3 प्रतिशत रह गया है, इंग्लैंड में 1820 में 20 प्रतिशत का जनसंख्या पर भार था, वह अब डेढ़ दो प्रतिशत रह गया है, लेकिन हमारे देश में और प्रदेश में यह 1820 में लगभग 70–72 प्रतिशत था और यह आज भी डेढ़ दो प्रतिशत के उतार चढ़ाव के साथ 70–72 प्रतिशत बना है ।

श्रीमन्, इसीलिये मैं 5 सुझाव देना चाहता हूं – एक तो योजना ऐसी बनानी पड़ेगी, जिससे प्रति एकड़ जनसंख्या का भार कम हो, दूसरा–खेती से हटे हाथों को ग्रामीण अंचलों में वैकल्पिक रोजगार मिले, तीसरा–प्रति एकड़ लागत खर्च कम किया जाये, चौथा–किसानों को उसकी उपज का लागत के हिसाब से लाभकारी दाम दिया जाये और पांचवां–कृषि उत्पादों और कल कारखानों में बनी चीजों के दामों में सन्तुलन बैठाया जाये। इस प्रकार से इन 5 को मिलाकर कृषि की उत्पादकता भी बढ़ेगी विकास भी होगा, रोजगार भी मिलेगा और हमारी आवश्यकतायें भी पूरी होंगी। मुझे नहीं लगा कि इस विश्लेषण से मुख्य मंत्री जी सहमत भी हैं या नहीं। अगर सहमत होते तो बजट में उसके दर्शन होने चाहिये थे। श्रीमन्, उद्योगों की बात है। आप इस तथ्य को स्वीकार करें कि बड़े उद्योग मझोले उद्योगों को निगल रहे हैं, मझोले उद्योग छोटे उद्योगों को निगल रहे हैं और छोटे उद्योग कुटीर उद्योगों को निगल रहे हैं। इस देश की आर्थिक रचना के हिसाब से ऐसे धन्धे लगाने होंगे, जिनमें श्रम शक्ति अधिक लगे और पूंजी कम लगे। बड़े उद्योग् बड़ी पूंजी खाते हैं और रोजगार अधिक देते हैं। अतः इस दिशा में साहसिक और क्रान्तिकारी कदम उठाने होंगे। इसके लिये दो काम करना होगा। पहला काम उद्योगों का वर्गीकरण और दूसरा काम वस्तुओं का

(समय 5.00 बजे अपराह्न)

निर्धारण कौन सी चीज किस श्रेणी के उद्योग धन्धे में बनेगी उसका निर्धारण कर दो और उसके अनुपालन के लिये कानून बना दो। प्राथमिकता के आधार पर उद्योगों का 4 प्रकार का वर्गीकरण किया जा सकता है हम पहली प्राथमिकता देते हैं कुटीर उद्योगों के लिये, दूसरी प्राथमिकता देते हैं छोटे उद्योग धन्धों के विकास के लिये और तीसरी प्राथमिकता देते हैं मझौले किस्म के उद्योगों के लिये और बड़े उद्योग के लिए और बड़े उद्योग धन्धों के लिये हमारे आर्थिक चिन्तन में सबसे अंतिम प्राथमिकता है। केवल वर्गीकरण करने से काम नहीं चलेगा, अब साबुन भी टाटा बनायेगा, नमक भी टाटा बनायेगा तो बाकी लोगों को क्या मिलेगा ?

इसलिये कोई न कोई प्राविधान ऐसा होना चाहिये कि कौन सी चीज किस प्रकार के कारखाने में, किस प्रकार के उद्योग धन्धे में बना सकते हैं। वह चीज उसी उद्योग धन्धे में बनने की बात होनी चाहिये। जिसे कुटीर उद्योग में बनाया जा सकता है उसे लघु उद्योग न बनायें, जिसे लघु उद्योग बनाये उसे मझोले उद्योग न बनायें और जिसे मझोले उद्योग बनायें उसे बड़े उद्योग न बनाये इसके लिये बराबर कानून बनना चाहिये। अगर किसी बड़े उद्योग धन्धे में वह समान बनाया जा सकता है तो ऐसे लोगों के खिलाफ कार्यवाही की जानी चाहिये।

(इस समय 5 बजकर 1 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

अब श्रीमन्, विकास की दृष्टि से और प्रदेश की अवस्थापना सुविधाओं के अभाव की दृष्टि से जो केन्द्र सरकार की नई आर्थिक नीति है उसको मैं फलदायी नहीं मानता। वैसे मैं कह चुका हूं कि सिद्धान्तः आज के संदर्भों में उत्तर प्रदेश में, हिन्दुस्तान में और दुनिया के अन्दर सोच बदल रही है। एक जमाना था जब राजनीति अर्थनीति को प्रभवित करती थी और अब युग बदल गया है अब अर्थनीति राजनीति को प्रभावित कर रही है। चाहे रूस का मामला हो, चीन का मामला हो, अमरीका का मामला हो या भारत का मामला हो। एक समय था जब कि राष्ट्रीयकरण की बात जोरों से की जाती थी।

राष्ट्रीयकरण की बात करते थे वह प्रगतिशील माने जाते थे लेकिन, आज परिस्थितियां बदल गयी हैं। राष्ट्रीयकरण के बाद निजीकरण का युग आ गया आज उदारीकरण का युग है उदारीकरण होना चाहिये, किन्तु हम उधारीकरण के पक्षपाती नहीं है। यह जो बाहर से मल्टी नेशनल कम्पनीज आ रही हैं, उदारीकरण के नाम पर इससे देश का पूरा घरेलू उद्योग चौपट हो जायेगा। उदारीकरण के नाम पर सरकार ने लाइसेंस से मुक्ति देने की नीति घोषित की है। सिद्धान्तः मैं लाइसेंस प्रणाली, कोटा प्रणाली और परमिट प्रणाली का विरोधी हूं क्योंकि यह भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हैं, परन्तु केन्द्र की अर्थनीति के कारण उत्तर प्रदेश जैसे पिछड़े प्रदेश का अहित हो गया। पहले तो किसी को मजबूर किया जा सकता था कि अगर लाइसेंस लेना है तो हम अपनी मरजी से उद्योग लगाने के स्थान तय करेंगे, पिछड़े इलाके में उद्योग लगाने की बात कही जाती थी।

आज लाइसेंस की प्रतिबद्धता समाप्त हो गयी है तो अब कोई ऐसी जगह पर उद्योग लग रहा है जहां अवस्थापना सुविधाओं की आधारभूत व्यवस्था हो, बिजली हो, पानी हो टेलीफोन हो, दूरसंचार और यातायात की भरपूर सुविधायें हों इत्यादि इत्यादि। अब उत्तर प्रदेश जैसा पिछड़ा प्रदेश अवस्थापना सुविधाओं की दृष्टि से बहुत पीछे है। तब फिर कोई भी व्यक्ति यहां पर अपनी पूंजीनिवेश नहीं कर पायेगा और इसलिये भारत सरकार से इस बात की मांग की जानी चाहिये कि केन्द्र की नई आर्थिक नीति के कारण पिछड़े प्रदेशों की जो हानि हो रही है उसकी भरपाई करने के लिये और उन पिछड़े प्रदेशों की जो हानि हो रहा है उसकी भरपाई करने के लिये और उन पिछड़े प्रदेशों में अवस्थापना सुविधाओं के विस्तार के लिये केन्द्र में कोई अलग से विशेष निधि बनाई जानी चाहिये। यदि आप उत्तर प्रदेश के पिछड़ेपन को दूर करने के लिये केन्द्र के साथ बात उठायेंगे तो प्रदेश की जनता के विकास के लिये हम सहयोग कर सकते हैं। हमने प्रधान मंत्री जी के साथ यही बात सबल शब्दों में उठाई थी किन्तु भारत सरकार ने स्वीकार नहीं की थी। मैं नहीं जानता कि आज भी केन्द्र सरकार उसे स्वीकार करेगी अथवा नहीं। किन्तु आप इस मुद्दे को उठाते क्यों नहीं ?

राजस्व मंत्री (श्री बाबू राम यादव)–

आज ऐसा लगता है कि माननीय नेता प्रतिपक्ष और माननीय नेता सदन के बीच गुप्त समझौता हो गया है।

श्री कल्याण सिंह–

मैंने तो प्रारम्भ में ही कहा था शायद आपने सुना नहीं, विकास को राजनीति का हम मुद्दा नहीं मानते। विकास की हम सबकी जिम्मेदारी है, आपकी भी है, हमारी भी है। कहने का अधिकार हमको है, आपको पास करने का अधिकार है। कोई चीज हम कह रहे हैं जो आपको व्यवहारिक लग रही हो तो उसको स्वीकार कर लीजियेगा। हम जो बाते कह रहे हैं, सकारात्मक कह रहे हैं, सारी प्रदेश की वित्तीय स्थिति का चित्रण हुआ है इसमें।

एक सदस्य–

आज से आप में सुधार हुआ है।

श्री कल्याण सिंह–

उतना ही आप में बिगाड़ होता जा रहा है ।

उदाहरण के तौर पर केन्द्र से जो हमारी बात चल रही थी उसमें 8 ग्रोथ सेन्टर्स देने की बात थी । प्रत्येक ग्रोथ सेन्टर पर 30 करोड़ रुपये देने की बात थी, उसे उन्होंने सिद्धान्तः स्वीकार भी कर लिया था । अब उन 8 सेन्टर्स में कितने सेन्टर आ पाये हैं यह आप बतायेंगे । उत्तर प्रदेश में इस तरह के ग्रोथ सेन्टर्स, जहां अवस्थापना सुविधाओं का विस्तार हो सके, लोगों को पूंजी निवेश के लिये प्रोत्साहित किया जा सके, इसके लिये जो 8 ग्रोथ सेन्टर्स की बात चल रही थी पहले वह 8 ग्रोथ सेन्टर्स ही आ जाय, उसके बाद और अधिक की बात की जा सकती है । इसी प्रकार से श्रीमन्, आगरा का ताज-ट्रेपीजीयम है। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आ गया । आगरा में जो उद्योग लगे थे उनके बन्द होने की स्थिति आ रही थी प्रदूषण की समस्या के कारण ।

उत्तर प्रदेश के लिये गैस आवंटन का मामला केन्द्र में लम्बित है । आगरा जैसे शहरों को गैस सिस्टम से जोड़ दिया जाय जिससे प्रदूषण भी बचेगा, पर्यावरण की समस्या भी हल होगी और जो आज उद्योग धन्धों पर वहां रोक जैसी लग गयी है वहां पर उद्योग लगने प्रारम्भ हो जायेंगे । एक गैस लाइन हमारे प्रदेश में आने की बात है उसको जल्दी से जल्दी चालू कराके इसका प्राविधान कराना चाहिये । हमारे देश में लगभग 10 स्टेट हैं जो "स्पेशल केटिगरी स्टेट" कहलाते हैं जैसे हिमांचल प्रदेश, असम और भी प्रदेश हैं । मेरी जानकारी के अनुसार यह जो स्पेशल केटिगरी स्टेट हैं, उनको कुछ अवधि के लिये कदाचित 5 वर्ष के लिये कारपोरेट टैक्स से मुक्ति दे दी गयी है । उत्तर प्रदेश के हिल एरिया में 8 जिले हैं उसी प्रकार की स्थिति उनकी भी है जैसी हिमांचल की है । उनको भी उसी तरह से कारपोरेट टैक्स में छूट दी जा सकती है । इन 8 जिलों को "स्पेशल केटिगरी" में मिलने वाली सहायता की कोटि में लाया जाय । श्रीमन्, मैं औद्योगिकीकरण पर विशेष बल देता हूं यह स्वीकार करके बल देता हूं कि उत्तर प्रदेश औद्योगिकीकरण के मामले में पिछड़ा हुआ है ।

मान्यवर, जब तक 6 आवश्यक चीजों का प्राविधान नहीं हो पायेगा तब तक हम निर्णय कुछ भी लेते रहे प्रदेश में औद्योगिकीकरण की गति नहीं बढ़ेगी और प्रदेश में जब औद्योगिकीकरण की गति नहीं बढ़ेगी तो प्रदेश के विकास के रथ का पहिया जाम हो जायेगा । सबसे पहले प्रदेश में चाहिये चुस्त दुरुस्त और भ्रष्टाचार मुक्त कानून व्यवस्था, भयमुक्त वातावरण, दूसरे चाहिये पर्याप्त विद्युत की सुनिश्चित उपलब्धता । तीसरे, लालफीताशाही के बंधन से पूरी तरह मुक्ति । चौथे, इंस्पेक्टर राज की समाप्ति, पांचवां, कर ढांचे का सरलीकरण और करों की दरों का युक्ति-युक्तिकरण । और छठा है, इसे मैं किसी भी नम्बर में रख सकता हूं, अवस्थापना सुविधाओं का विस्तार । हम आंकलन करके यह देखें कि हम यह छः चीजें इस प्रदेश को उपलब्ध करा पा रहे हैं या नहीं । ठीक है इंस्पेक्टर राज की समाप्ति की घोषणा महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में और बजट भाषण में की गयी है और अवस्थापना सुविधाओं पर विचार किया जा रहा है परन्तु किस-किस जगह कितना पैसे का प्राविधान किया गया और कितना दिया गया यह मेरे जैसा व्यक्ति ढूंढ़ नहीं पाया इस बजट में कहीं भी मुझे ऐसा लग रहा है कि इन छः चीजों का प्रबन्ध आज उत्तर प्रदेश में नहीं किया जा रहा है और जब तक इन छः चीजों का प्रबन्ध नहीं किया जायेगा तब तक औद्योगीकरण इस उत्तर प्रदेश में नहीं हो सकता ।

मैं चाहूंगा कि जब मुख्य मंत्री जी अपना जवाब देने के लिये खड़े हों तो इन विषयों पर प्रकाश डालें। मान्यवर, एक सुझाव मैं देना चाहता हूं माननीय मुख्य मंत्री जी इसे गम्भीरता से लें । उत्तर प्रदेश में ए० पी० सी० का पद है, जिसे कृषि उत्पादन आयुक्त कहा जाता है, वह कृषि से संबंधित जितने भी विभाग हैं उनमें समन्वय का कार्य करता है । जिससे उसमें एकरूपता बनी रहती है और वह एक दूसरे के पूरक और पोषक बनते हैं । मुझे याद है कि 23 नवम्बर, 1992 को हमने एक निर्णय लिया था कि ए० पी० सी० (एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कमिश्नर) की ही तरह से एक आई० डी० सी० (इण्डस्ट्रियल डेवलपमेन्ट कमिश्नर) की पोस्ट सृजित की जाये । जो छोटे कुटीर उद्योग हैं, मझोले हैं, बड़े हैं, ग्रामीण अंचल के हैं, खादी ग्रामोद्योग हैं जो यह सेक्शन्स हैं एक दूसरे के तारतम्य में नहीं हैं । अपने-अपने हिसाब से कार्य करते हैं । जैसे खादी ग्रामोद्योग अपनी तरह से कार्य करता है, कुटीर उद्योग अपने हिसाब से कार्य करता है, तो आई० डी० सी० की पोस्ट की हमने कल्पना की थी और उसका निर्णय भी हमने 23-11-92 को लिया था पत्रावली में देखें आपको मिल जायेगा उसे बनाया जाना चाहिये ।

जो जितने भी प्रकार की इण्डस्ट्रीज हैं उसका समन्वय कर सकें और जहां-जहां कमियां हैं, खामियां हैं उनको दूर कर सकें । मान्यवर, चीनी उद्योग इस देश और प्रदेश के विकास के लिये एक बहुत बड़ा उद्योग है । आज यहां पर मैंने बजट भाषण में पढ़ा । कदाचित् आपने कहा कि 30 स्थानों के लिये संस्तुति करके भेजा है और 11 चीनी मिल लगाने के आशय पत्र मिले हैं । लेकिन मैं यह समझता हूं कि चीनी मिल जो 11 दी जा रही हैं यह कम हैं । वैसे तो मैं और मेरी पार्टी इस बात की पक्षधर है और केन्द्र में भी इस तरीके को लागू करना चाहिये कि उदारीकरण और निजीकरण की नीति बनायी जाये । वर्तमान सरकार भी इसकी समर्थक है और हम भी इसके समर्थक हैं । जबकि चीजों को लाइसेंस मुक्त कर दिया है तो चीनी उद्योग को भी लाइसेंस मुक्त कर दिया जाना चाहिये । जहां गन्ना ज्यादा होगा, प्राइवेट चीनी मिल वाले वहीं पूंजी निवेश करके चीनी मिल लगा देंगे । आज स्थिति क्या है ।

मेरे समय में 84 स्थानों के लिये 154 प्रार्थना-पत्र आये थे और हमने केन्द्र सरकार से मांग की थी कि हमको 50 चीनी मिल दे दें तो उन्होंने 16 चीनी मिलें ही देने की बात स्वीकार की थीं तो हमने कहा कि पहले यह 16 ही दे दीजिये तो उन्होंने कहा कि स्थान और पार्टी का नाम लिखकर भेज दें । मैं ज्यादा विस्तार से नहीं जाना चाहता हूं । कहीं न कहीं क्योंकि आलोचना की गंध आ जायेगी । किन्तु यह तथ्य है कि हमने उन 16 चीनी मिलों के स्थान और मिल लगाने वाली पार्टियों के नाम भी संस्तुत करके केन्द्र को यथासमय भेज दिये थे किन्तु केन्द्र ने अपना आश्वासन नहीं निभाया । लेकिन मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि आपने उत्तर प्रदेश के साथ न्याय नहीं किया । आपने 30 चीनी मिलें मांगी, आपकी मांग कुछ और ज्यादा होनी चाहिये । उन्होंने 11 का आश्वासन दिया । आज उत्तर प्रदेश में जितना गन्ना पैदा हो रहा है, उसके लिये प्रदेश में 106 चीनी मिलें हैं और 106 चीनी मिलों की पेराई क्षमता 32.5 प्रतिशत या ज्यादा से ज्यादा 33 प्रतिशत है । बाकी जो 67.5 या 67 प्रतिशत गन्ना है, वह या तो गुड़ में जा रहा है या खांडसारी में जा रहा है ।

यह गहरी चिन्ता का विषय है कि चीनी कि रिकवरी 10 परसेंट है और गुड़ तथा खाण्डसारी की रिकवरी 6-7 प्रतिशत है 3, साढ़े 3 परसेन्ट चीनी बगास में जा रही है और बगास भट्ठी में जा रही है जिससे राष्ट्रीय क्षति हो रही है, किसान की भी क्षति हो रही है । इसीलिये इस बात पर जोर दिया जाना चाहिये कि कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश में, जो चीनी मिलों की संख्या है, उसे बढ़ाया जाय नहीं तो

बुनियादी तौर पर इस बात की मांग उठाई जानी चाहिये कि और उद्योगों की तरह चीनी उद्योगों को भी लाइसेंस से मुक्त कर देना चाहिये ।

अब मान्यवर, दो शब्द बिक्री-कर के बारे में कहना चाहूंगा । आपने बिक्री-कर समाप्त करने के लिये घोषणा की, उस समय मात्र इतना ही कहा था । अब विकल्प तलाश करने की बात चल रही है । आपको 100 दिन से ज्यादा हो गये, अब 6 महीने की बात कही है, हम 6 मीहने को भी ज्यादा नहीं मानते । जो वायदा किया था, उसे पूरा करो । मैं बार-बार इस प्रश्न को उठा रहा हूं, इसका कभी उत्तर नहीं मिलता । मुख्य मंत्री जी, आपने चुनाव के दिनों आपने भाषण में व्यापारियों से कहा था कि 1 नवम्बर, 1993 के बाद बिक्रीकर देना बन्द कर दो । बहुत से व्यापारियों ने उसके बाद से बिक्रीकर नहीं दिया । कुछ ऐसे थे, जिन्होंने सोचा कि पता नहीं माफ हो पायेगा या नहीं, इसलिये जमा कर दिया ।

अब प्रश्न यह है कि जिन लोगों ने 1 नवम्बर, 1993 के बाद से बिक्रीकर जमा नहीं किया है, क्या सरकार उनका बिक्रीकर माफ करेगी और जिन लोगों ने 1 नवम्बर, 1993 के बाद भी बिक्रीकर जमा किया है, क्या यह सरकार उन लोगों के बिक्रीकर की धनराशि को वापस करेगी । यह तो सब जानते हैं कि बिक्रीकर के विकल्प की तलाश किये बिना, एकदम, एक झटके में बिक्रीकर को समाप्त करके कोई भी सरकार दो हजार करोड़ रुपयों के राजस्व की खोना नहीं चाहेगी । चुनाव के मंच से कहना बहुत सरल है, लेकिन जब करने की स्थिति आती है, तब पता लगता है, कितने पानी में हैं । लेकिन आपने वायदा किया है, आपको पूरा करना है । वायदा हमने भी किया था, अपने चुनाव घोषणा-पत्र में, कि भाजपा चरणबद्ध तरीके से बिक्रीकर समाप्त करेगी, और सम्पूर्ण कर ढांचे को इस ढंग से संशोधित करेगी कि राजस्व की क्षति के बिना व्यापारी, उपभोक्ता और उत्पादक तीनों को राहत मिल सके आपने एक झटके में बिक्रीकर समाप्त करने की बात कही थी, किन्तु झटका तो व्यापारी खा रहे हैं । श्रीमन्, ग्रामीण विकास के लिये आपने कह दिया कि 70 प्रतिशत धनराशि योजना परिव्यय का देंगे । मैंने उनको पूरा पढ़ा लेकिन समझ नहीं पाया, अगर यह सच है तो बजट में कहीं पर भी इसका विस्तार से उल्लेख क्यों नहीं है ? मेरा कहना है कि 70 प्रतिशत ग्रामीण विकास पर खर्च करेंगे योजना परिव्यय का, यह केवल घोषणा है । सारी साहित्य देखने के बाद मुझे 50-51 परसेंट से ज्यादा दिखायी नहीं दे रहा है ।

श्रीमन् मैं मांग करता हूं कि ग्रामीण विकास के किस-किस मद पर कितना-कितना पैसा खर्च किया जायेगा, टोटल करें कि कितने योजना परिव्यय का 70 प्रतिशत होगा । आप एक विस्तृत श्वेत-पत्र जारी कर दें जिससे सारी बात स्पष्ट हो जायेगी, प्रदेश की जनता को जानकारी मिल जायेगी और साथ ही मुझे जानकारी मिल जायेगी । मुख्यमंत्री जी, अगर आपने ईमानदारी से किया होगा तो इसका श्रेय आपको मिलेगा । लेकिन यह घोषणा वास्तविकता से दूर है । जनता को गुमराह किया जा रहा है ।

गन्ने की कीमत के बारे में दो बात कहना चाहता हूं । शीघ्र पकने वाली गन्ने की कीमत आपने 61 रुपये और देर से पकने वाली गन्ने की कीमत आपने 58 रुपये रखी है । लेकिन आज ईख के खेत की जो लागत आ रही है उसके हिसाब से गन्ने की कीमत कम है । इसलिये शीघ्र पकने वाली प्रजातियों का कम से कम 65 रुपये प्रति क्विंटल और देर से पकने वाली प्रजातियों की न्यूनतम कीमत 62 रुपये प्रति क्विंटल होनी चाहिये । आपने ही इस सदन में कहा था कि क्रेशर वाले 70 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से गन्ने की कीमत दे रहे हैं । तब फिर सरकार क्यों नहीं दे रही है । आपने शीरे का नियंत्रण कर दिया, केन्द्र सरकार ने शीरे को नियंत्रण मुक्त किया था ।

आपने 65 प्रतिशत शीरे का नियंत्रण किया और 35 प्रतिशत शीरा खुले बाजार में बिक रहा है । जो शीरे की कीमत है वह तीन प्रकार की है जो अव्वल दर्जे का शीरा है वह "अ" श्रेणी का कहलाता है और उसकी कीमत 40 रुपये प्रति क्विंटल है, "ब" श्रेणी का शीरा 32 रुपये प्रति क्विंटल और जो सबसे निचले स्तर का "स" श्रेणी का है, उसकी कीमत 24 रुपये प्रति क्विंटल है । सामान्यतयः "ब" श्रेणी का शीरा ज्यादा होता है, मोटे तौर पर यह मान लिया जाना चाहिये कि आपने 32 रुपये प्रति

क्विंटल शीरे का मूल्य तय किया है । यह आप मात्र 6 अल्कोहल फैक्ट्रियों की भलाई के लिये कर रहे हैं । लेकिन चीनी मिलों का विस्तार हो, उनका आधुनिकीकरण हो उसका प्रबन्ध नहीं है । चीनी मिलों की पेराई क्षमता बढ़ायी जाये, उसका कोई प्रबन्ध नहीं है । इस बात का कोई जिक्र नहीं है कि किसानों को उनके गन्ने का समय से पैसा मिल सके ।

आपने शीरे पर नियंत्रण कर ही दिया है तो विचार सरकार इस बात पर करे कि जहां अल्कोहल बेस्ड इण्डस्ट्रीज को कोई क्षति न होने पाये वहीं चीनी मिलों के पास इतना पैसा पहुंचे जिससे चीनी मिलों का विस्तारीकरण और आधुनिकीकरण हो सके । अतः शीरे की कीमत को बढ़ाने की आवश्यकता है और चीनी मिलों की ओर ध्यान देने की आवश्यकता है, अगर ऐसा नहीं होगा तो प्रदेश के अन्दर जो हमारा चीनी उद्योग प्रतिबाधित होगा, फिर हमारा प्रदेश विकास की दौड़ में पिछड़ता चला जायेगा ।

उद्योगों के बारे में आपने घोषणा की है कि 33 हजार नई औद्योगिक इकाईयां लगेंगी । क्या यह आगणन कर लिया है कि पुरानी इकाईयां कितनी थीं ? क्या यह सर्वेक्षण हो चुका है कि उनमें से कितनी मर चुकी हैं, कितनी बीमार हैं ? क्या यह भी सर्वेक्षण हो चुका है कि इन इकाईयों के बीमार होने के कारण क्या हैं, मृत इकाईयों के मृत होने के कारण क्या हैं ? जो बीमार या मृत इकाईयां हैं, उनको पुनर्जीवित या चालू करने के लिये बजट में कोई योजना नहीं है, पर्याप्त पैसे का प्राविधान नहीं है और क्या कोई ऐसी भी प्लानिंग की है जो 33 हजार नयी औद्योगिक इकाईयां स्थापित करने की बात कही जा रही है, भूतकाल की तरह से यह इकाईयां बीमार न होने पायें, मृत न होने पायें ? क्या इसका कोई मास्टर प्लान है ? हम बजट में इस प्रकार की किसी काम्प्रहेंसिव स्कीम का अभाव पाते हैं ।

यह 33 हजार इकाईयां लगा दी जायेंगी और उनका हश्र वही होगा जो पुरानी इकाईवों का हुआ है, जो या तो बीमार हैं, या मृत हैं । विकास के लिये क्षेत्रीय असंतुलन के बारे में आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं । मान्यवर, तीन क्षेत्र ऐसे हैं जो विकास के नाम पर प्रदेश में पिछड़े हुए हैं । बुन्देलखण्ड के पांच जिले, पूर्वांचल के 19 जिले और उत्तरांचल के आठ जिले । अब उनके विकास के लिये अलग-अलग विधियां बनायी गयी हैं । हमने 1992-93 में बुन्देलखण्ड के विकास के लिये दस करोड़ रुपये का प्राविधान रखा था । इसके बाद प्रदेश में एक वर्ष तक राष्ट्रपति शासन लागू रहा, लेकिन आज तक उसमें केवल दो करोड़ रुपये की वृद्धि हुयी है । बुन्देलखण्ड विकास निधि के अन्तर्गत पांच जिले आते हैं, वहां पर बीस करोड़ रुपये का प्राविधान करना चाहिये था।

इसी प्रकार पूर्वांचल के विकास के लिये 1992-93 में हमने तीस करोड़ से चालीस करोड़ रुपये तक बढ़ाया था उसमें अब मात्र 8 करोड़ रुपयों की बढ़ोत्तरी करके 48 करोड़ रुपये का प्राविधान किया गया है । पूर्वांचल के पिछड़ेपन को दूर करने के लिये पूर्वांचल विकास निधि में 70 या 80 करोड़ रुपये किया जाना चाहिये । फिर इन क्षेत्रों की समस्याओं की ओर ध्यान दिया जाना चाहिये । जैसे बुन्देलखण्ड को ही लें, उसमें कहां-कहां कौन-कौन सी योजना चल सकती है । सरयू परियोजना, राजघाट योजना पूरी हो जाने से बुन्देलखण्ड के जिलों में पानी मिलने लगेगा । बांण–सागर बांध, पयस्विनी योजना, बरिया योजना के संबंध में मध्य प्रदेश की सरकार से बातचीत करके जल्दी ही निर्णय लेना चाहिये । अगर यह सब कर लिया जाय तो विश्वास है कि बुन्देलखण्ड की पेयजल समस्या और सिंचाई की समस्या तीन चार-वर्षों में हल हो जायेगी ।

पूर्वांचल की भी समस्यायें हैं, बेरोजगारी की समस्या है, गरीबी की समस्या है, सिंचाई की समस्या है । वहां पर मजदूरों को काम नहीं मिलता है । अगर मजदूरों को काम मिल भी गया तो मजदूरी का पूरा दाम नहीं मिलता । वहां पर आमदनी बढ़ाने के लिये कोई योजना कार्यान्वित की जाय । हमने नोयडा पैटर्न पर गोरखपुर डेवलपमेंट अथारिटी (गीडा) का शिलान्यास किया था; वहीं पर पांच करोड़ रुपये की स्वीकृति का जी० ओ० भी दे दिया था । लेकिन आज तक उसके विकास के लिये धनराशि का आवंटन उसके पक्ष में नहीं हुआ । किसानों के लिये एक योजना तैयार की थी । मेरी जानकारी के अनुसार हमने प्रति एकड़ देने के लिये जो रेट तय किये थे अब उन्हें आप प्रति हेक्टेयर देना चाहते हैं

अर्थात् किसानों को जमीन का जो पूरा दाम मिलना चाहिये वह उन्हें नहीं मिल पा रहा है । संभवतः रिकार्ड यही बताता है ; यही नहीं पूरे प्रदेश की जोत घटती जा रही है । बुन्देलखण्ड और पूर्वांचल की नब्बे प्रतिशत जोतें ऐसी हैं जो अलाभप्रद हो गयी हैं । तीसरी उत्तरांचल की बात कही, इस बात को मानता हूं कि अगर उत्तरांचल राज्य अलग से नहीं बनाया गया तो विकास नहीं होगा । माननीय मुख्य मंत्री जी उत्तरांचल को अलग राज्य बनाये जाने की स्वीकृति के संबंध में सहमति दे चुके हैं । क्योंकि वह भी उत्तरांचल या उत्तराखण्ड अलग राज्य बनाना चाहते थे । एक समय इसी सदन में माननीय मुलायम सिंह जी ने उत्तरांचल राज्य बनाये जाने के संबंध में विरोध किया था । अब समर्थन कर रहे हैं । देर से आये किन्तु दुरुस्त आये ।

पहले उत्तरांचल राज्य बनाना चाहिये । जब तक इन तीनों क्षेत्रों की ओर ध्यान नहीं दिया जायेगा तब तक उसका विकास संभव नहीं है । इन क्षेत्रों के विकास के लिये क्या कोई स्कीम बनायी जा रही है ? वहां पर एक कम्प्रेहेन्सिव योजना होनी चाहिये, टुकड़ों में नहीं । लघु उद्योगों का जाल बिछाने के लिये प्राविधान किया जाय, इसका बजट में कहीं भी उल्लेख नहीं है । पर्यटन की बात बहुत कही गयी है । लेकिन टुकड़ों में पर्यटन के विकास की बात कही जा रही है । पैसा भी लगेगा और लाभ भी नहीं मिलेगा । पर्यटन के विकास के लिये कोई पैकेज योजना नहीं बनाई गई है । चाहे मैं हूं और फिर चाहे आप हों, पर्वतीय क्षेत्र के विकास में सबसे बड़ी बाधा आ रही है, जब तक दूर नहीं हो जाती तब तक पर्वतीय क्षेत्र का विकास सम्भव नहीं है । वह बाधा है वन संरक्षण अधिनियम, 1980 । बिजली का पोल आप लगा नहीं सकते । तार आप खींच नहीं सकते । ईंधन के लिये आप लकड़ी ले नहीं सकते । घास आप काट नहीं सकते । अगर एक स्कूल का भवन बनाना हो, सड़क बनानी हो या कोई ड्रेन बनानी हो तो उसके लिये भी आपको केन्द्र सरकार की अनुमति चाहिये । इसलिये इस अधिनियम में संशोधन की आवश्यकता है, जिससे पर्वतीय क्षेत्र में विकास हेतु जहां-जहां बाधा आती हो, उसे दूर किया जा सके उत्तर प्रदेश जैसे विशाल प्रदेश के लिए केन्द्र सरकार के उप सचिव की अनुमति लेनी पड़ती है । इस अधिनियम के तहत ।

मान्यवर सिंचाई की बात कहना चाहूंगा । मोटेतौर पर आज भी केवल 32-33 फीसदी खेती के लिये ही सिंचाई का इन्तजाम है, शेष 67-68 फीसदी भूमि के लिये सिंचाई का कोई इन्तजाम नहीं है । आज भी भगवान भरोसे उन पर खेती हो रही है । अब आप कहते हैं कि हम हर खेत तक पानी पहुंचायेंगे हर नहर की टेल तक पानी पहुंचायेंगे । परन्तु मुझे ऐसा नहीं लगता । आपने कुछ योजनाओं की चर्चा की है । सिंचाई के क्षेत्र में आज भी 45 पुरानी लम्बी योजनायें ऐसी हैं जो अधूरी पड़ी हैं । क्या कोई सर्वेक्षण किया गया कि उन पर कितना पैसा खर्च हुआ है और उनमें से कितनी पूरी हो गई हैं और कितनी अभी अधूरी रह गई हैं । किसी भी नई योजना पर ज्यादा पैसा खर्च करने के बजाय जो योजनायें अधूरी पड़ी हैं, उन्हें कम पैसे खर्च करके पूरा कराया जा सकता है और यथोचित लाभ लिया जा सकता है । इसलिये जो योजनायें अधूरी पड़ी हैं, उन्हें पहले पूरा करने के लिये प्राथमिकता होनी चाहिये ।

मान्यवर, मंहगाई की बात कही गई । मंहगाई बढ़ गई । मैं यह नहीं कहता कि जो मंहगाई बढ़ रही है, उसके लिये पूरी तरह से आप जिम्मेदार हैं । देश के अन्दर व प्रदेश के अन्दर मंहगाई बढ़ने का कारण केन्द्र का बजट व उसकी नीतियां बहुत कुछ हद तक जिम्मेदार होती हैं । केन्द्र ने रसोई गैस की कीमत बढ़ा दी तो मंहगाई अवश्य बढ़ेगी, गेहूं, चावल, पेट्रोल के दाम बढ़ा दिये तो मंहगाई बढ़ना स्वाभाविक है, रेलवे का किराया व ढुलाई की दरें बढ़ गई तो मंहगाई अवश्य बढ़ेगी । कम से कम 1100 करोड़

रुपये का कर लगा दिया गया तो मंहगाई पर उसका असर अवश्य पड़ेगा । खुले बाजार में मंहगाई बढ़ रही है । लेकिन मंहगाई बढ़ने का एक हिस्सा ऐसा है, जो राज्य सरकार के खाते में जाता है । गरीब लोगों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से गेहूं, चावल, चीनी, मिट्टी का तेल आदि जो मिलता था, आज सरकार उसमें विफल हो गई है । मेरे पास आंकड़े हैं । मैं यह भी सूचित कर दूं कि इन आंकड़ों को 1 मार्च, 1994 को इसी विधान सभा में माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी ने स्वीकार भी किया है । दिसम्बर, 1993 तक केन्द्र सरकार से जो खाद्यान्न आवंटित हुआ था, वह इस प्रकार है :–

गेहूं का आवंटन हुआ था 8.49 लाख टन और आप उठा कितना पाये 3.33 लाख टन । तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली से कैसे गरीबों का भला होगा । इसी तरह आपको चावल का आवंटन हुआ 5.12 लाख टन और आपकी सरकार केवल 2.37 लाख टन उठा पाई तो मंहगाई बढ़ेगी । इसी तरह से तेल की स्थिति है उसका अलग से ब्लैक हो रहा है । यहीं पर चर्चा हो रही थी कि एक बोतल मिट्टी का तेल कितने ऊंचे दामों में मिल रहा है । इस तरह नमक, दाल, सब्जी, कपड़ा सभी चीजें मंहगी हो रही हैं । केवल दो चीजें सस्ती हो गयी हैं एक तो इंसान की जान और दूसरी बहू बेटियों की इज्जत । यह दोनों चीजें आपके राज्य में सस्ती हो रही हैं बाकी चीजों में मंहगाई बढ़ती जा रही है और इस बजट से मंहगाई रुकेगी इसके कहीं से कुछ संकेत नहीं मिलता । गरीबों का जीना दूभर हो गया है ।

चिकित्सा के बारे में जो धनराशि रखी गयी है प्रदेश की जनसंख्या और आकार को देखते हुए उसमें आवंटन कम हुआ है । धनराशि के आवंटन के साथ-साथ चिकित्सा सुविधाओं में गुणवत्ता पर भी विचार जरूरी है । चिकित्सा सेवा को कैसे श्रेष्ठ बनाया जाय । क्या प्रत्येक अस्पताल में आटोएनैलाइजर पहुंच गया है ? क्या एक्सरे प्लान्ट और एक्सरे प्लेट पहुंच गयी है ? क्या प्रत्येक अस्पताल में पानी की व्यवस्था हो गयी है । क्या वहां ट्यूबवेल लग गये हैं ? क्या प्रत्येक अस्पताल में जनरेटर सैट पहुंच गये हैं ? इसी तरह क्या दवाओं का पूरा प्राविधान कर दिया गया है ? श्रीमन् इनके लिये बहुत कम प्राविधान है ।

जनसंख्या के बारे में दो तीन बातें कह कर मैं विराम देता हूं । बढ़ती हुई जनसंख्या विकास में बाधक है । विकास दर कितनी ही बढ़ा लीजिये लेकिन उसी हिसाब से जन्मदर बढ़ती जायेगी तो विकास के खाते में हम और आप कुछ नहीं कर पायेंगे । इसके विस्फोटक बिन्दु तक पहुंचने में मात्र 10 वर्ष हैं । उस बिन्दु पर अगर जनसंख्या पहुंच गयी और हम काबू नहीं पा सके तो फिर उस पर काबू पाना किसी सरकार के बस की बात नहीं होगी । हम समन्वित विकास की चर्चा करते हैं और अलग अलग बिन्दुओं पर विचार करते हैं लेकिन इसके लिये 5 चीजों को एक साथ लेकर सोचना होगा जब तक उसके लिये कम्प्रीहेंसिव प्लानिंग नहीं होगी तब तक समन्वित विकास नहीं हो सकता है । यह पांच चीजें हैं पहली विकास दर, दूसरी रोजगार दर, तीसरी जन्म दर, चौथी मृत्यु दर और पांचवीं है साक्षरता दर । अनुभव बताता है कि जिस राज्य की साक्षरता दर जितनी ऊंची है उतनी ही विकास दर ऊंची है । साक्षरता दर ऊंची होगी तो मृत्यु दर भी घटेगा, मृत्यु दर घटेगा तो जन्म दर भी घटेगी, जन्म दर घटने से रोजगार दर बढ़ेगी । जब रोजगार दर बढ़ेगी तो अपने आप विकास होगा । तो क्या इन पांच चीजों को इकट्ठा करके कोई प्लानिंग की है ? मुझे तो कहीं ऐसा नहीं लगता है कि इस पर ध्यान दिया गया हो ।

पेयजल के बारे में आपने कहा है दो वर्ष के अन्दर हल कर देंगे । यह आपने थोथी घोषणा की है । मेरा कहना यह है कि दो वर्ष के अन्दर तो कानपुर और आगरा बैराज बन कर तैयार नहीं होंगे । क्या प्रत्येक गांव का सर्वेक्षण हो गया है कि प्रति ढाई सौ की जनसंख्या के आधार पर एक इंडिया मार्क टू हैण्ड पम्प दिया जायेगा तो कितने हैण्ड पम्प चाहिये ?

बुन्देलखण्ड के लिए पहाड़ों के लिए पेयजल की कोई व्यवस्था नहीं की गयी, जो आपको करनी होगी। क्या पेयजल की जो पुरानी योजनायें हैं उनमें जो निश्प्रभावी हो गयी हैं उनको बदला जायेगा ? उनका अनुरक्षण कैसे किया जायेगा इसके संबंध में कुछ नहीं कहा गया है।

श्रीमन्, बिजली के बारे में कहा जा रहा है कि 16 घण्टे बिजली दी जा रही है। मैं पुनः कहना चाहता हूं कि यह घोषणा सही नहीं है कि देहात में 16 घण्टे बिजली दी जा रही है। बिजली बोर्ड से आंकड़े पूछे जायेंगे तो बता देंगे कि जिले को बिजली 16 घण्टे जा रही है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, कि किसानों को तो बिजली 16 घण्टे ट्यूबवेल पर चाहिए, इसलिए 16 घण्टे बिजली प्रत्येक फीडर पर जानी चाहिए। क्या प्रत्येक फीडर पर 16 घण्टे बिजली जा रही है ? मेरा कहना है कि नहीं जा रही है।

कदाचित इसमें आपने कहा है कि बिजली के लिए पैसे का प्राविधान किया गया है लेकिन बजट में जो आंकड़े हैं उसमें इस बात का जिक्र नहीं है कि उत्पादन पर, पारेषण पर, वितरण पर और अनुरक्षण पर कितना खर्च करेंगे ? इसलिए इन चारों चीजों पर जब तक आप तय नहीं करेंगे कि कितना-कितना खर्च करेंगे तब तक बिजली में सुधार की आशा नहीं की जा सकती। श्रीमन्, बिजली बोर्ड इतना बड़ा सफेद हाथी बन गया है कि उसको जितना पैसा दिया जायेगा वह सब निगल जायेगा। इसलिए बिजली उत्पादन, पारेषण, वितरण और अनुरक्षण पर अलग-अलग व्यवस्था की जानी चाहिए। मुझे खुशी है सरकार ने बिजली उत्पादन के लिए निजी क्षेत्र को आमंत्रित किया है हमने भी किया था यदि ऐसा नहीं करेंगे तो यहां बिजली की समस्या हल नहीं होगी।

श्रीमन्, बिजली में लाईन लासेस और चोरी को देखें तो हिन्दुस्तान में यहां सबसे ज्यादा बिजली की चोरी होती है। लाईन लासेस जो हैं वह चोरी को छुपाने का एक अच्छा तरीका बना रखा है। श्री मुलायम सिंह यादव जी मैं आपका भाषण पढ़ रहा था आपने सुझाव दिया था कि कुछ उद्योगों में नमूने के तौर पर मीटर लगाकर सर्वे किया जाय और बिजली की खपत निकाली जाय और हिसाब निकाला जाय कि रीडिंग कितनी आयी और औसत कितना निकला ? उससे बिजली चोरी का पता चल जायेगा। लाईन लासेस जो आप दिखा रहे हैं उसमें मैं कहना चाहता हूं कि पारेषण की दुर्व्यवस्था के कारण यह लाईन लासेस हो रही है। इसके अलावा चोरी को छुपाने के लिए लाईन लासेस के आंकड़े दिये जाते हैं जो ठीक नहीं है।

यदि आप इक्जीक्यूटिव इंजीनियर को कह दें कि इतनी बिजली जा रही है और इसके नीचे तुम्हारी जिम्मेदारी है, तो इसमें कितनी लाईन लासेस है और कितनी चोरी है उसका पता चल जायेगा। श्रीमन्, जबसे मीटर सिस्टम समाप्त हुआ तबसे विद्युत बोर्ड वालों को बेईमानी और भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए मौका मिल गया है क्योंकि गांवों में कोई मीटर तो लगा नहीं है। दिखा दिया जाता है कि इतनी बिजली गांव में गयी है और गांव में बिजली होती नहीं है। इसलिए जैसे बड़ी मछलियां छोटी मछलियों को खा जाती हैं उसी प्रकार से विद्युत बोर्ड के अधिकारी लाईन लासेस दिखाकर बिजली की चोरी कराते हैं और ग्रामीण क्षेत्रों को ज्यादा बिजली देने के बहाने से पूरा करने की कोशिश की जाती है। श्रीमन्, जनसंख्या बढ़ाने की बात है, उसके नियंत्रण के उपाय होने चाहिए। मैं आपके ही भाषण का एक और अंश यहां

लाया हूं। 18 फरवरी, 86 को आपने यहां इसी सदन में भाषण दिया था, नेता प्रतिपक्ष की हैसियत से। उस भाषण से मैं आपके सामने उद्धृत करना चाहता हूं, आपने कहा था "मैं यह मानता हूं कि बढ़ती जनसंख्या सारी योजनाओं को विफल कर देगी। लेकिन इसमें जोर जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए।

आप एक कानून बना दीज़िए कि एक, दो या तीन बच्चे से अधिक पर टैक्स लगेगा। जोर जबरदस्ती न की जाए, इससे आप इसको रोक नहीं पाएंगे। आप कानून बना दीजिए।" ये आपके बहुत अच्छे सुझाव थे, इसे उस समय के मुख्य मंत्री आपके कहने पर नहीं कर पाए, अब आप कर दीजिएगा, क्योंकि अब तो आप मुख्य मंत्री हैं। हम भी आपके इस कानून का समर्थन कर देंगे और कह देंगे कि हम भी अब इस प्रकार का कानून बनाने के पक्ष में हैं। आक्षेप के तौर पर यह नहीं कह रहा हूं। आपने बात सही कही थी।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

केन्द्र सरकार ने बना दिया है।

श्री कल्याण सिंह–

तो आप क्यों नहीं ऐसा कानून बनाते हैं ? आपने दोहरी शिक्षा की बात कही है। यह दोहरी शिक्षा अंग्रेजी स्कूलों के माध्यम से समाज को दो हिस्सों में बांट रही है। यह शिक्षा समाज में दो वर्ग बनाती है। एक वर्ग हुजूर और दूसरा वर्ग मजूर समान शिक्षा और सबके लिए शिक्षा समान की सुविधा हम इसके समर्थक हैं। आप कहते हैं कि समान पाठ्यक्रम रहेगा और समान प्रबन्ध व्यवस्था रहेगी। लेकिन संविधान का अनुच्छेद 30 है, जो कुछ लोगों को शिक्षण संस्थाओं के बारे में विशेष सुविधाएं देता है, उसका क्या होगा ? उसके रहते यह कैसे सम्भव हो पाएगा ? क्या इन तथाकथित अल्पसंख्यक संस्थाओं के पाठ्यक्रम पर आपका कोई कन्ट्रोल है ? या फिर अध्यापकों की नियुक्ति पर और उनके वेतन पर क्या आपका कोई कन्ट्रोल है ? न आपका उन विद्यालयों पर अपनी आरक्षण नीति का कोई प्रभाव है। इन दोहरी बातों से श्रीमन् समान शिक्षा की बात नहीं पूरी हो पाएगी।

श्रीमन्, जैसा मैंने प्रारम्भ में ही कहा था, प्रदेश का विकास कोई राजनैतिक मुद्दा नहीं है, इसमें हमारी सबकी जिम्मेदारी है, हम चाहे जिधर बैठें। इसी नाते से मैंने वित्तीय स्थिति का चित्रण करने का प्रयास किया है, अतिरिक्त आर्थिक संसाधनों को जुटाने की ओर इशारा किया है और नियोजन कैसा हो इसकी ओर प्रकाश डालने की कोशिश की है। मैं आशा करता हूं कि हमारी इन बातों पर मुख्य मंत्री जी विचार करेंगे। मैं आपका और अधिक समय नहीं लेना चाहता हूं। यदि वह सभी दलों के नेताओं को बुलाकर इस पर चर्चा करना चाहेंगे तो हम अच्छे सुझाव इस प्रदेश के विकास के लिए देने को तैयार हैं। इसके साथ मैं अपने भाषण को विराम दे रहा हूं और मान्यवर, आपको धन्यवाद देता हूं।

श्री अध्यक्ष–

यह चर्चा आगे जारी रहेगी। अब मद संख्या–10।

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

नियम 51 के अन्तर्गत आज 12 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं । पहली सूचना श्री महबूब अली की है, जिसका विषय है जनपद मुरादाबाद के गजरौला औद्योगिक क्षेत्र में स्थित कई फैक्टरियों से निकलने वाली जहरीली गैसों तथा पानी से फैलने वाले प्रदूषण से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में । इसे वक्तव्य के लिए स्वीकार किया है । दूसरी सूचना श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त की युग निर्माण योजना कन्या उ०मा० विद्यालय मोहम्मदी जिला खीरी की अध्यापिकाओं/कर्मचारियों को पांच माह का वेतन न दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है । इसे केवल वक्तव्य के लिये स्वीकार किया जाता है । तीसरी सूचना श्री निरवेन्द्र कुमार मुन्ना जनपद लखीमपुर खीरी की तहसील निघासन के कतिपय ग्रामों में मार्च, 1994 में लगी भीषण आग से पीड़ित ग्रामवासियों को घर बनाने हेतु आवश्यक सामग्री इत्यादि उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में है । इस विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट किया जाता है । चौथी सूचना श्री राकेश सचान की है इसका विषय है जनपद कानपुर देहात के घाटमपुर ब्लाक के अन्तर्गत बीबीपुर ग्राम समूह पेयजल योजना में आने वाले ग्रामों में पीने के पानी की कमी के सम्बन्ध में ।

इस विषय की ओर भी सरकार का ध्यान आकृष्ट किया जाता है । पांचवीं सूचना श्री रमेश पोखरियाल ''निशंक'' की जनपद पौड़ी गढ़वाल के विकास खण्ड वीररोंखाल में पीने के पानी की कमी से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, इस ओर भी सरकार का ध्यान आकृष्ट किया जाता है । छठी सूचना श्री सुन्दर लाल लोधी की जनपद उन्नाव के विकास खण्ड बिछिया के अन्तर्गत अधोमानक सड़क निर्माण कराये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है इस ओर भी सरकार का ध्यान आकृष्ट किया जाता है । इसके बाद की और सूचनाएं निरस्त की जाती हैं ।

नियम 301 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

अब चूंकि नियम 301 के अन्तर्गत व्यवधान के कारण सूचनाएं नहीं ली जा सकीं थीं । मैं चाहता हूं लोक हित में यह आवश्यक है कि उनको टेक अप कर लिया जाय इसलिये मैं टेक अप कर रहा हूं । पहली सूचना श्री निरवेन्द्र कुमार मुन्ना की है, दूसरी सूचना श्री रामपाल सिंह की है ।

लोक निर्माण एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)–

मान्यवर, इस समय लोग अनुपस्थित हो जाते हैं ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, थोड़ी शिथिलता कर दें । आज आदरणीय सदन में जिनकी उपस्थिति है । उनको उपस्थित मान लें ।

श्री अध्यक्ष–

अच्छी बात है। और तीसरी सूचना मातवर सिंह कण्डारी की है चौथी सूचना श्री हृदय नारायण जी की है। पांचवीं सूचना श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त जी की है। छठी सूचना श्री पारसनाथ यादव की और सातवीं सूचना डा० राम बाबू हरित की है। सभी सूचनाएं पढ़ी हुई मानी गई। इसके अलावा श्री बालेश्वर त्यागी और श्री रंगनाथ की जो सूचनाएं थीं वह अस्वीकार की जाती हैं।

(सदन की सहमति से स्वीकृत सूचनाएं पढ़ी हुई मानी गईं)

जनपद उन्नाव में सई नदी पर निर्माणाधीन पुल एवं सड़क में अधिग्रहीत की गयी किसानों की भूमि का मुआवजा दिलाने की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री राम पाल सिंह–

[मान्यवर, मैं आपकी जानकारी में लाना चाहता हूं कि जनपद उन्नाव में सई नदी पर पुल एवं सड़क का निर्माण किया जा रहा है। ग्राम मोहम्मदपुर, तहसील हसनगंज, जनपद उन्नाव के पिछड़ी जाति एवं दलित जाति एवं अन्य छोटे छोटे काश्तकारों की जमीन पुल एवं सड़क निर्माण के लिए ले ली गयी है, परन्तु उन्हें अभी तक न तो दूसरी जमीन आवंटित की गयी है और न ही उन्हें जमीन का मुआवजा ही दिया गया है जिससे कि गरीब पिछड़े दलित लोग भूखों मर रहे हैं और एक-एक रोटी के लिए मोहताज हो गये हैं।

अतः मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि प्राथमिकता के आधार पर गांव के निवासियों को मुआवजा दिलाया जाय या तत्काल कहीं खेती की जमीन आवंटित की जाय।]

जनपद टिहरी गढ़वाल में मूलगढ़–धार्ती रणधार–वदाणी मोटर मार्गों का निर्माण कराने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री मातवर सिंह कण्डारी–

[महोदय, मूलगढ़ धार्ती हल्का वाहन मार्ग लगभग 4 कि०मी० बन गया है। मात्र 200 मीटर वन भूमि में जनता द्वारा श्रमदान कर हल्का वाहन मार्ग का निर्माण किया गया।

रणधार–वदाणी मोटर मार्ग का निर्माण मात्र इसलिए नहीं हो पा रहा है कि 200 मीटर बन भूमि इसके निर्माण में बाधक है। इस वन भूमि में कोई सम्पदा–पेड़ आदि नहीं है।

उक्त दोनों मोटर मार्गों का निर्माण आगे हो चुका है मध्य भाग में 200 मीटर वन भूमि में निर्माण कार्य रुका हुआ है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोटः–[× × ×] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

मेरा शासन से अनुरोध है कि जनहित में उक्त दोनों मोटर मार्ग के निर्माण की स्वीकृति दी जानी चाहिए ताकि निर्मित सड़कों का सदुपयोग जनता कर सकें ।]

जनपद उन्नाव में पेयजल संकट उत्पन्न होने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री हृदय नारायण–

[मान्यवर, उन्नाव जिले में पीने के पानी का संकट गहराता ही जा रहा है । कुओं के जल स्तर के आश्चर्य जनक ढंग से गिरते जाने से जिले के अधिकांश ब्लाकों में विभिन्न ग्राम सभाओं में कुओं में कीचड़ आ रहा है । विकास खण्ड हिलौली के ग्राम सभा हिलौली, मवई, गुलरिहा, अकोहरी, पारा, रजवाड़ा के सभी मजरों में पानी नहीं है कुओं में कीचड़ है । इसके अलावा भी सम्पूर्ण ब्लाक में जल स्तर लगातार गिरता जा रहा है ।

असोहा ब्लाक के सभी 89 ग्राम सभाओं व पुरवा विकास खण्ड में कुओं का जल स्तर लगातार गिर रहा है मा० नगर विकास मंत्री जी राज्य मंत्री नगर विकास मंत्री सहित अनेक उच्चस्थ लोगों को पूर्व में पेयजल संकट के आसन्न होने की समय-समय पर दी गई है । हिलौली असोहा, पुरवा, विकास खण्डों में मई माह में पानी की आपूर्ति के लिए सरकार को मोबाईल टीमें गठित करनी पड़ सकती है ।

यही स्थिति पूरे जनपद की है । आवश्यकता इस बात की है कि पूरे जनपद के गहन सर्वेक्षण कराते हुए इण्डिया मार्ग–2 हैण्ड पम्प लगावाए जायं ।•जनता भय ग्रस्त है । अतः अविलम्बनीय महत्व को इस समस्या को आदरणीय सदन के संज्ञान में लाकर आवश्यक कार्यवाही की मांग करता हूं ।]

जनपद सीतापुर में तहसील सीतापुर के कतिपय ग्रामों में हुये अग्निकाण्ड से प्रभावित लोगों को सहायता दिलाने की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

[मान्यवर, विगत सप्ताह जिला सीतापुर की तहसील सीतापुर के ग्राम नेवादा प्रेम सिंह (मजरा उल्जापुर), देना, राम विलास पुरवा (मजरा ढोलई), बरसोहिया आदि अनेक ग्रामों में अग्निकाण्ड हुए । परन्तु कई दिन बीत जाने पर भी शासन की ओर से गृह अनुदान तथा अहेतुक सहायता का विवरण नहीं हुआ । टी०आर० 20 में धनाभाव का बहाना लेकर समय पर सहायता नहीं मिलती और कुटी बीमा योजना फार्म भरा कर मामले में अकारण विलम्ब कर दिया जाता है । बीमा योजना का लाभ वर्षों नहीं

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

नोटः–[× × ×] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

मिलता । देना तथा उदईपुर आदि के उदाहरण लम्बित हैं । इससे जनता में भीषण असन्तोष तथा उत्तेजना है ।

इस गम्भीर समस्या की ओर शासन का ध्यान आकृष्ट कर मांग करता हूं कि ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित की जाय कि अग्निकाण्ड के 24 घन्टे के भीतर पात्र व्यक्तियों को सहायता अवश्य उपलब्ध हो । विलम्ब के लिये दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों को दण्डित किया जाय ।]

जौनपुर के बरसठी क्षेत्र में जलस्तर काफी नीचा होने से पेयजल संकट उत्पन्न होने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री पारस नाथ यादव–

[मान्यवर, जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र बरसठी दक्षिणांचल दो नदियों से घिरा हुआ क्षेत्र है, जहां पर आवागमन सिंचाई एवं विद्युत आदि की समस्यायें हैं वहीं पर शुद्ध पेयजल की घोर समस्या हैं अनावृष्टि के कारण जल स्तर अधिक नीचे हो गया है । क्षेत्र के सभी कुएं सूख गये हैं पशु-पक्षियों को भी पानी पीने के लिए संकट हैं । शासन द्वारा इण्डिया मार्क–2 हैण्ड पम्प लगाने का प्राविधान है गरीब एवं मलीन बस्तियों में पानी की समस्या है, वहां पर न तो हैण्ड पम्प लगे हैं न तो कुएं की ही व्यवस्था है अधिकारियों द्वारा लापरवाही करने के कारण लगे हुए हैण्डपम्प अधिकांश संख्या में खराब पड़े हुये हैं ।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के तरफ सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए मांग करता हूं कि जनपद जौनपुर विधान सभा क्षेत्र बरसठी में पेयजल हेतु अतिरिक्त धन की व्यवस्था करने की कृपा करें । ताकि लोगों की शुद्ध पेयजल उपलब्ध हो सके तथा कराब हैण्डपम्पों को एक साथ बनवाने का निर्देश निर्गत करें ।]

आगरा पश्चिम क्षेत्र में हमीदनगर, शिवनगर में बिजली के नीचे खम्भे व तार लगवाने की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

डा० राम बाबू हरित–

[महोदय, आगरा महानगर के पश्चिमी क्षेत्र के शिवनगर, हमीदनगर, पृथ्वीनाथ, बारह खम्भा (अमबेडकर गली) में बिजली के खम्भे के न होने तथा जीर्णशीर्ण तारों के होने से क्षेत्र में आये दिन तार टूट कर गिरते रहते हैं, जिससे भयानक हादसा कई बार हो चुका है और भविष्य में होने की उम्मीद बनी रहती है ।

अतः आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि यहां बिजली के नये खम्भे व तार डलवा कर इस समस्या को दूर किया जाय ।]

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के रेगुलेटेड एरिया के अन्तर्गत होने वाले अनधिकृत कालोनियों के निर्माण को रोके जाने के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य

श्री अध्यक्ष–

वक्तव्य पढ़ा हुआ मान लिया जाय ।

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ मान लिया जाय ।)

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

नोटः–[× × ×] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

नगर विकास राज्य मंत्री (श्री संत बक्श रावत)–

[मा० सदस्य श्री बालेश्वर त्यागी द्वारा विधान सभा में दिनांक 4-3-94 को नियम-51 के अन्तर्गत सूचना प्रस्तुत करते हुये उल्लेख किया कि गाजियाबाद जनपद के ग्रामों मसूरी, पिपलेहड़ा व खिचरा तथा टाउन एरिया डासना के आसपास अनधिकृत कालोनियों का तेजी से विकास हो रहा है जिसमें आवश्यक नागरिक सुविधायें उपलब्ध नहीं करायी जा रही है। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के रेगुलेटेड एरिया के अन्तर्गत होने के बाद भी अनधिकृत कालोनियों के निर्माण को रोका नहीं गया है गैर चकबन्दी एरिया होने के कारण छोटे-छोटे प्लाटों (फ्रिगमेन्टेशन) की बिक्री पर भी रोक लगाना संभव नहीं है। इस निर्माण का एक गम्भीर पहलू यह है कि अधिकार एक ही समुदाय के लोग बस रहे हैं जिसके कारण आबादी की स्वाभाविक बसने की प्रक्रिया अवरुद्ध हो गयी है तथा समाज की समरसता की प्रक्रिया को भी गंभीर खतरा पैदा हो गया है।

उक्त के संबंध में गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की सूचना के अनुसार स्थिति यह है कि ग्राम मसूरी, पिपलेहड़ा तथा खिचरा के आस-पास अनधिकृत रूप से कोई कालोनी नहीं बन रही है। जो भी निर्माण हुये है वह गांव की आबादी से लगी भूमि पर हुये हैं, जो गांव में ही लगते हैं। डासना टाउन एरिया में कल्लूगढ़ी की ओर जाने वाली रोड पर नन्हें बिहार नाम से कालोनी का बोर्ड लगा हुआ है, परन्तु अभी तक न तो कोई विकास कार्य किया गया है और न ही कोई निर्माण हुआ है। गोबिन्दपुरम के गंगा बिहार नाम से कालोनी का बोर्ड लगा है जिसमें से सात भूखण्डों पर चाहरदीवारी की गई है परन्तु किसी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं किया गया है। जहां तक अवैध निर्माण का प्रश्न है समय समय पर आर०बी०ओ० ऐक्ट के अन्तर्गत वैधानिक कार्यवाही की गई है। इन क्षेत्रों का मास्टर प्लान न होने के कारण मानचित्र स्वीकृत नहीं हो सकते हैं। समय समय पर इस क्षेत्र का निरीक्षण किया जाता है तथा अवैध निर्माणों के चालान किये गये हैं। जहां तक एक ही समुदाय के व्यक्तियों के बसने के संबंध का प्रश्न है, यह एक सामाजिक प्रकरण है।

प्राधिकरण सीमा के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र में अवैध निर्माणकर्ताओं के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने की व्यवस्था उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम, 1973 की धारा–27 व 28 के अन्तर्गत है। अधिनियम की धारा 14 व 15 में अनुमति प्राप्त किये बिना किये गये निर्माण और विकास के विरूद्ध कार्यवाही किये जाने हेतु प्राधिकरण के उपाध्यक्ष को अनधिकृत निर्माण व विकास कार्य के ध्वस्तीकरण व उन्हें नियमित करने हेतु शमन की कार्यवाही हेतु अधिकृत किया गया है।]

श्री बालेश्वर त्यागी–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने अपने वक्तव्य में कहा है कि वहां कोई निर्माण कार्य नहीं हो रहा है। उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम 1973 की धारा 27 व 28 के अन्तर्गत निर्माणकर्ताओं के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिये प्राविधान है। तो मैं जानना चाहता हूं कि इस अधिनियम के अन्तर्गत कितने ऐसे अवैध निर्माणों के विरुद्ध अब तक कार्यवाही की गई है और कितने अवैध निर्माण विकास प्राधिकरण के संज्ञान में आये हैं ? मैं यही जानना चाहता हूं।

नोटः–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

श्री सन्त बक्श रावत–

कासना में मधुबन सिनेमा दूसरा इन्द्रगढ़ी में दुलीचन्द्र इन्द्रगढ़ी में चार कमरे, किचन, जीना । दिलीप सिंह इन्द्रगढ़ी में, आठ दुकान बरामदा । विवेक कुमार डासना में दो कमरे, बाउन्ड्री । बुन्दु ग्राम डासना, चार दुकान । मै० फुटरो कम्पोनेट ग्राम डासना, फैक्ट्री का शैड, युसुफ ग्राम मसूरी, एक हाल कमरा जीना । हाजी अमीनुद्दीन ग्राम मसूरी, एक हाल कमरा । मौ० हनीफ, ग्राम खिचरा सात दुकानों का निर्माण, इसलामुदादीन ग्राम मसूरी, दो कमरों का निर्माण । छिद्दा ग्राम मसूरी तीन कमरो का निर्माण, आरिफ खां, ग्राम मसूरी एक हाल कमरा व बरामदा, हनीफदादीन ग्रा० पिपलेहड़ा फैक्ट्री के लिये शैड बना रहे हैं । सलीम ग्राम पिपलेहड़ा, दो कमरे, रसोई । इन लोगों ने निर्माण कराया है इनको नोटिस दिया गया है ।

एक सदस्य–

माननीय बालेश्वर त्यागी से एक स्पष्टीकरण चाहूंगा ।

श्री अध्यक्ष–

इनसे कुछ न पूछें । मंत्री जी से पूछें ।

एक सदस्य–

मान्यवर, माननीय बालेश्वर त्यागी जी मंत्री रहे हैं, गृह राज्य मंत्री रहे हैं उस समय इन्होंने विचार किया तत्कालीन सरकार से भी जो स्पष्टीकरण मांगा जा रहा है तत्कालीन सरकार ने अवैध निर्माण को रोकने का प्रयास किया गया था या नहीं अगर किया गया था तो क्यों किया गया था या सिर्फ राजनीतिक लाभ उठाने के लिये सवाल जवाब किये जा रहे हैं ।

श्री सन्त बख्श रावत–

इसमें उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है ।

राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ द्वारा कथित रूप से जारी किये गये सामाजिक विद्वेष परक परिपत्र से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर केवल वक्तव्य का स्थगन

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी के अनुरोध पर अगली तिथि तक के लिये स्थगित किया जाता है ।

दिनांक 2 मार्च, 1994 के अ० सू० तारांकित प्रश्न सं० 2 मत्थी 'क' से सम्बन्धित सरकारी घोषणाओं के बावजूद प्रदेश में चीनी और मिट्टी के तेल के भाव खुले बाजार में बढ़ने विषयक नियम 49 के अन्तर्गत चर्चा

श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल–

मान्यवर, पिछले दिनों एक मामला सदन में आया था । उस समय वितरण नीति के बारे में चर्चा की गयी थी । आज पूरे उत्तर प्रदेश में जिला मुख्यालय पर और गांव में जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली पर खाद्यान्न वितरित किया जाता है उसमें बहुत भेदभाव होता है । शहरों की दुकानों पर जो सामग्री आनी चाहिए वह सुलभ नहीं हो पाती है । जिस पर्याप्त मात्रा में गेहूं, चावल, मिट्टी का तेल, जो कि मुख्य चीजें हैं वह सार्वजनिक वितरण प्रणाली से प्राप्त नहीं हो पा रही हैं । लोगों को बताया जाता है कि उत्तर प्रदेश की जनता की जितनी आवश्यकता है उतनी मात्रा में खाद्यान्न नहीं मिल पाता है ।

सरकार की लापरवाही से राशन कार्ड भी कम बनाये जाते हैं और जो खाद्यान्न जनता को मिलना चाहिए वह नहीं मिल पाता है । जिस कारण उपभोक्ता वस्तुओं को बाजार से खरीदना पड़ता है । राशन की दुकान से वितरण नहीं किया जाता है ।

(समय 6.00 बजे अपरांह्न)

जहां तक चीनी की बात है आज खुले बाजार में 14 से 15 रुपये प्रति किलो के हिसाब से मिल रही है । राशन की दुकान पर चीनी कम दी जाती है । ग्रामीण क्षेत्रों में चीनी कोटे से कम दी जाती है । जिससे शहर में ही उस चीनी को बेच लेते हैं । जो दुकानदारों के परिचित लोग होते हैं उनको तो चीनी मिल जाती है और इसी प्रकार से प्रभावशाली लोगों को भी चीनी मिल जाती है और वह संतोष कर लेते है । राशन की निकासी के नाम पर दुकाने बन्द कर देते हैं । बोर्ड टांग देते हैं । कि अमुक तारीख को चीनी मिलेगी और केवल एक या दो दिन ही सामान वितरित करते हैं । इसी तरह से मिट्टी के तेल के बारे में कहना चाहता हूं । राशन की दुकानों पर जहां पर्याप्त मात्रा में मिट्टी का तेल मिलना चाहिए, वह नहीं मिलता है, फलस्वरूप उपभोक्ताओं को काला बाजार से खरीदना पड़ता है । यह जो वितरण की नीति है यह भेदभाव पूर्ण है । शहरों और गांवों में अलग अलग मापदण्ड हैं । इस संदर्भ में यह व्यवस्था सुनिश्चित की जाए कि राशन की दुकानों से पर्याप्त समय पर पर्याप्त मात्रा में सामान मिल सके । इसके साथ ही मैं सरकार से चाहूंगा कि वह आवश्स्त करें कि जो गरीब लोग हैं, उनका जीवन यापन ठीक ढंग से हो सके ।

(श्री रवीन्द्र शुक्ल का नाम पुकारे जाने एवं उनके अनुपस्थित होने पर ।)

श्री सत्य प्रकाश विकल–

मान्यवर, यह एक तथ्य है कि इस समय खुले बाजार में चीनी और मिट्टी के तेल की कीमत बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है । 7 रुपये लीटर मिट्टी का तेल काला बाजार में बिक रहा है । 3.50 रुपये प्रति किलो से 14 रुपये प्रति किलो तक चीनी बिक रही है । मैं खास तौर से जो गांवों और शहरों में गरीब लोग हैं, मध्यम वर्गीय लोग हैं तथा छोटी आमदनी के लोग हैं उन लोगों की हालत आज यह है कि उनके लिये जीवन की आवश्यक चीजों को खरीद पाना मुश्किल होता जा रहा है । हमारी राशन की दुकानों से गेहूं, चीनी, मिट्टी का तेल आदि चीजें नहीं मिल पाती हैं और सरकार का अंकुश इन दुकानों पर इतना ढीला हो गया है सार्वजनिक वितरण प्रणाली की व्यवस्था इतनी त्रुटिपूर्ण हो गयी है कि जिसकी वजह से आज उपभोक्ताओं को राशन की दुकानों से यह चीजें नहीं मिल पा रही हैं । राशन की दुकानों पर दुकानदार राशनकार्ड अपने पास रख लेते हैं और उन पर अपने आप चीजें चढ़ा कर काला बाजार में बेच देते हैं । काला बाजारी हो रही है और आम लोग इन चीजों के लिये तरस रहे हैं । यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है । मैं इस पर बहुत समय नहीं लूंगा लेकिन मैं शासन के संज्ञान में, सरकार के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि वह गम्भीरता से इस बात को देखे कि इस भयानक महंगाई की स्थिति में खास तौर से चीनी व मिट्टी का तेल जो राशन की दुकान पर मिलता ही नहीं है, उसको काला बाजार में बेच दिया जाता है । इस व्यवस्था को सुधारा जाय । मिट्टी का तेल गांवों और शहरों में मिल सके, चीनी बराबर मिल सके इसकी शासन को व्यवस्था करनी चाहिए और देखना चाहिए कि त्योहारों व विवाह शादियों में जनता को अतिरिक्त चीनी मिल सके ।

* श्री रंगनाथ–

मान्यवर, जहां तक मिट्टी के तेल और चीनी के वितरण का सवाल है। इस समय निश्चित रूप से गांवों में रहने वाले लोगों को न तो मिट्टी का तेल ठीक से मिल पा रहा है और न ही चीनी मिल रही है। चीनी की कीमत खुले बाजार में इतनी बढ़ी है कि कोटेदार भण्डार से चीनी निकाल कर उसको मार्केट में बेच देता है। अच्छी चीनी कोटेदार मार्केट में बेच देते हैं और रद्दी चीनी जो होती है उसको लाकर कोटे में देते हैं इस प्रकार की इसमें अनियमिततायें होती हैं। मिट्टी के तेल के वितरण के संबंध में तहसील स्तर पर एजेंसियां हैं जो कोटे का वितरण करती हैं। बड़े-बड़े लोगों की एजेंसियां हैं जो पैसा लेकर डीजल बेचने वालों को देते हैं और वह डीजल में मिलावट करके मिट्टी का तेल बेचा जा रहा है। मिट्टी के तेल को कलर करके बेचा जाय तो ज्यादा अच्छा होगा। इसी तरह से वितरण में जन प्रतिनिधियों का सहयोग लिया जाय और उनको सत्यापित करने के अधिकार दिये जाने चाहिए। जो कोटेदार हैं वह अच्छी चीनी बेच लेते हैं और खराब चीनी बाजार से खरीद कर जनता में वितरित करते हैं। जो मार्केटिंग इंसपेक्टर होता है उसका महीना बंधा होता है इसलिये वह कोटेदार के खिलाफ कार्यवाही नहीं करता है।

श्री अध्यक्ष–

आप कुछ सुझाव दीजिये। यह सारी बातें आ चुकी हैं।

श्री रंगनाथ–

कोटेदार जो जनता में वितरित की जाने वाली सामग्री है उसको खुले बाजार में न बेच सकें इसके लिये अंकुश लगाना बहुत जरूरी है जन प्रतिनिधियों का इसमें सहयोग लिया जाना चाहिए।

(श्री नरेश अग्रवाल, श्री प्रमोद तिवारी, श्री जगदम्बिका पाल के नाम पुकारे जाने एवं उनके अनुपस्थित होने पर)

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी कृपया आप अपनी बात रखें।

* स्वास्थ्य, चिकित्सा तथा चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री बलराम यादव)–

मान्यवर, वितरण प्रणाली के संबंध में प्रश्न के माध्यम से चर्चा स्वीकार की गयी है और चर्चा में भाग लेते हुए हमारे सम्मानित सदस्यों ने वितरण प्रणाली में खामियों के संबंध में कहा है। ग्रामीण अंचलों में चीनी और मिट्टी का तेल मुख्य रूप से वितरित होता है, खाद्यान्न का वितरण नहीं होता है। मिट्टी के तेल के वितरण पर सम्मानित सदस्यों ने ध्यान आकर्षित किया है। मैं कहना चाहूंगा कि मिट्टी का तेल नियंत्रित मूल्य पर ग्राम सभाओं की दुकानों से वितरित किया जाता है और जन प्रतिनिधियों के नियंत्रण में और उनकी देखरेख में वितरण का कार्य होता है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

माननीय विकल जी का क्षेत्र नगरीय है वहां भी सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से सस्ते गल्ले की दुकानों से चीजों का वितरण किया जा रहा है । पिछले प्रश्न के उत्तर में हमने स्वीकार किया था कि दाम कुछ बढ़े हैं फिर फरवरी माह में 7-8 प्रतिशत दाम बढ़े हैं लेकिन यह कहना कि दाम बहुत ज्यादा बढ़े हैं, यह सत्य नहीं है और न इस कथन में कोई बल प्रतीत होता है । अगर कोई शिकायत सम्मानित सदस्य को किसी क्षेत्र विशेष के संबंध में दुकान के संबंध में है कि वहां वितरण ठीक से नहीं हो रहा है तो उसको लिखित दे दें उसको दिखवा लिया जायगा । उपलब्धता के अनुसार वितरण को सुनिश्चित किया जाता है । ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के वितरण के मानक अलग-अलग हैं । जहां तक मिट्टी के तेल का प्रश्न है सम्पूर्ण मिट्टी के तेल का वितरण नियंत्रित प्रणाली के अन्तर्गत होता है । वह 2.85 पैसे से लेकर 3.05 पैसे के बीच बिक्री होता है । वितरण का सत्यापन भी सम्भवतः हमारे ग्राम प्रधान द्वारा किया जाता है, जो हमारे वह भी निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं । इस संबंध में, मैं पुनः आग्रह करूंगा कि किसी भी क्षेत्र विशेष में वितरण प्रणाली दोषपूर्ण है और उसके संबंध में कोई सूचना देंगे, तो निश्चित रूप से हम उसकी जांच करा लेंगे ।

श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल–

माननीय अध्यक्ष जी, मंत्री जी ने जो उत्तर दिया है, वह पूर्णतया सही नहीं है । राशन की दुकानों से मिट्टी के तेल और चीनी का वितरण होता है, लेकिन जो कोटा उनका बनता है, जो चीनी आपने निर्धारित की है गांव वालों के लिये, मान लीजिये, 10 बोरा चीनी का कोटा दुकानदार का बनता है, तो उसे पूरा का पूरा 10 बोरा देना चाहिए, लेकिन उसे 9 बोरा दिया जायगा । इस प्रकार से एक बोरा कम दिया जाता है और वह एक बोरा कम की आड़ में अधिकांश ब्लैक कर देते हैं । वह कह देते हैं कि जितनी मात्रा में हमको चीनी मिलनी चाहिए, वह नहीं मिल पाती है । मान्यवर, मैं आपको बिल्कुल सही बात बता रहा हूं ।

मान्यवर, मैं देवरिया नगर से विधायक हूं । इस क्षेत्र में गांव, नगरपालिका, टाउन एरिया और ग्राम सभायें सभी आती हैं । मैं जो बता रहा हूं, बिलकुल सही बता रहा हूं कि उचित मात्रा में ये चीजें नहीं मिल पा रही हैं । अब यह मंत्री जी मजबूरी के कारण कह रहे हैं, वह हमारे पड़ोसी जिले के हैं । मान्यवर, शादी-विवाह के अवसर पर पहले मिट्टी का तेल और चीनी मिलती थी, लेकिन जब से यह सरकार आयी है, चाहे गांव का किसान हो, या कोई भी हो, उसको चीनी नहीं मिलती है । अब 13 तारीख को लगन बीत गयी, अप्रैल से फिर लगन आने वाली है, उसमें माननीय मंत्री जी इतनी व्यवस्था अवश्य करावें कि शादी-विवाह के अवसर पर चीनी, मिट्टी का तेल समुचित रूप से मिले, ताकि लोग शादी के अवसर पर व्यवस्था सम्पन्न करा सकें ।

श्री बलराम यादव–

मान्यवर, यह शादी-विवाह के अवसर पर चीनी मिट्टी के तेल का वितरण किया जा रहा है । देवरिया में यदि नहीं है, तो इसको हम दिखवा लेंगे ।

श्री अध्यक्ष–

अब चर्चा समाप्त होती है ।

अब हम उठते हैं और कल 11 बजे पुनः बैठेंगे ।

(इसके बाद सदन 6 बजकर 12 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया ।)

लखनऊ :

17 मार्च, 1994

प्रेम चन्द्र सक्सेना,

सचिव, विधान सभा,

उत्तर प्रदेश ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'क'

(देखिये ता० प्र० सं० 16 का उत्तर पीछे पृष्ठ 12 पर)

अध्यक्ष राजस्व परिषद् की अध्यक्षता में गठित समिति के समक्ष जिले के सृजन के सम्बन्ध में प्रस्ताव

क्र० सं०		जिला के संबंध में प्रस्ताव	वर्तमान स्थिति
1	मुरादाबाद	जनपद मुरादाबाद को विभाजन कर सम्भल/अमरोहा को नया जिला बनाने का प्रस्ताव	अपूर्ण
2	जौनपुर	तहसील शाहगंज को नया जिला बनाने का प्रस्ताव	,,
3	हमीरपुर	महोबा को नया जिला बनाने का प्रस्ताव	,,
4	नैनीताल	काशीपुर को नया जिला बनाने का प्रस्ताव	,,
5	नैनीताल	रुद्रपुर को जिला बनाने का प्रस्ताव	,,
6	पिथौरागढ़	चम्पावत को जिला बनाने का प्रस्ताव	,,
7	पिथौरागढ़	काली कुमायूं को जिला बनाने का प्रस्ताव	,,
8	पिथौरागढ़	डीडीहाट को जिला बनाने का प्रस्ताव	,,
9	चमोली	रुद्रप्रयाग को जिला बनाने का प्रस्ताव	,,
10	पौड़ी गढ़वाल	कोटद्वार को जिला बनाने का प्रस्ताव	,,
11	अल्मोड़ा	रानीखेत को जिला बनाने का प्रस्ताव	,,
12	अल्मोड़ा	रानीखेत को जिला बनाने का प्रस्ताव	,,
[illegible]	इलाहाबाद	जमुनापार को जिला बनाने का प्रस्ताव	,,
[illegible]	एटा	कासगंज को जिला बनाने का प्रस्ताव	,,

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ख'

(देखिये अता० प्र० सं० 12 का उत्तर पीछे पृष्ठ 19 पर)

विकास क्षेत्र हरिंग्टनगंज जनपद फैजाबाद ग्राम अछोरा में विधवा अनुदान प्राप्त लाभार्थियों की सूची

सर्व श्रीमती	पत्नी स्व० सर्वश्री
1–माता देई	विश्राम
2–राजकुमार	राजबहादुर
3–राजपती	झगरू
4–भगवती	श्रीपाल
5–राजकलर	रामू
6–रामरती	सियाराम
7–दुरपती	उमा दत्त
8–पराना	नगे
9–सूरजदेई	बिन्देश्वर
10–जयराजी	राम अवध
11–राम प्यारी	राम प्रताप
12–दोपती	राम सरन
13–मुरैका	बदल
14–दिलराजी	पिपिन
15–प्रेमपती	गया बक्श
16–जगदम्बा	राम देव
17–सम्पत्ति	राम दुलारे
18–जैसा	राम केवल
19–लालुक राजी	दान बहादुर
20–रिती	शंकर
21–रामपती	दारगाही
22–जग्गा	छताई
23–विसना	बिहारी
24–सिरताजी	भरोसे

उत्तर प्रदेश विधान सभा

25–राम लली	राम कृपाल
26–कलप राजल	राम नरायन
27–पराना	राम औतार
28–मायावती	कल्प
29–प्रराना	नन्हकू
30–नरायन देई	बलदेव
31–हंसराजी	माता बदल
32–रामकली	राम नरेश
33–राम पियारी	राम फेर
34–सुभद्रा	गंगा प्रसाद
35–सूर्य कली	गुरूदीन
36–राजकली	मुन्ना लाल
37–सुमला	सुखीराम
38–विपता	छगू
39–सपना	राम प्रसाद
40–उदय राजी	राम प्रसाद
41–रामरती	मुंगरी
42–तोता पतीबे	राणित राम
43–सूरती	मथुरा
44–परानदेई	प्ररागदीन
45–सुरसती	झिगुरी
46–उरपती	राज बहादुर
47–जगना	हित लाल
48–धर्मराजी	राम पियारे
49–रघुराज पती	बिहारी
50–पती	हृदय राम
51–भगतना	सुखिराम
52–ननका	राम भजन

उत्तर प्रदेश विधान सभा

53–राम पियारी	गयादीन
54–फूलकुवरि	सियाराम
55–सूर्यकली	सती प्रसाद
56–सिवपता	पाले
57–सियाराजी	बदल
58–रामदेई	हिम्मत बहादुर
59–धनपता	राम सकट
60–जसापती	कल्लोराम
61–श्यामपता	राम अछोर
62–शिव कली	अमर नाथ
63–रामरती	धर्मपाल
64–पलपती	हनुमान प्रसाद
65–कल्हा	बुद्धिराम
66–धनपता	राम जीवन
67–पार्वती	राम प्रसाद
68–फुलकली	मिहीलाल
69–पतिराज	राम सुन्दर
70–सुन्दर देवी	सुरेश चन्द्र
71–श्यामपती	गयादीन
72–फलेसरा	तुलसीराम
73–नरायन देई	अमरनाथ
74–धनपता	राम बालक
75–दिलाऊ	राम औतार
76–गयादेई	मोहन
77–शिवता	अंगनू
78–मूना	रहमत उल्लाह
79–तुलसा	शिगूर
80–दुईजा	जगदीश ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ग'

(देखिये अता० प्र० सं० 59 का उत्तर पीछे पृष्ठ 42 पर)

अपराध बलात्कार में अनुसूचित जाति के उत्पीड़ित/आश्रित सदस्यों को आर्थिक सहायता

दिनांक 1-4-92 से 31-3-93 तक (जनपद–बाराबंकी)

क्र० सं०	थाना	अपराध संख्या	धारा	दिनांक सूचना	मजरूबा	स्वीकृत धनराशि	दिनांक	आर्थिक सहायता पाने वाले का नाम व पता
1	असन्डा	97/92	376/506 आई०पी०सी० 3(1)XII एस०सी०एस०टी० ऐक्ट	5-5-92	श्रीमती दयावती पत्नी शिव सरन अनु० जा० नि० परवानी पुरवा असन्डा	रु० 5,000	28-10-92	श्रीमती दयावती देवी
2	सफदरगंज	99/92	376 आई०पी०सी० 3(1) XII एस०सी०एस०टी० एक्ट	15-5-92	श्रीमती मालती देवी पत्नी शलोहन लाल निवासी उधौली थाना-सफदरगंज	रु० 5,000	28-10-92	श्रीमती मालती देवी
3	हैदरगढ़	190/92	376 आई०पी०सी० 511/307	10-6-92	कु० दुलारा देवी पुत्री रघुनाथ नि० लाल बहादुर का पुरवा शिवगढ़, रायबरेली	रु०—	—	स्थानान्तरण रायबरेली 14-10-92
4	कोत० नगर	862/92	376/504 आई०पी०सी० 3(1)XII एस०सी०एस०टी० एक्ट	27-7-92	श्रीमती भगवानदेई पत्नी राजाराम नि० जसमण्डा कोतवाली-नगर बाराबंकी	रु० 5,000	5-1-93	श्रीमती भगवानदेई

उत्तर प्रदेश विधान सभा

5	असन्डा	194/92	376/506 आई०पी०सी० 3(1)XII एस० सी०एस० टी० एक्ट	16-2-92	कु० कमला पुत्री गंगाराम रावत नि० मवैया, असन्डा	रु० 5,000	5-1-93	कु० कमला देवी
6	सतरिख	110/92	376/511 आई०पी०सी० 3(1)XII एस०सी०एस०टी० एक्ट	18-9-92	श्रीमती सुशीला पत्नी श्रीपाल धोबी नि० बरौली, थाना सतरिख	रु० —	—	दि० 22-12-92 को स्वीकृत होने हेतु जि०स०क० अधिकारी बाराबंकी को भेजा गया।
7	जैदपुर	334/92	376/323 आई०पी०सी०	2-11-92	श्रीमती माया देवी पत्नी जग्गू नि० हरख, थाना-जैदपुर।	रु० 5,000	27-3-93	श्रीमती माया देवी

उत्तर प्रदेश विधान सभा

अपराध हत्या में अनु० जाति के उत्पीड़ित/आश्रित सदस्यों को दी गयी आर्थिक सहायता का विवरण

क्र० सं०	थाना	अपराध संख्या	धारा	दिनांक सूचना	मजरूबा	स्वीकृत धनराशि	दिनांक	आर्थिक सहायता पाने वाले का नाम व पता
1	बड्डपुर	24/92	302/376 आई०पी०सी० 201	5-4-92	कु० ज्ञानवती पुत्री गयादीन नि०-बुढ़ना, थाना बड्डपुर	रु० 10,000	15-5-92	श्री बुधराम (भाई मृतक)
2	कोठी	76/92	147/143/149/302 आई०पी०सी०	29-4-92	श्री रामदास पुत्र पुत्तूलाल नि०– अतरौली, थाना-कोठी	रु० 10,000	15-5-92	श्री मनीराम (लड़का मृतक)
3	मवई	66/92	302/201 आई०पी०सी०	21-6-92	श्री बदल पुत्र परमेश्वर नि० रामपुर, जनक थाना मवई	रु० 10,000	23-10-92	श्री राम बली (स्त्री मृतक)
4	हैदरगढ़	356/92	147/323/504/302 आई०पी०सी० 3(2) एस०टी० एक्ट	18-10-92	श्री गोकुल पुत्र गजराज नि० भैरचन्द्र थाना–हैदरगढ़	रु० 10,000	20-2-93	श्रीमती रमदेई (स्त्री मृतक)
5	मसौली	274/92	147/148/149/302 आई०पी०सी०	11-10-92	श्री सुदर्शन पुत्र सरजू रैदास नि० मो० चकला मसौली	रु० 10,000	12-10-92	श्रीमती सावित्री (स्त्री मृतक)
6	टिकैतनगर	8/93	302 आई०पी०सी०	27-1-93	श्री औहारदीन पुत्र मंशाराम नि० सिकरी थाना–टिकैतनगर	रु० 10,000	14-5-93	श्री मंशाराम (पिता मृतक)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

7	कोत० नगर	93/93	302/114/506 आई०पी०सी०	31-1-93	श्री हरिश्चन्द्र पुत्र केशन नि० टेरी, कोत० नगर	रु० 10,000	18-10-93	श्री केशन (पिता मृतक)
8	दरियाबाद	10/93	302/201 आई०पी०सी०	3-2-93	श्री रमेश पुत्र टहलू नि० मंगलान थाना-दरियाबाद	रु० 10,000	27-3-93	(मृतक की मां)
9	घुघटेर	16/93	147/148/149/435/ 201 आई०पी०सी० 3(2)V एस०सी०एस०टी० एक्ट	9-3-93	श्री रामेश्वर नि० महोलिया थाना– घुघटेर	रु० 10,000	13-10-93	श्रीमती मैका (मृतक स्त्री)
10	फतेहपुर	53/93	302 आई०पी०सी०	19-3-93	मृतक श्री रमेश पुत्र बिन्द्रा प्रसाद नि०– धमसड, थाना– फतेहपुर।	रु० 10,000	13-10-93	श्री बिन्द्रा प्रसाद (पिता मृतक)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'घ'

(देखिये अता० प्र० सं० 80 का उत्तर पीछे पृष्ठ 51 पर)

राजस्व संग्रह अमीनों से नायब तहसीदार पद पर प्रोन्नति हेतु राजस्व परिषद् द्वारा बनायी गयी ज्येष्ठता सूची

क्र० सं०	सूची क्रमांक	नाम	जन्म-तिथि
1	60	श्री राम प्रसाद सिंह	25-1-29
2	62	श्री भृगुनाथ प्रसाद	14-1-34
3	72	श्री तुफैल अहमद	2-6-34
4	102	श्री राम सवारे लाल	1-1-29
5	210	श्री राम नरायन दुबे	15-7-35
6	267	श्री सूर्य कान्त प्रसाद	11-7-33
7	304	श्री लट बहादुर शुक्ला	27-2-42
8	336	श्री प्रेम दास	1-7-36
9	349	श्री सुरेन्द्र बहादुर सिंह	1-7-38
10	431	श्री ध्रुव नाथ पाण्डे	2-1-36
11	433	श्री झगरू राम	27-8-36
12	496	श्री राम नाथ	1-7-43
13	518	श्री सूर्य नरेश	31-7-41
14	533	श्री दुखहरन प्रसाद तिवारी	5-1-43
15	559	श्री हजारी लाल	1-7-42
16	568	श्री राजा राम	1-7-43
17	574	श्री चन्द्रदेव सिंह	1-11-42
18	584	श्री नरेन्द्र प्रसाद	1-1-36
19	599	श्री बहादुर प्रसाद	9-3-45
20	607	श्री भरत प्रसाद	2-1-43
21	708-ए	श्री तेज प्रताप सिंह	—
22	712	श्री अनुरुद्ध प्रसाद	20-7-44
23	1137	श्री राम धनी शुक्ला	25-12-46

पी० एस० यू० पी–एल० 81 विधान सभा (124)–1994–813 (डी० टी० पी०) ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा